

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

राजभाषा समस्या
व्यावहारिक समाधान



नेशनल पब्लिशिंग हाऊस नयी दिल्ली

राजभाषा

समाप्त

व्यावहारिक

समाधान

कन्हैयालाल गाँधी

नेशनल पब्लिशिंग हाऊस


23, दरियागज, नयी दिल्ली-110002

शाखाए •

घौडा रास्ता, जयपुर

34, नेताजी सुभाष मार्ग, इलाहाबाद-3

राष्ट्रीय शक्ति अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद्, नयी दिल्ली के सहयोग से प्रकाशित

मूल्य  रु

नेशनल पब्लिशिंग हाऊस 23, दरियागज, नयी दिल्ली-110002 द्वारा
प्रकाशित / प्रथम संस्करण 1985 / सर्वाधिकार कन्हैयालाल नाथी/
रायसोना प्रिंटरी, दिल्ली में मुद्रित । [8 1-11-884/N]

RAJBHASHA SAMASYA Vyavharik Samadhan
by Kanhaiya Lal Gandhi

R.  रु

“सभ्य-समाज में परस्पर संपर्क का मुख्य अथवा प्रायः एकमात्र साधन भाषा ही है। आधुनिक सरकारों का केवल समाज के सभी पहलुओं से ही नहीं, अपितु व्यक्ति के जीवन से भी इतना गहरा संबंध रहता है कि अर्वाचीन समुदाय में किसी भी देश की सरकार के लिए भाषा का प्रश्न अत्यंत दिलचस्पी का विषय बन जाता है।”

राजभाषा आयोग 1955-56

आभार

इस कार्य को हाथ में लेने का मूल प्रोत्साहन मुझे अपने आदरणीय गुरु प्रोफ़ेसर डॉ. दशरथ ओझा से मिला। इस ग्रंथ की आयोजना में, आदि से लेकर अंत तक, उनका संबंध रहा है। डॉ. तारकनाथ वाली, रीडर, दिल्ली विश्व-विद्यालय, का भी इस ग्रंथ के रूप निर्माण में अटूट एवं घनिष्ठ संपर्क रहा है। उनके विश्लेषण और सुझावों के फलस्वरूप मैंने पुस्तक में अनेक संशोधन किए।

योजना आयोग के संयुक्त निदेशक डॉ. त्रिलोकनाथ धर का सहयोग भी बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। यदि उनके श्रम एवं विश्लेषण का लाभ मुझे प्राप्त न होता तो पुस्तक अपने वर्तमान स्तर को प्राप्त न कर पाती।

भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नयी दिल्ली) के अतिथि प्रोफ़ेसर और भारतीय संघ के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार डॉ. भास्कर राव का भी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने रेडियो, समाचारपत्र आदि जनसंपर्क साधनों से संबंधित आंकड़ों के एकत्रीकरण और विश्लेषण में मेरी बहुत मदद की।

दिल्ली विश्वविद्यालय के रीडर डॉ. ओम प्रकाश और शिवदयाल कॉलेज, गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश) के रीडर डॉ. आर. एन. भार्गव को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्य के लिए कई नई दिशाएं दिखलाई। मेरे सहपाठी एवं परम मित्र डॉ. जीवन प्रकाश जोशी ने पुस्तक की पाण्डुलिपि को काफ़ी मेहनत से पढ़ा। उनके सुझावों एवं संशोधनों के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ।

योजना आयोग के पुस्तकाध्यक्ष श्री आर. के. जैन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसंधान एवं संदर्भ विभाग के प्रनेखन अधिकारी श्री एस. एन. साधु और श्रीमती वी. के. अरोरा का मैं उनकी अमूल्य सहायता के लिए बहुत आभारी हूँ।

श्री मनोहरनाथ कौल और श्री मोहन लाल का अनेक सांत्तिकी सारिणियों की तैयारी में काफ़ी सहयोग रहा, तदर्थ मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। मेरी अनुजा विमला ने सभी संदर्भों और परिशिष्टों का मिलान और

निरीक्षण किया। इस कठिन कार्य को लगन एवं परिश्रम में सपन्न करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

शोध-प्रबन्ध के पूरा प्रकाशित होने के समय तक, यथासंभव, आवश्यक और महत्त्वपूर्ण सशोधन-संपादन किए गए हैं, जिसमें कि ग्रंथ की कुछ अद्यतन उपयोगिता भी बनी रहे। तदर्थ पाठकों की मूल्यवान् प्रतिक्रियाएँ और सम्मतियाँ पाकर मैं अत्यंत आभारी होऊंगा।

अतएव, मैं पुस्तक-प्रकाशक महोदय के सहित उन सभी सहयोगियों और माथियों का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को अधिकाधिक आकर्षक और उपयोगी बनाने में अपना अमूल्य श्रम-सहयोग प्रदान किया है।

नयी दिल्ली
नवम्बर 2, 1984

—कन्हैयालाल गाँधी

अनुक्रम

भूमिका 1

अध्याय : एक

संविधान की आठवीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं 15

अध्याय : दो

संविधान सभा का निर्णय 34

अध्याय : तीन

हिंदी बनाम अंग्रेजी 57

अध्याय : चार

राजनीतिक दल एवं भाषा नीति 85

अध्याय : पांच

भाषा चयन के निकष 96

अध्याय : छः

हिंदी का विकास एवं प्रोत्साहन 116

अध्याय : सात

भविष्य के लिए आयोजन 130

परिशिष्ट :

- I. विश्व के विभिन्न देशों की जनसंख्या, बनाम भारतीय भाषाएं बोलने वाले (विवरण I) 158
- भारतीय भाषाओं के बोलने वालों की संख्या (विवरण II) 164
- II. विभिन्न भारतीय भाषाओं का पंक्तिवद्ध प्राप्तांक (विवरण I) 166
- हिंदी द्वारा प्राप्तांक (विवरण II) 168

III	सविधान सभा में विभिन्न दलों के सदस्यों की सहायता	169
IV	राजभाषा	170
V	विधान सभाओं में 1954 में प्रयुक्त भाषाओं का विवरण	177
VI	मार्च-अप्रैल 1976 में लोक सभा में प्रयुक्त भाषाओं का विवरण	182
VII	गृह मंत्रालय की 27 अप्रैल, 1960 ई० की अधिसूचना सहायता 2/8/60-रा भा की प्रतिलिपि	184
VIII	सब राज्य क्षेत्र (हिंदी जोर अन्य भाषाओं का प्रयोग) विधेयक 1978	193
IX	भारतीय सविधान की आठवीं अनुसूची में दस भाषाओं में श्रेष्ठ प्रकाशनों के लिए सन् 1955 से 1980 तक दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार	197
X	सविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल न की गई भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में श्रेष्ठ प्रकाशनों के लिए सन् 1955 से 1980 तक दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार	198
XI	ममार की राजभाषाएँ और इन्हें प्रयोग करने वाले एक भाषी देशों की सहायता (विवरण I)	199
	अंग्रेजी के राजभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले देशों की सहायता (विवरण II)	201
	फ्रामीसी की राजभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले देशों की सहायता (विवरण III)	202
	द्वि-भाषी देशों में अन्य राजभाषाएँ (विवरण IV)	203
XII	राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 के संघ में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों का स्थान विवरण	204
XIII	पाँचवीं लोक सभा, 1976 में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित विभिन्न राजनीतिक दलों की सदस्य सहायता (विवरण I)	206
	छठी लोक सभा, 1977 में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित विभिन्न राजनीतिक दलों की सदस्य सहायता (विवरण II)	208
	—वही— (विवरण III)	210

- XIV. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रत्याशियों की संख्या 212
- XV. संविधान की आठवी अनुसूची में दर्ज भाषाओं का पद-परिसर 214
- XVI. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती के लिए संचालित परीक्षाओं में निबंध और साधारण ज्ञान के पत्रों के लिए संविधान की आठवी अनुसूची में दर्ज भाषाओं को विकल्प माध्यम के रूप में चुनने वाले प्रत्याशियों की संख्या (विवरण I व II) 216
- XVII. विभिन्न भाषाओं के समाचारपत्रों के प्रकाशन/असत विक्री में विकास (विवरण I) 219
भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय-स्तर की साहित्य रचना का केंद्रीय प्रायोजित प्रोग्राम (विवरण II) 221
- XVIII. फिल्म सेंसर परिषद् द्वारा प्रमाणित विभिन्न भाषाओं में कथा-चित्रों (फ़ीचर फ़िल्मों) का उत्पादन (1947-1974) (विवरण I) 225
फ़िल्म सेंसर परिषद् द्वारा प्रमाणित भारतीय चलचित्रों का सन् 1974 से 1980 तक भाषावार विभाजन (विवरण II) 227
- XIX. केंद्रीय सरकार द्वारा हिंदी भाषा में पत्र-व्यवहार 228
- XX. विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं का शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल (विवरण I) 229
क्षेत्रीय भाषाओं का शिक्षा के माध्यम के लिए इस्तेमाल (विवरण II) 230
- XXI. सन् 1968-69 से 1978 तक हिंदी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अहिंदी-भाषी राज्यों को दी गई आर्थिक सहायता की राशि (विवरण I) 232
सन् 1968-69 से 1978 तक हिंदी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज खोलने के लिए अहिंदी भाषी राज्यों को दी गयी आर्थिक सहायता की राशि (विवरण II) 234
संदर्भ ग्रंथ 236

भूमिका

भारत की राजभाषा की समस्या वास्तव में बहुत जटिल है। जातीय विविधता, सांस्कृतिक विभिन्नता तथा अनेक ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के फलस्वरूप जन्मी यह समस्या आज बहुत पेचीदा बन चुकी है। राजनीतिक मुद्दों, भावनाओं और निहित स्वार्थों को इसके साथ जोड़ देने के कारण यह और भी अधिक जटिल हो गई है।

हिंदुस्तान की मुख्य जातियों में हव्शी (नीग्राइड), प्रोटो-आस्ट्रालाइड, द्रविड़, मुमेगी और आर्यों के नाम आते हैं। यद्यपि कुछ जातियाँ देश के चंद ही भागों में अधिक संख्या में केंद्रित हैं (जैसे नीग्राइड अंडमान निकोबार द्वीपों में, द्रविड़ भारत के दक्षिणी राज्यों में), परंतु ऐतिहासिक परिवर्तनों और समय चक्र ने इनकी बहुसंख्यीय संस्कृतियों का सम्मिश्रण कर इनका सुचारु रूप से एकीकरण कर दिया है; और आज देश के दूर दूर हिस्सों में आबाद ये जातियाँ केवल एक ही 'भारतीय राष्ट्र' के नाम से जानी जाती हैं।

संसार के वारह भाषा परिवारों में से चार के बोलने वाले भारत में मिलते हैं। इन चार के नाम हैं: भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और भोट-चीनी। दुनिया में बोली जाने वाली तीन चार हजार भाषाओं और बोलियों में से लगभग 1600 तो हिंदुस्तान में ही बोली जाती हैं। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार देश की भाषाओं और बोलियों में 281 ऐसी हैं, जिनमें से प्रत्येक के बोलने वाले 5000 से अधिक हैं। इनके आंकड़े अगले पृष्ठ पर देखें।¹

ये भाषाएं भारत के पहाड़ी स्थलों, मैदानों, घनी एवं कम आबादी के इलाकों में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती हैं। अन्य असंख्य भाषाओं के साथ मिलकर ये भाषाएं देश का रंग विरंगा भाषायी दृश्यपटल प्रस्तुत करती हैं।

बोलने वालों की संख्या	भाषाओं एवं बोलियों की संख्या
5,000 से 10,000 तक	60
10,001 से 100,000 तक	139
100,000 से अधिक	82

भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति

भारतीय भाषाओं के इतिहास के सर्वेक्षण से पता चलता है कि नीग्रोइड भाषाएँ पुरापाषाणकालीन और आस्ट्रालोइड की मुंडा भाषाएँ नवप्रस्तारयुगीन हैं। द्रविड भाषाओं का जन्म लगभग ई पूव 3000 से 2000 के बीच बताया जाता है और आर्य भाषाओं का जन्म विक्रम 2000 ई पूर्व के बाद का है। भारतीय सभ्यता की आठवीं सूची में सूचीबद्ध पन्द्रह भाषाएँ केवल द्रविड तथा आर्य परिवार में सम्बन्धित हैं—चार पहले परिवार से और ग्यारह दूसरे से सम्बन्धित हैं।

द्रविड भाषाओं में तमिल भाषा प्राचीनतम है। यह भाषा ग्रन्थलिपि का प्रयोग करती है। पुराने जमाने में इसके लिए वेडिट्टुट्टु लिपि का इस्तेमाल होता था। वेडिट्टुट्टु का जन्म ब्राह्मी की भाँति उत्तर भारत में हुआ था। शेष तीन द्रविड भाषाओं, अर्थात् मलयालम, तेलुगु तथा कन्नड के लिपय में ग्रियर्सन का कहना है

मालाबार तट की मनुष्यात्म भाषा तमिल के बहुत निकटवर्ती है नवीं शताब्दी के बाद की यह तमिल की आधुनिक शाखा है। सत्रहवीं सदी में ब्राह्मणों के प्रचुर प्रभाव के कारण इसमें संस्कृत के शब्दों का काफी समावेश हो गया है और तदुपान्त इसने वेडिट्टुट्टु के स्थान पर ग्रन्थलिपि को अपना लिया। तेलुगु, जिम्का क्षेत्र तमिल में वही अधिक विस्तृत है, की लिपि भी तमिल की लिपि की भाँति ब्राह्मी से प्रस्पृष्टित हुई है। कन्नरी (अथवा कन्नड) की वर्णमाला के प्रस्पृष्टन का स्रोत भी वही है, और सत्रहवीं शताब्दी तक दोनों जमिन् थी। कन्नरी का तमिल के साथ और करीब का नाता है, यद्यपि इसकी वर्णमाला तेलुगु की वर्णमाला के अधिक समीप है।¹

जब जायें लोग उत्तर भारत की भूमि पर प्रमुख शक्तिशाली रूप में छा गए तो उनकी बोली पर स्थानीय भाषाओं का व्यापक प्रभाव पड़ा। उनकी बोलचाल की भाषाएँ प्रथम प्राकृत के नाम से विदित हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है

कि इन्हीं में से एक प्राकृत, किंचित् संपादन के उपरांत, वेदों और वैदिक कालीन अन्य कृतियों (अर्थात् संहिताओं, उपनिषदों एवं ब्राह्मण ग्रंथों) के लिए इस्तेमाल में आने लगी थी। इसी भाषा को वैदिक संस्कृत कहते हैं।

“सातवीं शताब्दी ई. पू. के आसपास, इस नींव पर, एक मानक भाषा की इमारत खड़ी की गई, जिसे मस्कृत कहते हैं। पाणिनी के पूर्व विद्वानों की कई पीढ़ियों ने व्याकरणिक विष्णुपण तथा शोध के क्षेत्रों में यद्यपि काफी काम किया था, परंतु पाणिनी ने मस्कृत व्याकरण और वाक्य रचना का जो रूप निर्धारित किया था उसे ही मानक शास्त्रीय संस्कृत की उपाधि दी जाती है।”

परंतु आम लोगों की बोलचाल की भाषा व्याकरणों के नियमों की परिधि से बाहर ही रही, और अपने ‘प्राकृत’ मार्ग पर आगे बढ़ती रही। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि इस समय देश में अनेक ‘प्राकृत’ थीं। प्राकृतों ने विभिन्न भाषाओं का जन्म निम्नलिखित तीन चरणों में हुआ।

प्रथम चरण : पालि

द्वितीय चरण : महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पैंशाची प्राकृत इत्यादि।

तृतीय चरण : अपभ्रंश अर्थात् प्राकृत के स्थानीय रूप ; जैसे — नागर, उपनागर, ब्राह्मि, इत्यादि।

महात्मा बुद्ध ने अपने व्याख्यानो और ग्रंथों में पालि का प्रयोग किया। जैनियों की कृतियां अर्धमागधी में हैं। मौर्यकाल में (324 ई. पू. से 187 ई. पू. तक) उनके मुख्यालय पाटलिपुत्र की और प्रांतीय राजधानियों, तक्षशिला एवं उज्जयनी की राजभाषा अर्धमागधी थी। तदुपरांत शक वंश के राजाओं ने महाराष्ट्री प्राकृत को प्रोत्साहन दिया। बाद में जब कुशान और गुप्त वंश के राजाओं ने शासन की बागडोर संभाली तब उन्होंने संस्कृत को पुनर्स्थापित किया।

गुप्त राजाओं को इस बात का श्रेय है कि उनके राजकाल में गणित, खगोलशास्त्र, ज्योतिष, साहित्य आदि की अनेक कृतियों का मूलन हुआ। प्रसिद्ध नवरत्न इसी काल में ही हुए थे। इनके नाम हैं : धनवतरि, क्षपणिक, अमर सिंह, कणक, वेताल भट्ट, घट करपारा, कालिदास, वराहमिहिर और वराममी। संस्कृत साहित्य के इतिहास में कथित लिखते हैं कि “वसुबंधु और असंग जैसे बौद्ध भी अपने सिद्धांतों के प्रचार को जनता तक पहुंचाने के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे।”

इस दौर में प्राकृतों को काफी क्षति पहुंची। इसके अतिरिक्त संस्कृत की

मानि प्राकृतों का व्याकरण और वाक्य विन्यास भी नियमों के शिकजो में जकड़ा जाने लगा। फलस्वरूप प्राकृतें भी आम लोगों की बोली से दूर हटती गईं। स्थानीय अंतर के साथ जिन भाषाओं का लोग प्रयोग करते थे, उन्हें 'अपभ्रंश' (अर्थात् भ्रष्ट भाषा) की सजा दी गई।⁶

1001 ई तक, जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया, देश में अनेक अपभ्रंश भाषाएँ विकसित हो चुकी थीं। इन्हीं अपभ्रंशों में आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। ये अपभ्रंश इस प्रकार थीं

भाषाओं के प्रजनन की सारणी

अपभ्रंश	आधुनिक भारतीय भाषा	भौगोलिक क्षेत्र
1 ब्राह्मि	मिथी	मिथ का निचला क्षेत्र
2 केल्य	लहता	मिथ का ऊपरी क्षेत्र
3 तक्का एवं उपनागर	पंजाबी	पंजाब
4 नागर	गुजराती	गुजरात
5 आवत्य	राजस्थानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में	उज्जयिनी तथा पंजाब और नेपाल के बीच हिमालय का क्षेत्र
6 गौरमेनी	पश्चिमी हिंदी	गंगाघाटी का मध्य भाग
7 वैदर्भी	मराठी	महाराष्ट्र
8 अर्घ्य भागधी	पूर्वी हिंदी	वाराणसी में इलाहाबाद के आमपास का भाग
9 भागधी	असमी, बंगाल, भोजपुरी, मगही, मैथिली	असम, बंगाल और बिहार
10 उत्कल	उडिया	उड़ीसा

ऐसा अनुमान है कि मुसलमानों के भारत में आने से पूर्व आधुनिक भारतीय भाषाओं का पर्याप्त विकास हो चुका था। अमीर खुररो ने लिखा है

येरा जन्म भारत में ही हुआ था, इसलिए यहाँ की भाषाओं के सबसे में मुझे दो शब्द कहने का अधिकार होना चाहिए। इस समय हर प्रात की

अलग भाषा है, जो इसकी अपनी है; कहीं से ग्रहण की हुई नहीं है। सिंधी (अर्थात् सिंध), लाहीरी (पंजाबी), कश्मीरी, डूंगर की भाषा (जम्मू की डोगरी), धुर समुंदर (मैसूर की कन्नड़ी), तिलंग (तेलुगु), गुजरात, मालावार (कारोमंडल तट की तमिल), गौरे (उत्तरी बंगला), बंगाल, अवध (पूर्वी हिंदी), दिल्ली और इसके परिप्रदेश (पश्चिमी हिंदी), ये सब हिंद की भाषाएं हैं जो प्राचीन काल से सामान्य जीवन में हर तरह व्यवहृत हुई हैं।⁷

विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार, तुर्कों, अफ़ग़ानों और मुसलों के भारत में आने से पूर्व ही हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं की एक आम आदर्श अथवा मानक भाषा बन चुकी थी। उनका कथन है :

उन्होंने इस दूर दूर तक फैली हुई एवं सशक्त भाषा को पहचाना और इसे अपने व्यवहार की भाषा बना लिया... इस समय के कुछ मुसलमान लेखक, उदाहरणतया अमीर खुसरो (सन् 1255) इसे अपनी साहित्यिक रचनाओं में प्रयोग किए बिना न रह सके। खुसरो के नाम से जोड़ी जाने वाली समस्त कृतियों में यदि अंशमात्र को भी उनकी रचना मान लिया जाये, तो यह सिद्ध करना कठिन नहीं है कि उस समय तक हिंदी साहित्यिक प्रयोग के लिए पर्याप्त उन्नत हो चुकी थी।⁸

इस भाषा का किंचित् विस्तृत पर्यवलोकन करना उचित होगा। इसे हिंदी, हिंदुस्तानी अथवा उर्दू किसी भी नाम से संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि एक समय था जब इन नामों में कोई भी अंतर नहीं था और यही मिली जुली भाषा आधुनिक हिंदी की बुनियादी भाषा है। जब तुर्क मुनिश्चित रूप से भारत में बस गए, तो उन्होंने इस आम मानक भाषा (अर्थात् 'खड़ी बोली') को परस्पर वातचीत का माध्यम बनाया। 1326 ई. में जब मुहम्मद तुग़लक ने अपने शाही दफ्तर दक्षिण में स्थानांतरित कर दिए और सभी लोगों को दक्कन प्रस्थान का आदेश दिया, तो खड़ी बोली भी उनके साथ दक्षिण तक पहुंच गई। वहां गुजराती, मराठी, तमिल और कन्नड़ जैसी निकटवर्ती क्षेत्रों की भाषाओं का प्रभाव खड़ी बोली पर पड़ा। इस प्रभाव के कारण इस भाषा ने एक नया रूप धारण किया जिसे 'दक्खिनी' कहा गया।

धर्म ने भी, चाहे परोक्ष रूप से ही सही, इस सर्वसामान्य भाषा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की सर्वाधिक आबादी हिंदू धर्मानुयायी है जिसके तीर्थ-स्थल देश के सभी भागों में स्थित हैं। प्रत्येक धर्मनिष्ठ हिंदू

की आस्था है कि इन पवित्र स्थानों की यात्रा करना जात्मनिर्वाण के लिए अनिवार्य है। जैसे जैसे यात्री देश के विभिन्न भागों में याना पर जाते थे (और उन दिनों यात्रा में काफी समय लगना था), वे इस सर्वमान्य भाषा के अनेक शब्द और दूसरे कई प्रभाव जननायक अपनी भाषा में शामिल कर लेते थे। इस प्रकार दश में खड़ी बोली व्यावहारिक रूप में दूर दूर तक फैल गई। इसमें अनिश्चित, अनेक मत कवियों ने अपने धर्म और स्थानीय मंत्रों को ध्यान में न रखते हुए खड़ी बोली का अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में गोरखवाणी ने नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास जैसे मराठी प्रवक्तव्यों को हिंदी में लिखन के लिए प्रेरित किया।

पंद्रहवीं शताब्दी में नरमी मेहता, मल्लन, दयाराम और गुजरात के अन्य लेखकों ने ब्रजभाषा में अपनी रचनाएँ लिखीं। इन रचनाओं की भाषा में देश, काल और स्थान के अनुसार विविधता अवश्य थी (जैसा कि हर रचना में होता ही है), परन्तु इनमें आधार भाषा की समानता स्पष्ट है। जम्म में शंकर देव और नारायण देव ने भक्ति गीत 'ब्रज बुली' में लिखे। बंगाल के महान कवि चैतन्य महाप्रभु ने काशी और मिथिला में अपने निवास के दौरान हिंदी की वृद्धि में बहुत योगदान किया। उन दिनों बंगाल और बिहार एक ही प्रांत के भाग थे। उन बंगाली और हिंदी में अत्यधिक आदान-प्रदान हुआ। चैतन्य महाप्रभु के अनेक कवियों ने 'ब्रज बुली' में लिखा। आज तक विद्यापति के पद चैतन्य महाप्रभु में गाए जाते हैं।

अलीन में काशी ज्ञान प्रसार का बहुत बड़ा केंद्र था। दक्षिण भारत तथा भारत के सभी हिस्सों में विद्वान् यहाँ पर संस्कृत सीखने आते थे। दिनियम की इस प्रक्रिया में पहिलों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का पारस्परिक सम्बन्ध अवश्य भावी था। अठारहवीं शताब्दी के आसपास कर्नाट के महाराज निम्नान ने अपने गीत पद हिंदुस्तानी में लिखे। श्री माल वाद, शाह जी द्वितीय ने हिंदी में 'विश्व विलास' और 'राधा माधव विलास' नामक नाटकों की रचना की। उन्नीसवीं शताब्दी में तलुगु के कवि पुद्गोत्तम ने हिंदी में 32 नाटक लिखे। महारावण सिंह के समय भुज (सौराष्ट्र) में एक स्कूल की स्थापना हुई जहाँ ब्रजभाषा में कविता लिखने का प्रशिक्षण होता था। भले हममें विरोधाभास लगे, पर यह तथ्य है कि यह सम्बन्ध स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 1948 ई. में बढ़ ही गया।

मिथिलगुहों ने भी अपनी रचनाओं में हिंदी का यथेष्ट प्रयोग किया। कबीर, जायसी, रामान, रहीम जैसे महान सूफी और भक्त कवियों ने हिंदी में गूँव लिखा। उपर्युक्त तथा अन्य सुमनमान कवियों का हिंदी साहित्य की

वृद्धि में महान् योगदान रहा है।¹⁰

स्वतंत्रता सेनानियों ने भी, हाल में, जो भारत के सभी प्रदेशों के निवासी थे और आजादी के लिए संगठित होकर लड़े, मिलीजुली भाषा के निर्माण में काफ़ी योगदान किया। हिंदी चलचित्र, जो संपूर्ण देश में अत्यंत लोकप्रिय है, का भी इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा है।

अंग्रेज़ी का आगमन

1757 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजसत्ता हथिया ली और भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश बन गया। इसके बाद ईसाइयों ने यहां आकर अनेक शिक्षा संस्थाएं खोलीं। 1823 ई. में देश में दो विचारधाराओं का जन्म हुआ : प्राच्यविद् तथा अंग्रेज़ीपरस्त। प्राच्यविदों में एलिफ़िन्स्टान तथा कई अन्य लोगों के नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य की वृद्धि का पक्ष लिया। दूसरी ओर मैकाले तथा अंग्रेज़ीपरस्तों का विचार था कि विधि एवं धर्म की उन्नति की दृष्टि से संस्कृत अथवा अरबी भाषाएं राज्य द्वारा प्रोत्साहन के योग्य नहीं हैं। राजा राममोहन राय जैसे समाजसुधारकों की मदद से अंग्रेज़ीपरस्तों की जीत हुई, और अंग्रेज़ी भारत की शिक्षा प्रणाली में प्रविष्ट हो गई जो आज हिंदी की सबसे बड़ी 'प्रतिद्वंद्वी भाषा' है।

कुछ समय बाद कलकत्ता में फ़ोर्ट विलियम कालेज की स्थापना हुई। जब यहां विद्वानों ने फ़ारसी और ब्रजभाषा से खड़ी बोली में अनुवाद का काम शुरू किया तो अनुवाद की भाषा के नाम, स्वरूप, स्तर तथा शैली का प्रश्न उठा। राजा शिवप्रसाद का कहना था कि इस भाषा में फ़ारसी के पदों (शब्दों) को रखना चाहिए। राजा लक्ष्मण सिंह और एफ. एम. ग्राउज़ फ़ारसी के स्थान पर संस्कृत चाहते थे। इस वादविवाद ने, जिसकी अगुआई इन दो राजाओं ने की, भाषा समस्या को एक नया रूप दे दिया। 1857 ई. के आसपास यह सामूहिक भाषा दो पृथक् भाषाओं, खड़ी बोली हिंदी और खड़ी बोली उर्दू, में विभक्त हो गई। इससे अंग्रेज़ी को और बल मिला और लोगों ने इसे अधिक अपनाना शुरू कर दिया। जब 1947 ई. में अंग्रेज़ हिंदुस्तान से गए तो देश की शिक्षा संस्थाओं, दफ़तरों, अदालतों और विधान सभाओं में अंग्रेज़ी का काफ़ी बोलबाला था।

उपनिवेशिक स्थिति और भाषा

यदि संसार के कुछ देशों की राज एवं राष्ट्रीय भाषाओं का संक्षिप्त विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि एक समय उपनिवेश बनने वाले देशों में प्रायः उपनिवेशवादी तत्कालीन शासकों की भाषा की ही प्रधानता है। अफ़्रीका

महाद्वीप के 42 देशों की भाषाओं के नमूनों के अवलोकन पर निम्नांकित नतीजे निकलते हैं।

उपनिवेशों की भाषाओं की अपनाने का एक प्रतिरूप
बीसवीं सदी के आठवें दशक में

1	विदेशी भाषाएँ	अंग्रेजी	अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा	फ्रांसीसी	फ्रांसीसी तथा एक अन्य भाषा	स्पानिश	अरबी
2	अफ्रीकी देशों की सङ्घना जिनमें विदेशी भाषाएँ सरकारी तथा राष्ट्रीय भाषाएँ हैं	14	2	13	5	1	6
						अमहारिक	1

अल्जीरिया, लीबिया, मोराक्को, सूडान, ट्यूनिस तथा यूनाइटेड अरब रिपब्लिक की भाषा अरबी थी और इथोपिया की अमहारिक। इस मिल-मिले में सप्तर की 146 देशों की भाषाओं के अध्ययन से पता चला कि उनमें से 27 देशों की भाषा केवल अंग्रेजी, नौ की अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा, एक देश की अंग्रेजी तथा दो अन्य भाषाएँ और एक देश की अंग्रेजी के साथ तीन अन्य भाषाएँ सरकारी अथवा राष्ट्रीय भाषाएँ स्वीकृत हैं।¹¹ इनमें से अधिकांश देश किसी न किसी समय ब्रिटिश राज के अंतर्गत थे।

राष्ट्रीय जागृति की लहर

जब उपनिवेशों में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीय जागृति का उफान उठा और उन्हें यह विश्वास होने लगा कि देशज भाषाओं के माध्यम से ही वे अपने भाग्य का 'श्रेष्ठतम' निर्माण कर सकते हैं तो इन देशों में विदेशी भाषाओं को अब्बल दर्जे से हटाने के लिए जोरदार आंदोलन चल पड़े। इनमें कुछ आंदोलन जल्दी सफल हो गए, परंतु कुछ एक को हवा के उलटे रुहा का सामना करना पड़ा, और इनकी सफलता मात्र आंशिक ही रही।

हिंदुस्तान में अंग्रेजी को राजभाषा के स्थान से तथा शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के माध्यम में हटाने की मांग देश की आजादी के आंदोलन के साथ

जुड़ी रही है। मसलन, विदेशीराज से मुक्ति के उस समय के ध्वजवाहक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1925 ई. में यह प्रस्ताव पारित किया कि इसकी अंशभूत इकाइयों की बैठकों की कार्यवाही का माध्यम भारतीय भाषाएं ही होंगी।

स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी लाने की बात चली तो देश में विरोध के लिए प्रदर्शन होने लगे। निहित स्वार्थों से भरपूर लोगों ने स्थिति में लाभ उठाने और भोली जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर उसे गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इन लोगों ने जो गलत धारणाएं फैलाई, जो परस्पर विरोधी एवं भ्रान्त हैं, उनमें से कुछ एक निम्नलिखित है :

जो लोग अंग्रेजी को पहले स्थान पर बनाए रखने के पक्ष में हैं उनका कहना है कि अंग्रेजी प्रगति का प्रतीक है, यह एक समृद्ध भाषा है, इसी भाषा के द्वारा देश संगठित हुआ और इसके माध्यम से भारत संसार के अन्य देशों के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है।

इस संबंध में यह याद रखना होगा कि किसी राष्ट्र की समृद्धि के मुख्य आधार उसकी शैक्षिक, आर्थिक तथा सर्वांगीण प्रगति होते हैं, न कि देश के लोगों के भाषा बोध का स्तर। भारत कृषि एवं उद्योग के क्षेत्रों में अंग्रेजी के आगमन के साथ नहीं बढ़ा वरन् इन क्षेत्रों में उसका विकास भाषा के साथ नहीं, आज्ञादी के साथ जुड़ा हुआ है।

निस्संदेह, अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है, और इस कारण देश के स्कूलों और कालेजों में इसे पढ़ाना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे राजभाषा का पद प्रदान किया जाए, और शिक्षा संस्थाओं में इसे शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। संसार में लगभग पचास राजभाषाएं हैं। रूस, जर्मनी, इजराइल, जापान तथा स्वीडन के लोग अंग्रेजी को राजभाषा अथवा शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिकता न देने पर भी उन्नति की होड़ में किसी से पीछे नहीं हैं। भारत में भी क्षेत्रीय स्तर पर सरकारी कामकाज चलाने के लिए अंग्रेजी को सरकारी भाषा रूप में बरकरार रखने की कोई मांग नहीं है। अतः राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा के रूप में बनाए रखने की मांग अनुचित है। संसार के अन्य देश में हुई वैज्ञानिक तथा दूसरी प्रगतियों से अपने आपको अवगत रखने के लिए जहाँ अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अनिवार्य है वहाँ अन्य विदेशी भाषाओं की महत्ता को भी नजरअंदाज या न्यून नहीं किया जा सकता।

अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के एक विशिष्ट वर्ग के बीच आदान-प्रदान तो संभव हो गया है, परंतु संपूर्ण राष्ट्र की एकता अखंड रूप

म तो तभी मुमकिन हो सकती है जब सार देशवासियों के बीच आदान-प्रदान और भावात्मक, वैचारिक एवं राजनीतिक एकता अखंड हो। देश के एकीकरण में जहाँ अंग्रेजी भाषा की देन को नकारा नहीं जा सकता, वहाँ इस मदभ में संस्कृत एवं खड़ी बोली के योगदान को ध्यान में रखना होगा। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस मदभ में भारतीय संस्कृति के अभिन्न सूत्रों का भी बहुत बड़ा हाथ है। अंग्रेजी राज की समाप्ति के उपरान्त छोटी बड़ी 500 रियासतों का विलय देश के एकीकरण में अत्यधिक महत्त्व रखता है। राष्ट्र की एकता में उन 95 प्रतिशत में अधिक लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता जो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते, किंतु वे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं।

बृहत् लागो का कहना है कि भारतवासियों के लिए अंग्रेजी एक निष्पक्ष भाषा है। और यदि इसके स्थान पर हिंदी का आमीन कर दिया गया तो उसमें देश में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो जाएगा।

जो लोग हिंदुस्तान में अंग्रेजी के नमिक प्रचार के इतिहास से अवगत हैं उन्हें मालूम है कि बृहत् प्राता के लोगों को बाकी देशवासियों की अपेक्षा अंग्रेजी सीखने का अवसर पहले मिला था। उन अंग्रेजी को तटस्थ भाषा कहना गलत होगा। और, फिर जो पीढ़ी पहली बार स्कूल जा रही है उससे लिए विदेशी भाषा के मुकाबले में भारतीय भाषाओं के माध्यम में ज्ञान की पिछड़ी कमी को पूरा करना अधिक आसान है। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा विभिन्न वर्गों के बीच असंतुलन को बढ़ावा देगी, न कि इसे कम करेगी।

जहाँ तक क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होने का मवाल है, देश के संविधान में राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक संतुलन कायम रखने के लिए पर्याप्त प्रत्याभूति है। इसलिए असंतुलन पैदा होने की प्रामाणिकता केवल इतनी रह जाती है कि जब हिंदी अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर लेगी तो शुरू शुरू में शायद केंद्रीय सरकार की नौकरियों में हिंदी भाषाभाषी लोग अहिंदी भाषाभाषियों से बाजी मार ले जाए। ऐसी अवांछित स्थिति से बचने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकते हैं।

यह तक प्रस्तुत किया जाता है कि अहिंदी भाषाभाषी हिंदी के माध्यम से अपनी सर्वोत्तम देन नहीं दे पाएंगे। यह एक मनगढ़ंत कल्पना है कि भारत के लोग किसी विदेशी भाषा द्वारा ही अपना सर्वोच्च अज्ञान दे पाए हैं, अथवा दे सकते हैं। दस बारह वर्ष अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद, अधिकांश हिंदुस्तानी, और शायद इसी प्रकार सभी देशों के लोग जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, (लगड़ी) अंग्रेजी ही निख अथवा बोल पाते हैं। भारत के सर्वोत्कृष्ट दर्शन एवं कला के रूप देशज भाषाओं के माध्यम से ही उजागर एवं विकसित हुए

है। इस सिलसिले में कुछ एक अपवाद जरूर हैं, जहां भारतीय लेखकों ने उच्च कोटि की कृतियां अंग्रेजी भाषा में लिखी हैं। परंतु अपवाद से कोई विधान सिद्ध नहीं होता। साहित्य अकादमी के पुरस्कार विजेताओं की 'सांख्यिकी' के अवलोकन से इस कथन की सन्चाई सिद्ध हो जाएगी। अकादमी की स्थापना में लेकर 1977 ई. तक 290 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इनमें से 22-22 पुरस्कार हिंदी और मराठी भाषा की कृतियों के लिए दिए गए हैं, और भारतीय लेखकों द्वारा रचित अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों के लिए केवल 9 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 1980 ई. के बाद पुरस्कारों की संख्या इस प्रकार थी—हिंदी : 25; मराठी : 25, अंग्रेजी : 12। इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया।¹²

यह कहना कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी की स्थापना से शेष भारतीय भाषाओं का ह्रास हो जाएगा, जैसे एक काल्पनिक भूत का भय दिखाने वाली बात है। इसके प्रतिकूल इस बात का प्रमाण उपलब्ध है कि अंग्रेजी की ओर बहुत अधिक ध्यान देने तथा उपनिवेशवाद के कारण सभी देशी भाषाओं का गला घुटता रहा है। स्वतंत्रता मिलने के उपरांत सभी राज सरकारों ने क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाया है और किसी भी प्रकार से हिंदी उनकी समृद्धि में बाधक सिद्ध नहीं हुई।

सांख्यिकीय पुष्टि के बिना ही कुछ लोगों का कथन है कि हिंदी के जिस स्वरूप का राजकीय कामकाज में इस्तेमाल किया जाता है उसे पांच प्रतिशत से अधिक लोग नहीं समझते। निस्संदेह हिंदी को अधिक व्यापक रूप देना आवश्यक है, परंतु यह भी विस्मरण नहीं करना चाहिए कि प्रशासन और विधि निर्माण की भाषा जनसाधारण की भाषा से हमेशा अधिक समृद्ध होगी।

कुछ लोगों का विचार है कि यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद या तो हिंदी अंग्रेजी की जगह ले लेती, अथवा विधायकों ने अंग्रेजी या हिंदी के स्थान पर संस्कृत को राजभाषा चुन लिया होता तो भाषा की समस्या उत्पन्न ही न होती।¹³ इस समस्या का गहन विश्लेषण करने से पता चलता है कि इस प्रकार की सभी धारणाएं निर्मूल हैं।

समस्या का समाधान

भाषा की यह समस्या अब इतनी जटिल बन चुकी है कि केवल कानून निर्माण से इसका हल निकालना असंभव जान पड़ता है। उत्तेजनात्मक कार्य-वाहियों या प्रदर्शनों से स्थिति और भी बिगड़ गई है। नासमझी एवं जल्दबाजी के उपायों से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की गति को तेज करने अथवा निहित स्वार्थों के कारण इसकी प्राकृतिक प्रगति में बाधा डालने की कोशिश

से उलझन शायद और भी बढ़ जाएगी। समस्या के समाधान के लिए जरूरी यह है कि सभी देशवासी एकसाथ मिलकर निश्चित योजना के अनुसार और स्वेच्छा से इसके लिए प्रयास करें।

सर्वप्रथम यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत के मदर्भ में जब हम राजभाषा की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन उस भाषा से होता है जिसमें केंद्र सरकार अपना कामकाज चनाती है अथवा प्रांतीय सरकारों से पत्र व्यवहार करती है। इसे राष्ट्रीय भाषा अथवा देश के लिए सपक भाषा की परिभाषा एवं शब्दावली से उलझा कर समस्या को और पेचीदा नहीं बनाया जाना चाहिए।

भाषा संबंधी विवादों में विभिन्न वर्गों के लोगो द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अध्ययन से पता चलता है कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को लाने की बात पर तो कोई मतभेद नहीं है। अलवत्ता, इस सवध में ससद का इतना निर्देश जरूर है कि मध में तब तक द्विभाषिता बनी रहेगी जब तक कि सभी प्रांतों की विधानमभाए और ससद अंग्रेजी को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित न कर दें। इस शर्त का अभिप्राय यह नहीं है कि अंग्रेजी अनिश्चित काल तक देश की राजभाषा बनी रहेगी। देश को आजाद हुए तीन दशक से अधिक हो चुके हैं। अब समय आ चुका है जब सभी क्षेत्रों के भाषाविद् और नेता मिलकर बैठें और अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को आरूढ करने की कालावधि पर पूरी तरह से विचार करने के उपरान्त एक बार अंतिम निर्णय ले लें और उसी के अनुसार कार्य योजना बनाकर उसे अमल में लाए।

इस सवध में मर्भ, प्रकार की गलत धारणाओं का निराकरण अत्यावश्यक है। भाषा वैज्ञानिकों का भी इस सवध में चूकि कुछ दायित्व है, उन समस्या के समाधान में उन्हें और अधिक तत्परता में हाय बटाना होगा। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्रों में शोध कार्य की कमी नहीं है, परंतु हिंदी और देश की अन्य भाषाओं और बोलियों के बीच व्यावहारिक समानताएँ ढढने और इन्हें अधिक व्यापक बनाने के लिए विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में अभी तक अपेक्षित कार्य नहीं हुआ है।

दोस्खा तरीका अपनाते से अंग्रेजी अथवा हिंदी के समर्थकों को कोई लाभ नहीं होगा। यदि एक ओर यह आवाज उठई जाए कि हिंदी सविधान के अनुसार राष्ट्र की भाषा तभी बन सकती है जब यह भारत की सामूहिक मस्मृति की भाषा बन जाए और दूसरी ओर उसे ब्रज, अवधी आदि भाषाओं से, जिनके साथ हिंदी का जटूट रिश्ता रहा है, पृथक् करने की कोशिश की जाए तो ऐसी स्थिति स्पष्ट रूप में परस्पर विरोधी है। एक ओर यह कहना कि 150 वर्षों में अंग्रेजी के अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में जो अनुभव हुए हैं,

उन्हें नहीं खोना चाहिए, और दूसरी ओर हिंदी तथा अन्य देशज भाषाओं में कई शताब्दियों की मेहनत से जो उपलब्धियां हुई हैं, विदेशी भाषा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उन्हें नेपथ्य में डालने का दुस्साहस करना एक कमजोर मोर्चे की शरण लेने जैसा प्रयास है। इसी प्रकार हिंदी के समर्थक हिंदी को संघ की भाषा बनाने के लिए तो वेताव हैं, परंतु इसके साथ वे भाषा के शुद्धिवाद के सिद्धांत से चिपके रहकर इसके वातायन को बढ़ रखना चाहते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि शुद्धिवाद केवल एक 'मिथक' है। संसार की कोई भाषा शायद ही विशुद्ध हो। संस्कृत में भी कोण, चुवन, नीर आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जो द्रविड स्रोतों से आए हैं। इतिहास के इस कटु सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि जब जब विशुद्धता के नाम पर किसी भाषा को कृत्रिम तरीकों से बांधने की कोशिश की गई तो उसका परिणाम केवल एक ही निकला कि वह जिंदा नहीं रही।

संदर्भ एवं टिप्पणियां

1. आर. सी. निगम द्वारा संकलित, सॉमस ऑफ इंडिया, 1971, लैंग-मिज हैबबुक ग्रान मंदर टग इन सॉमस, नई दिल्ली. रजिस्ट्रार जनरल, इंडिया, गृह मंत्रालय, 1972, सॉमस सेंटेनरी मोनोग्राफ न. 10, पृष्ठ 333-340.
2. कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि द्रविड भाषाओं पर संस्कृत का प्रथम प्रभाव गुप्त राज वंश काल में, अर्थात् 300 ई. में, और नत्पश्चात् सत्रहवीं शताब्दी में पड़ा, जब विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत का समर्थन किया था.
3. ग्रियर्सन, जी. ए., लैंग्विजस ऑफ इंडिया, 1903, पृष्ठ 40-41 (1901 की जन-गणना-रिपोर्ट में ग्रियर्सन का भारतीय भाषाएं नामक लेख का पुनर्मुद्रण).
4. इंडिया, ऑफिशल लैंग्विजस कमीशन रिपोर्ट 1955-56, नई दिल्ली. गृह मंत्रालय, 1957, पृष्ठ 40-41.
5. कीथ, ए. वी.; संस्कृत साहित्य का इतिहास, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (1920), पृष्ठ 77.
6. पीछे मुड़कर देखने पर यह कहा जा सकता है कि अपभ्रंश भाषाएं आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास का एक महत्त्वपूर्ण चरण हैं, परन्तु इन्हें 'अपभ्रंश भाषाएं' कहना अनुचित होगा.
7. ग्रियर्सन, जी. ए., लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, दिल्ली, मोतीनाल बनारसीदास, 1967, वॉल्यूम 1, भाग 1, पृष्ठ 1.

- 8 प्रसाद, वी एन लैंग्विजिज थॉफ इडिया, ए कनाइडस्कोपिक सर्वे, मद्रास, भावर इडिया थोररकट्रीन पब्लिकेशस, पृष्ठ 35
- 9 प्रसन्नश इस वणन से उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी पता चलता है जो सविधान के निर्माताओं के मन में उस समय रही होगी, जब 1949 ई में उन्होंने हिंदी को भारत का राजभाषा बनाने के लिए निणय लिया था।
- 10 यह विश्लेषण वलड मार्क एनसाइक्लोपीडिया थॉफ नेशज, थय 2-5 में दी गई सूचना पर आधारित है इसका प्रकाशन वलड मार्क प्रेस हापर एड राथ, 'यूयार्क' ने 1971 ई में किया था लेखक क पी-एच डी के लिए लिखे गए शोधपत्र 'हिंदी राजभाषा—समस्या थोर स्वरूप' 1976 को भी देखें
- 11 दखिए परिशिष्ट XI
- 12 दखिए परिशिष्ट IX थोर X इस पुस्तक के लिए सामग्री का एकत्रीकरण 1976-1977 ई में प्रारंभ हुआ थत यहा पर तथा थय स्थानों पर 1977 का बिक्र है
- 13 वंस एक समय लेखक भी इस विचार के साथ सहमत था

संविधान की आठवीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं (एक संक्षिप्त विवरण)

भारत में भाषाओं और बोलियों का बाहुल्य भी है और वैविध्य भी। देश की भाषा समस्या का हल ढूँढते समय इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को हमेशा नजर में रखना होगा। इसके बिना समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। भारत की अनेक भाषाओं एवं बोलियों में से पंद्रह भाषाएं भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज हैं। ये भाषाएं इस प्रकार हैं : असमी, बंगला, गुजराती, हिंदी, उर्दू, कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु (सिंधी को इक्कीसवें संशोधन विधेयक, 1964 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था)। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि किन आधारों पर केवल इन्हीं भाषाओं को संविधान में सम्मिलित किया गया। प्रमाणों के अभाव में केवल अनुमानों के सहारे कहा जा सकता है कि इन भाषाओं को संविधान में स्थान देने समय, संभवतः, निम्नलिखित मापदंडों को आधार बनाकर निर्णय लिया गया होगा :

- (क) भाषा भारतीय ही होनी चाहिए।
- (ख) देश में इसे बोलने वालों की संख्या काफी हो।
- (ग) परंपरा, धरोहर और साहित्य की दृष्टि से यह संपन्न हो, और
- (घ) इसकी लिपि मुद्रण की दृष्टि से कठिन न हो।

भारतीय जनता के एक वर्ग द्वारा यह मांग प्रस्तुत की गई थी कि अंग्रेजी को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, परंतु इस मांग को अन्य कारणों के अतिरिक्त इस आधार पर भी अस्वीकार कर दिया गया कि अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है। यदि भारत की अपनी भाषाएं समृद्ध न होती

तो शायद देशी भाषाओं पर अंग्रेजी की वरिष्ठता मानते में कठिनाई न होती, परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ और ही थी। यदि भारत में अनेक प्रतियोगी साहित्यसंपन्न भाषाओं के स्थान पर केवल एक ही समृद्ध भाषा होती तो भी भाषा समस्या का समाधान पाना दुष्कर न होता, परन्तु स्थिति सर्वथा भिन्न थी। यदि कुछ समय के लिए ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी और अन्य साहित्य संपन्न भाषाओं को भी नजरअदाज कर दिया जाए तो भी आठवीं अनुसूची की भाषाएँ इतनी विकसित हैं कि उनमें से किसी की भी अवहेलना करना मुश्किल है। इनमें में अधिकांश भाषाएँ ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या समार के कुछ देशों की सम्मिलित जनसंख्या में भी अधिक है।¹ इसलिए देश की भाषा समस्या के निहत्तार्य को पूरी तरह से समझने के लिए इन भाषाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी है। आठवीं अनुसूची की भाषाओं को दो परिवारों में विभक्त किया जा सकता है भारतीय आर्य भाषाएँ एक द्रविड़ भाषाएँ। सविधान की ग्यारह भाषाएँ प्रथम परिवार में आती हैं, और चार दूसरे में। इनमें प्रत्येक भाषा काफी बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। तथापि,

कहीं भी ऐसे भाषायी प्रांत का निर्माण करना मुमकिन नहीं होगा जिसमें 70 से 80 प्रतिशत तक में अधिक एक ही भाषा के बोलने वाले लोग हों। इस प्रकार प्रत्येक प्रांत में कम-से-कम 20 प्रतिशत लोगों की अल्पसंख्या ऐसी रह जाएगी जो अन्य भाषाभाषी होंगी।²

भारतीय आर्य भाषाएँ

1 असमी

असमी भारतीय आर्य परिवार की पूर्वी शाखा की भाषाओं में से है। यह असम प्रांत की भाषा है, जहां 59.3 प्रतिशत लोग इसे बोलते हैं। समस्त भारत में 89.6 लाख लोग असमी बोलते हैं। यह संख्या न्यूजीलैंड की जनसंख्या के तीन गुनी है।³ इस भाषा का शब्द भंडार तद्भव प्रधान है। 'भोट-बर्मो' धोनियो ने इसके शब्द भंडार, ध्वनि-धाराप्रवाह (ध्वनन) और इसकी संरचना का प्रभावित किया है, परन्तु अक्षरों पर जोर डालने वाले उच्चारण यानी स्वरसंघान में सबसे ज्यादा असम बगानी का रहा है।⁴ असमी की लिपि नगभंग बंगला भाषा की लिपि है। असमी साहित्य की मुख्य महिमा इतिहास में है। 'बुरजी' अथवा ऐतिहासिक कृतियां बृहदाकार हैं, और इन्हें बड़े ध्यान से सुरक्षित रखा गया है।⁵ इस संबंध में ग्रियर्सन का कहना है

भागदत्त (जो महाभारत के कुरु पांचाल युद्ध के समकालिक थे) के समय की ऐतिहासिक कृतियों के अवशेष अब तक उपलब्ध हैं। पिछले छ सौ वर्षों की ऐतिहासिक घटनाओं को समय क्रम के अनुसार सुरक्षित रखा गया है, और उनकी प्रामाणिकता विश्वसनीय है।⁶

ऐतिहासिक कृतियों के अतिरिक्त असमी साहित्य में व्याकरण-और अन्य विविध विषयों का प्रतिपादन भी है, और यह सब देशज अथवा स्थानीय उत्पत्ति है। भावेंद्रनाथ सैकिया, नवकांत बरुआ, सौरभ कुमार छलिए, सैयद अब्दुल मलिक असमी के प्रसिद्ध लेखकों में से हैं।

2. बंगला

बंगला को 'बंग भाषा' भी कहते हैं। यह,

प्राचीन भारोपीय वंश की भारतीय आर्य परिवार की पूर्वी सीमावर्ती भाषाओं (विहारी, असमी और उड़िया आदि को भी शामिल करके) में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भाषा है। यह भारतीय आर्य (जिसकी प्रतिनिधि संस्कृत है), तदुपरांत प्राकृत अथवा मध्य भारतीय आर्य मागधी भाषा की वंशज है।⁷

1971 की जनगणना के अनुसार बंगाली बोलने वालों की संख्या 4479 लाख थी। इस प्रकार संविधान की आठवी अनुसूची में अंकित भाषाओं के बोलने वालों में बंगला भाषा भाषियों का गणना के अनुसार दूसरा स्थान है। पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में क्रमशः यह 85.32 और 68.79 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है। बंगला बोलने वालों की गिनती ईरान, श्रीलंका और सिंगापुर की सम्मिलित जनसंख्या से अधिक है।

बंगाली की साहित्यिक शब्दावली में संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य है। ग्रियर्सन ने लिखा है :

व्यावहारिक गिनती से यह सिद्ध किया जा चुका है कि आधुनिक काल की बंगला कृतियों में प्रयुक्त 88 प्रतिशत शब्द शुद्ध संस्कृत के थे, जिनका इस्तेमाल गैरजरूरी था और जिनके स्थान पर देशज शब्दों का प्रयोग किया जा सकता था।⁸

बंगला ने विभिन्न विदेशी भाषाओं, जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी और फ़ारसी

आदि से अनेक शब्द एवं प्रभाव ग्रहण किए हैं। इसके वर्ण नागरी वर्णमाला के रूप आकार हैं। बंगला में लिंग परिवर्तन के साथ क्रिया परिवर्तन नहीं होता। यह हिंदी और बंगला में विशेष भेद है। अतः एक बंगला भाषी हिंदी बोलते समय बहुधा बोल सकता है 'औरत गया' जबकि हिंदी भाषी के अनुसार शुद्ध कथन है 'औरत गई'। हिंदी और बंगला में परमर्गों के प्रयोग में भी भेद है।⁹

बंगला का साहित्य बहुत ही मपन्न है। नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा अन्य प्रसिद्ध लेखक जैसे शरतचंद्र, काजी नजरुत इस्लाम आदि बंगला साहित्य के उज्ज्वल सितारे हैं।

3 गुजराती

गुजराती का जन्म 'नागर अपभ्रंश' में हुआ, जिसकी शृंखला 'शौरमेनी प्राकृत' अथवा 'शौरमेनी अपभ्रंश' में जुड़ी हुई है। 'शौरमेनी अपभ्रंश' का रूप साहित्यिक तथा मस्कृत प्रधान था, जिसका गुजरात के नागर ब्राह्मण व्यवहार करते थे।

यह गुजरात राज्य की भाषा है। देश में 258.9 लाख गुजराती भाषा भाषियों में लगभग 238.7 लाख गुजरात राज्य में रहते हैं। महाराष्ट्र में 13.9 लाख और तमिलनाडु में 2 लाख गुजराती बोलने वाले हैं।¹⁰ गुजराती बोलने वालों की संख्या इथियोपिया अथवा स्काटलैंड एवं युगोस्लाविया की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है। गुजराती के वर्ण देवनागरी वर्णों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। गुजराती और राजस्थानी भाषाओं में इतना अधिक साम्य है कि दोनों भाषाओं को एक भाषा की ही दो बोनियाँ कहा जा सकता है।

गुजराती साहित्य के सर्वप्रथम महान् नेत्रक हेमचंद्र थे। उनका साहित्य में आगमन आठवीं शताब्दी में हुआ। नृसिंह मेहता के समय में गुजराती साहित्य में प्रचुर वृद्धि हुई और आज यह भाषा मपन्न साहित्य रचने का दावा कर सकती है। उषारव कथात्रय (उपन्यास), मुकरात (उपन्यास), तारतम्य (समागोचना) इस भाषा की राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली कुछ पुस्तकें हैं।

4 हिंदी

हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग तुर्कों, अफगानों एवं मुगलों ने किया था, परंतु उनके लिए यह शब्द केवल किसी भाषा विशेष का सूचक न होकर प्रत्येक भारतीय अर्थात् हिंदुस्तानी चीज का पर्याय था। आजकल इस शब्द का प्रयोग भाषा तक ही सीमित है।

भारत के मुख्य रूप से हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के नाम इस प्रकार हैं हिमाचलप्रदेश, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान एवं सघ राज्य क्षेत्र दिल्ली। इन राज्यों का सम्मिलित क्षेत्रफल लगभग 1,35,400

वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 41 प्रतिशत है। हिंदी भाषा भाषियों की कुल संख्या 1625.8 लाख है। इसमें सर्वाधिक लोग (7192 लाख) उत्तरप्रदेश में रहते हैं, और न्यूनतम 58 लक्षद्वीप एवं अंडमान में। आठवी अनुसूची में दर्ज सभी भाषाओं में से हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिकतम है। वगला भाषा भाषियों के मुकाबले में हिंदी भाषियों की संख्या साढ़े तीन गुना है। यहाँ यह स्मरण कराना उचित होगा कि 1971 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा भाषियों के बाद दूसरे नंबर पर वगला बोलने वालों का स्थान आता है। हिंदुस्तान में चारों द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 1261.0 लाख है।

ब्रज, अवधी आदि हिंदी भाषा की कुछ उपभाषाएँ ऐसी भी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या आठवी अनुसूची में दर्ज कुछ भाषाओं के बोलने वालों की संख्या से ज्यादा है।

चीन, अमरीका और रूस को छोड़कर हिंदी बोलने वालों की संख्या संसार के किसी भी देश की जनसंख्या से अधिक है। इस संबंध में परिशिष्ट (I) का अवलोकन प्रामाणिक होगा। यदि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे अधिक जनसंख्या वाले पाँच देशों, अर्थात् नाइजीरिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, इथोपिया, जॉर्जिया और मूडान की जनसंख्या को मिला लिया जाए तो भी यह योगफल हिंदी भाषा भाषियों की गिनती से कम ही रह जाता है।

मोटे रूप में हिंदी भाषा के दो वर्ग हैं - पूर्वी तथा पश्चिमी हिंदी। अवधी, वधेली, छत्तीसगढ़ी आदि पूर्वी हिंदी बोलियाँ हैं, और हिंदुस्तानी, ब्रज भाषा, राजस्थानी, कर्नाजी, बुन्देली आदि पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। इनमें से कुछ एक उपभाषाओं की साहित्य निधि विपुल है। मलिक मुहम्मद जायसी जो 1540 ई. में हिंदी साहित्यमंडल पर उज्ज्वल नक्षत्र की भाँति अवतरित हुए, ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'पद्मावत' अवधी में लिखा था। उनके बाद महाकवि तुलसीदास ने लोकप्रिय महाकाव्य 'रामचरितमानस' भी इसी भाषा में लिखा था। तुलसी, जो हिंदी साहित्य के एक महान गौरव पुंज हैं, शेक्सपियर के समकालीन थे। 'वे एक ऐसी प्रतिभा थे, जिनका नाम एक दिन सर्वसम्मति में संसार के महान् कवियों में लिखा जाएगा।'" ग्रियर्सन का यह कथन आज प्रायः सत्य सिद्ध हो चुका है।

ब्रज भाषा का साहित्य भी बहुत समृद्ध है, और शायद अवधी के साहित्य से अधिक लोकप्रिय है। ब्रज भाषा को सूरदास जैसे महान् कवि देने का गौरव है। 1300 ई. से 1800 ई. तक राजदरबार की भाषा थी। हिंदी की इन उपभाषाओं की परंपरा इतनी महान् थी कि यह खड़ी बोली के विकास के

लिए भी बाधक बन गई। 1857 ई के बाद ही खड़ी बोली विकास के मार्ग पर बेरोक टोक बढ़ सकी। आज हिंदी भाषा में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सपन्न साहित्य उपलब्ध है।

5 कश्मीरी

कश्मीरी को लेकर भाषाविदों में मतभेद दिखाई पड़ता है। ग्रियर्सन कश्मीर की भाषा कश्मीरी की गणना दार्दिक अथवा पिशाच भाषा में करते हैं। दार्दिक भाषाएँ आर्य तो हैं, परन्तु भारतीय आर्य नहीं हैं। प्रोफेसर पी एन पुष्प इस दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए लिखते हैं

सम्भवतः कश्मीरी का जन्म दसवीं अथवा ग्यारहवीं शताब्दी में घाटी में प्रचलित अपभ्रंश में हुआ यत्र तत्र दार्दिक प्रभाव तो स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु यह सोचना सवधा अमंगल होगा कि इस भाषा का स्रोत देश की शेष आधुनिक भाषाओं में भिन्न है।¹²

कश्मीरी शब्द का उद्गम संस्कृत शब्द 'कश्मीरिका' में हुआ है। यह भारत के 24.4 लाख लोगों की मातृभाषा है। इनमें 24.2 लाख बोलने वाले कश्मीर निवासी हैं। कश्मीरी भाषा भाषियों की संख्या लीविशा अथवा जोर्डन की जनसंख्या में अधिक है।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि दसवीं सदी तक कश्मीर के विद्वान् संस्कृत में लिखते रहे। संस्कृत साहित्य, विशेषकर दर्शन, काव्यशास्त्र आदि में इन विद्वानों की महत्त्वपूर्ण देन है। कश्मीरी भाषा में भी प्रतिष्ठित साहित्यिक कृतियाँ उपलब्ध हैं।

कश्मीरी भाषा में लोक आख्यानों एवं पौराणिक कथाओं की बहुत बड़ी संपदा है। चूंकि यहां के लोगों का लिखने की कला में मध्य काफ़ी समय तक टूटा रहा, इसलिए इस संपदा के अधिकांश भाग का संग्रह नहीं हो सका। इस भाषा का अधिकांश साहित्य, जोकि सीमित मात्रा में है, आधुनिक है, और विदेशियों, विशेषकर विदेशी प्रचारकों की देन है, जिन्होंने कश्मीरी भाषा (फारसी लिपि) में बादबल, भक्ति गीत और भक्ति साहित्य का भी अनुवाद किया।¹³

लगभग 700 वर्ष पूर्व कश्मीरी के लिए शारदा लिपि का प्रयोग होता था, परन्तु कश्मीर में फारसी के राज दरबार की भाषा बनने के उपरान्त इसके लिए फारसी लिपि का इस्तेमाल होने लगा। 1955 ई और 1977 ई के बीच कश्मीरी भाषा की नौ पुस्तकें साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं।

6. मराठी

मराठी का जन्म महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ, जो 600 ई. तक बोलचाल की भाषा थी।

1971 के आंकड़ों के अनुसार मराठी बोलने वालों की संख्या 422.5 लाख थी, जो हिंदी, बंगला और तेलुगु बोलने वालों की संख्या के बाद चौथे स्थान पर आती है। महाराष्ट्र राज्य में 386.2 लाख लोग और सलग्न मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में क्रमशः 13.9 लाख और 11.9 लाख लोग मराठी भाषा भाषी हैं। मराठी बोलने वालों की गिनती अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र और एशिया महाद्वीप में फिलिपिन एवं इजराइल की संयुक्त आवादी से अधिक है।

मराठी की लिपि नागरी है। अर्वाचीन काल में इस भाषा में प्रचुर साहित्य का सृजन हुआ है। हिंदी के समान मराठी ने भी 1955 ई. और 1977 ई. के बीच सभी भाषाओं के मुकाबले में अधिकतम अर्थात् 22 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। (साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की स्थापना 1955 में हुई थी।)

7. उड़िया

इस भाषा को 'उद्री' अथवा 'उत्कली' भी कहते हैं। ये नाम इस भाषा की जन्मभूमि से लिए गए हैं जिसे उड़ीसा, उद्रदेश और उत्कल से संबोधित किया जाता है।

198.6 लाख भारतवासी इस भाषा को बोलते हैं। यह गिनती, आस्ट्रेलिया महाद्वीप की आवादी से डेढ़ गुना है। इस भाषा के शब्द भंडार पर संस्कृत की बहुत छाप है। इस पर तेलुगु और मराठी का भी प्रभाव है, क्योंकि सदियों तक उड़ीसा के तिलंग राजाओं के और लगभग पचास वर्षों तक नागपुर के भोसलों के शासनाधीन रहा।

यद्यपि उड़िया लिपि का उद्गम स्रोत ब्राह्मी एवं नागरी है, इसके वर्णों का ऊपरी भाग गोल है और किसी किसी वर्ण का नीचे का भाग भी गोल है। उत्तर एवं दक्षिण अर्थात् आर्य एवं द्रविड़ लिपियों का यह संश्लेषण चौदहवीं शताब्दी के बाद हुआ।

उड़िया साहित्य का प्रारंभ उपेंद्र भंज से हुआ। इस कवि ने काफ़ी धर्म ग्रंथ लिखे, जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है। इसके अतिरिक्त कई अन्य लेखकों की साहित्यिक कृतियां भी ऐसी हैं जिन्हें भारतीय साहित्य में सम्माननीय स्थान प्राप्त है।

8. पंजाबी

यह पंजाब प्रांत की भाषा है। पंजाब फ़ारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ

है 'पात्र नदिशो' की भूमि। प्राचीन काल में इसका नाम 'पाचाल' था।

1645 लाख लाग पजाबी बोलने वाले हैं। जैसे कि सलग्न 'भारतीय भाषाओं के बोलने वाले' शीर्षक ग्राफ से स्पष्ट है, कि पजाबी बोलने वाले लोगो की सख्या के आधार पर भारतीय भाषाजा में पजाबी का ग्यारहवा स्थान है। परंतु श्रेणी अंक (रैंक स्कोर) के अनुसार पजाबी का स्थान चौथा है। इससे स्पष्ट होता है कि इस भाषा के बोलने वाले सारे देश में बिखरे हुए हैं।¹⁴ पजाबी बोलने वालों की सख्या मूडान की आबादी में 36 लाख अधिक है।

पजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पजाबी की पुरानी लिपि 'लडे' थी, जिसका अर्थ है 'विकृत'। यह भी नागरी से संबन्धित थी, परंतु इस लिपि में लिखे शब्दों को कई बार इन्हें लिखने वाला स्वयं भी नहीं पढ़ पाता था। इस त्रुटि को दूर करने के लिए द्वितीय मिश्र गुरु, गुण अगद देव, ने सोलहवीं शताब्दी में मिश्र ग्रंथों के लिए एक नई लिपि का आविष्कार किया। यह लिपि देवनागरी से मिलती जुलती है।

गुरु ग्रंथ साहब, सिख पंथ का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं सम्मानित ग्रंथ है। यह पजाबी साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है। आधुनिक काल में पजाबी साहित्य की मपदा में काफी वृद्धि हुई है और होती जा रही है।

9 संस्कृत

संस्कृत को आठवीं अनुसूची में, संविधान के मसौदे में संशोधन के उपरांत, शामिल किया गया था। यह संशोधन संविधान में भाषा के विषय पर विचार के समय लक्ष्मीकांत मैत्र (पश्चिमी बंगाल) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने संशोधन प्रस्तुत करते समय आश्चर्य प्रकट किया कि किसी सदस्य ने संस्कृत को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के महत्त्व की ओर संकेत नहीं किया। उनका संशोधन एकमत से स्वीकृत हुआ था।

कलायिकी संस्कृत, जिसे केवल 'संस्कृत' के नाम से जाना जाता है, का विकास पाणिनि तथा उनके पूर्व के व्याकरणशास्त्रियों द्वारा वैदिक संस्कृत के मानकीकरण से हुआ। यह कार्य ई. पू. सातवीं शताब्दी में हो चुका था।

1971 ई. की जनगणना के अनुसार संस्कृत बोलने वालों की संख्या 2212 थी, जो आठवीं अनुसूची के प्रत्येक भाषा भाषियों से बहुत कम है। उत्तरप्रदेश में सर्वाधिक संस्कृत बोलने वाले हैं, और उनकी संख्या 508 है। इसके बाद त्रिहार और तमिलनाडु का स्थान है, जहां क्रमशः संस्कृत भाषा भाषियों की गिनती 350 और 254 है। मध्य राज्य क्षेत्रों में दिल्ली में सबसे अधिक संस्कृत बोलने वाले हैं, और उनकी संख्या 94 है।

यद्यपि संस्कृत बोलने वाले बहुत कम संख्या में हैं, तथापि इस बात की

अवहेलना नहीं की जा सकती कि संस्कृत की भारतीय भाषाओं एवं भारतीय साहित्य को महानतम देन है। भारतीय भाषाओं के शब्द भंडारों में संस्कृत की देन के संबंध में अनेक अनुमान लगाए गए हैं। इनमें से एक अनुमान नीचे दिया गया है।¹⁵ (यहां पर सिंधी और उर्दू का जिक्र नहीं किया गया)। सिंधी में अभी तक उसका मूल एवं प्राकृत स्वरूप, जिसमें संस्कृत की झलक स्पष्ट मिलती है, देखा जा सकता है। जहां तक उर्दू का संबंध है, एक अनुमान के अनुसार इसमें 72.2 प्रतिशत हिंदी और 1.5 प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं :)

भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्द

भाषाएं	संस्कृत शब्दों का प्रतिशत
1. असमी	47.5
2. बंगला	62.8
3. गुजराती	46.3
4. हिंदी	43.2
5. कन्नड़	61.7
6. कश्मीरी	7.2 (इतने कम प्रतिशत पर आश्चर्य है)
7. मलयालम	53.8
8. मराठी	46.6
9. उड़िया	50.7
10. पंजाबी	25.6
11. तमिल	13.5
12. तेलुगु	54.9

“जहां तक भारतीय भाषाओं की लिपि के लिए संस्कृत के योगदान का संबंध है, निम्नलिखित अभिमत महत्त्वपूर्ण है :

भारतीय लिपियों का इतिहास रोचक है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि संस्कृत की ब्राह्मी लिपि का रूप अखिल भारतीय था। यह सबसे प्राचीन लिपि है जिसका हिंदुस्तान में सर्वाधिक प्रयोग होता था और जिससे परवर्ती लिपियों (द्रविड़ परिवार की लिपियां भी इसमें शामिल हैं) की मिली-जुली उत्पत्ति हुई। ब्राह्मी के अतिरिक्त खरोष्ठी लिपि भी थी, जिसका इस्तेमाल उत्तर पश्चिम भारत में एक विशेष काल तक ही सीमित था। ऐसा माना जाता है कि खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों हिंदुस्तान में सिमिटिक स्रोत से व्यापारियों के माध्यम से आईं। संस्कृत के व्याकरणा-

चार्या ने ब्राह्मी को अपनाया जिसके उत्तरी प्रकार से नागरी और अन्य आधुनिक किस्में उपजी, और उसके दक्षिणी प्रकार, अर्थात् पल्लव ग्रथ, से दक्षिणी लिपियों का आविर्भाव हुआ ।

संस्कृत का साहित्य बहुत प्रनिष्ठित है । वेदों के अतिरिक्त, जो भारतीय आयं ज्ञान के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, संस्कृत में अनेक महान् ग्रंथ उपलब्ध हैं । इनमें से कुछ एक के नाम इस प्रकार हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, वेदांग, सूत्र, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, पुराण, तांत्र ग्रंथ, महाकवि कालिदास (जिन्हें भारत का शोकमपियर भी कहा जाता है) की रचनाएँ एवं काव्य, दर्शन, गणित, शब्द कोष, छन्द और व्याकरण ग्रंथ । संस्कृत में वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य का भी अभाव नहीं है । यद्यपि संस्कृत में हिंदू धर्म के आदि तथा प्राचीन ग्रंथों की प्रचुरता है, तथापि इस भाषा में ऐहिक साहित्य का भी बड़ा भंडार है । जेड ए अहमद कहते हैं

“निस्मदेह, संस्कृत में काफी ऐसा साहित्य है जिसका धर्म के साथ कोई मवघ नहीं है और जिसमें सभी जातियों के लोग लाभान्वित हो सकते हैं चाहे वे हिंदू धर्म के विरोधी या इसमें घृणा करने वाले ही क्यों न हों । यद्यपि अग्रेज ईसाई हैं, लेकिन वे यूनानी और लैतीनी भाषाएँ परिश्रम में सीखते हैं । वे ऐसा कभी नहीं सोचते कि इन भाषाओं के पढ़ने में ईसाई धर्म को कोई खतरा हो सकता है । संस्कृत की ओर मुसलमानों का भी यही दृष्टिकोण होना चाहिए । क्या संस्कृत भारत के हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के पुरखों की भाषा नहीं है ?”

दक्षिण भारतीय भाषाओं की विषयवस्तु को भी संस्कृत की पर्याप्त देन है । ये सभी साहित्य संस्कृत के अत्यंत आभारी हैं, जिसके स्पष्ट से द्रविड भाषाएँ स्थानीय बोलियों के स्तर में उठकर साहित्यिक भाषाओं के स्तर पर पहुँच गईं ।¹⁸

4000 वर्षों के अपने इतिहास में इन भाषा ने भारतीय उपमहाद्वीप की सभी भाषाओं एवं उपभाषाओं को प्रभावित किया है । इसका साहित्य विभिन्न लिपियाँ में मजबूत और पढ़ा गया है, जिसमें इन भाषा का अखिल भारतीय रूप और अग्रिम उभर रहा है ।

10 सिंधी

सिंधी नाम का उद्गम स्रोत महान सिंध नदी है, जो 1947 ई में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आई । प्राचीन ऐतिहासिक कृतियों से

मालूम होता है कि आज के पाकिस्तान की भूमि पर किसी समय गांधार, कैंकेय और सैधव नाम के तीन राज्य थे। सिंधुओं और सौवीर का राज्य सिंध नदी के दोनों ओर 29° अक्षांश पर सागर तट की ओर स्थित था, और यहां सिंधी भाषा बोली जाती थी। “लगभग 4000 वर्ष पूर्व, प्राचीन आर्य लोगों के घरों और मोहनजोदड़ो के वाजारों में जो भाषा बोली जाती थी, उसका नाम है सिंधी प्राकृत और यह आधुनिक सिंधी का मूल आधार है। अपभ्रंश की स्थिति से गुजरने के पश्चात् आधुनिक सिंधी का आविर्भाव 1000 ई. तक हो चुका था।”¹⁹

संस्कृत को छोड़कर आठवीं अनुसूची की भाषाओं में सिंधी सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। 168 लाख लोग ही इसे बोलते हैं। फिर भी यह गिनती सेंट्रल अफ्रीका गणराज्य की आवादी से अधिक है।

सिंधी का साहित्य बहुत विपुल व व्यापक नहीं है। इसमें ब्राह्म अपभ्रंश के गुण अब भी विद्यमान हैं। यद्यपि अरबी और फ़ारसी बोलने वाले लोग ब्राह्म प्रदेश पर सत्तारूढ़ रहे, तथापि सिंधी के प्राकृत रूप की मौलिकता और शुद्धता इस भाषा में बनी रही। इसे देवनागरी और फ़ारसी, दोनों लिपियों में लिखा जाता है। फ़ारसी लिपि मध्ययुगीन बादशाहों के प्रभाव का परिणाम है। जिया झारोको (कविताएं) महाकवि शाह अब्दुल लतीफ़ का ‘शाह-जो-रिसालो’, ‘हुनाजे आतम जो मौत’ (उपन्यास), ‘प्यार जी प्यास’ (उपन्यास), ‘अपराजिता’ (कहानियां) सिंधी भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं में से हैं।

11. उर्दू

उर्दू की उत्पत्ति और परिवर्तन कई सौ साल पूर्व हिंदुस्तान में ही हुईं, सभवतः सुलतानों के राज्यकाल में और उत्तर भारत के फ़ौजी वाजारों में। ‘उर्दू’ तुर्कों भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है ‘फ़ौजी कैंप’। उन्नीसवीं शताब्दी में उर्दू साहित्य में बहुत वृद्धि हुई...केवल अरबी, फ़ारसी और संस्कृत शब्दावली, खास तौर से संज्ञा और विशेषण ने ही इसे समृद्ध नहीं बनाया, अपितु हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों की बोलियों ने इसे साहित्यिक रूप देने, इसमें आकर्षण लाने और इसे सशक्त बनाने में बहुत योगदान किया है।²⁰

उर्दू शब्द भंडार के अवयवों का एक अनुमान इस प्रकार है। यह अनुमान उर्दू के प्रसिद्ध शब्दकोष ‘फ़रहंग-ए-आसफ़िया’ के आधार पर है, जो लगभग एक सौ साल पुराना है, और जिसमें 54,000 शब्द हैं।²¹ हिंदी की भांति उर्दू को जड़ भी शौरसेनी और अपभ्रंश में है। इसीलिए कुछ विद्वान उर्दू को हिंदी की एक शैली मात्र मानते हैं :

वस्तुतः यह हिंदी ही है, जो आज परिवार की एक भाषा है, और ज़िम्मे डेर मारे फारसी, अरबी एवं तुर्की शब्दों का समावेश हो गया है। इस घुसपैठ ने भाषा के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया और नहीं इस पर कोई प्रभाव पड़ा है। स्वरो नया विभक्तियों की दृष्टि में अब भी यह शुद्ध आज भाषा है। -

उर्दू शब्द भंडार के अवयव

(क)	(ख)	(ग)
मूल भाषा	उर्दू में मूल भाषा के शब्दों की संख्या	(ख) कुल उर्दू शब्द भंडार का प्रतिशत में
1 हिंदी (सड़ी बोली, ब्रज, अवधी और हिंदी की अन्य उपभाषाएँ शामिल करने)	39,000	72.2
2 अरबी	7,600	14.1
3 फारसी	6,400	11.8
4 संस्कृत	800	1.5
5 अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, फ़ारसी तथा अन्य विदेशी भाषाएँ	200	0.4
कुल	54,000	100.0

उन्नीसवीं शताब्दी के बाद, अन्य कारणों के अलावा, ऐतिहासिक कारणों ने भी इसका रुख अरबी और फारसी की ओर अधिक कर दिया

ऐसी विचारधारा चलने लगी कि फारसी के लोप के कारण जो रिक्तता उत्पन्न हो गई है उसे उर्दू में पूरा किया जाए। ऐसी आवाज़ भी मुलाई पढ़ी कि लखनऊ (जो उर्दू का एक महान केंद्र था) की शक्तियों को फारस के इस्फ़हान की गलियों में घुसल दिया जाए। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में एक ऐसी हवा चल पड़ी जिससे उर्दू भाषा फारसी एवं अरबी शब्द और संस्कृति का निधान बन गई। ३

आज उर्दू भारत की एक ममूद्ध, सशक्त एवं श्रेष्ठ भाषाओं में से है। कवि सम्मेलनों, कव्वालियों, मुशायरों और अनेक उच्चकोटि की साहित्यिक कृतियों के कारण यह बहुत लोकप्रिय बन गई है। इसकी लिपि फारसी है। देश में इसके बोलने वालों की संख्या 286.1 लाख है। इस प्रकार भाषा भाषियों की गिनती के आधार पर आठवीं अनुसूची की भाषाओं में इसका छठा स्थान है।

द्रविड़ भाषाएं

12. कन्नड़

कन्नड़ अथवा 'कर्नड' का अर्थ है 'श्याम देश'। द्रविड़ शब्द 'कर' का अर्थ है 'काला' और 'नाडु' का अर्थ है 'देश'। जहां यह भाषा बोली जाती है, वहां की मिट्टी (कपास के उपयुक्त) काली है। अतः इस प्रकार भाषा का ऐसा नामकरण हो गया।

कन्नड़ भाषा बोलने वालों की संख्या 217.1 लाख है, जो ग्वाटेमाला जैसे चार देशों की जनसंख्या से अधिक है। यह गिनती अफ़गानिस्तान एवं हांगकांग की संयुक्त आवादी से भी अधिक है।

कन्नड़ लिपि का स्रोत ब्राह्मी लिपि है। इस लिपि का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ, और इसका श्रेय ईसाई प्रचारकों को है। यह लिपि तेलुगु तथा तमिल भाषा की लिपियों से मिलती जुलती है। इस लिपि में सर्वप्रथम मुद्रित पुस्तक वाइवल है। प्राचीन काल में शलाका के साथ पत्तियों पर लिखने की प्रथा थी, इसलिए वर्णों को वक्र रूप में लिखा जाता था, ताकि उनके तंतु कहीं फट न जाएं।

भारतीय भाषाओं में कन्नड़ का सम्माननीय स्थान है। इसमें इतिहास, समाजशास्त्र एवं विज्ञान साहित्य की काफी बड़ी निधि है। राजदरवार से भी इस भाषा को संरक्षण प्राप्त हुआ और जैन, ब्राह्मण एवं वीर शैव कवियों से भी इसे बहुत पोषण मिला। 1955 ई. के बाद, 23 वर्षों में, द्रविड़ भाषाओं में साहित्य अकादमी के सर्वाधिक पुरस्कार कन्नड़ भाषा की कृतियों को प्रदान किए गए हैं।

13. मलयालम

'मलय' शब्द का अर्थ है पहाड़ और मलयालम पहाड़ी क्षेत्र को कहते हैं। यद्यपि मलयालम इस क्षेत्र का नाम है, परंतु अब यह शब्द यहां की भाषा के लिए प्रयुक्त होता है। यह पश्चिम भारत के मालाबार तट पर स्थित केरल प्रदेश की राजभाषा है। तमिल के साथ इस भाषा के संबंध के विषय में

ग्रियर्सन कहते हैं "प्राचीन आय इमे तमिल से अभिन्न मानते थे । अपेक्षाकृत आधुनिक समय में ही यह उमसे अलग हुई है ।" ऐसा मत है कि यह पृथक्करण नवी शताब्दी में हुआ । मलयालम भाषा भाषियों की गिनती 219 4 लाख है, जो यूरोप में रूमानिया की आबादी से अधिक है ।

यह भारत की पर्याप्त परिष्कृत भाषाओं में से है । संस्कृत से गृहीत शब्द इसमें सुस्पष्ट हैं । केरल भाषा ने संस्कृत के सभी स्वनिम, जो द्रविड में नहीं हैं, स्वीकार कर लिए हैं । साहित्यिक कृतियों में संस्कृत और मलयालम के मिलेजुले रूप (जिसे 'मणीप्रवालम' कहते हैं) के रस्नेमाल का भी सफल प्रयत्न किया गया है ।⁵

मलयालम ने सातवीं शताब्दी में वेट्टिलुट्टु लिपि को त्याग कर ग्रथलिपि को अपना लिया । केरल के मुसलमानों ने ग्रथलिपि को स्वीकार नहीं किया है, और अभी तक वे वेट्टिलुट्टु लिपि का प्रयोग करते हैं । इसका कारण इस वर्ग की सांप्रदायिक भावनाओं से जोड़ा जाता है ।

14 तेलुगु

यह आंध्रप्रदेश की भाषा है । इसका प्रारंभिक सद्य पाचवीं और छठीं शताब्दी ईस्वी के शिलालेखों से जोड़ा जाता है ।⁶

1961 ई की जनगणना के अनुसार भारतीय भाषाओं के बोलनेवालों में तेलुगु भाषा भाषियों का द्वितीय स्थान था, परंतु 1971 ई की जनगणना के अनुसार दूसरा स्थान बंगला भाषा बोलने वालों का है । तेलुगु भाषा भाषी अब तीसरे स्थान पर है । भारत में 447 5 लाख तेलुगु बोलने वाले हैं । यह संख्या बंगाल की आबादी से दुगुनी है ।

तेलुगु भाषा के शब्द स्वरात होते हैं । इसलिए इस भाषा को 'पूरव की इटैलियन' भी कहा जाता है । इसकी लिपि ब्राह्मी में निक्ली है । 1300 ई तक तेलुगु और कन्नड की एक ही लिपि थी । इसके बाद दोनों भाषाओं में अलग अलग लिपि का विकास हुआ, परंतु समानता के अवशेष अब भी दोनों लिपियों में उपनद्य हैं ।

तेलुगु में व्याकरण, अलंकार, छंदशास्त्र, दर्शन एवं नीति विषयक अनेक कृतियाँ हैं । उन्नीसवीं शताब्दी तक ये कृतियाँ संस्कृत साहित्य की अनुगामी थीं ।

15 तमिल

यह भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से है । कुछ विद्वान् तमिल शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द द्रविड से इस प्रकार मानते हैं

द्रविड़—द्रामिल—दामिल—तामिल—तमिल

इसके बोलने वालों की संख्या 376.9 लाख है, जो तुर्की की जनसंख्या से अधिक है। आठवीं अनुसूची के भाषा भाषियों में तमिल बोलने वालों का स्थान पांचवां है। इससे पूर्व चार स्थान क्रमशः हिंदी, बंगला, तेलुगु एवं मराठी के हैं।

आचार्य विनोबा के अनुसार तमिल में 'अम्' 'अन्' के साथ अंत होने वाले शब्द संस्कृत से आए हैं (विनोबा भावे, देवनागरी सेमिनार, गांधी स्मारक निधि, नई दिल्ली, पृष्ठ 58)। संस्कृत की तमिल को देन प्रायः दर्शन एवं धर्म ग्रंथों के क्षेत्र में रही है। तमिल पर संस्कृत का प्रभाव सीमित रहा है, क्योंकि बीच में आंध्रप्रदेश और कर्नाटक ने बफ़र का काम किया। इस प्रकार आर्यों का प्रभाव तमिलनाडु तक बहुत अधिक मात्रा में न पहुंच सका :

जहां तक लिपि का संबंध है, द्रविड़ भाषाओं के वर्णों का स्रोत उत्तर भारत की लिपियों में से वैसे है जैसे कि देवनागरी का। परंतु अब तक इनमें इतना संशोधन और परिवर्तन हो गया है कि अब यह पहचानना कठिन है कि इनका उत्तरी भाषा के वर्णों से कोई संबंध भी है अथवा नहीं। अब तीन मुख्य लिपियों का प्रयोग होता है: एक तमिल के लिए, एक मलयालम के लिए, और एक थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ दो रूपों में, तेलुगु एवं कन्नड़ के लिए।²⁷

तमिल का शब्द भंडार एवं साहित्य बहुत उच्च कोटि का है। यद्यपि तमिल भाषा दसवीं शताब्दी तक विकसित हो चुकी थी, परंतु आधुनिक तमिल साहित्य का प्रारंभ अठारहवीं शताब्दी से माना जाता है।

उपसंहार

उपर्युक्त पंद्रह भाषाओं का हिंदुस्तान में शताब्दियों में सहअस्तित्व रहा है। इसलिए इनके बीच काफ़ी आदान प्रदान होता आया है। भारतीय आर्य भाषाओं का द्रविड़ीकरण और द्रविड़ भाषाओं का आर्यकरण होता रहा है। इसके अतिरिक्त मुंडा एवं भोट, वर्मी भाषाओं का प्रभाव भी इन भाषाओं पर स्पष्ट है। मसलन, अनेक वस्तुओं तथा स्थानों के नाम, जैसे पान, रुई, सूती कपड़ा, बांस, कोशल, कलिंग आदि शब्द आर्य भाषाओं में मुंडा भाषाओं से ही आए हैं। विभिन्न भाषाएं एक दूसरे से अलग होकर विकसित नहीं हुई हैं। परंतु जब इन भाषाओं की समानता की चर्चा की जाती है, उनके बीच विद्यमान असमानताओं को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

द्रविड और भारतीय आय भाषाओं के बीच स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान एवं वाक्य विन्यास में भेद है। इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं।

द्रविड भाषाओं में प्रायः चार या पाच स्पर्श वर्णों के जोड़े रहते हैं (कभी सघोष और कभी अघोष)। इनमें दत्त एव वत्स्य स्वरों का भी भेद रहता है। इसके प्रतिकूल भारतीय आय भाषाओं में मघाप एव अघोष, महाप्राण अथवा महाप्राण से वियुक्त पाच वर्ण हैं। यद्यपि तेलुगु भाषा भाषियों को छोड़कर अन्य सभी द्रविड भाषाओं के बोलने वाले महाप्राण वर्णों को महाप्राण वियुक्त करके बोलते हैं, परन्तु इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता कि द्रविड भाषाओं में महाप्राण वर्ण भारतीय आय भाषाओं में आए हैं। द्रविड भाषाओं के कुछ मूधय वर्ण भारतीय आय भाषाओं में नहीं मिलते। द्रविड भाषाओं में 'ई' एवं 'औ' के लघु एवं दीर्घ रूपों में स्पष्ट अंतर किया जाता है, परन्तु भारतीय आय भाषाओं में ऐसा नहीं होता। स्वर विज्ञान की दृष्टि में यह महत्त्वपूर्ण अंतर है।

हिंदी और अन्य बहूत सी भारतीय आर्य भाषाओं में दो लिंग होते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं में लिंग भेद व्याकरणसम्मत होता है, जबकि द्रविड भाषाओं में यह अर्थसम्मत होता है। (एम एम इन्द्रानन इमे शाब्दिक-व्याकरणिक कहते हैं।)

जहाँ तक विभक्तियों का संबंध है, भारतीय आय भाषाओं में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष मूलतः दो रूप हैं, जबकि द्रविड भाषाओं में कर्त्ता कारक एवं कर्म कारक में अलग अलग रूप रहते हैं।

द्रविड भाषाओं के अतर्गत सर्वनामों के जितने रूप हैं, भारतीय आर्य भाषाओं में वे नहीं मिलते। उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए सम्मिलित एवं पृथक् दोनों रूप विद्यमान हैं।

भारतीय आर्य भाषाओं में सन्ध्याओं के उच्चारण में पहले इकाई के अक्षर को बोलते हैं और उसके बाद द्वाइकाई के अक्षर को। द्रविड भाषाओं में इसके विपरीत द्वाइकाई के अक्षर को बोलने के बाद इकाई के अक्षर को बोला जाता है।

गोड़ी को छाड़, किसी भी द्रविड भाषा में विशेषण पुरुष, वचन एवं लिंग के अनुसार नहीं बदलता। ऐसा माना जाता है कि इसका कारण द्रविड भाषाओं पर भारतीय आय भाषाओं का प्रभाव है।

संस्कृत का भी दक्षिण की भाषाओं पर बहुत प्रभाव पड़ा, जो भारतीय आर्य संस्कृति और हिंदू धर्म की भाषा रही है। इन भाषाओं ने संस्कृत से बहुत शब्द उधार लिए हैं। यह बात सभी द्रविड भाषाओं पर लागू होती है, परन्तु मलयालम में तो एक मणोप्रवाचन (लीलातिलकम् में) नाम की शैली भी

चली जिसमें आधी संस्कृत और आधी मलयालम होती थी। द्रविड़ भाषाओं ने हज़ारों संस्कृत शब्दों को अपना लिया है। शब्दों का यह प्रवाह केवल एक तरफ़ नहीं रहा है। भारतीय आर्य भाषाओं ने भी द्रविड़ भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण किया है। कहीं-कहीं पर तो यह आदान प्रदान इतना अधिक है कि दोनों परिवारों की मूल विशेषताओं का लोप तक हो गया है, और भाषागत विशेषताएं अभिमुखी हो गई हैं। इस क्षेत्र में आर. काल्डवैल, जी. यू. पोप, जे. व्लाच, एस. के चैटर्जी, एम. वी. इमेनियु, टी. वरों, एम. एस. एंद्रानव आदि विद्वानों ने बहुत कार्य किया है। विद्वानों के बहुमत के अनुसार भारत को 'एक-भाषायी क्षेत्र' माना जा सकता है। इन भाषाओं का पारस्परिक प्रभाव केवल जातीय सीमाओं में ही आगे नहीं निकल गया, अपितु इस प्रक्रिया द्वारा कुछ ऐसी विशेषताओं का भी जन्म हुआ है जो इनमें से किसी भी भाषा परिवार में पहले मौजूद नहीं थी। अगर लेन देन की यह प्रक्रिया इस प्रकार जारी रही तो निस्संदेह कुछ सदियों के बाद भारतीय भाषाओं का जातीय आधार पर वर्गीकरण संभव नहीं होगा। इस संबंध में एम.एस. एंद्रानव का कहना है:

पिछले साढ़े तीन हज़ार वर्षों में भारतीय आर्य भाषाओं ने अपनी कुछ विशेषताओं को त्याग दिया है, और इस प्रकार ये भाषाएं पूर्ण रूप से भारोपीय नहीं रह गईं। आधुनिक द्रविड़ भाषाएं भी अपने प्राचीन रूप में काफी दूर हट गई हैं, और भारतीय आर्य भाषाओं के निकट आ गई हैं। दोनों परिवारों में अनेक समान लक्षणों का प्रादुर्भाव हुआ है। यदि द्रविड़ तथा भारतीय आर्य भाषाओं का यही विकासक्रम रहा तो ऐसा मानना निराधार नहीं होगा कि भविष्य में इन भाषाओं के परस्पर भेद इनके और इनकी जननी भाषाओं के बीच भेदों से कम हो जाएंगे। हो सकता है कि भाषाओं में नवीन विकसित समान संरचना की प्रवृत्ति के फलस्वरूप एक नये भाषा परिवार का जन्म हो जाए, जो पूर्णरूपेण न तो द्रविड़ हो और न ही भारतीय आर्य।²⁸

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत के दो मुख्य भाषा परिवारों में जहां अनेक भेद हैं वहां उनके बीच बहुत से समान लक्षण भी मौजूद हैं। इन समानताओं के कारण दोनों परिवारों के बोलने वाले लोगों को एक दूसरे की भाषा पढ़ने और समझने में सुविधा हो जाती है। इसलिए भारत की अनेक संपन्न भाषाओं में से एक सर्वस्वीकृत भाषा को चुनना यदि आसान काम नहीं है तो भी यह कार्य नामुमकिन नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि नेता और जनता थोड़ी बुद्धिमत्ता से काम लें, मेहनत और साहस का दामन धामें और

देशप्रेम की भावनाओं का सामने रखते हुए और स्थिति की वास्तविकताओं के अनुकूल कार्य करते हुए शीघ्र किसी एक समुचित नियम पर पहुँचें ।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

- 1 देखिए परिशिष्ट I
- 2 भारत, भाषा-वार प्रांतों के आयोग की रिपोर्ट, नई दिल्ली, भारत सरकार, 1948 पृष्ठ 28
- 3 भारतीय भाषाओं के बोलने वाले लोगों की संसार के विभिन्न देशों की जनसंख्या का साथ तुलना करने के लिए देखिए, परिशिष्ट I इस परिशिष्ट में सभी सङ्गण या तो 1971 की वास्तविक संख्या अनुमानित हैं ये संख्याएँ 1973 की संयुक्तराष्ट्र द्वारा प्रकाशित जनसंख्या सर्वेधी 'डेमोग्राफिक इयर बुक' से ली गई हैं
- 4 एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकना, 1956, ग्रंथ 2, पृष्ठ 411
- 5 एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, 1953, ग्रंथ 2, पृष्ठ 553
- 6 प्रियसन, जी ए, लिगुस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास 1967, पृष्ठ 568, ग्रंथ 1, भाग I सूचिका, पृष्ठ 22
- 7 एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, 1956 ग्रंथ 111, पृष्ठ 513-514
- 8 प्रियसन, जी ए लिगुस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, दिल्ली मोतीलाल बनारसीदास 1968, पृष्ठ 61
- 9 शर्मा सरोजिनी, श्वेयणा, आगरा केंद्रीय हिंदी संस्थान, 1972 पृष्ठ 95-100
- 10 भारतीय भाषा भाषाओं के बोलने वालों की जनगणना के संस्थापक एवं अंतिम प्रांतिकों में जैसे कि परिशिष्ट I के विवरण I एवं II से विदित होगा कुछ अंतर है, परंतु इस अंतर से हम संख्या के निष्कर्षों में कोई फर्क नहीं पड़ता
- 11 प्रियसन जी ए लिगुस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली मोतीलाल बनारसीदास 1968 ग्रंथ 6, भारतीय भाषा परिवार संस्थापक ग्रंथ पृष्ठ 9-13
- 12 पुप्प, पी एन, लैंग्विजिस्ट ऑफ इंडिया, ए क्लेडियस्कोपिक सर्वे पृष्ठ 45
- 13 एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकना, 1956 ग्रंथ 16, पृष्ठ 312
- 14 देखिए परिशिष्ट II
- 15 यह अनुवाद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'परिचालित भाषाओं' पुस्तक में सविज्ञान के अनुच्छेद 351 के अनुवाद पर आधारित है पृष्ठ 16-40 में संस्कृत शब्दों का प्रनिष्ठ अनुवाद में दिए गए संस्कृत शब्दों का उस अर्थ में दिए गए कुल शब्दों से भाग करके निकाला गया है

16. राषवन, बी.; लैंगुजिज ऑफ इंडिया, ए. कैंनेडियस्कोपिक मर्वे, पृष्ठ 61-62
17. अहमद, जोड. ए. (सकलित) ; नेशनल लैंगुइज फार इंडिया, ए. निपोजियम, इलाहाबाद, किताबिस्तान, 1941, पृष्ठ 108
18. नीलकांत शास्त्री, के. ए. ; हिस्ट्री ऑफ माउथ इंडिया, लदन, आरमफीडं युनिवर्सिटी प्रेस, 1955, पृष्ठ 327
19. जयरामदास दौलतराम ; लैंगुजिज ऑफ इंडिया, 1968, पृष्ठ 63-65,
20. मकबूल अहमद, एम. ; लैंगुइज मोमाडटी इन इंडिया प्रोमीडिग्न ऑफ न नेमितार, गिमला, इन इडियन इस्टिट्यूट ऑफ एडवाम्ड स्टडी, 1969, पृष्ठ 147
21. पयाज खालियरी; उर्दू जुवान, उर्दू माप्ताहिक 'हमारी जुवान' मे प्रकाशित, अगस्त 1, 1975, दिल्ली, अजुमन तरक्की उर्दू, अगस्त 1975, पृष्ठ 1
22. एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकना, 1956, ग्रंथ 27, पृष्ठ 59.
23. भारत, संविधान ममा की बहत्ते 'कास्टिट्यूट एमेवली डिक्टम', नई दिल्ली, कास्टिट्यूट एसेवली, 1949, ग्रंथ 9, पृष्ठ 1460,
24. प्रियसेन, जी ए. ; लिंगुस्टिक मर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास, 1967, ग्रंथ 4.
25. कुजन्नी रोजा ; लैंगुइजिज ऑफ इंडिया, पृष्ठ 48
26. नीलकांत शास्त्री के. ए. ; हिस्ट्री ऑफ माउथ इंडिया, लदन, आरमफीडं युनिवर्सिटी प्रेस, 1955, पृष्ठ 387.
27. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, 1965, ग्रंथ 7, पृष्ठ 655
28. एंड्रानोव, एम. एस. ; इन्वेडियन लैंगुजिज, मास्को नोका प्रकाशन गृह, 1970, पृष्ठ 194

अध्याय दो

संविधान सभा का निर्णय

15 अगस्त, 1947 ई. भारत के लिए एक नये युग के सभारम्भ का द्योतक है। इस दिन वपों की दागता का अत दूआ जोर देश आजाद हो गया। स्वतन्त्रताके साथ जहा एक ओर नई उम्मीदों की लहर दौडी, दूसरी ओर अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएँ सामने आ गईं, जिनके हल ढूँढने का दायित्व अरु भारतवासियों के कंधों पर जा गया। इनमें से एक समस्या राजभाषा की भी थी। भारत के संविधान निर्माताओं को एक ऐसी भाषा का सध की भाषा के लिए चुनना था जो भारतवासियों को भास्य हो। राजभाषा के प्रश्न पर संविधान सभा में 12 सितंबर, 1949 ई. से 14 सितंबर, 1949 ई. तक चर्चा हुई। इस प्रश्न पर ढोलने के लिए सभा के इतने अधिक सदस्य उत्सुक थे कि अध्यक्ष को इस बहस के लिए निश्चिन अवधि से नौ घंटे अधिक देने पडे। भाषा का प्रश्न सभी सदस्यों के लिए महत्त्वपूर्ण था, अतः संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद ने प्रातो का प्रतिनिधित्व और विषय के सभी पहलुओं को ध्यान में रखत हुए, हर बग के प्रतिनिधियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देने की कोशिश की।

बहस के शुरू होने से पूर्व अध्यक्ष ने सदस्यों को सावधान करते हुए कहा

संविधान की कोई अन्य धारा ऐसी नहीं है जो (भाषा की तरह) हर दिन हर पहर या, कहा जा सकता है, हर क्षण अमल में लाई जाएगी। सदस्यों को यह याद रखना होगा कि बहस में बाल की खाल निकालने में कोई लाभ नहीं होगा। इस सदन का फंसला ममस्त देश के लिए भ्रान्त्य होना चाहिए। भले ही कोई निणय बहुमत में पारित हो जाए, यदि वह उत्तर या दक्षिण में जनमाघारण के किमी भी बहुत बडे बर्ग को स्वीकार

नहीं होगा, तो संविधान को कार्यान्वित करने में बड़ी कठिनाई पैदा होगी।²

इस विषय पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच और हर पार्टी के सदस्यों में आपस में काफ़ी बहस हुई। संविधान सभा में 12 सितंबर, 1949 ई. में पूर्व भी इस विषय पर चर्चा शुरू करने का कई बार प्रयत्न किया गया था, परंतु हर बार वातावरण इतना उत्तेजनापूर्ण हो जाता था कि इस प्रश्न पर बहस को स्थगित करना पड़ता। जब संविधान सभा की कालावधि समाप्त होने को आई, तो इस विषय पर विचार करना और कुछ निर्णय लेना अनिवार्य हो गया। कांग्रेस दल के अंदर भी, जिसका संविधान सभा में बहुमत था, इस विषय पर काफ़ी मतभेद था। राजभाषा संबंधी 'मुंशी-आयंगर मसौदे' पर विचार करने के लिए 2 सितंबर, 1949 ई. को कांग्रेस दल की बैठक हुई। इस बात पर भी दो रायें थीं कि प्रस्ताव प्रारूप-समिति की ओर से सदन के सामने लाया जाए अथवा सदस्यों द्वारा उनकी निजी हैसियत में। प्रत्येक पक्ष में 70 मत थे। अंततोगत्वा, अवेडकर, आयंगर और मुंशी ने यह प्रस्ताव व्यक्तिगत हैसियत से सदन में पेश किया।³

राजभाषा संबंधी 343 से 351 तक के अनुच्छेद भारतीय संविधान के XVII भाग में समाविष्ट हैं। ये अनुच्छेद निम्न चार अध्यायों में विभक्त हैं।

1. संघ की भाषा
2. प्रादेशिक भाषाएं
3. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा
4. विशेष निदेश।

संविधान सभा की बहस मुख्यतया अनुच्छेद 343 पर ही केंद्रित रही। इस अनुच्छेद की निम्नलिखित चार विशेषताएं हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी, राजकाज के कामों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा और इन सब निदेशों के बावजूद भारतीय संविधान के लागू होने से पंद्रह वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी भाषा का उन सभी कामों में प्रचलन रहेगा जिनके लिए आज्ञादी ने पूर्व इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। इन चार विशेषताओं में से अंतिम दो पर वाद-विवाद के दौरान काफ़ी गम-गमीं रही।

13 सितंबर, 1949 ई. के दैनिक पत्र 'हिंदू' ने लिखा कि भाषा के प्रश्न पर बहस करने के लिए जब सभा की बैठक हुई तो सभा में सदस्यों की उपस्थिति अभूतपूर्व थी। इसमें पता चलता है कि सदस्य इस प्रश्न को कितने मद्द्त्त्व की दृष्टि से देखते थे।

सभ की भाषा के लिए अंग्रेजी हिंदी, हिंदोस्तानी, संस्कृत और बंगला के लिए दावे पेश किए गए। प्रत्येक दावे के पक्ष में जो दलीलें दी गईं, संक्षेप में वे इस प्रकार थीं

अंग्रेजी एन गोपालास्वामी आयंगर का यद्यपि भाषा-प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने में हाथ था, तथापि अंग्रेजी का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा "मेरे विचार में इस भाषा द्वारा हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है और इसपर अपनी आजादी की इमारत खड़ी की है।" नजीरुद्दीन अहमद ने अंग्रेजी को 'समार की भाषा' बताते हुए इसे देश की राजभाषा बनाए रखने की अपील की। अपने प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने जापान का उदाहरण दिया और कहा

उसने (जापान ने) स्वेच्छया अंग्रेजी को राजभाषा बनाया। जापान के लोग अमरीका और अन्य देशों में गए और अंग्रेजी भाषा सीखी। इस भाषा के द्वारा विज्ञान, नवीन चिंतन और कार्यक्षमता का पूरा ससार उनके सामने उपस्थित हो गया। यदि दुर्भाग्यवश जापान को पिछले महायुद्ध में न बूढ़ना पड़ता तो जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा बनाया जाए। यह अनिवार्यता भले ही अरुचिकर हो, पर यह अपरिहार्य है।¹⁵

अंग्रेजी के विरुद्ध बटुता का दृष्टिकोण त्यागने का अनुरोध करते हुए एंग्लो-इंडियन नेता, फ्रैंक एयनी ने कहा

आखिर हमारे देशवासियों ने पिछले 200 वर्षों में अंग्रेजी भाषा का जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए भारत की महान् निधि है। मैं बतपूर्वक यह कहने को तैयार हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के अग्रणी होने के दावे का आधार एवं अन्य देशों द्वारा इस प्रकार की मान्यता प्राप्त करने का एकमात्र कारण यही है कि विदेशों में रहने वाले हमारे प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिकारपूर्ण अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

डा. श्यामप्रसाद मुखर्जी ने जहाँ एक ओर सभ की राजभाषा के लिए हिंदी की सिफारिश की, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने देश के राष्ट्रीय जीवन के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता को न्यायसंगत बताया। उनका विचार था कि भावी भारत

* सदस्या के निर्वाचन-आत्र इस अध्याय के अंत में परिशिष्ट में दिए गए हैं।

में अंग्रेजी के स्थान का निर्णय देश की जरूरतों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा :

आखिर, इस भाषा के कारण ही हमें अनेक उपलब्धियां हुई हैं। इसके अतिरिक्त, देश के राजनीतिक संगठन और इसकी स्वतंत्रता प्राप्ति में अंग्रेजी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके माध्यम से संसार के अनेक भागों की संस्कृति के द्वार हमारे लिए खुल गए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की जो प्राप्ति हमें अंग्रेजी पढ़ने से हुई, वह अंग्रेजी की जानकारी के बिना मुश्किल थी।⁷

कुछ इसी प्रकार की बात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कही। उनका कथन था : "हमें अवश्य अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए" परंतु अंग्रेजी भी भारत की एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाषा बनी रहनी चाहिए। क्यों? जब अंग्रेज हिंदोस्तान में आए, उस समय की अपेक्षा संसार में अंग्रेजी का महत्त्व आज कहीं अधिक है। निस्संदेह, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के निकटतम है।⁸

कुछ सदस्यों का मत उपर्युक्त मतों के विलकुल विपरीत था। आयरंगर के कथन का विरोध करते हुए आर. पी. धुलेकर ने कहा :

केवल उन्हीं लोगों ने स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया जिन्होंने अंग्रेजी को भुला दिया, जिनकी अंग्रेजी के प्रति अनास्था थी और जो यह समझते थे कि अंग्रेजी भाषा एक ऐसी विपैली वस्तु है जो देश का नाश कर देगी।⁹

लक्ष्मीनारायण साहू ने अंग्रेजी के समर्थकों की तुलना उस शराबी से की जो यह सोचता है कि 'नशाबंदी से उसकी मृत्यु हो जाएगी।'¹⁰ अलगूराय शास्त्री ने अंग्रेजी का विरोध करते हुए कहा कि यह देश के किसी भी भाग के लोगों की भाषा नहीं है।¹¹ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतवासियों ने यह भाषा स्वेच्छया नहीं सीखी थी। ब्रिटिश राज्य को सस्ते क्लर्क उपलब्ध कराने के प्रयोजन से तैयार की गई योजना के अधीन देशवासियों को यह भाषा मजबूरी में सीखनी पड़ी थी।

हिंदी : एन. गोपालास्वामी के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के तुरंत बाद सेठ गोविंद दास ने कहा :

दक्षिण भारत तथा अन्य अहिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक बात तो

स्वीकार कर ली है कि देवनागरी लिपि में हिंदी ही सघ की भाषा बन सकती है, चाहे इसे राष्ट्रीय भाषा का नाम दें अथवा राजभाषा का ।¹³

इन शब्दों में स्पष्ट है कि जब भाषा के विषय पर विवाद आरम्भ हुआ तो यह लगभग निर्विवाद रूप में स्वीकृत था कि आम-गर-मुन्नाद, जिसमें हिंदी को सघ की राजभाषा का स्थान दिया गया था, ममयौने के रूप में माना जा चुका था : इमनिए यदि हिंदी को राजभाषा बनाने के दावे के पक्ष में ज्यादा दलीलें पेश नहीं की गईं तो इसमें आप्रचर्य की कोई बात नहीं है ।

अंग्रेजी के मुकाबले में हिंदी के लिए दलील पेश करते हुए अलगूराम शास्त्री ने कहा कि देशज भाषा स्वराज्य का अविच्छेद्य भाग है । काव्यमय ढंग से उन्होंने कहा

भाषा, भेष और भोजन है जिसका अपना प्यारा
उम पर कभी नहीं चढ़ने को धीरो का चारा ।

श्यामप्रसाद मुखर्जी ने हिंदी का समर्थन इस आधार पर किया कि यह बहुसंख्यक जनता की भाषा है । उनका कथन था

ऐसी बात नहीं है कि हिंदी निर्विवाद रूप में देश की सर्वोत्तम भाषा हो । इसे राजभाषा मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि देश की अधिकतम जनता इसे समझती है । यदि भारत के 32 बराह लोगों में में 14 करोड़ किसी एक भाषा को समझने हो, और यह भाषा क्रमिक विकास के भी समर्थ हो, तो हमारा कहना है कि इस ममस्त भारत के लिए स्वीकार कर लेना चाहिए, परंतु यह सब कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि इस राज कार्य अथवा प्रशासनिक कामों के स्तर में कोई अपकर्ष न आए और न ही किसी प्रकार में देश या इसकी भाषाओं की प्रगति में कोई विघ्न पड़े ।¹⁴

वो दास ने कहा, "हमें मानना है कि देश में एक जन-भाषा हानी चाहिए । हम हिंदी को स्वीकार करते हैं ।"¹⁴ परंतु इस सबघ में उन्होंने किसी प्रकार के अनुदार अथवा उतावने दृष्टिकोण की निंदा की । उनका कहना था

हम भी इमान हैं और दान-रोटी की समस्या हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि आदर्शवादिता को बनाए रखने की । इसके बाद यूथी में जो मध्य बोलेंगे, उन्हें बताना चाहिए कि इस ममस्या का वे क्या हल सोच रहे हैं कि इस प्रक्रिया में उड़ीसा, असम, बंगाल अथवा मद्रास, बर्बई के कुछ

भाग, मैसूर, ट्रावनकोर जैसे दक्षिणी भागों की अपेक्षा उनका प्रतिनिधित्व न हो जाए। इस समस्या का समाधान उन्हें खोजना होगा।¹⁵

जी. दुर्गाबाई देशमुख ने आर्यंगर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करने की सिफारिश की। उन्होंने केन्द्रीय प्रांत (मध्य प्रदेश) अथवा संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) की छाप वाली हिंदी का विरोध किया। लक्ष्मीनारायण ने हिंदी का समर्थन किया और दुर्गाबाई देशमुख के कथन के एक आंशिक भाग का विरोध करते हुए कहा :

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्कल निवासी हूँ, परन्तु मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पूरा समर्थन करता हूँ। हिंदी भाषा के साथ हमें इसका साहित्य भी ग्रहण करना होगा। यह मुमकिन नहीं है कि कोई भाषा तो अपना ली जाए और उसके साहित्य का परित्याग कर दिया जाए। ऐसी हिंदी का निर्माण नितांत असंभव है जिसमें ऐसे सरल शब्द हों जो देश के सभी जनसाधारण आसानी से समझ लें। यह स्थिति कभी नहीं आ सकती। जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम इसे ठीक बोलें न कि जैसे हमारी मर्जी आए वैसे बोलते जाएं।¹⁶

हिंदोस्तानी : तत्कालीन शिक्षा मंत्री तथा उर्दू, फारसी और अरबी के महान् पंडित मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिंदोस्तानी के लिए एक जोरदार दावा प्रस्तुत किया। उनके मतानुसार हिंदोस्तानी उर्दू और हिंदी के बीच बनी खाई को दूर कर देगी। साथ ही यह भाषा अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें उत्तर भारत की सभी भाषाएं समाहित हो जाती हैं।

हुकम सिंह ने पहले देवनागरी लिपि में हिंदी का समर्थन किया किंतु बाद में उन्होंने अपना मोर्चा बदल लिया। उन्होंने कहा, “मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने हिंदी के समर्थकों के कट्टरपन और अनुदारता के दृष्टिकोण को देखकर इस भाषा को अपना समर्थन देना बंद कर दिया है।”¹⁷

परन्तु कुछ लोगों के विचार में हिंदोस्तानी राजभाषा का भार वहन करने के योग्य नहीं थी। उदाहरणार्थ, रविशंकर शुक्ल ने हिंदोस्तानी का विरोध इसलिए किया कि यह भाषा हिंदी की एक शैली मात्र है और भाषा के स्वरूप का निश्चय उसके बोलने वाले करते हैं न कि संविधान सभाएं। प्रसिद्ध भाषा-शास्त्री रघुवीर ने कहा :

मैं न तो हिंदी का पक्ष ले रहा हूँ और न उर्दू का। मैं आपके सामने केवल

नामकरण की समस्या प्रस्तुत कर रहा है। यदि यह मामला एक निष्पक्ष अधिकरण के सामने, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, पेश करें और हिंदीस्तानी शब्द और इससे संबंधित सभी प्रमाण इस अधिकरण के सामने रख दें तो उनका सबसे उचित निर्णय होगा की हिंदीस्तानी उर्दू है। जब भिन्न-भिन्न लोगों के लिए हिंदीस्तानी शब्द का अभिप्राय अलग-अलग है, तो ऐसी स्थिति में एक निश्चित शब्दावली का प्रयोग करना ही उत्तम होगा।¹⁶

संस्कृत कुछ मद्दम्यों ने राजभाषा के लिए संस्कृत की हिमायत की। लक्ष्मी-कांत शंख ने हिंदी की जगह संस्कृत की स्थापना और इसके फलस्वरूप आयगर फार्मूले में अनुवर्ती परिवर्तनों की सिफारिश की। उनके विचारानुसार, "संसार की सभी भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत की बर्शावनी प्राचीनतम एवं प्रतिष्ठा-प्राप्त है चाहे तो हम संस्कृत को गहन दर्शन अथवा विज्ञान के अध्ययन में इस्तेमाल करें और चाहे तो सुगम साहित्य के लिए। सभी प्रकार की अर्थ-छटाएँ इस भाषा के माध्यम द्वारा आमानी से व्यक्त की जा सकती हैं।"¹⁷ उनका अनुरोध था कि संस्कृत भारत की क्षेत्रीय नहीं, अपितु राष्ट्रीय निधि है और दक्षिण की भाषाएँ भी संस्कृत के शब्द संप्रह से प्रचुर मात्रा में अलकृत हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि भाषा का विवाद इस प्रकार अवाञ्छनीय स्थिति धारण न करता तो वे हिंदी के स्थान पर संस्कृत का आसीन करने की चर्चा न चलाते। इस संबंध में उन्होंने कहा

मेरे विचार में सही बात यही है कि भाषा का संपूर्ण अध्याय या तो एकसाथ स्वीकार कर लिया जाए अथवा एकदम निकाल दिया जाए। इसका यह मतलब नहीं कि यत्र-तत्र थोड़े बहुत परिवर्तन नहीं किए जा सकते, परंतु यह बात हमें बदाचित् स्वीकार नहीं होगी कि पहले भाग को जिममें यह निर्दिष्ट किया गया है कि 'देवनागरी लिपि में हिंदी' देश की भाषा होगी तो मान लिया जाए और शेष उपबन्धों का बहिष्कार कर दिया जाए। हिंदी को इस शर्त पर मंजूर किया जा सकता है कि बाकी उपबन्ध भी मान लिए जाएंगे।¹⁸

कुलाधर छालिया ने भी इस प्रकार की द्विअर्थक बात कही। उन्होंने इस प्रकार कहा

मेरा व्यक्तिगत मत है कि संस्कृत हमारी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए।

संस्कृत और भारत का विकास एकमात्र हुआ है—हमारी संस्थाएं इस भाषा के साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे जीवन मूल्यों के निर्माण में संस्कृत भाषा के दर्शन ग्रंथों का बहुत बड़ा हाथ है।¹

उनका यह भी कथन था कि समझौते के तौर पर आयगर-फार्मूला स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

बंगाली : बंगाली को राजभाषा मानने का मामला भी किंचित् शिथिलता से ही प्रस्तुत किया गया, मानो इसके समर्थकों को विश्वास नहीं था कि जो वे कहने जा रहे हैं उसमें काफी वजन है। सतीशचंद्र सामंत ने बंगाली को राजभाषा बनाने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि “अधिक संख्या में लोग हिंदी को समझते हैं, इस आधार पर हिंदी के पक्ष में निर्णय लेना सही नहीं होगा। इससे अधिक महत्त्वपूर्ण मानदंड कुछ और हैं। भारत की राजभाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए समर्थ होनी चाहिए। बंगाली भाषा आक्स-फोर्ड, चार्ल्स आदि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, हार्वर्ड (अमरीका) में रवींद्र पीठ है, और टैंगोर का नाम सारी दुनिया जानती है।” यह सब कहने के उपरांत, अपने भाषण की समाप्ति से पूर्व उन्होंने कहा कि “मैंने आपके सम्मुख बंगाली की बात रखी है, परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं उस निर्णय को मानने को तैयार हूँ जो इस सदन में बहुमत से लिया जाएगा।”²

लिपि : भाषा की तरह, लिपि के बारे में भी विचारों में काफ़ी मतभेद था। जिन तीन लिपियों के बीच होड़ थी, उनके नाम हैं : देवनागरी, रोमन एवं फ़ारसी अथवा उर्दू लिपि।

देवनागरी लिपि के गुणों पर विचार व्यक्त करते हुए अलगूराय शास्त्री ने कहा कि इसका आधार स्वनिक है, इसलिए इसे लिखने में आसानी होती है। आशुलिपि के लिए भी यह आसान है। देवनागरी लिपि की रोमन और उर्दू लिपियों से तुलना करते हुए उन्होंने कहा :

हम बच्चों की प्राथमिक शिक्षा ‘अ’, ‘आ’ आदि से प्रारंभ करते हैं। यदि हम ‘अ’, ‘आ’ ध्वनियों के लिए ‘ए’ (A) बोलें, तो यह अवैज्ञानिक होगा। इस तरीके से बच्चों का प्रशिक्षण सही नहीं हो सकता। ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’, ‘डी’ (A, B, C, D) रोमन लिपि की वर्णमाला में है। हम बोलते तो हैं ‘ए’ (A) एवं ‘बी’ (B), परंतु हमारा तात्पर्य होता है ‘अ’ अथवा ‘आ’ या ‘व’। इसी प्रकार ‘स’ की ध्वनि के लिए ‘सी’ (C) का प्रयोग किया

जाता है। यह सब अवैज्ञानिक है। ऐसा कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि रोमन लिपि एक पाठ वीर्यमत्त लिपि है। रोमन लिपि में यह बहुत भारी त्रुटि है। उर्दू लिपि में भी उभी प्रकार की त्रुटियाँ हैं जैसे कि रोमन लिपि में। उर्दू में वर्णों और उनकी ध्वनियों में भिन्नता रहती है— 'अलिफ' (ا) का वर्ण 'अ' अथवा 'आ' ध्वनि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हम उच्चारण तो कर रहे होते हैं 'लाम' (ل), परन्तु हमारा अभिप्राय होता है 'ल'। यदि हमें 'लोकूट' शब्द लिखना हो तो इस शब्द में उर्दू के ये वर्ण आएँ—'लाम', 'वाव', 'काफ', 'अलिफ' और 'त'। उर्दू के वर्णों का उनके उच्चारण में भेद नहीं रहना।²³

लिपि के मामले पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का विचार इस प्रकार था

जहाँ तक लिपि का प्रश्न है, कांग्रेस का निर्णय था कि देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियों को अंगीकार किया जाएगा। इस निर्णय पर यह आपत्ति उठाई गई कि यदि इस निर्णय के कारण दोनों लिपियों को सरकारी दफ्तरों की दस्तावेजों में बराबरी का दर्जा देना पड़े तो उसमें कई कठिनाइयाँ आएँगी। उसमें कर्मचारियों को अधिक काम करना पड़ेगा, और खर्चा भी बढ़ जाएगा। मैं इस दलील के वजन को समझता हूँ, इसलिए मैं इस बात पर महमत हो गया कि सरकारी दफ्तरों के लिए देवनागरी लिपि का अंगीकार कर लिया जाय।²⁴

मौलाना आज़ाद ने यह भी कहा कि सभी सरकारी घोषणाएँ, और विज्ञप्तियाँ आदि देवनागरी एवं उर्दू, दोनों लिपियों में प्रकाशित होनी चाहिए। मुहम्मद इस्माइल ने सरकारी कामकाज में देवनागरी तथा उर्दू, दोनों लिपियों के इस्तेमाल की सिफारिश की।

देवनागरी के अनिश्चित सविधान में उर्दू लिपि को शामिल करने हेतु प्रस्तुत सशोधन के पक्ष में वारह वोट पड़े, इसलिए यह सशोधन अस्वीकार हो गया।

हुकूम सिंह ने पहले तो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का समर्थन किया था, परन्तु बाद में वे रोमन लिपि में हिन्दोस्तानी भाषा के पक्ष में हो गए। रोमन लिपि के पक्ष में उनकी दलीलें इस प्रकार थी

- 1 सशस्त्र सेना के जवान रोमन लिपि में हिन्दोस्तानी भाषा का अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। उत्तर तथा दक्षिण के सभी लोग इसे आसानी से सीख लेते हैं।²⁵

2. अपेक्षाकृत अधिकांश लोग रोमन लिपि में प्रवीण है ।
3. गौरमामूली परिवर्तन के बिना देवनागरी लिपि मुद्रण के लिए अनुपयुक्त रहेगी ।
4. विदु तथा डैशों (डॉट एंड डैशेज) के यत्रतत्र बढ़ाने के उपरांत रोमन लिपि हमारे मतलब के अनुकूल बन सकती है । ऐसा करने से स्थानों के नामों, रेल की समय-मारणियों एवं टेलिग्राफ कोडों में कोई उलझन पैदा नहीं होगी ।
5. सबसे अधिक जरूरी बात यह है कि इसके द्वारा हम बाकी दुनिया के साथ जुड़ जाएंगे । यह बात कहते समय मैं सुभाषचंद्र बोस के नाम का भी जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी इसी मत की वकालत की थी ।
6. मेरी अंतिम राय है कि सदन में जो तनातनी बनी हुई है, वह रोमन लिपि अपनाने से दूर हो जाएगी और हमारे दक्षिण के मित्र भी इस भाषा को सरलता से सीख सकेंगे ।²⁶

जब तक यह समस्या विवादास्पद नहीं बनी थी, फ्रैंक एंथनी ने देवनागरी लिपि में हिंदी का समर्थन किया था । उनका कथन था :

विवाद में संकट की स्थिति होने से पूर्व मैं इसे स्वयंसिद्ध सत्य समझता था कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा होगी । उस समय लिपि के संबंध में मेरे मन में किसी ओर कोई विशेष झुकाव उत्पन्न नहीं था .. यह (देवनागरी) ससार की सरलतम लिपियों में से है ।²⁷

रोमन लिपि में हिंदी लिखने का विरोध करते हुए लक्ष्मीनारायण साहू ने कहा :

जब हिंदी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, तब इसे समझने और इसके उच्चारण में कठिनाई होती है । अतः मेरा कहना है कि रोमन लिपि सर्वथा अस्वीकार्य है, यह बीभत्स और अवैज्ञानिक है । देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी ही सर्वाधिक वैज्ञानिक है और इसी का प्रयोग होना चाहिए ।

अंक : सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाले अंकों के स्वरूप की समस्या पर सदन में जो वादविवाद हुआ, उसमें भी काफ़ी कटुता रही । भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के इस्तेमाल के पक्ष में एन. गोपालस्वामी आयंगर का कहना था :

अको के इस स्वरूप का आविर्भाव हमारे देश में ही हुआ, इसलिए इन अको का सर्वत्र प्रयोग जारी रखने में हमें गर्व होना चाहिए और इसे राजभाषा के भावी ढांचे का अंग बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक दो अपवादों को छोड़कर सारे ससार ने इन अको को अपना लिया है। ठीक यही होगा कि हम भी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलें। वास्तविक बात तो यह है कि सारी दुनिया हमारे साथ कदम मिलाकर चलने को पहले से ही तैयार है, क्योंकि हमने ही ये अक ससार को दिए हैं। क्या हमें ससार में इस गौरवमय स्थान और इसके साथ मिलनेवाले अतिरिक्त लाभों को छोड़ देना चाहिए ?²⁹

मौलाना आज़ाद ने अको की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा

आठवीं शताब्दी ईस्वी में जबकि द्वितीय अब्रामीदी खलीफा, अल ममूर, की हकूमत थी, भारतीय आयुर्वेदिक डाक्टरों की एक टोली बगदाद पहुँची और अल ममूर के दरबार में आई। इस दल का एक वैद्य सगोल-शास्त्र का विशेषज्ञ था और उसके पास ब्रह्मगुप्त की 'मिद्धान' नाम की पुस्तक भी थी। जब अल ममूर को इसका पता चला तो उसने अरब के एक दार्शनिक इब्राहीम अलजाजारी को 'मिद्धान' का भारतीय पंडित की मदद से अरबी में अनुवाद करने का आदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि अरब के लोगों को इस अनुवाद द्वारा भारतीय अको की जानकारी हुई और जब उन्होंने इन अको के प्रचुर लाभ को देखा तो उन्होंने तत्काल इन्हें अपना लिया। लातीनी की भाँति अरबी में भी अको के लिए कोई विशेष चिह्न नहीं थे। प्रत्येक सख्या और अको को शब्दों में लिखा जाता था। संक्षेप के लिए कुछ वर्णों का प्रयोग किया जाता था, और इन वर्णों का सभ्यात्मक मूल्य होता था। इस परिस्थिति में भारतीय अको द्वारा गिनती के लिए उह एक बहुत सरल प्रणाली उपलब्ध हो गई। तत्पश्चात् ये अक अरबी अको के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यूरोप पहुँचने के बाद उन्होंने वह अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण किया और आज हम इन्हें इस रूप में पाते हैं।³⁰

बेवनागरी अको के समर्थकों को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा

यह ध्यान देने की बात है कि हिंदी अको को बहिष्कृत नहीं किया जा रहा है। इच्छानुसार कोई भी इनका प्रयोग कर सकता है, परन्तु

सरकारी काम में जहां वैकिंग, लेखापरीक्षण, जनगणना और अन्य सभी प्रकार के आंकड़े आते हैं, निस्संदेह अंतर्राष्ट्रीय अंकों का इस्तेमाल लाभ-प्रद होगा और इसके अतिरिक्त दूसरे भी बहुत से लाभ हैं। इन अंकों के द्वारा हमारे और दूसरे देशों के बीच व्यवधान नहीं रहेगा। यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि विज्ञान के विकास और इसके अनुप्रयोग में अंकों का काफी महत्त्व है।³¹

पुरुषोत्तम दास टंडन का कहना था कि देवनागरी अंकों को अस्वीकार करने से किसी को लाभ तो नहीं होगा, हां, इससे हिंदी को क्षति जरूर होगी। इसलिए समझौते के तौर पर उन्होंने अनुरोध किया कि पंद्रह वर्ष तक देवनागरी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों को बनाए रखना चाहिए और फ्रैंसला भावी पीढ़ियों पर छोड़ देना चाहिए। एन. वी. गाडगिल का कहना था कि :

सब संशोधनों और व्याख्यानों को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मतभेद केवल अंकों पर ही है। यह एक अत्यंत दुःखद निर्णय होगा यदि इस देश की एकता और एकप्राणता की आहुति अंकों की वेदी पर दे दी जाए। "

अतः उन्होंने हिंदी के समर्थकों से प्रार्थना की कि इस प्रश्न को वे भविष्य के निर्णय के लिए छोड़ दें।

जब संविधान सभा अंतर्राष्ट्रीय अंक स्वीकार करने का फ्रैंसला कर चुकी तो अध्यक्ष, डा. राजेंद्रप्रसाद, ने कहा :

मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इस छोटे से मामले पर विचार करने के लिए आखिर इतनी बहस और इतने समय का व्यय किस लिए? ले देकर ये अंक क्या हैं? ये दस अंक हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है, इनमें से तीन अंक अंग्रेजी और हिंदी में एक समान हैं। ये हैं 2, 3, 0। मेरे विचार में और चार अंक शकल में सारूप हैं, यद्यपि अर्थ में वे अलग हैं। उदाहरणार्थ, हिंदी का ४ अंग्रेजी के आठ (8) से बहुत मिलता-जुलता है। अंग्रेजी का 6 (छ.) हिंदी के ७ (सात) जैसा है, यद्यपि दोनों का मतलब अलग-अलग है। हिंदी के ९ का आधुनिक स्वरूप, जो महाराष्ट्र में आया है, अंग्रेजी के 9 की भांति है। इस प्रकार अंग्रेजी और हिंदी के केवल दो या तीन अंक ऐसे रह जाते हैं जो आकार तथा अर्थ में असंबंधित हैं। अतः, जैसे कि कुछ सदस्यों ने कहा, इसमें छापेखाने की

सुविधा या असुविधा का कोई प्रश्न नहीं। जहाँ तक मुद्रण की बात है, अंग्रेजी और हिंदी अक्षरों में लगभग कोई अंतर नहीं।³³

डा. राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय प्रश्नों का समाधान आदान प्रदान और त्याग की भावना से ही निकल सकता है। जब अहिंदी भाषा भाषी लोगों ने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को स्वीकार कर लिया है तो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों के लोगों को अहिंदी भाषा भाषी लोगों की इच्छानुसार अंतर्राष्ट्रीय अक्षरों को मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

कालावधि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सविधान सभा में क्या कालावधि निर्धारित की जाए, इस पर भी काफी विवाद हुआ। इस मिलमिले में सदस्यों ने जो मत प्रकट किए उन्हें तीन वर्गों में बाटा जा सकता है

- (अ) अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को आमीन करने के लिए कोई कालावधि निश्चिन नहीं की जाए।
- (आ) अंग्रेजी के लिए पंद्रह वर्ष की अवधि बहुत लंबा पड़ा है।
- (इ) प्रस्तावित पंद्रह वर्ष की अवधि उचित है और सदन द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए।

करीमउद्दीन, अलगूराय शास्त्री और पी टी चक्रवर्ती पहले मत के पक्ष में थे, परंतु हरएक का कारण अलग था। करीमउद्दीन का विचार था कि देश के विभाजन का जटिल अभी ताजा है, सविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिक निर्वाचन ढंग के आधार पर हुआ है, इसलिए समझदारी इसी में है कि भाषा के प्रश्न पर सोच-विचार स्थगित कर दिया जाए।³⁴ हो सकता है कि आगामी वर्षों में आपसी सहिष्णुता का वातावरण व्याप्त हो जाए और तब फारसी लिपि में उर्दू को भी मध्य की भाषा मान लिया जाए। अलगूराय शास्त्री का कहना था कि कालावधि का नियत करना समझा की तफसील में जाने वाली बात है, इसलिए इसे भावी पार्लियामेंट और निर्वाचित सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए। पी टी चक्रवर्ती का मत था कि भाषाओं का तब तक विकास होता है और भाषा का निर्णय वोटों द्वारा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा, 'सभवन शेक्सपियर ने अंतिम रूप से इंग्लैंड की राष्ट्रीय भाषा का निर्णय कर दिया और इटली के लिए शायद दांते ने यह फैसला किया। मेरे विचार में भविष्य में कोई साहित्यिक प्रतिभा भारत की राष्ट्रभाषा का निर्णय इसी

प्रकार कर देगी।³⁵

अंग्रेजी को पंद्रह वर्ष तक बनाए रखने के विचार की निंदा करते हुए, आर. वी. धुलेकर ने कहा कि इसे 'एक मिनट भी' राजभाषा नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा :

लार्ड मैकाले की प्रेतात्मा क्या कहेगी ? वह जरूर हम पर हसेगी और कहेगी—'ओल्ड जानी वाकर में अभी काफी जान है।' और वह कहेगी—'हिंदोस्तानियों पर अंग्रेजी भाषा का इतना जादू है कि वे इसे पंद्रह वर्ष और बनाए रखेंगे।' कुछ सदस्यों का कहना है कि यह बीस वर्ष तक बनी रहेगी और कुछ इस अवधि को पचास वर्ष बताते हैं और अभी कुछ लोगों का कहना है कि मालूम नहीं कि कब तक यह हमारे देश की राजभाषा बनी रहेगी।³⁶

मौलाना आजाद जैसे सदस्यों का कहना था कि "यदि राष्ट्रीय भाषा जैसी महत्त्वपूर्ण समस्या का हल पंद्रह वर्ष में मिल सके, तो हमें यह समझौता मान लेना चाहिए क्योंकि यह बहुत सस्ता सौदा होगा।" कृष्ण मूर्ति राव का कहना था कि भाषा सीखने में समय लगता है और यदि उत्तर के लोग दक्षिण की भाषा सीखें तो उन्हें पंद्रह वर्ष से कम समय नहीं लगेगा। जो रोम डीसूजा ने इस बात पर बल दिया कि सब की भाषा केवल भारतीय ही नहीं सीखेंगे, अनेक विदेशियों को भी, जो भारत में राजनयिक और वाणिज्य प्रतिनिधि हैं, यह भाषा सीखनी होगी, इसलिए पंद्रह साल का समय बहुत जरूरी है।

इस समस्या के दो और पहलुओं पर भी विवाद छिड़ा, यद्यपि उसके फलस्वरूप विल के प्रारूप में कोई भी तब्दीली नहीं हुई। ये पहलू संविधान के अनुच्छेद 344 और 348 जो राजभाषा के मिलसिले में आयोग और पार्लियामेंट कमेटी की नियुक्ति और उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों की भाषा आदि की ओर संकेत करते हैं।³⁷

आयोग एवं संसदीय समिति की नियुक्ति का उद्देश्य ऐसी सिफारिशें करना था जिससे हिंदी का क्रमिक प्रयोग बढ़ाया जा सके। पुरुषोत्तमदास टंडन का कहना था कि इस उपबंध का परिणाम यह होगा कि पांच वर्ष तक हिंदी में कोई काम नहीं हो सकेगा। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि आयोग और समिति को भी समय चाहिए, इस प्रकार हिंदी को लाने में और देर लगेगी। ठीक इसके प्रतिकूल रामालिंगम चेट्टियार का विचार था कि पहले पांच वर्ष के बाद एक आयोग और फिर दस साल के बाद दूसरा आयोग नियुक्त करना पंद्रह वर्ष की अवधि को रद्द करने का प्रयास है।

सविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार, जब तक पार्लियामेंट कोई दूसरा फैसला न ले ले, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की समस्त कार्यवाही और सभी विधानमंडलों में प्रस्तुत किए जाने वाले विलो और प्रस्तावों तथा प्रवर्तित होने वाले तमाम अध्यादेशों का प्रामाणिक मजमून अंग्रेजी में होगा। ज्ञायगर का कहना था कि इन कामों के लिए अंग्रेजी पत्रह माल में अधिक समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इस दृष्टि से हिंदी में अंग्रेजी की भी सूक्ष्मता नहीं है। पुरुषोत्तमदास ने इस प्रकार की प्रवृत्तियों को खेदजनक बताया और कहा कि 'भेरे प्रात में ही, सभी विलो और अधिनियमों का मूल मजमून हिंदी भाषा में होता है।'³⁸ के इस बात पर तो महमन थे कि उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी में काम हो, परंतु उनका कहना था कि जिन विधानमंडलों एवं उच्च न्यायालयों में पहले से हिंदी के माध्यम से काम हो रहा है वहां स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेठ गोविंददास ने भी सविधान के प्राण में इस अनुबन्ध की प्रतिगामी कदम बताया। रविशंकर शुक्ल इस बात के हामी थे कि पत्रह वर्ष की अवधि सर्वांगी रूप से बनाई रखी जानी चाहिए और न्यायालय और विधानमंडल अपवाद नहीं होने चाहिए।

अन्तर्विरोधपूर्ण समझौता

निरंतर मेहनत, अभिलषित लक्ष्यों के त्याग और मेल-मिलाप की भावनाओं को अग्रवर्ती करने के उपरांत ही समझौते का लगभग सर्वसम्मति प्रारूप तैयार हो सका। फिर भी, राजभाषा के अध्याय में जो अन्तर्विरोध निहित रहे, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उदाहरण के तौर पर, अनुच्छेद 343(1) और 343 (2) में सुनिश्चित रूप से लिखा है कि सविधान के लागू होने के पत्रह वर्षों बाद से हिंदी हिंदीमान की राजभाषा होगी और अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रचलित भारतीय अकों का इस्तेमाल होगा। परंतु अनुच्छेद 343 (3) के अनुसार ससद को अधिकार दिया गया कि यदि वह चाहे तो विशेष कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा अथवा देवनागरी अकों के प्रयोग के लिए कानून पास कर सकती है।

अनुच्छेद 344 (1) के अनुसार पांच वर्षों के बाद पहले आयोग और दस वर्षों के बाद दूसरे आयोग की नियुक्ति अनिवार्य थी, परंतु तेरह वर्ष बाद कानून मंत्री ए के मेन ने पार्लियामेंट में कहा कि (वाध्यकारी) 'शॉर्ट' शब्द का तात्पर्य इच्छामूचक 'मे' शब्द नहीं होता, इसलिए सविधान के अनुसार आयोग की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है। सदस्यों ने इस व्याख्या का विरोध अवश्य किया, परंतु तथ्य यही है कि दूसरे आयोग की नियुक्ति नहीं हुई।

अनुच्छेद 344 (6) के अनुसार ससदीय कमेटी, जिसके सघटन के बारे

में अनुच्छेद 344(4) में लिखा है, कि रिपोर्ट के उपरांत राष्ट्रपति राजभाषा के सवध में आदेश जारी करेंगे। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति संविधान निर्माताओं के किमी या प्रत्येक निर्णय को एक तरफ रख सकते हैं।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। यद्यपि हर समझौते में कुछ प्रतिवाद रहते हैं परन्तु इन व्याघातों में बहुत सा काम भावी पीढ़ियों के लिए रह गया। यह स्मरण रखना चाहिए कि इन अतिविरोधों का समावेश संविधान के अन्तर्गत बहम के दौरान अभिव्यक्त विरोध विचारों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से नहीं हुआ था, ये प्रतिवाद ससद के सामने प्रस्तुत किए गए मूल प्रारूप में अंतर्भूत थे। बहस के दौरान प्रारूप में बहुत परिवर्तन नहीं किए गए। आयोग ने भी बहम के अंत के निकट कहा, “मेरी समझ के अनुसार केवल चार पांच तब्दीलिया करनी हैं। इनमें दो केवल शाब्दिक हैं। शेष दो या तीन में थोड़े तत्त्व की बात है।”³⁹

जब संसद में बिल पारित हो चुका तो अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद ने ससद को स्थगित करने में पूर्व सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, “हमने संभवतः उच्चतम बुद्धिमत्ता का निर्णय लिया है और मुझे खुशी है, और उम्मीद भी है कि आगामी पीढ़िया इसके लिए हमारी कृतज्ञ होंगी।”⁴⁰ आज की स्थिति में इन शब्दों का मूल्यांकन वाछनीय होगा।

भाषा संबंधी कुछ धारणाएं

भाषा के संबंध में कुछ एक धारणाएं प्रचलित हैं। इनके बारे में भी विचार करना ठीक होगा, यद्यपि इस संबंध में वादविवाद मौजूदा सदर्थ में केवल शैक्षिक अर्थ ही रखता हो।

इस तरह की धारणा प्रचलित है कि यदि हिंदी के स्थान पर संस्कृत को राजभाषा चुन लिया जाता, तो उत्तर एवं दक्षिण के लोग इसे जल्दी निर्विरोध स्वीकार कर लेते। यह तथ्य छुपा नहीं है कि दो एक सदस्यों को छोड़ कर, जिन्होंने संस्कृत की थोड़ी बहुत हिमायत की, और किमी सदस्य ने भी संस्कृत के लिए आवाज नहीं उठाई। इस बात से सिद्ध हो जाता है कि इस प्रकार की कल्पना निर्मूल है।

एक धारणा यह भी है कि यदि आजादी के तुरंत बाद हिंदी को देश की राजभाषा बना दिया जाता तो राजभाषा की समस्या आसानी में हल हो जाती, क्योंकि उन दिनों देश-प्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं की एक लहर चल रही थी और विघटनकारी प्रवृत्तियां, जो बाद में सामने आईं, उस समय अजन्मा थीं। संविधान सभा की बहस के अध्ययन के उपरांत इस धारणा की वृत्तियां भी कमजोर दिखाई पड़ती हैं। डा. पी. सुब्रायम ने बहस के दौरान जो कुछ

कहा, उससे इस शताब्दी के चौथे दशक में हिंदी के प्रति दक्षिण का जो प्रतिरोध था उसका अंदाजा हो सकता है। उनका कथन था

जब मैं मद्रास में शिक्षा मंत्री के पद पर था, और जब हिंदी हाई स्कूलों की पहली तीन कक्षाओं में अनिवार्य रूप से लागू की गई, यदि आपको उस समय की स्थिति का पता चले तो तभी आप अनुमान लगा सकेंगे कि मैं क्यों चिंतित हूँ, और घर जाने से पूर्व मेरे लिए कुछ उपलब्ध करना क्यों जरूरी है। तीन मास तक हर सुबह जब मैं घर से बाहर जाना था तो एक ही नारा सुनाई पड़ता था, 'हिंदी मुर्दावाद, तमिल जिंदावाद। सुत्रायन हाय-हाय, राजगोपालाचारी हाय-हाय।' तीन महीने तक आनाश में केवल यही आवाज गूजती रही। हमें मंत्ररुर होकर दंड भानून सशोधन ऐक्ट, जिमका हमने अभी वहिष्कार किया है, का आशय देना पड़ा।⁴¹

तीसरी घारणा, जिमका जिक्र कुछ वर्ष बाद मुस्लिम लीग पार्टी के नेता एम मुहम्मद इस्माइल ने 1967 ई में लोकसभा में किया, इस प्रकार है

कांग्रेस पार्टी ने भी हिंदी को राजभाषा केवल एक वोट के बहुमत से माना था। इस पर ओ पी त्यागी ने इस प्रकार कहा था, 'तही साहब, यह गलत बोल रहे हैं। लिपि के बारे में एक वोट से फैसला हुआ था। भाषा के बारे में सत्रमम्मति से हुआ था।' इस्माइल फिर भी अपनी बात पर अडिग रहे।⁴²

अंकों के सत्र में निणय पर चर्चा करने हुए शिवाराम ने इसी प्रकार की स्थिति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है

अनतीगत्रा वोट पड़े। प्रत्येक पक्ष में 74 वोट थे। हिंदी के समर्थकों का दावा था कि जब गिनती शुरू हुई, उनके पक्ष में 75 वोट थे। फिर भी अंतिम निर्णय यही रहा कि इतने महत्त्वपूर्ण विषय पर इतने कम बहुमत से फैसला देना बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी।⁴³

इसलिए यह स्पष्ट है कि उस समय की स्थिति के अनुसार भाषा विधेयक पारित करना मन्त्रिपरिम निर्माताओं के लिए बहुत भारी उपलब्धि मने ही रही हा, परन्तु निरपेक्ष रूप से यह सफलता जति न्यून थी और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत काम बाकी रह गया।

उपसंहार

बंगाली और मस्कृत भाषाओं के समर्थन में गिनेबुने लोगों द्वारा जो मद आवाजे उठी, यदि थोड़ी देर के लिए उभे भूल जाए तो संविधान सभा के सदस्य भाषा के सवाल पर तीन शिबिरी में बटे दिग्वाड़े देते हैं। या तो ये राजभाषा पद के लिए हिंदी के समर्थक हैं, अथवा अंग्रेजी या हिंदोस्तानी के।

अंग्रेजी के समर्थकों का मत था कि अंग्रेजी द्वारा देश के एकिकरण और पुनर्जागृण में प्रचुर सहायता मिली। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि देश को आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और दूसरे क्षेत्रों में विदेशों द्वारा उपलब्ध ज्ञान से लाभान्वित होना है, तो भारत में अंग्रेजी के मौजूदा स्थान को बनाए रखना होगा। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की अगुआई विदेशों में हमारे प्रतिनिधियों द्वारा अंग्रेजी बोलने की प्रवीणता के माध्यम से संबंधित है।

यह भी मिफारिज की गई कि देश में रोमन लिपि अपनाई जाए, क्योंकि इसमें गुट्टण की सुविधाएं अधिक हैं, और इसमें भारत को बाकी दुनिया में अपना संबंध जोड़ने में आसानी होगी। सदस्यों का कहना था कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी लाने से सरकारी प्रशासन कौशल के घटने का भय है।

हिंदी के समर्थक राष्ट्रीय भावना के आधार पर इसे तुरंत राजभाषा का स्थान देने के पक्ष में थे। उनके विचार में अंग्रेजी का स्थान बनाए रखना ब्रिटिश साम्राज्यवाद और देश की गुलामी के घाव की याद को बनाए रखने वाली बात है। उनका मत था कि हिंदी देश के सर्वाधिक लोगों की मातृभाषा है, इसलिए लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के आधार पर भी इसे संघ की भाषा बनाना चाहिए।

यद्यपि हिंदोस्तानी का समर्थन मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं ने किया, इस भाषा की पुष्टि करने वाले प्रायः उर्दू के उपासक ही थे, जो देश के विभाजन के उपरांत भारत में बहुत कम संख्या में रह गए थे। हिंदोस्तानी के समर्थकों का कहना था कि हिंदोस्तानी में सभी भाषाएं आ जाती हैं और इस भाषा से हिंदी-उर्दू का भेद समाप्त हो जाता है। हिंदोस्तानी के विपक्षियों का कहना था कि हिंदोस्तानी कहने को अलग भाषा है, पर वस्तुतः इसका उर्दू से अटूट रिश्ता है। कुछ सदस्यों का तो यह कहना था कि हिंदोस्तानी पृथक् भाषा न होकर हिंदी की एक शैली मात्र है, यद्यपि हिंदी के इतिहास की पुस्तकों में इस शैली का कहीं जिक्र तक नहीं मिलता है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि हिंदी और अंग्रेजी के समर्थक प्रायः अपनी अपनी भाषा के गुणगान तक ही सीमित रह गए। उन्होंने अपने विपक्षियों द्वारा उठाए गए आक्षेपों के उत्तर देने की ओर ठीक से ध्यान नहीं दिया। उदाहरणार्थ,

जब अंग्रेजी के पक्ष में कहा गया कि यह भाषा आधुनिक ज्ञान भंडार की खिडकी है, तो प्रत्युत्तर में यह दलील दी जा सकती थी कि किसी भाषा को लाइब्रेरी-भाषा के तौर पर पढ़ना और उसे राजभाषा स्वीकार करना एक ही बात नहीं होगी। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश के सम्मान का संबंध है, एक विदेशी भाषा इसका आधार नहीं हो सकती, अपेक्षाकृत इसके आधार देश की आर्थिक और प्रौद्योगिकीय योग्यता आदि के साधन होते हैं। इसी प्रकार हिंदी के विरोधियों ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि इसके समर्थक राष्ट्र के लिए हिंदी के कौन-से ब्रांड की सिफारिश कर रहे हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि आठवीं अनुसूची में सूचीगत भाषाओं के प्रोत्साहन के उपायों के बारे में संविधान सभा में कोई बहस न हो पाई। यह बहुत उचित होता यदि सभी भारतीय भाषाओं के विकास के संबंध में चर्चा की जाती। इस विषय पर भी विचार की आवश्यकता थी कि अनेक भारतीय भाषाओं के शब्द भंडार का विस्तार किस प्रकार से किया जाए। अनुवाद के कार्यक्रम (प्रोग्राम) पर भी मोच-विचार की आवश्यकता थी, क्योंकि इस कार्य में समस्त भारतीय सभ्यतियों एवं माहिलियों की वर्तमान निधि को सर्वप्रथम क्रिया जा सकता है। कम से कम कुछ सदस्यों से यह उम्मीद की जा सकती थी कि वे उच्च आधुनिक संरचना की ओर इशारा करते जो ससार की विभिन्न लाइब्रेरी-भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनूदित करने के लिए वाछनीय है। निस्संदेह इन सब बातों को संविधान में लिखना जरूरी नहीं था, परंतु भाषा विकास के इन अनिवार्य पहलुओं की अचेहेलना होना भी ठीक नहीं हुआ।

यद्यपि संविधान निर्माताओं ने समता, लोकतंत्र एवं समाजवादी प्रणाली की ओर अपने भाषणों में कई वार संकेत किया, परंतु किसी सदस्य ने भी जल्प-सह्यक वर्गों द्वारा बोनी जाने वाली भाषाओं के विकास का प्रश्न नहीं उठाया। ऐसे कई अल्पसंख्यक समूह देश के अलग अलग भागों में रहते हैं जिनकी भाषाओं के लिपि-निर्माण के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं हुआ। इन सुदूर-वर्ती लोगों में माझरना के प्रसार के लिए इनकी भाषाओं का लिपि-निर्माण करना अनिवार्य है, परंतु वह इन सीमाओं में दूर दूर ही रह गई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस बहस से भारतीय भाषाओं के विकास एवं संवर्धन का एक नया अध्याय खुल सकता था, जो वहम भाषा के पंडितों का ध्यान लिपिरहित भाषाओं के लिए लिपि-निर्माण के कार्य की ओर आकृष्ट करती, और जिसमें भाषा संबंधी नीति में अनेक नई दिशाएं खुल सकती थीं केवल हिंदी-अंग्रेजी राजनयिक मुक़ाबलों और प्रतिद्वंद्विता में ही खोई रह गई। यह खेद का विषय है कि यह दृढ़ अंततः अनिर्णित ही रहा, क्योंकि समय बहुत कम था और संविधान पारित करना था। यदि संविधान के राजभाषा संबंधी

अध्याय को भावी नीति संबंधी दस्तावेज की दृष्टि से देखा जाए तो अको के प्रश्न को छोड़कर, जिस विषय में वादविवाद द्वारा काफ़ी प्रकाश पड़ा, इस बहस से मंजिल पर पहुंचने का बहुत रास्ता तय न हो सका।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

- 1 इंडिया, कनस्टिट्यूशंस असंबली डिबेट्स, नई दिल्ली, कनस्टिट्यूशंस असंबली, 1949, वाल्यूम 9, नं. 33, सितंबर 13, 1949, पृष्ठ 1426 और 1365 (संविधान सभा की बहस, प्रथम 9)
2. इंडिया, कनस्टिट्यूशंस असंबली डिबेट्स, नई दिल्ली, कनस्टिट्यूशंस असंबली, 1949, वाल्यूम 9, नं. 32, सितंबर 12, 1949, पृष्ठ 1312.
- 3 शिवाराव, बी, फ़ैमिंग इंडियास, कनस्टिट्यूशन, ए स्टडी, नई दिल्ली, इंडियन इनस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1968, पृष्ठ 794

प्रारूप समिति के सदस्यों की सूची इस प्रकार है .

अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन. गोपालास्वामी आयंगर, बी आर अंबेडकर, के एम मुशी, मुहम्मद सादुल्ला, बी एल. मित्तल, डी पी खैतान बाद में श्री बी. एल. मित्तल के स्थान पर एम. माधव राव को और डी. पी खैतान को मृत्यु के कारण रिक्त स्थान पर टी. टी कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया.

- 4 इंडिया, कनस्टिट्यूशंस असंबली, डिबेट्स, नई दिल्ली, कनस्टिट्यूशंस असंबली, 1949, वाल्यूम 9, नं. 32, सितंबर 12, 1949, पृष्ठ 1317
- 5 वही, पृष्ठ 1331.
- 6 वही, पृष्ठ 1361.
7. वही, पृष्ठ 1390
- 8 वही, पृष्ठ 1414
9. वही, पृष्ठ 1349
- 10 वही, पृष्ठ 1369
11. वही, पृष्ठ 1382
12. वही, पृष्ठ 1325
- 13 वही, पृष्ठ 1390
14. वही, पृष्ठ 1397
15. वही, पृष्ठ 1397.

- 16 वही पृष्ठ 1368-69
- 17 वही, पृष्ठ 1436-37
- 18 वही पृष्ठ 1460
- 19 वही पृष्ठ 1353-54
- 20 वही पृष्ठ 1357-58
- 21 वही, पृष्ठ 1402
- 22 वही पृष्ठ 1376
- 23 वही पृष्ठ 1380-81
- 24 वही, पृष्ठ 1457
- 25 भारत, राजभाषा मंत्रालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय, परिवर्द्धित दवनागरी, हिन्दी, मैनेजर प्रकाशन विभाग, 1966, पृष्ठ 11 के अनुसार, सन् 1951 से सशस्त्र सेनाप्रा म रामन सिंह के स्थान पर दवनागरी लिपि का प्रयोग होता है
- 26 इण्डिया, कनस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स, नई दिल्ली, कनस्टिट्यूट असेंबली आफ इण्डिया 1949 वाल्यूम 9, नं 34 पृष्ठ 1437
- 27 वही, पृष्ठ 1361
- 28 वही पृष्ठ 1370
- 29 वही, पृष्ठ 1320
- 30 वही, पृष्ठ 1458
- 31 वही, पृष्ठ 1415
- 32 वही, पृष्ठ 1370-71
- 33 वही, पृष्ठ 1400-91
- 34 इण्डिया परिशिष्ट III
- 35 इण्डिया कनस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स, नई दिल्ली, कनस्टिट्यूट असेंबली, 1949, वाल्यूम 9 नं 33, सितंबर 13, 1949 पृष्ठ 1394
- 36 वही, पृष्ठ 1349
- 37 इण्डिया परिशिष्ट, IV
- 38 इण्डिया कनस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नं. लि. 1, कनस्टिट्यूट असेंबली आफ इण्डिया, 1949 वाल्यूम 9, नं 34 पृष्ठ 1445
- 39 वही, पृष्ठ 1465
- 40 वही पृष्ठ 1491

41. वही, पृष्ठ 1401.
42. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुशी-आयगर मुभाव संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 ई. को सर्वसम्मति से पास किया.

परंतु संविधान सभा की कांग्रेस पार्टी की बैठक (जहां संविधान सभा की बैठक में मामला लाने से पूर्व इस विषय पर विवाद हुआ) के उपलब्ध विवरणों से पता चलता है कि इस विषय पर काफी गमगर्भी हुई, यद्यपि 1951 के पूर्व के पार्टियों की बैठकों के रिकार्ड नहीं मिलते, परंतु डॉ. अवेडकर की पुस्तक 'थाट्म आन लिगुस्टिक स्टेट्स', सेठ गोविंद दास की आत्मकथा और अन्य कुछ स्रोतों से पता चलता है कि एक वोट वाली कहानी का संघ संविधान सभा की कांग्रेस पार्टी की 26 अगस्त, 1949 ई की बैठक से है, जहां पर अको के सवाल पर 75 वोट विपक्ष में और 74 पक्ष में थे, परंतु पट्टाभि सितारमैया, जो बैठक के सभापति थे और जवाहरलाल नेहरू के परामर्श पर निर्णय स्वयं कर दिया गया.

(देखिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'राजभाषा भारती' में वृज किशोर का लेख 'क्या हिंदी एक वोट से राजभाषा बनी'. जुलाई 2, 1978).

43. शिवाराव, बी., फ्रेमिंग इंडियाम कनस्टिट्यूशन : ए स्टडी, नई दिल्ली, इंडियन इनस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1968, पृष्ठ 793-794.

परिशिष्ट : सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र

क्रमांक	सदर सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
1	अलगूराय शास्त्री	मयुक्त प्रांत (अब, उत्तरप्रदेश)
2	बी दास	उड़ीसा
3	फ्रैंक एयनी	मध्यप्रांत एवं बरार (अब, मध्यप्रदेश)
4	जी दुर्गावाई देशमुख	मद्रास
5	हुकम सिंह	पूर्वी पंजाब (अब, पंजाब)
6	जवाहरलाल नेहरू	उत्तरप्रदेश
7	जे 'रोम डेमूजा	मद्रास
8	करीमउद्दीन	मध्यप्रदेश
9	कृष्णमूर्ति राव, एम बी	मैसूर
10	कुलाधर छालिया	असम
11	लक्ष्मीकांत मैत्र	पश्चिम बंगाल
12	लक्ष्मीनारायण साहू	उड़ीसा
13	मौनाना अबुल कलाम आझाद	उत्तरप्रदेश
14	मुहम्मद इस्माइल	उत्तरप्रदेश
15	नजीरउद्दीन अहमद	पश्चिम बंगाल, मुस्लिम
16	एन गणालाम्बामी आयंगर	मद्रास
17	एन बी गडगिल	बंबई
18	डा पी मुन्नायन	मद्रास
19	पी टी चक्को	केरल
20	पुरपोत्तम दास टंडन	उत्तरप्रदेश
21	डा रघुवीर	मध्यप्रदेश
22	डा राजेंद्र प्रसाद	बिहार
23	रामालिंगम केट्टियार, टी ए	मद्रास
24	रविशंकर शुक्ल	मध्यप्रदेश
25	आर बी धुलेकर	उत्तरप्रदेश
26	मतीशचंद्र मामा	पश्चिम बंगाल
27	मेठ गोविंद दास	मध्यप्रदेश
28	डा श्यामाप्रसाद मुखर्जी	पश्चिम बंगाल

हिंदी बनाम अंग्रेज़ी

संविधान सभा में भाषा के विषय पर एक प्रकार की विराम संधि पर सहमति तो हो गई परंतु 'जीतयुद्ध' की स्थिति बनी रही, और बाद में परिस्थितियों ने कुछ ऐसे मोड़ लिए कि भाषा के विवाद को लेकर देश में विस्फोट होने लगे। अब लड़ाई केवल हिंदी और अंग्रेज़ी के बीच ही सीमित हो गई थी। यदि और निश्चित रूप से कहा जाए, तो विवाद का विषय यह था कि कितने समय में अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी को संघ की भाषा के पद पर आसीन किया जाए। लिपि और अंक अब चर्चा का विषय नहीं थे। इन दो भाषाओं की मुठभेड़ की प्रचलता एवं तीव्रता जानने के लिए गत कुछ वर्षों की घटनाओं का अवलोकन आवश्यक है।

आयोग एवं समिति का गठन

संविधान के अनुच्छेद 344(1), 344(4) और 344(6) के अनुसार 7 जून, 1955 ई. को डक्कीस सदस्यों के एक भाषा आयोग (इसके बाद इसके लिए केवल 'आयोग' शब्दों का प्रयोग किया गया है) की नियुक्ति की गई। 930 जवानी और अनेक लिखित गवाहियों के आधार पर 31 जुलाई, 1956 ई. को आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पेश की। पार्लियामेंट के तीस सदस्यों की एक संयुक्त समिति (इसके बाद इसके लिए केवल 'समिति' शब्दों का प्रयोग किया गया है) ने, जिनमें तीस लोकसभा के और दस राज्यसभा के सदस्य थे, नवंबर 1957 ई. में 8 फरवरी, 1958 ई. तक इस रिपोर्ट का पुनरावलोकन किया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल, 1960 ई. को परिशिष्ट VII पर दिया गया आदेश जारी किया। यह पहली महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि आयोग को मंध के सरकारी कामों के लिए हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने और अंग्रेज़ी के इस्तेमाल को कम करने के संबंध में

सिफारिशें करनी थी ।

जायोग के विचाराथ विषय वही थे जिनका वणन परिशिष्ट पर दिए गए सविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 344(2) में मिलता है। इन विषयों में एक अण यह भी जोड़ दिया गया था कि आयोग 'एक समय-सारणी तैयार करेगा जिमके अनुसार हिंदी मघ की भाषा, मघ और राज्यों के बीच पत्रव्यवहार और राज्यों के बीच परस्पर संपर्क के लिए अंग्रेजी का स्थान ले लेगी ।'

यदि इस अतिरिक्त विचाराथ विषय की बात सत्रों पर होने की जाए तो यह कहना होगा कि दोनों जायोग और समिति समय-सारणी तैयार करने में असफल रहे। पार्लियामेंट की समिति के सदस्य पुरुषोत्तमनाथ टंडन एवं मेठ गोविंद दास ने कमेटी की रिपोर्ट के साथ अपने अमर्तमति नोट में सरकार की इस बात के लिए आलोचना की कि सरकार ने न तो कमीशन के सम्मुख और न ही समिति के सामने इस सवध में प्रोग्राम का समौदा पश किया। उनका मत था कि सरकार इस विषय में वचनबद्ध होने के लिए आना-कानी करती रही है। पार्लियामेंट की समिति के सभापति गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। गृह मंत्रालय को ही यह सूचना सरकार को देनी थी, इसलिए सरकार की लापरवाही का कोई यथार्थ कारण दिखाई नहीं देता।

आयोग को यह सुझाव भी देना था कि किस प्रकार क्रमश हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए और अंग्रेजी का प्रयोग सीमित किया जाए। परंतु अंग्रेजी के सवध में आयोग ने कहा कि 'अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई अकुश न लगाया जाए।' समिति ने एक कदम और आगे बढ़कर सिफारिश की

इस प्रश्न के समाधान का उपाय लचीला एवं व्यावहारिक होना चाहिए। समिति के विचारानुसार सध की मुख्य सरकारी भाषा अंग्रेजी और सहायक भाषा हिंदी होनी चाहिए और 1965 में जब हिंदी मुख्य सरकारी भाषा बन जाए, तो कुछ निश्चित कामों के लिए अंग्रेजी तब सहायक भाषा के रूप में चलती रहे, और इस प्रयोजन के लिए पार्लियामेंट की आवश्यकतानुसार नियम निर्धारित करने का अधिकार होगा।¹

यह कमी विडमना है कि जिन अधिवृत्त निकायों को राज्य के कामों में अंग्रेजी के इस्तेमाल को सीमित करने के हेतु सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया, उन्होंने अंग्रेजी को सविधान में निर्धारित समय में आगे तक जारी रखने के लिए सिफारिश की।

आयोग को सविधान के अनुच्छेद 348 के तहत विधान एवं न्याय की भाषा सवधों सिफारिशें भी करनी थी। इस सवध में आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र

और राज्यों की विधानसभाओं में सदस्यों को छूट होनी चाहिए कि वे अपनी मुविधानुसार किमी भी भाषा में अपने विचार अभिव्यक्त कर सकें, परन्तु विधि-निर्माण की भाषा अमङ्गल होनी चाहिए, और देश के विभिन्न न्यायालयों में इस पर जो अर्थ विवेचन होगा उसके लिए ममर्थ होनी चाहिए। आयोग ने यह भी कहा :

हमारे विचार से यह ज़रूरी है कि जब सङ्गठन का समय आए, तब देश की पूरी कानूनी पुस्तक एक ही भाषा में हो, और निस्संदेह यह भाषा केवल हिंदी ही हो सकती है। इसलिए विधानसभाओं एवं संसद की विधि निर्माण और तत्पश्चात् किमी भी कानून के अधीन जारी किए गए समस्त सांविधिक उपबंधों एवं विनियमों आदि की भाषा हिंदी होनी चाहिए।'

स्थिति को मुचारु रूप में ममझने के लिए ज़रूरी है कि भाषा आयोग और संसदीय समिति की रिपोर्ट तथा इनके साथ राष्ट्रपति के सवधित आदेश का एक साथ अध्ययन किया जाए। कुछ एक महत्त्वपूर्ण सिफारिशों का आगे विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

आयोग ने अंग्रेजी से हिंदी की सङ्गठन-अवधि निश्चित नहीं की और समिति भी इसे निर्धारित न कर सकी। समिति ने संसद एवं विधानसभाओं के सदस्यों की विचार विनिमय की भाषा पर अपनी राय प्रकट न की, क्योंकि इसके अनुसार यह आयोग एवं समिति के विचारणीय विषयों की परिधि के अंतर्गत नहीं आता था। समिति का सुझाव था, और राष्ट्रपति ने भी इसे स्वीकार किया कि राज्य विधान-सभाएं अपने अपने राज्यों की भाषा में कानून बनाएं और इसका अधिप्रमाणित अनुवाद अंग्रेजी और हिंदी (जहां मूल विषयवस्तु हिंदी में न हो) में दिया जाए, परन्तु संसदीय कानून बनाने का क्रम अंग्रेजी में चलता रहे, और साथ में अधिप्रमाणित अनुवाद हिंदी में दे दिया जाए। यह विवाद का विषय है कि जब राज्यों में मूल कानून हिंदी में बनाए जा सकते हैं और केंद्रीय कानूनों का अधिप्रमाणित अनुवाद हिंदी में तैयार हो सकता है, तो आयोग की पूर्वकथित सिफारिश का समिति द्वारा समर्थन न करना और हिंदी को संसदीय विधान निर्माण की भाषा न मानना कहां तक तर्कसंगत था। यदि कुछ बातों के आधार पर हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अधिक महत्त्व नहीं देना था, तो बात अलग है।

उच्चतम न्यायालय की भाषा के संबंध में आयोग का कहना था कि अत-तोभत्वा उच्चतम न्यायालय की भाषा हिंदी ही होगी। राष्ट्रपति ने यह सिफारिश 'सिद्धांत रूप' में मान ली, परन्तु इसके साथ यह जोड़ दिया कि ऐसा तब किया जाए 'जब सङ्गठन के लिए समय उपयुक्त हो'। उच्च न्यायालयों के

सबध में आयाग ने मुझाव दिया था कि मभी क्षेत्रों में फंमले और आदेश हिंदी में दिए जाए, परंतु राष्ट्रपति ने समिति की राय, जो कुछ अलग थी, को ही माना। समिति का मत था कि उच्च न्यायालय चाहे तो हिंदी का प्रयोग करें, और यदि वे चाहें तो इन कामों के लिए राज्य की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आयोग ने मिफारिश की कि सरकारी कर्मचारियों को हिंदी माध्यम द्वारा काम करने के योग्य बनाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। समिति ने इस मिफारिश का मप्रथन किया, परंतु इस प्रशिक्षण को उन कर्मचारियों तक ही सीमित रखा गया जिनकी आयु 45 वर्ष से कम थी। इस बात की व्यवस्था कही भी नहीं की गई कि जिन कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा वे सुनिश्चित रूप से हिंदी में ही काम करेंगे। इस प्रकार कर्मचारियों के प्रशिक्षण का व्यावहारिक प्रयोग नहीं किया गया।

आयोग और कमेटी ने केंद्रीय सरकार की नौकरियों में भरती के लिए हिंदी में कुछ न्यूनतम योग्यता का निर्धारण अनिवार्य बताया, परंतु राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार इस मिफारिश को 'फिल्हान' केंद्रीय सरकार के उन दफतरो के सबध में लागू किया जा सकता था जो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में हैं।

इस प्रकार इन दो उच्चाधिकार प्राप्त निकायों, जिन्होंने विचार विनिमय में दो वर्षों से अधिक समय व्यय किया, की मिफारिशा तथा इन पर राष्ट्रपति के कुछ आदेशों का प्रतिदर्श सर्वेक्षण करने से पता चलता है कि उनके काम से हिंदी का बहुत कम लाभ हुआ। इसका प्रतिकूल अंग्रेजी के लिए उज्ज्वल सभावनाएँ थी और जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी की तूती बोल रही थी वहाँ हिंदी के प्रवेश के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते थे। हिंदी के पक्ष में की गई आयोग की मिफारिशा का वजन पहले समिति द्वारा और फिर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा घटा दिए जाने के फलस्वरूप हिंदी का मामला कमजोर और अंग्रेजी का मजबूत हो गया।³

नेहरू जी का आश्वासन

हिंदी-अंग्रेजी की रस्तावशी की दूसरी महत्वपूर्ण घटना 1959 ई की है, जब एला-इटियन वग के नामजद प्रतिनिधि फ्रैंक एयनी ने अंग्रेजी को मविधान की आठवी अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक गैरसरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया।⁴ इस प्रस्ताव पर ससद में 24 अप्रैल, 8 मई और 7 अगस्त, 1959 ई को बहस हुई। प्रस्ताव की स्वीकृति की वकालत करते हुए श्री एयनी ने कहा कि मविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की मामाजिक सस्कृति के प्रतिनिधित्व के लिए हिंदी को आठवी अनुसूची की भाषाओं में सामग्री लेनी है। अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है और हिंदोस्तान की काफी जनसख्या इसे बोलती है।

इसलिए उमके द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव उचित है।¹⁵ उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी भारत के लिए निष्पक्ष भाषा है। इसके बोलने वाले सारे देश में बराबर सख्या में फँसे हुए हैं। देश के सभी क्षेत्रों की शिक्षा प्रणाली में यह भाषा व्याप्त है, और समद का अधिकांश कार्य इसी भाषा में ही होता है।¹⁶

इस संदर्भ में परिशिष्ट V पर दृष्टि डालने में पता चलेगा कि लोकमभा एवं राज्यसभा ने अपने कामकाज के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी को निर्धारित किया था और इनमें अंग्रेजी का इस्तेमाल क्रमशः 83.2 और 85 प्रतिशत था। परंतु राज्यों के संदर्भ में स्थिति भिन्न थी। अठारह राज्यों में से, आठ ने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को अपनी विधानसभा एवं विधानपरिषद् के लिए निश्चित किया था। ये आठ राज्य थे—समस्त हिंदी भाषा भाषी प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और सौराष्ट्र। इन राज्यों में, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग प्रधान भी था। कुछ राज्यों में तो शत प्रतिशत क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल होता था। यद्यपि शेष दस राज्यों ने भाषा के विषय में कोई दृढ़ नीति नहीं अपनाई थी, परंतु असम को छोड़कर इन सभी राज्यों में अधिकतर क्षेत्रीय भाषाएं ही इस्तेमाल होती थीं। उदाहरणार्थ, आंध्रप्रदेश में 90 प्रतिशत भाषण तेलुगु में थे और 10 प्रतिशत अंग्रेजी में, पंजाब में केवल 0.27 प्रतिशत भ्रमण अंग्रेजी में थे और शेष हिंदी अथवा पंजाबी में। पेप्सू में अंग्रेजी का प्रयोग 2.7 प्रतिशत था और हैदराबाद में 5 प्रतिशत। (राज्यों के पुनर्गठन के समय कुछ राज्यों का विलय हो गया और कुछ नये राज्यों का निर्माण हुआ। इसलिए पेप्सू आदि पुराने राज्यों के नाम अब प्रयोग में नहीं आते।)

प्रस्ताव का विरोध करते हुए, साम्यवादी (सी. पी. आर्. ई.) नेता हीरेन मुखर्जी ने कहा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि हम हमेशा के लिए अंग्रेजी की यथाशक्ति वनाए रखना चाहते हैं और इसके परिणामस्वरूप, बिना किसी राष्ट्रीय हित के, संक्रमण अवधि को और लम्बा पट्टा दे देंगे। उन्होंने कहा :

शायद कोई भी सांख्यिकीविद् देश के उम मानसिक नुकसान की अभिकल्पना नहीं कर सके जो एक सर्वथा विदेशी भाषा को मीखने के कारण हुआ है। निस्संदेह यह सारी कोशिश व्यर्थ नहीं रही है। मानसिक विविधता व्यक्तिगत दृष्टि से भले ही आकर्षणयुक्त हो, परंतु इसमें राष्ट्र की हानि होती है। और इस हानि का कारण है हमारी सम्यता में अंग्रेजी का बोलबाला। यदि हमें एक नव सस्कृति की सृष्टि करनी है तो अंग्रेजी के प्रभुत्व को समाप्त करना होगा।¹⁷

भाषा सबधी इस बहस में अंग्रेजी के पक्ष में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ 7 अगस्त, 1959 ई को आया जब प्रधानमंत्री नेहरू न मगद में निम्न आश्वासन दिया

मैं दावातो में विश्वास करता हूँ। जैसे कि मैंने अभी कहा किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अनिश्चित काल तक—मुझे मालूम नहीं कि कब तक—अंग्रेजी का एक अनिश्चित सहयोगी भाषा के रूप में रखना चाहिए और मैं रखूँगा। मैं केवल इसमें उपरान्त सुविधाओं के कारण ही ऐसा नहीं करना चाहता, यद्यपि इस प्रकार के लाभ भी अवहेलना नहीं की जा सकती, परन्तु इसका भी अंग्रेजी को बनाए रखना होगा यद्यपि मैं नहीं चाहता कि अहिंदी भाषी लोग ऐसा महसूस करें कि उनकी वे बृहत् मार्ग उनके लिए बंद है, क्योंकि सरकार का परमपक्षार हिंदी भाषा के माध्यम से होता है। जब जब तक जनता की इच्छा होगी, मैं अंग्रेजी को विकल्प भाषा बनाए रखूँगा और इस बात का निराश मैं हिंदी भाषा भाषी लोगों के हाथों से नहीं, बल्कि अहिंदी भाषा भाषी लोगों पर छोड़ूँगा।¹⁸

यह आश्वासन प्राप्त करने के तुरंत बाद फ्रेंक एथनी ने अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया और बहस का समापन करते हुए कहा, "मैं प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ क्योंकि जितना मैंने मांगा था, उन्होंने उसमें अधिक दे दिया है।"¹⁹

इस आश्वासन से हिंदी को काफी क्षति पहुँची और इसके फलस्वरूप एक नए कानून निर्माण की नींव तैयार हो गई जिसमें हिंदी के समर्थकों को और अधिक निराश होना पड़ा।

राजभाषा विधेयक, 1963

चार महीने बाद, 13 अप्रैल, 1963 ई का मूहमत्री, लालबहादुर शास्त्री ने लोकसभा में 'राजभाषा विधेयक, 1963' प्रस्तुत किया। इस विधेयक का ध्येय जहाँ नेहरू के 1959 ई के आश्वासन की पूर्ति था, वहाँ सद्विज्ञान के उन प्रतिबद्धों को हटाना भी था जिनके कारण 1965 ई के बाद अंग्रेजी का इस्तेमाल बर्जित बन जाता। विधेयक का मुख्य कार्यकारी खंड इसके तीसरे अनुच्छेद में है, जो निम्नांकित है। इसके आधार पर एक नई भाषा नीति की नींव पड़ी और भाषा की सांविधानिक स्थिति में काफी तब्दीली आ गई।

संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि के समाप्त होने पर भी,

निश्चित तिथि से, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी निम्न कार्यों के लिए प्रचलित रहेगा :

- (I) उन सभी सरकारी कामों में जिनके लिए यह निश्चित तिथि से पूर्व इस्तेमाल हो रही थी; और
- (II) ससद के कार्य व्यापार के लिए ।

फ्रैंक एयनी एवं मनोहरन आदि सदस्यों ने माग की कि विधेयक के मसौदे में तब्दीली की जाए और नेहरू के आश्वामन को पूरी तरह इसमें समाहित किया जाए। एयनी का कहना था कि विधेयक में 'मे' (इच्छासूचक अंग्रेजी शब्द) इस वचन की पूर्ति नहीं करता जो अहिंदी भाषी लोगों को दिया गया था।

हिंदी भाषी लोगों द्वारा विधेयक का कट्टर विरोध हुआ, क्योंकि यदि यह विधेयक पेश न होता तो 26 जनवरी, 1965 ई. से केवल हिंदी ही हिंदोस्तान की राजभाषा हो जाती।

विधेयक के प्रस्तुत करने के समय ससद के अंदर और बाहर आवेशपूर्ण स्थिति थी। 14 अप्रैल, 1963 ई. के 'टाइम्स आफ इंडिया' ने इस भावोत्तेजक वातावरण पर टिप्पणी करते हुए लिखा : "संसद के इतिहास में इस प्रकार के हुल्लडवाजी के दृश्य इससे पूर्व कभी दिखाई नहीं दिए।" नेहरू ने इस दृश्य को घृणित एवं नज्जाजनक बताते हुए कहा, "मैं फिनिश, स्वीडिश अथवा किसी अन्य भाषा को तरजीह दूंगा, परंतु मैं इस प्रकार का व्यवहार सहन करने और लोकतंत्र तथा सब कुछ का नाश करने को तैयार नहीं।"¹⁰ अनेक सदस्य सदन की बैठक को छोड़कर बाहर चले गए, तीन सदस्यों को मुअत्तल और दो को जबरदस्ती बाहर कर दिया गया। एक सदस्य पार्लियामेंट के भवन में विधेयक की होलिका जला रहे थे और बाहर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ नारे लगा रही थी।

एल. एम. सिंघवी का कहना था कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 343(3) का उल्लंघन करता है, जिसके अनुसार 1965 ई. के पञ्चात् अंग्रेजी का प्रयोग केवल निश्चित कार्यों के लिए ही हो सकता था। प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा :

प्रधानमंत्री का इस प्रकार का आश्वामन देना संविधान-विरुद्ध है, या यूँ कहें संविधान की मान्यताओं का उल्लंघन है, आप मुझे इस कटु मत्य को कहने की आज्ञा दीजिए कि प्रधानमंत्री का यह आश्वामन उसी प्रकार की भूल है, जिस प्रकार की भूल उन्होंने काश्मीर में जनमत संग्रह का आश्वामन देकर की थी।¹¹

उन्होंने इस विधेयक को अमामयिक ठहराया और कहा कि 1962 ई के चीनी आक्रमण में दश में जो एकना आर्ट थी उस पर यह विन पानी फेर देगा। एम एम वैनर्जों का मत था कि जब 1965 ई तक स्थिति स्पष्ट थी तो 1963 ई में यह विवाद उठाना अनावश्यक था। विल का कडा विरोध करते हुए गाविद दाम ने दाशानिक ढग में इसकी समीक्षा की। उनका कहना था कि स्वतंत्र भारत को चार चीजों की सुरक्षा करनी होगी राष्ट्रीय एकता, समाज-वादी प्रणाली, लोकतंत्र एवं आर्थिक विकास, और इन सब की सुरक्षा अंग्रेजी द्वारा नहीं, अपितु हिंदी द्वारा ही हो सकती है। अपने विचारों के स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा कि हिंदी के माध्यम द्वारा ही भारत के जन समूह एवं दूसरे के समीप आ सकते हैं और विणष्ट वर्ग और जनमाघारण के बीच की खाई पाटी जा सकती है। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि हिंदी ही विनाश बहुसंख्या की इच्छापूर्ति कर सकती है और विदेशी भाषा की अपक्षा भारतीय भाषा के माध्यम में ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी आम जनता तक पहुंचा कर देश की आर्थिक स्थिति के उत्थान में योगदान भिन्न संभवता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं की प्रगति का हिंदी की प्रगति के साथ मीधा रिश्ता है, क्योंकि मारी की मारी एक ही देश की भाषाएँ हैं। अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में सहायक नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी पूरी इमारत विदेशी है।

हरिकृष्ण मेहताव ने विन का समर्थन किया और उसे पूर्ण सांविधानिक बतान हुए कहा

संविधान के निर्माता बुद्धिमान् लोग थे। यदि उन्होंने इसे (हिंदी को) बिना किसी शर्त के मान लिया होता तो संविधान में केवल एक ही धारा होती। उन्होंने इनके अनुच्छेद क्यों जोड़ दिए? संविधान सभा में सदस्यों के एकमत की काफी चर्चा की गई है। यह एकमत इन्हीं मिलीजुली धाराओं के कारण ही बन पाया था। इन्हीं के कारण भिन्न-भिन्न मतों के सदस्यों को विश्वास दिया जा सकता था। सदस्यों को इन कठिनाइयों का पूर्वानुमान था, इसलिए उन्होंने पदत्र वर्ष की अवधि, आयोग और समक्ष समिति की नियुक्ति, परीक्षाओं के प्रवृत्त सवधी धाराओं को संविधान में जोड़ दिया था। जहां तक मुझे स्मरण है, जब श्री गोपालास्वामी आयर ने इन धाराओं का स्वीकृति के लिए विन रूप में प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उन्होंने यह सब इसलिए रखा है, क्योंकि उन्हें ऐसा आभास है कि अंग्रेजी बहुत वर्षों तक प्रचलित रहेगी। आखिर श्री गोपालास्वामी आयर ने विधेयक में इतनी धाराएँ क्यों रखी, इसलिए कि समय ऐसा था, और संविधान को अधिकाधिक बहुमत में पारित करना था।¹²

हेम वरुणा ने विल की मरहना करते हुए कहा कि इससे अहिंदी भाषी लोगों के आर्थिक हितों तथा क्षेत्रीय भाषाओं के निर्जीव होने से रखा हो सकेगी। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि एक न एक दिन अंग्रेजी को राजभाषा के पद से हटाना होगा, क्योंकि 'संसार का कोई भी देश तब तक लोकनायिक एवं स्वतंत्र कहलाने का दावा नहीं कर सकता जब तक वहां कामकाज किमी ऐसी भाषा में चलता रहे जो देश की प्रकृति के लिए विजातीय हो।' लगभग इन्ही दलीलों के आधार पर हीनेन मुखर्जी ने भी विधेयक का समर्थन किया और कहा कि इस बिल द्वारा सरकारी नौकरियों के संबंध में जो मंजूर थे वे दूर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि "हमारे देश में कुछ लोग अंग्रेजी के अनिश्चित काल तक प्रचलित रहने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसी चेष्टा को संसद को स्पष्ट रूप में अस्वीकार कर देना चाहिए।"¹³ कबीर, डा. नामक, चैतन्य, रविदाम, हजरत निजामुद्दीन, मोनिउद्दीन चिश्ती, तुलसीदास, श्रीरवल्लुवर ज्ञानेश्वर एवं तुकाराम के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि "हमारे महापुरुषों में अंग्रेजी जानने वाले वर्ग का भी बहुत योगदान है, परंतु जहां तक गहनतम योगदान का संबंध है वह उन व्यक्तियों के द्वारा ही मिला, जिन्होंने अपनी भाषाओं को ही अभिव्यक्ति का माध्यम चुना।"

बिल के समर्थकों का कहना था कि द्विभाषिता कोई ऐसी अनोखी बात नहीं जो केवल भारत ही अपना रहा हो। यह बहुत से देशों में पहले प्रचलित है।¹⁴ इसके अतिरिक्त, इस बिल के द्वारा संक्रमण में केवल जल्दवाजी से ही रखा की जा रही है और अहिंदी भाषियों को हिंदी सीखने के लिए अधिक समय दिया जा रहा है ताकि संक्रमण के बाद किमी प्रकार की अव्यवस्था न हो। लाल-बहादुर शास्त्री ने बिल की स्वीकृति के लिए बल देते हुए कहा, "हिंदी की प्रगति के लिए अहिंदी भाषी लोगों की मददावना आवश्यक है।"

अंत में विधेयक पारित हो गया। स्पष्टतया हिंदी के हिमायतियों को यह एक और बड़ा धक्का था।

निर्णायक तिथि

26 जनवरी, 1965 ई. निर्णायक तिथि थी। हिंदी और अंग्रेजी, दोनों, संघ की राजभाषाएं बनी रहीं। 1963 ई. के भाषा-विधेयक के पारित होने के पश्चात् दोनों विपक्षी दलों, हिंदी के पोषकों तथा अंग्रेजी के हिमायतियों ने, द्विभाषिता की स्थिति को स्वीकार कर लिया था; अतः यदि तर्कमंगल दृष्टिकोण अपनाया जाता तो अब कोई समस्या जेप नहीं थी। परंतु राजनीति और जनसाधारण के व्यवहार हमेशा पूर्वानुमानित मार्ग का अनुसरण नहीं करते। द्रविड मुन्नेत्र कडगम (डी. एम. के.) ने 1965 ई. के गणराज्य दिवस को शोक दिवस

के रूप में मनाने का फैसला किया, क्योंकि इस दिन स हिंदी संघ की प्रथम भाषा बन गई। हिंदी के प्रिद्ध दक्षिण तथा पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और कुछ एक प्रदर्शनों में तो हिंसात्मक कार्यवाहिया भी हुईं। एक कथनानुसार, मद्रास में इन प्रदर्शनों के कारण 78 लोग मारे गए। एक अन्य वयान के मुताबिक तमिलनाडु में मृतकों की संख्या 150 थी। पांच व्यक्तियों ने विरोधस्वरूप आत्मदाह कर डाला। सरकार ने इन आक्रांकों की न तो पुष्टि की और न ही इनका खंडन किया।

18 फरवरी, 1965 ई को हीरेन मुखर्जी ने सरकार द्वारा डम मामले को ठीक तरह में न मथाले जाने पर सरकार की निंदा करने के लिए लोकसभा में एक काम रोको प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, "इस प्रकार की भावातेजना मजबूत में मजबूत मिहामतो को भी भस्म कर सकती है, फिर इन प्रतिभाहीन शिथिल ढांचों की जिन पर सरकार अवलम्बित है तो बात ही क्या है। सरकार को सावधान रहना चाहिए कि दिल्ली का नगर खोखली आनरात का मकबरा है।" उनका मत था कि प्रधानमंत्री, लालबहादुर शास्त्री को नेहरू के आश्वामनों की पुनरावृत्ति 11 फरवरी की बजाय 26 जनवरी मन् 1965 ई को करनी चाहिए थी। उनके विचार में हिंदी भाषी राज्यों को अंग्रेजी को मधुस्त राजभाषा बनाए रखने के लिए विधेयक पारित करने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे कानून के बिना मविधान के अनुच्छेद 210(2) के अनुसार 1965 ई में अंग्रेजी इन राज्यों की राजभाषा नहीं रही, केवल हिंदी ही इनकी राजभाषा बन गई है।¹⁶

प्रकाशवीर शास्त्री ने लोकसभा में जोरदार चेतावनी देने हुए कहा कि यदि सरकार के निर्णय हिंसात्मक कार्यवाहियों में बदलने हैं तो हिंदी के हिमायती भी ऐसा मार्ग अपना सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों ने ऐसे प्रदर्शनों का तत्र आयोजन किया था जत्र अंग्रेजी के विद्वू अभी अपने अंग्रेज आक्रांकों के तन्त्रे झाड़ रहे थे। दक्षिण में गाड़ियों, डाकखानों आदि में जनाने की हिंसात्मक घटनाओं की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा

मुझे अच्छी तरह में याद है कि 26 जनवरी को मद्रास नगर में जब हिंदी विरोधी जुलूस निकला तो उसमें कुछ लड़के थे, और वह भी छोटी बालु के थे। जाय यदि चाह तो उनके चित्र भी मेरे पास मौजूद हैं, और मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हू। हममें कहा जाता है कि मद्रास में रेतगाड़िया जनार्ड गई, मद्रास में डाकखाने जनाए गए, और उसके बाद सरकार के नेता विवश हुए इस तरह का निर्णय लेने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हू कि हम इस क्षेत्र के

निवासी जो कि पिछले 20 सालों में अपनी ज़मान पर ताला डाले हुए हैं इस प्रकार की हिसात्मक कार्यवाहियों से यदि सरकार के निर्णय बदलने लग गए तो आप याद रखिए कि हमने रेलगाड़ियों की पटरियां उस समय उखाड़ी थीं जिस समय ये लोग अंग्रेजों के तलवे झाड़ रहे थे। मन् 1942 ई का वातावरण आपको याद होगा। अगर हमने कहीं इस तरह की जवालाए भड़का दी जैसी वहां उठ रही हैं और त्रॉनि की यह चिगागी देज के अंदर उठ पड़ी, जैसे कि आमार वनने लगे हैं, तो ये जवालाए जाकर समस्त भवन को छुएंगी, और स्थिति को आप बचा नहीं सकेंगे। साथ ही उनकी मार्गी जिम्मेदारी हम कमजोर सरकार पर डोगी जो इस प्रकार का निर्णय करती है।¹⁷

इस प्रकार 1965 ई. का प्रारंभ भाषा की समस्या को लेकर चुनौतियों एवं प्रतिचुनौतियों, आक्षेपों एवं प्रतिआक्षेपों और अग्निकांडों का वर्ष था, परन्तु सांविधानिक स्थिति अपरिवर्तित बनी रही।

राजभाषा मसौदा अधिनियम, 1967

जायद इस दृष्टि का एक और मुख्य तौर अभी बाकी था। दिसम्बर 1967 में राजभाषा (संगोचन) विधेयक और गार्लियामेट में भाषा मन्त्री मंत्रालय को पेश करने की तैयारियां शुरू हुईं। यह बिल 7 दिसम्बर, 1967 ई. को संसद में पेश हुआ। *इसके अनुसार राजभाषा विधेयक, 1963 की धारा (3) में निम्न मुद्दाव रखा गया।

ये उपबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक उन सभी राज्यों की विधान-सभाएं, जिनकी सरकारी भाषा हिंदी नहीं है, अंग्रेजी को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित नहीं कर देतीं और उन प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त संसद भी अंग्रेजी के निषेध के लिए इसी प्रकार का प्रस्ताव पार नहीं कर देती।¹⁸

जहां तक बिल के साथ संलग्न मंत्रालय का मंत्रध है, इसमें निम्न सिफारिशें थीं :

- (i) हिंदी की प्रगति की रयनार को तेज किया जाय;
- (ii) संसद में हिंदी की प्रगति पर प्रतिवर्ष एक मूल्यांकन रिपोर्ट पेश होनी चाहिए;

*राजभाषा अधिनियम, 1963 [राजभाषा (संगोचन) अधिनियम, 1967 धारा 196- में संगोचन] तथा मन्त्रालय का विवरण इन अध्याय के अंत में पृष्ठ 78-84 पर देखिए।

- (iii) पढ़े भारतीय भाषाओं का तेज रफ्तार एवं समन्वित विकास सुनिश्चित करना चाहिए,
- (iv) राज्यों के परामर्श से केंद्र द्वारा निर्मित त्रिभाषा फार्मूला ठीक प्रकार में लागू किया जाना चाहिए,
- (v) ऐसा नियम बनाया जाए जिसके अनुसार मध्य की सेवाओं के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों के लिए हिंदी और अंग्रेजी की जानकारी अनिवार्य हो। इस संबंध में ऐसे पद अपवाद रहेंगे जिनके लिए केवल हिंदी अथवा केवल अंग्रेजी अथवा दोनों का उच्च ज्ञान वाञ्छनीय होगा, और
- (vi) ऐसी व्यवस्था की जाए कि मध्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं अंग्रेजी तथा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में अंकित सभी भाषाओं के माध्यम में होनी चाहिए।

विधेयक एवं प्रस्ताव पर मसद में काफी उत्तेजनापूर्ण बहस हुई। जब विधेयक और प्रस्ताव पेश किए गए तो मसद में इतना कोलाहल हुआ कि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था, और उपाध्यक्ष को यह आदेश देना पड़ा, “अब गृहमंत्री अपने भाषण की पुनरावृत्ति करेंगे।” तारकेश्वरी मिन्हा ने मसद के वानावरण का चित्र इन शब्दों में प्रस्तुत किया

“जून का दौर है किम-किस को जाए समझाने,
इधर भी अकल के दुश्मन, उधर भी दीवाने।”

प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा कि “1963 ई. का विधेयक सरकार की अक्षमता का और यह बिल सरकार की बदनीयती का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस बिल का आधार राष्ट्रीय हित न होकर मद्रास में कांग्रेस सरकार की रक्षा करना और कांग्रेस के कुछ वर्गों को मतुष्ट करना है।” गोविंद दास का कहना था कि “अंग्रेजी के संबंध में इस विधेयक में जो कुछ कहा गया है, भेरा यह अंदाज है कि इस विधेयक के अनुसार अगर काम चला तो इस देश में मसदा सर्वदा के लिए अंग्रेजी ही चलेगी।”¹⁹ सरकार की कथित हिंदी नीति के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए उन्होंने सरकार का अपनी पद्मभूषण की उपाधि लौटा दी।

हिंदी के पक्षपातियों का मत था कि यह बिल अहिंदी भाषी राज्यों को वीरों का अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि यदि एक भी राज्य हिंदी लागू करने का निर्णय न लेगा, तो अंग्रेजी प्रचलित रहेगी। इस आरोप का उत्तर देते हुए गृहमंत्री वाई वी चव्हाण ने कहा .

स्थिति ऐसी नहीं है। वस्तुतः इन सब बातों को शब्दशः कानूनी एवं विधिसम्मत तरीके से नहीं देखना चाहिए। इस विधेयक को पास करने के लिए पार्लियामेंट को कोई मजबूर नहीं कर रहा। जब संसद एक विधेयक सद्भावना के साथ स्वीकार कर रही है और वह भी इसलिए कि हम भली भाँति जानते हैं कि हमारे कुछ भाइयों को सदेह है और हम उन्हें पुनः विचार और हिंदी को अंगीकार करने का अवसर देना चाहते हैं, जब यह सब कुछ हम पूर्ण ज्ञान के साथ कर रहे हैं तो यह निषेधाधिकार नहीं है। यह तो दृष्टिकोण की बात है। यदि कुछ वर्षों के उपरांत देश में ऐसा विचार वनता है कि राष्ट्र किसी भारतीय भाषा को राजभाषा मानने के लिए तैयार है, और हमारे भाइयों के मन में कोई शक-ओ-शुबहा नहीं है, तो संसद इस विवेक के आधार पर बिना उनकी मंजूरी लिए इस विधेयक को पुनः बदल सकती है।^०

अंग्रेजी के हिमायती वर्ग ने विचाराधीन विल के स्थान पर संविधान में संशोधन की मांग रखी ताकि संसद सरलता से स्थिति को न बदल सके। अंग्रेजी और हिंदी के पक्ष में लगभग वही दलीलें प्रस्तुत की गईं, जो पूर्व अवसरों पर दी गई थीं। अंग्रेजी के पक्ष लेने वालों का कहना था कि जो रियायत विल द्वारा दी जा रही थी, प्रस्ताव द्वारा उसका निषेध किया जा रहा था। अतः विल और प्रस्ताव दोनों के लिए वोट पड़े, और दोनों पारित हो गए। जब विल के लिए वोट पड़े तो जनसंघ के तथा अन्य संसद सदस्य, जिन्होंने विल का विरोध किया था, सदन से बाहर चले गए, और जब प्रस्ताव पर मतदान शुरू हुआ तो अपना विरोध प्रकट करते हुए डी. एम. के. पार्टी के सदस्य तथा अंग्रेजी के हिमायती सभा त्यागकर बाहर चले गए। विल एवं प्रस्ताव से शायद दोनों गुटों के लाभ संतुलित रहे।

समाचारपत्रों की रिपोर्टें

समाचारपत्रों की स्वतंत्रता भारतीय जनतंत्र की आधारशिला रही है। आजादी से पहले और इसके बाद, समाचारपत्रों ने अपने समाचारों, निबंधों तथा संपादकीय लेखों द्वारा राष्ट्र के जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसलिए जब भाषा के मामले को लेकर देश में निर्णायक घटनाएं हो रही थी, तो यह जान लेना उपयुक्त होगा कि इस संबंध में पत्रों ने क्या लिखा। इस हेतु दिसंबर, 1967 ई. के 'दि हिंदू', मद्रास और 'हिंदुस्तान', नई दिल्ली के लेखों का संक्षिप्त एवं सरसरी मर्वेक्षण किया गया। प्रथम समाचारपत्र दक्षिण में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता है, और 1967 ई. में इसकी औसत विक्री

1,41,708 थी। द्वितीय पत्र उत्तर भारत से हिंदी में प्रकाशित होता है और तब इसकी औसत विक्री 85,000 थी।

भाषा के मामले पर इन दो खबरों ने कितना लिखा तथा कितनी रूचि दिखाई, इसका अनुमान निम्नलिखित सांख्यिकी में चल सकता है¹

रिपोर्टों का प्रकार	हिंदुस्तान (हिंदी)	दि हिंदू (अंग्रेजी)
1 भाषा समस्या के लिए कुल स्थान	9406 कालम में मी	5762 कालम में मी
2 समाचारों की संख्या	343	229
3 संपादकीय लेखों की संख्या	14	4
4 संपादकीय पृष्ठ पर निबंधों की संख्या	23	4
5 संपादक के नाम पाठकों के पत्र	15	32

इस प्रकार भाषा के विषय के लिए 'हिंदुस्तान' और 'दि हिंदू' ने क्रमशः 21 और 13 पृष्ठ दिए। स्थान के ऊपरलिखित विवरण के सिद्धांतों से पता चलता है कि प्रदर्शनों के आयोजन तथा ध्यान देने में राजनीतियों ने सर्वाधिक भूमिका अदा की।²

'दि हिंदू' के 'रिपोर्टों' के अनुसार, विद्यार्थियों द्वारा 49 हिंसात्मक कार्यवाहियां हुईं। उनका मोटा खाका इस प्रकार में है

हिंसात्मक घटनाएँ

विवरण	दिसंबर 1 से 17, दिसंबर 18 से 31,		कुल घटनाएँ
	1967 ई तक	1967 ई तक	
(क) उत्तर भारत में	16	7	23
(ख) दक्षिण भारत में	1	25	26
कुल	17	32	49

इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण में युवकों द्वारा लगभग बराबर संख्या में हिंसात्मक कार्यवाहियां हुईं। उत्तर में ये कार्यवाहियां प्रायः विधेयक के अंगीकार होने से

पूर्व हुई, जबकि दक्षिण में ये विधेयक के पारित होने के उपरांत, शायद प्रतिकार के रूप में।²³ उत्तर में विद्यार्थियों ने विल की 25 फुट ऊंची प्रतिमा तथा डाकखानों को धाग की नज़र कर दिया। दक्षिण में उन्होंने मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर हिंदी नामपट्ट उतार फेंके और कोचीन जाने वाली एक गाड़ी को जला दिया।

जनसंघ के एक सदस्य ने विल की एक प्रति को सभा कक्ष के अंदर जला दिया (दि हिंदू : दिसंबर 7, 1967 ई.)। उत्तरप्रदेश के दो मंत्रियों को तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया (दि हिंदू : दिसंबर 13, 1967 ई.)।²⁴

वस्तुतः मज्ज के अंदर अथवा बाहर मताघता तथा हिंसात्मक प्रवृत्ति किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी।²⁵

राजभाषा विधेयक, 1963 पर अपने भाषण में हिंदी के हिमायतियों के दुराग्रह की चर्चा करते हुए, फ्रैंक एंथनी ने कहा, "आज इतनी टोका-टाकी नहीं हो रही है, परंतु उस समय (1959 में जब अंग्रेजी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर चर्चा हो रही थी) नोची समझी, पहले से सोची समझी, टोका-टाकी चली थी। ममस्त वातावरण दुर्गन्धित था, और घृणा में भरपूर था।"²⁶

एंथनी के विल पर दिए गए वक्तव्य की समीक्षा करते हुए जवाहरलाल नेहरू का कहना था .

यह अफ़मोस की बात थी। मेरा सत्रेन उनके (एंथनी के) विचारों की ओर नहीं है, परंतु यह भाषण इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण था। क्योंकि, और जैसे कि उन्होंने अपनी तकरीर में स्वयं भी कहा, उनकी बात में उग्रवाद था; और मेरे विचार में उन्होंने 'कट्टरता' शब्द का भी प्रयोग किया। समस्या पर विचार करने का यह कोई तरीका नहीं है।²⁷

उपसंहार

इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान के पारित होने के पांच वर्ष के बाद भाषा का विवाद फिर खड़ा हो गया था। पहले तो यह भाषा आयोग (1955-56 ई.). संसदीय समिति (1957-59 ई.) तक ही सीमित था, परंतु शीघ्र ही यह विवाद संसद की चारदीवारी तक पहुंच गया। तदुपरांत इस विषय को लेकर देश के विभिन्न भागों में ज्वालान् घटक उठीं। जब भाषा के सवाल को लेकर यत्रतत्र जनमभाजों में भाषण हुए तो उन चर्चाओं में तर्क की अपेक्षा भावुकता और विवेक की अपेक्षा उग्रता अधिक थी। हर समय अंग्रेजी और हिंदी

के हिमायतियों के बीच द्वंद्व युद्ध में शक्ति परीक्षा होती रही। काफी प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए, हिंसा और प्रतिहिंसा की भी कार्यवाहियां हुईं जिनसे जान माल का भारी नुकसान हुआ। हिंदी और अंग्रेजी का झडा बुलंद करने वालों ने अपने अपने प्रदर्शन 'प्रभावशाली' बनाने में कोई कसर न छोड़ी और इस प्रक्रिया में काफ़ी राष्ट्रीय संपत्ति फूट दी गई।

अन्य कार्यों के अतिरिक्त भाषा आयोग के जिम्मे यह मुद्दा देना भी था कि किस प्रोग्राम के अनुसार सरकारी कार्य में हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले और राज्य के कामों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए। आयोग इन दोनों में से किसी भी कार्य को पूर्ण न कर सका। आयोग के अनुसार के पहला काम इसलिए न कर पाए क्योंकि इस सबंध में उनकी जरूरतों के लिए सरकार अपनी आधिकारिक संरचना को ध्यान में रखते हुए अपनी मिफारिशें उन्हे न दे सकी। जहां तक दूसरी विषयवस्तु का सबंध है, आयोग के सदस्य अंग्रेजी के इस्तेमाल पर किसी प्रकार की रोक लगाने के पक्ष में नहीं थे।

मसद्रीय समिति भी कोई समाधान तलाश न कर पाई। समिति की इस मिफारिश से कि मविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी सभ की राजभाषा बन जाने के बाद भी अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहे, समस्या का एक आयाम और बढ़ गया।

अप्रैल 1959 ई. में प्रैंक एयनी ने अंग्रेजी को मविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत किया। बाद में उन्होंने यह विन वापस ले लिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने मसद को यह आश्वासन दे दिया कि जब तक अहिंदी भाषी राज्यों की ऐसी इच्छा होगी, अंग्रेजी अतिरिक्त राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। स्पष्ट है कि हिंदी के पोषकों के लिए यह बहुत भारी क्षति थी।

1963 ई. में पार्लियामेंट ने राजभाषा विधेयक पास किया जिसके अनुसार हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी को 1965 ई. के बाद सभी सरकारी कामों में इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। हिंदी के हिमायतियों ने इसका बडा विरोध किया फिर भी बिल स्वीकृत हो गया। अंग्रेजी के हिमायती भी इस बिल में मनुष्ट न हुए क्योंकि 1965 ई. के बाद हिंदी सभ की मुख्य राजभाषा बन गई। इसलिए उन्होंने इस स्थिति पर अपना रोष प्रकट करने के लिए हिंसात्मक प्रदर्शन किए। इसके फलस्वरूप राजभाषा विधेयक, 1963 में संशोधन हुआ। 1967 ई. में मसद ने जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिए कानून बनाया, जिसके अनुसार यह स्वीकार किया गया कि अंग्रेजी का प्रचलन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी राज्यों के विधानमंडल और मसद के दोनों सदस्य अंग्रेजी को हटाने के लिए कानून पास न

कर दें।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इम विल के माय जो प्रस्ताव पाम हुआ उससे हिंदी के पक्ष को लाभ पहुंचा, परंतु अंग्रेजी के स्थान पर अंग्रेजी की स्थापना के लिए कोई समय मूची तैयार नहीं की गई।

इस प्रकार 1950 ई. में हिंदी को जो उपलब्धि हुई थी, 1967 ई. तक, वह दूषित हो चुकी थी, और फीकी पड़ गई थी। यहां हीरेन मुखर्जी की उम चैतावनी का स्मरण हो आता है जो उन्होंने 'अंग्रेजी के अनिश्चित काल तक चलते रहने' के संबंध में 1963 ई. में दी थी और जो चार वर्ष बाद ठीक उतरी। पुरुषोत्तम दाम टंडन और मेठ गोविंद दाम के उन भविष्यसूचक शब्दों की याद भी ताजा हो जाती है जिनमें उन्होंने कहा था कि 1967 ई. के विल में हिंदुस्तान में अंग्रेजी का प्रभुत्व सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। संविधान की इस धारा, जिनके अधीन हिंदी के पत्र के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न रहेगा, के संबंध में पुरुषोत्तम दास टंडन का कहना था कि: "प्रत्यक्ष है, तब हिंदी के इस्तेमाल की कोई संभावना नहीं है।"⁸ जो बात इन दो राजनीतिज्ञों ने कही थी, आज स्थिति लगभग वैसे ही है।

भाषा के सवाल पर भावोत्तेजनापूर्ण वक्तव्यों के आधार पर यह सोचना गलत होगा कि भारतीय जनता के किसी वर्ग में राष्ट्रीय प्रेम का अभाव है। भारतवासियों ने कई अवसरों पर, जब कभी देश पर सकट की स्थिति बनी, अपने राष्ट्रीय प्रेम और पारस्परिक एकता का मुप्रमाण दिया है। 1962 ई. में जब चीन के आक्रमण से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई अथवा 1965 ई. और 1971 ई. में जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किए तो देश का कोई भी वर्ग अधिकतम बलिदान करने में पीछे न रहा।

हिंदी के लिए यह एक दुर्भाग्य एवं निराशा की बात थी कि राजनीतिज्ञों की नई पीढ़ी की हिंदी के प्रति उस प्रकार की कोई प्रतिबद्धता नहीं थी जैसे कि आजादी के लिए लड़ने वाले पुराने राजनीतिज्ञों की। इसके विपरीत राजनीतिज्ञों की नई पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी हिंदी विरोधी नीति के कारण ही चुने गए थे।

हिंदी के गतिरोध का एक अन्य कारण यह भी था कि अहिंदी भाषियों की हिंदी भाषा की जानकारी का स्तर ऊंचा करने के हेतु सरकार और हिंदी प्रचारक संस्थाओं ने यथेष्ट व्यावहारिक कदम नहीं उठाए।

आज की स्थिति उपर्युक्त तथा अन्य कुछ कारणों का परिणाम है। इन्हीं के फलस्वरूप हिंदी और अंग्रेजी के बीच सींचातानी अभी तक जारी है। 17 मार्च, 1978 ई. को एम. डी. मोमसुदरम् ने लोकसभा में एक शौरमरकारी प्रस्ताव पेश किया जिसका आशय था कि नेहरू के आश्वासन पर फिर वहस की जाए,

और मंत्रिध्यान में यह समाहित किया जाए कि जब तक अहिंदी भाषी चाहे अंग्रेजी भारत की अतिरिक्त राजभाषा बनी रहगी। इस प्रश्न पर फिर विवाद आरंभ करने के लिए हमने अनिश्चित कोई उत्तेजनापूर्ण कारण नहीं था, कि मिवाय इस बात के कि कुछ लोगों के मन में यह भ्रम था कि उस समय की जनता पार्टी की सरकार भाषा के मामले में जवाहरलाल नेहरू और उनकी कांग्रेस सरकार के आग्रहों पर अमन नहीं करगी। 14 अप्रैल, 1979 ई. को गृहमंत्री ने संविधान के संशोधन की मांग को जम्बीवार करने हुए कहा कि जनता पार्टी की सरकार भाषानीति में जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांत का अनुसरण करगी, और उसका दक्षिणी राज्यों पर हिंदी थोपने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने विरोधी दलों के इस प्रचार की निंदा की कि जनता सरकार अहिंदी भाषी लोगों पर हिंदी लादना चाहती है। कुछ सदस्यों ने मांग की कि अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, परंतु प्रधानमंत्री ने इसे नामंजूर कर दिया। (दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, अप्रैल 24, 1978, पृष्ठ 3)

1959 ई., 1963 ई., 1967 ई. और 1978 ई. में पार्लियामेंट में भाषा संबंधी पक्ष किए गए बिल समस्या समाधान के मार्ग के मील पत्थर नहीं हैं, अपितु हिंदी-समर्थकों और हिंदी विरोधियों के पारस्परिक अविश्वास के सूचक हैं। इन कानूनों से संबंधित घटनाओं में एक मार्ग दर्शन यह मिलता है कि इस प्रकार के तथा अन्य विधेयक बनाने में लाभ की कुछ अधिक संभावना नहीं है। समस्या काफी विकट रूप धारण कर चुकी है, और कानूनों से इसका हल निकालना मुश्किल है। समस्या अर्थशास्त्र, राजनीति और लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ चुकी है। इस प्रश्न पर विभिन्न वर्गों के मन में पारस्परिक विश्वास के स्थान पर गांठें बंध चुकी हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि समाजशास्त्री, भाषाशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ और अन्य वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ इस समस्या के समाधान के लिए अपने ज्ञान का एकीकरण करें। समस्या को हल करने में जल्दबाजी करना या हममें अनाग्रह्यत्व बिलंब करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। यथायंवादी दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक योजना के दिना इस समस्या का समाधान मिलना कठिन है। ऐसी उपाय ढूँढ़ने होंगे जिनसे विरोधी गुटों के बीच अविश्वास का निराकरण हो, और परस्पर मद्भाव की स्थापना की जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पारस्परिक वार्ताओं, सम्मेलनों, जनसर्क माध्यमों द्वारा जनमाधरण को शिक्षित करने में काफी लाभ हो सकता है। राज्यों के बीच लोगों के अज्ञान को प्रोत्साहन देना होगा। अंतर्राज्यीय वैज्ञानिक, सामूहिक, शैक्षणिक और आर्थिक आदान प्रदान एवं सहमति से लोगों के बीच वर्तमान व्यवधानों को समाप्त करना होगा। ऐसे

प्रोग्रामों द्वारा हर राज्य के लोग दूसरे राज्यों की भाषा, इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों से परिचित हो सकेंगे। इस प्रकार के और भी अनेक उपाय मुझाए जा सकते हैं। इन सब का लक्ष्य यही है कि देश की एकता बनी रहे, और इसको प्रोत्साहन मिलता रहे। विभिन्न वर्गों के हितों की समान सुरक्षा बहुत जरूरी है। भाषा की आड़ लेकर यदि किसी वर्ग को अधिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, तो परिणाम, अनिवार्यत, घातक होंगे। भाषा के विषय पर कानूनी और राजनीतिक कलावाजी का प्रदर्शन हो चुका है। अब आवश्यकता इस बात की है कि समाजशास्त्रियों, भाषाशास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों को अवसर दिया जाए, और वे स्थिति में जूझे तथा समस्या का सर्वथा सही हल निकालें।

संदर्भ एवं टिप्पणियाँ

1. भारत, राजभाषा पर समन्वय समिति, 1957, रिपोर्ट, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, 1959 पृष्ठ 13
2. भारत, राजभाषा आयोग की रिपोर्ट, 1955-56, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, 1957, पृष्ठ 412
3. संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार, "भारत सरकार का समस्त अधिष्ठाता कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा", परंतु अनुच्छेद 74 (1) के अनुसार, अपने कार्य बहन में राष्ट्रपति के लिए एक रजिपरिपद होगी जिसके नेता होंगे प्रधानमंत्री इसलिए राष्ट्रपति का आदेश भारत सरकार की नीति का स्रोतक कहा जाता है
4. जो विधेयक सरकार नहीं, अपितु एक प्राइवेट सदस्य पेश करे, उन्हें गैरसरकारी बिल कहने हैं
5. फ्रैंक एयनो का कहना था कि देश में एकलौ इंडियन लोगों की संख्या 150,000 है। जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है
6. देखिए परिशिष्ट V और VI, इनमें विभिन्न विधानसभाओं में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के सम्मेलन की रूपरेखा मिल सकती है
7. भारत, लोकसभा, बहस, नई दिल्ली, लोकसभा मैकेटेरिएट, 1959, ग्रंथ 31, संख्या 61-65, मई 8, 1959, पृष्ठ 15967-68
8. भारत, लोकसभा, बहस, नई दिल्ली, लोकसभा मैकेटेरिएट, 1959, ग्रंथ 32, संख्या 1-10 अगस्त 7, 1959, पृष्ठ 1298-99
9. वही, पृष्ठ 1331.

- 10 भारत, लोकसभा बहस नई दिल्ली, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, 1963, प्रथ 17, सख्या 41
50 तीसरी प्रथमाला, अप्रैल 13 24, 1963 पृष्ठ 11633
- 11 वही, पृष्ठ 11731
- 12 वही पृष्ठ 11660
- 13 वही, पृष्ठ 11401
- 14 देखिए परिशिष्ट XI
- 15 भारत, लोकसभा बहस प्रथ 38 सख्या 1-10 फरवरी 18, 1965, नई दिल्ली, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, 1961, पृष्ठ 240
- 16 अनुच्छेद 210 (1) भाग XVII में कुछ भी लिखे रहने के बावजूद परंतु अनुच्छेद 348 के अधीन राज्य विधानसभाभा म कायवाही उनकी अपनी अपनी राजभाषा एवं राजभाषाओं प्रथवा हिंदी प्रथवा अंग्रेजी में चलाई जाएगी
- (2) यदि कोई विधानसभा कानून बनाकर प्रत्येक से कोई नियम निर्धारित न कर लेगी तो मविधान के पारम स पंद्रह वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरान्त इस अनुच्छेद का लागू करत समय 'अथवा अंग्रेजी में' शब्दों को विलुप्त माना जाएगा
- 17 भारत, लोकसभा, बहस, प्रथ 38, स 1 10, फरवरी 1965, पृष्ठ 265-269
- 18 भारत प्रसाधारण राजपत्र, जनवरी 8, 1968 नई दिल्ली, प्रकाशन मैनेजर, 1968, अधिनियम तथा सखल्य का पूरा विवरण इस अध्याय के अंत में भी देखिए
- 19 भारत, लोकसभा, बहस, नई दिल्ली, लोकसभा 1967 प्रथ 10, सख्या 11 20, निसबर 8, 1967 पृष्ठ 5785
- 20 भारत, लोकसभा, बहस, नई दिल्ली, लोकसभा 1967, प्रथ 11, दिसंबर 12-23, 1967
- 21 (i) श्रीमंत त्रिको की सख्याए 1966 की हैं दैनिक समाचारपत्र 'दि हिंदू' की वित्री सेक्षन से प्रकाशित होने वाले सभी पत्रों में सर्वाधिक थी
- (ii) उस समय लगभग 440 कॉलम मॉटीमोटर में समाचार का एक पृष्ठ बनता था, बाद में इस रचना को कुछ बदल दिया गया
- 22 देखिए परिशिष्ट
- 23 विधेयक और प्रस्ताव लोकसभा न 16 दिसंबर, 1967 का और राज्यसभा न 21 दिसंबर, 1967 को पारित किए थे तदुपरांत ये राष्ट्रपति की मजूरी के लिए भेजे गए थे
- 24 भाषा समस्या और इस संबंध में भारतीय समाचारपत्रों (जनसंप्रदाय) की भूमिका के विषय पर नाम करने से अनेक रोचक तथ्यों का पता चल सकता है
- 25 इस प्रकार के प्रदर्शनों का आयोजन थोड़ा बहुत अभी तक चल रहा है, जिससे उत्तर और दक्षिण के बीच राष्ट्रीय भावात्मक एकता को काफी क्षति पहुंची है भाषा के नाम पर 26 जनवरी, 1979 ई को तमिलनाडु राज्य के कुछ शहरों में यत्नतः तोड़फोड़ की कायवाहिया हुईं यह दिन भारत का गणराज्य दिवस है, परंतु राज्य के कुछ नगरों

में इसे हिंदी विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया, यद्यपि मुख्यमंत्री एम जा रामचंद्रन ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि जिन्होंने मद्रास में हिंदी विरोधी एक रैली का आयोजन किया, से अपील की कि वे कोई ऐसा कदम न उठाए जिसके कारण तमिलनाडु के लोगों को शर्म के मारे सिर झुकाना पड़े, परंतु इस बात का कोई अमर न हुआ मद्रास में काली कमीजें पहने और 'हिंदी मुर्दावाद' के नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला गया और इसकी प्रतिक्रिया में पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सघ तथा विहार नव-निर्माण समिति ने 'अंग्रेजी हटाओ' का एक सयुक्त आंदोलन शुरू कर दिया। तमिलनाडु में कुछ स्थानों, वसों एवं गाड़ियों पर हिंदी में लिखे नामपट्टों को पीत दिया गया, और कुछ एक को उतार फेंक दिया गया। यह भी माग की गई कि पोस्टकार्डों, मनिआर्डर-फार्मों तथा बैंकों के चैकों पर हिंदी का प्रयोग खत्म कर दिया जाए। इसके एक सप्ताह बाद तमिलनाडु विधान सभा ने नेहरू के आश्वासन को संविधान में दर्ज करने के लिए एक प्रस्ताव पर व्हस की। (देखिए - दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, जनवरी 26, 1979 ई. ; दि हिंदू, मद्रास, अंतर्राष्ट्रीय सस्करण, फरवरी 3, 1979 ई. और नमुद्रपार के दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, फरवरी 8, 1979 ई.)

26 भारत, लोकसभा, व्हस, नई दिल्ली, लोकसभा मेन्टेनेंस, 1959, ग्रंथ 17, सख्या 41-50, अप्रैल 13-24, 1963, पृष्ठ 11476,

27. वही, पृष्ठ 11634.

28 .भारत, संविधानसभा, व्हम, नई दिल्ली, संविधान सभा, 1949, ग्रंथ 9, पृष्ठ 1443

राजभाषा अधिनियम, 1963

[राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 द्वारा 1967 में संशोधित]

उन भाषायों का, जो मघ के राजकीय प्रयोजनों समूह में राज्य व संघ के केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कनिष्ठ प्रयोजना के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उल्लेख करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा ।

(2) धारा 3, जनवरी 1965 ई व 26वें दिन से प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के लिए उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2 परिभाषाएं इस अधिनियम में, तब तक कि प्रयोग में अन्यथा अपक्षित न हो,

(क) 'नियत दिन' में, धारा 3 के संघ में, जनवरी, 1965 ई का 26वा दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन वह उपबंध प्रवृत्त होता है ।

(ख) 'हिंदी' में वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी निधि देवनागरी है ।

3 मघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना (1) मंत्रिपरिषद के प्रारंभ में पंद्रह वर्ष की मालावधि के समाप्त हो जाने पर भी, हिंदी के अनिश्चित अंग्रेजी भाषा नियत दिन में ही

(क) मघ के उन राजकीय प्रयोजनों के लिए जिन्हें लिए वह उस दिन में ठीक पहले प्रयोग में लाई जानी थी, तथा

(ख) संसद में कार्य के व्यवहार के लिए, प्रयोग में लाई जानी रह सकेगी

परंतु मघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी

परंतु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजन के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथसाथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा :

परंतु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, सध के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा,

- (i) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच;
- (ii) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच;
- (iii) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच;

प्रयोग में लाई जाती है जहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त सवधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या निगम या कंपनी का कर्मचारीवृंद हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही,

- (i) सकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनो या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं,

- (ii) समद के किसी सदन या सदनों के ममक्ष रत्ने गए प्रशामनिक तथा प्रतिवेदनो और राजकीय वागज पत्रो के लिए,
- (iii) केंद्रीय सरकार या उसके किसी मन्त्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में के किसी नियम या कपनी द्वारा या ऐसे निगम या कपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित मविदाओ जीर धरारो के लिए तथा निकाानी गर्ट अनुज्ञप्तियो, अनुज्ञापत्रो सूचनाओ जीर निविदा प्ररूपा के लिए

प्रयोग में लाई जाएगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबधो पर प्रतिकून प्रभाव डाने बिना यह है कि केंद्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमो द्वारा उस भाषा या उन भाषाओ का उपबध कर मकेगी जिसे या जिन्हें मध के राजकीय प्रयोजनो के लिए, जिसके अतर्गत किसी मन्त्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनान में राजकीय भाषा के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जनमाधारण के हितो का मय्यक् ध्यान रखा जाएगा और उस प्रकार बनाए गए नियम निशिष्टतया यह मुनिश्चित करेगे कि जो व्यक्ति मध के कार्यकलाप के मवध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप में अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओ में प्रवीण नहीं हैं, उनका कोई अहित नहीं होगा है।

(5) उपधारा (1) के खड (क) के उपबध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबध तत्र तत्र प्रवृत्त वा रहेगे जब तक उनमें वर्णित प्रयाजना के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलो द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, मकल्प पारित नहीं कर दिए जाने और जब तक पूर्वोक्त मकल्पों पर विचार कर देने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए समद के हर एक सदन द्वारा मकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

4 राजभाषा के सबध में समिति (1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उसमें दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राजभाषा के मवध में एक समिति, इस विषय का मकल्प समद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूरी मजूरी में प्रस्तावित और दोनो द्वारा पारित किए जान पर, गठित की जाएगी।

(2) इस समिति में तीन सदस्य होंगे जिनमें में दोन लोकमभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो ममक्ष लोकमभा के सदस्यो तथा

राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह सब के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर मिफ़ारिजें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उम प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उम ममस्त प्रतिवेदन के या उसके किमी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा :

परंतु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबंधों में असंगत नहीं होंगे।

5. केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद : (1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित :

(क) किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का; अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किमी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का; हिंदी में अनुवाद उमका हिंदी में प्राधिकृत पाठ ममज्ञा जाएगा;

(2) नियत दिन में ही उन सब विधेयकों के, जो मंडल के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके सबध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथसाथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद : जहां किमी राज्य के विधानमंडल ने उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उम राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उमका हिंदी अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया

जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी अनुवाद हिंदी भाषा में उमका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

7 उच्च न्यायालयों के निर्णय आदि में हिंदी या अंग्रेजी राजभाषा का बंक्लिपक प्रयोग नियत दिन में ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन में किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्वसम्मति से अंग्रेजी भाषा के अनिश्चित हिंदी या उम राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा में भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जा सकता है वहां उमके साथसाथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार में निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उमका अनुवाद भी होगा ।

8 नियम बनाने की शक्ति (1) केंद्रीय सरकार इन अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम बनाए जाने के पश्चात् यथासमय शीघ्र समद के हर एक सदन के समक्ष, उम समय जब वह मंत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए जो एक मंत्र में या दो त्रम-वर्ती मंत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उम मंत्र के जिनमें वह ऐसे रखा गया हो या ठीक पश्चात्वर्ती मंत्र के अवमान के पूर्व दोनों सदन उम नियम में कोई उपांतर करने के लिए महमत हो जाए या दोनों सदन सहमत हा जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह नियम ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावशाली होगा या उमका कोई भी प्रभाव न होगा किंतु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपांतर या वातितकरण उस नियम के अधीन पहने की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

9 कतिपय उपबधों का जम्मू और कश्मीर पर लागू न होना धारा 6 और धारा 7 के उपबध जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू न होंगे ।

(स 5-8-65-राजभाषा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली-1, दिनांक 18 जनवरी, 1968, 28 पौष, 1889)

सकल्प

समद के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित सरकारी सकल्प आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है

1 "जबकि सविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार सघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि

करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक सभ्यता के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है; यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग के हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी, और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

2. जबकि सविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए,

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास के हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग में एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3. जबकि एकता की भावना के सर्वांगीण तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा के हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए,

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में, हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उन सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए।

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परिचायन किया जाए; यह सभा संकल्प करती है :

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी

किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के मतोपजनक निष्पादन के हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, सघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा, और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया सबधी पहलुओं एवं समय के दिपय में सघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अन्विल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं सबधी परीक्षाओं के लिए मन्विधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।

आर डी घापर

सयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सक्त्य की प्रति सभी राज्य सरकारों, सघ राज्य क्षेत्रों तथा सरकार के मन्त्रालयों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस सक्त्य को भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

राजनीतिक दल एवं भाषा नीति

संसदीय लोकतंत्र में किसी भी समस्या का अध्ययन राजनीतिक दलों को अछूता रखकर नहीं किया जा सकता। भाषा की समस्या के प्रसंग में यह बात और भी सत्य है, क्योंकि यह प्रश्न जनसमूह की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भारत में राष्ट्रीय, राज्यीय एवं स्थानीय स्तर पर अनेक राजनीतिक दल हैं, परंतु इस अध्याय में केवल उन्हीं कुछ पार्टियों का वर्णन किया गया है जिनके 1977 ई. के आम चुनाव से पूर्व लोकसभा में कम से कम पंद्रह सदस्य थे। जनता पार्टी दल का भी जिक्र किया गया है, जिसने 1977 के निर्वाचन के बाद केंद्र में सरकार बनाई जो 1980 ई. के शुरू में हुए निर्वाचन पूर्व तक रही। इन पार्टियों के नाम इस प्रकार हैं :

दि इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ; दि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माक्सवादी) अर्थात् मार्क्सवादी साम्यवादी दल ; दि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (सी. पी. आई.) अर्थात् भारतीय साम्यवादी पार्टी ; जनसंघ ; द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और जनता पार्टी ।¹

कांग्रेस :

कांग्रेस पार्टी की नीतियों के निर्माण में महात्मा गांधी और फिर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसलिए भाषा के प्रश्न पर कांग्रेस की नीतियों को समझने के लिए उनके विचारों की जानकारी प्राप्त करना लाभप्रद होगा।

1909 ई. में गांधी जी ने लिखा था - "जितनी शक्ति हम अंग्रेजी सीखने में लगाते हैं यदि इमसे वाघी भी हम भारतीय भाषाओं के सीखने में लगाएं तो देश का वातावरण बदल जाएगा और काफी उन्नति हो मकेगी। अंग्रेजी के मुकाबले में भारतीय भाषाओं के प्रति गांधी जी में यह अभिरुचि अंत तक

बनी रही। अपनी मृत्यु 30 जनवरी, 1948 ई के कुछ मास पूर्व, 11 सितंबर, 1947 ई के 'हरिजन' पत्र में उन्होंने लिखा था

प्रानीय भाषाओं के प्रतिष्ठापन में एक एक दिन का विलंब देश के लिए सांस्कृतिक हानि है यह कहना कि कुछ वर्षों तक न्यायालयों, स्कूलों और दफ्तरों की भाषा नहीं बदली जा सकती, मानसिक आलस्य का प्रमाण देना है। मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार सफलता के साथ हमने अंग्रेज़ अपहारी का राजनीति से बाहर निकाला, उसी प्रकार उसकी भाषा का सांस्कृतिक अपहारी के रूप में अपने देश से निर्वासित कर दें।

'भाषा का प्रश्न' शीर्षक में 21 अगस्त, 1937 ई के 'हरिजन' में प्रकाशित निबंध में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था

मजीब भाषा में एक प्रकार का स्पन्द, मजीब परिवर्तनशीलता और गतिशीलता होती है। भाषा सदा विकसित होती रहती है और अपने बोलने वालों का दर्पण होती है। इसकी अधिरोचना भंग ही थोड़े-थोड़े चुने हुए लोगों की सस्कृति को प्रतिबिम्बित करे, परन्तु इसकी नींव आम जनता में होती है। हमारी विकसित प्रानीय भाषाएँ बोलियों के स्तर पर नहीं हैं जत ये भाषाएँ हमारी शिक्षाप्रणाली और सरकारी काम का आधार होनी चाहिए केवल हिंदुस्तानी ही अखिर भारतीय भाषा बन सकती है।

1925 ई में पूर्व कांग्रेस पार्टी का काय मुख्यतया अंग्रेज़ी में होना था। 1925 ई में कांग्रेस ने अपने संविधान की धारा 33 को संशोधित करके उसे निम्न रूप दिया

यथासंभव कांग्रेस की कार्यवाही हिंदुस्तानी के माध्यम से चलाई जाएगी और अंग्रेज़ी अथवा प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग तभी किया जाएगा जब तक हिंदुस्तानी बोलने में असमर्थ हो, या जब ऐसा करना जरूरी हो। साधारणतया राज्याध्यक्ष समितियों का काम संबंधित प्रांतीय भाषा में ही चलाया जाएगा। हिंदुस्तानी का दस्तमान भी किया जा सकता है।³

1950 ई में जब देश का संविधान पारित हुआ गया, तो कांग्रेस पार्टी ने

‘हिंदुस्तानी’ शब्द के स्थान पर हिंदी शब्द रख दिया, और भारतीय भाषाओं को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने की अपनी नीति को कायम रखा। 17 मई, 1953 ई. को कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने यह प्रस्ताव पास किया, “राष्ट्रीय भाषा होने के नाते हिंदी को समर्थन मिलना चाहिए, परन्तु इसके साथ प्रांतीय भाषाओं को भी अपने अपने क्षेत्र में प्रेरणा दी जानी चाहिए। राज्यों में काम सामान्यतया इन्हीं के माध्यम से चलाया जाए।” उसी प्रस्ताव में कार्य समिति ने उर्दू को बढ़ावा देने की मिफारिश करते हुए कहा : “यह स्पष्ट रखना चाहिए कि उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है और भारत के काफ़ी लोग इसमें लिखते हैं।”

15 अप्रैल, 1954 ई. को कांग्रेस पार्टी ने यह प्रस्ताव पास किया कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से ही दी जाए, माध्यमिक स्कूलों में हिंदी अनिवार्य विषय हों, और उच्च शिक्षा यद्यपि सामान्यतया क्षेत्रीय भाषा में दी जाए, परन्तु अध्यापकों को हिंदी के माध्यम से यदाकदा अंग्रेज़ी द्वारा पढ़ाने की छूट होनी चाहिए। ऐसा अनुमान था कि इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा और सक्रांति काल में शिक्षा का स्तर भी नहीं गिरेगा। उसी वर्ष कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया :

धीरे धीरे वसूल भारतीय सेवाओं की परीक्षाएं हिंदी, अंग्रेज़ी और मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं में ली जाएं और परीक्षार्थी को अपनी इच्छानुसार इसमें से किसी भी भाषा को चुनने का अधिकार हो। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के लिए हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा चुनता है तो उसे अलग से अंग्रेज़ी में भी सफलता प्राप्त करनी चाहिए। यदि किसी प्रत्यागी ने हिंदी में परीक्षा पास न कर रखी हो, तो उसके लिए हिंदी की परीक्षा पान करना अनिवार्य होना चाहिए।”

इन प्रकार कांग्रेस पार्टी सदैव इन बातों का समर्थन करती रही कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए, हिंदी का हिंदुस्तानी स्वरूप भारत की राष्ट्रभाषा बने और अंग्रेज़ी का प्रयोग राष्ट्रीय जीवन में कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाए। इसलिए राजभाषा विधेयक, 1963 और राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1967 का संमन्वय द्वारा ऐसे समय जबकि केंद्र में कांग्रेस सरकार मन्तारुद्ध थी, पास होना एक विरोधी स्थिति को सामने लाता है।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) :

साम्यवादी (मार्क्सिस्ट) दल सभी भाषाओं के लिए बराबरी के दर्जे की घोषणा

करता रहा है। इस दल के अनुसार हिंदी को किसी प्रकार तरजीह नहीं मिलनी चाहिए। केंद्र में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी और राज्यों में अंग्रेजी के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं को लाने का काम एकसाथ होना चाहिए, और इस काम के लिए राज्यों को केंद्रीय सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। यदि 1976 ई की लोकसभा की सदस्यता का स्वरूप (देखिए परिशिष्ट XIII) से पार्टों की व्यापक सदस्यता का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, तो यह कहना होगा कि पार्टों हिमायत के लिए पूरी तरह से अहिंदी भाषी राज्यों पर निर्भर रही है। शायद इसी कारण दल का दृष्टिकोण हिंदी के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण न रहा हो।

पार्टों की मांगें इस प्रकार रही हैं बच्चों और युवकों को मातृभाषा के माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, राज्य के प्रशासन के लिए प्रांत की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, सभी विधेयकों, सरकारी आदेशों और प्रस्तावों का राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए और उर्दू एक इसकी लिपि की रक्षा हानी चाहिए।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

साम्यवादी दल की राष्ट्रीय परिषद न अप्रैल, 1965 ई में निश्चित शब्दों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी लाने की अत्यावश्यकता पर बल देने हुए घोषणा की

जनमाधारण को सक्रिय संग सहयोग के जरिए, भारतीय लोकतंत्र और सामूहिक जीवन के विकास की गारंटी के लिए अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं की स्थापना करना अपरिहार्य है। साम्यवादी दल का यह भी मत है कि अतंतोगत्वा केंद्र और राज्यों के बीच और विभिन्न राज्यों के बीच पारस्परिक पत्र-व्यवहार के लिए अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी लाना जरूरी है।

इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि हिंदी को राजकीय मपक भाषा बनाया जाए अथवा नहीं, प्रश्न यह है कि इस अनिवार्य लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए।

दल का सुझाव था कि भाषा समस्या के हल की ओर ठीक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं का समान विकास के लिए अवसर दिया जाए और हिंदी को अखिल भारतीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। दल ने उर्दू के संरक्षण की भी सिफारिश की।

जनसंघ :

वर्तमान शताब्दी के सातवें दशक में जनसंघ⁶ अधिक सशक्त होने लगा। 1961 ई. के चुनावों के समय जनसंघ ने घोषणा की थी कि यदि उसे सरकार बनाने का अवसर मिलेगा तो वह हिंदी को राजभाषा बनाएगा, स्कूलों में हिंदी पढ़ना जरूरी हो जाएगा और शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रम में संस्कृत अनिवार्य भाषा के रूप में नियत हो जाएगी।

1967 ई. के चुनावों के समय अपने घोषणापत्र में जनसंघ ने लोगों को बतलाया कि उसकी नीति यह है कि संस्कृत को देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए, और विशेष महत्त्व के सभी अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाए, सरकारी काम के लिए केंद्र में हिंदी और राज्यों में राज्यीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए और कर्मचारियों को दस साल तक अंग्रेजी के इस्तेमाल करने की छूट होनी चाहिए।

1971 ई. में जनसंघ की भाषा नीति में एक और परिवर्तन हुआ। इसने अपनी नीति संबंधी घोषणापत्र में बताया कि अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं की स्थापना की जाए, आगामी पांच वर्षों में हिंदी को देश की संपर्क भाषा बना दिया जाए। इसने उर्दू के लिए देवनागरी लिपि की सिफारिश की क्योंकि उर्दू हिंदी की केवल एक शैली मात्र है।

द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम :

1967 ई. के अपने घोषणापत्र में डी. एम. के. ने कहा था कि वह हिंदी के शासन का विरोध करेगी, तमिल के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेगी, और जोरदार आग्रह करेगी कि जत्र तक तमिल और शेष चौदह राष्ट्रीय भाषाएँ राजभाषा स्वीकार नहीं हो जाती, अंग्रेजी का पद यथापूर्व बना रहे। डी. एम. के. केवल तमिलनाडु तक सीमित राजनीतिक पार्टी है, इस कारण भाषा के सवाल पर उसकी इस प्रकार की घोषणाओं की वजह समझ में आ सकती है। पहली अगस्त, 1981 ई. को अर्थात् सातवीं लोकसभा में विभिन्न पार्टियों की स्थिति के अवलोकन से इस कथन की ओर भी पुष्टि हो जाती है कि डी. एम. के. एक क्षेत्रीय पार्टी है। इस पार्टी के लोकसभा के सभी 16 सदस्यों का चुनाव तमिलनाडु से ही हुआ।

जनता पार्टी :

जनता पार्टी का राजनीतिक दल के रूप में जन्म 1977 ई. के आम चुनावों के अवसर पर हुआ। पार्टी के लोक घोषणापत्र में भाषा के प्रश्न का कोई जिक्र नहीं था। उसके निर्वाचन घोषणापत्र में बल नागरिक स्वतंत्रता पर दिया गया

था। शायद पार्टी न राजनीतिक मत्ता प्राप्त करने के मसूब के लिए भाषा के विस्फोटक मामल को उम समय न छूना ही ठीक समझा हा। जनता पार्टी की विभिन्न मगठन इकाइयो, अर्थात काग्रेस (आ), जनगघ और समाजवादी दल के भाषा के प्रश्न पर जनग अलग वायद थे। उदाहरणार्थ, यद्यपि काग्रेस (ओ) के विशिष्ट नेता मागारजी देसाई, जा 1977 ई के आम चुनावो के बाद जनता पार्टी के नेता चुने गए और देश क प्रधानमंत्री बने, हमेशा हिंदी के प्रमुख ममथक माने जात रह, तथापि काग्रेस (ओ) की भाषा नीति काग्रेस क दूसरे दल मे जिनके हाथ मे छटे आम चुनावो मे पहले दश के शासन की वागडोर थी, अलग नही थी। 1969 ई तक काग्रेस (आ) का कोई अलग अस्तित्व नही था।

जनसघ की नीति हिंदी के पक्ष मे मानी जाती है। बीमवी शताब्दी के मातवे दशक के आरभ मे समाजवादी दल न 'अंग्रेजी हटाओ' आदोलन शुरू किया था। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओ न सरकार बनाने के बाद भाषा ममस्या मबधी जा बयान दिए, उनमे भी उनके इस मामले मे परस्पर विभिन्न मनो का पता चलता है। भाषा के प्रश्न पर दल की मम्मिलित नीति अभी तय भी नही हुई थी कि 1979 ई मे पार्टी दो हिस्सो मे बट गई, और शासन की वागडोर जनता पार्टी के उम बग के हाथो मे आ गई जिनने अपना नाम 'लोकदल' निश्चित किया। जनता पार्टी अथवा लोकदल की कोई भाषा नीति जनता के ममक्ष आने से पूर्व मानवे आम चुनावो मे दोनो पार्टिया हार गई और 1980 ई के आरभ मे काग्रेस (इ) पुन मत्तासूढ हो गई।

अंग्रेजी के हिमायनियो का विचार था कि जनता पार्टी हिंदी का बटूर ममथन करेगी। उनका यह मदेह शायद निम्नलिखित वातो पर आधारित था। तत्कालीन जनता पार्टी के नेता मोरारजी देसाई कभी भी अंग्रेजी के ममथक नही थे। जब के बर्डे के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि केवल एगो इंडियन त्रिद्याथियो का अंग्रेजी के माध्यम से पढाया जाएगा। दूसरा, जनता पार्टी के बहुत से सदस्य या तो पहेले जनसघ मे थे या उन राजनीतिक पार्टियो के सदस्य थे जो मदा हिंदी की समर्थक रही। इसके अनिरिक्त जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए अधिनाश (299 मे से 221) प्रनिनिधि उत्तर भारत के हिंदी भाषा भाषी प्रातो से सबध रखते थे (देविए परिशिष्ट XIII—बिबरण II)। हिंदी प्रातो तथा मघ गज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए लोक-मभा की कुन सीटो तथा इनके लिए 1977 ई मे चुने गए जनता पार्टी के सदस्यो की मध्या इम प्रकार थी

जनता पार्टी की भाषा नीति पर प्रकाश डालने हुए 14 अप्रैल, 1978 ई को लोकमभा मे गृहमंत्री ने कहा कि सभी भारतीय भाषाओ को समान प्रोत्साहन दिया जाएगा। अपने बयान मे उन्होंने कहा कि जनता सरकार जवाहरलाल

1977 ई. के चुनावों में हिंदी क्षेत्रों से चुने गए
जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या

क्रमांक	राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लोकसभा की कुल सीटें	जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य
1.	बिहार	54	54
2.	हरियाणा	10	10
3.	हिमाचल प्रदेश	4	3
4.	मध्यप्रदेश	40	37
5.	राजस्थान	25	25
6.	उत्तरप्रदेश	85	85
7.	दिल्ली	7	7
	कुल	225	221

नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासन का पालन करेगी और सरकार का अहिंदी भाषा भाषी लोगों पर हिंदी थोपने का कोई इरादा नहीं है। उनका यह भी कहना था कि इसलिए "हम हिंदी को राष्ट्रभाषा की मंजा न देकर राजभाषा की मंजा दे रहे हैं।" 23 अप्रैल, 1978 ई. को नई दिल्ली में पचासवें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बताया कि राज्यों में सरकारी कार्य क्षेत्रीय भाषाओं में चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता बनाए रखने में भारतीय भाषाएं महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो भाषा को हीआ बना देते हैं। उनके अनुसार ऐसे लोग रचनात्मक कार्य में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने साहित्यिक रचयिताओं का विभिन्न भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने के लिए आह्वान किया।"

उपसंहार

ऐसा दिखाई पड़ता है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की भाषा नीति कुछ हद तक अपनी सदस्यता के ढांचे के साथ जुड़ी रही है। संसदीय लोकतंत्र में ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि वोट प्राप्त करने के लिए राजनीतिज्ञों को अपने मतदाताओं की इच्छाओं के अनुसार काम करना होता है। निम्न विवरण, जिसमें लोकसभा में विभिन्न पार्टियों की कुल सदस्यता की बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और दिल्ली हिंदी भाषी

क्षेत्रों में चुने गए सदस्यों की गिनती से तुलना की गई है, इस कथन को स्पष्ट कर देगा। (प्रत्येक राज्य में पार्टी अनुसार विवरण के लिए देखिए परिशिष्ट XIII)

1976 ई में राजनीतिक दलों की लोकसभा में कुल सदस्यता
तथा हिंदी क्षेत्रों से सदस्यता की तुलना

क्रमांक	राजनीतिक दल	लोकसभा में कुल सदस्य	हिंदी भाषी क्षेत्रों से सदस्य
1	कांग्रेस	349	158
2	सी पी आर्द (एम)	26	5
3	सी पी आई	24	10
4	जनसघ	18	18
5	डी एम के	16	—

कांग्रेस और महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल जैने नेता एक समय हिंदी के लिए राष्ट्रीय पद देने के पक्ष में थे परंतु छठे दशक के मध्य के बाद कांग्रेस पार्टी की स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है। भाषा (मशोधन) विधेयक, 1967, जो कांग्रेस सरकार ने प्रस्तुत किया था, और जिसे अनुसार अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक बने रहने की छूट मिल गई थी, कांग्रेस पार्टी की भाषा नीति में विशेष परिवर्तन का द्योतक है। 1963 ई और 1967 ई की लोकसभा में हुई बहसों (अध्याय III) को पढ़ने में नजर आएगा कि केवल कांग्रेस पार्टी के ही नहीं अपितु साम्यवादी दल के रक्षक में भी परिवर्तन आ गया। इसका कारण यह भी हो सकता है कि दोनों दलों के लगभग आधे सदस्य हिंदी भाषी क्षेत्रों से थे, और आधे अहिंदी भाषी क्षेत्रों से।

डी एम के के सभी सदस्य तमिलनाडु (अहिंदी भाषी राज्य) में चुनकर आए थे, और जनसघ के हिंदी भाषी राज्यों में। इसलिए भाषा के प्रश्न पर उनकी स्थिति क्रमशः हिंदी के विपक्ष और पक्ष में थी, यद्यपि जनसघ की स्थिति डी एम के की स्थिति की तरह कठोर नहीं रही।

जनसघ की नीति में नमी का एक कारण यह भी हो सकता है कि 1967 ई के आम चुनावों के बाद जनसघ को अखिल भारतीय पार्टी बनने की उत्सुकता-वश और इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए अहिंदी भाषी लोगों के वोट प्राप्त करना आवश्यक था।

सी पी आई (एम) के अधिकांश सदस्य अहिंदी भाषी राज्यों में चुने गए थे, शायद इसीलिए यह देखने में आता है कि हिंदी को इस दल का समर्थन प्राप्त नहीं था।

दिनांक 1 अगस्त, 1981 ई. को सातवी लोकसभा में हिंदी भाषी एवं अहिंदी भाषी राज्यों में दलों की स्थिति इस प्रकार थी। (देखिए : परिशिष्ट 13, विवरण-3)

1 अगस्त, 1981 ई. की दलों की स्थिति

क्र. सं.	राजनीतिक दल	हिंदी भाषी राज्यों के सदस्य	अहिंदी भाषी राज्यों के सदस्य	कुल
1.	कांग्रेस (आई)	146	206	352
2.	सी. पी. आई.	6	6	12
3.	सी. पी. आई. (एम)	—	36	36
4.	लोकदल	32	1	33
5.	कांग्रेस (अ)	7	5	12
6.	डी. एम. के.	—	16	16
7.	जनता	4	8	12

हिंदी राज्यों से आए हुए कांग्रेस (आई) सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से भी कम है, क्योंकि छठी लोकसभा के चुनाव में हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस (आई) की स्थिति बहुत कमजोर पड़ गई थी। सदस्यता के उपर्युक्त आंकड़े भाषा समस्या के समाधान में सहायक नहीं हो सकते जब तक कि इस संबंध में विशेष कदम न उठाए जाएं।

विभिन्न राजनीतिक दलों के कई वर्षों के चुनाव घोषणापत्रों तथा उनके द्वारा पास किए गए प्रस्तावों के अवलोकन से इन दलों की भाषा नीति में परिवर्तन सुस्पष्ट हो जाता है। इस स्थिति-परिवर्तन को आदर्श का अभाव या स्थिति की वास्तविकता के साथ समन्वय कहा जा सकता है अथवा दोनों का मिश्रण। यह स्थिति-परिवर्तन कांग्रेस, सी. पी. आई. और जनसंघ के संबंध में अधिक सुस्पष्ट है। 1953 ई. में कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहा, 1958 ई. में सी. पी. आई. ने अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक बनाए रखने का कड़ा विरोध किया।¹⁰ 1962 ई. में जनसंघ हिंदी और संस्कृत को शिक्षा मंत्रियों में अनिवार्य रूप से पढाए जाने के लिए बचनबद्ध था, परंतु ये सभी दल बाद में अपनी अपनी स्थिति से हट गए।

सभी पार्टियां क्षेत्रीय भाषाओं के उत्थान की पुष्टि करती रही हैं। डी. एम. के. और सी. पी. आई. (एम) जैसी पार्टियों ने हिंदी को किसी भी

प्रकार की तरजीह देना का विरोध किया है। अन्य पार्टियाँ ने हिंदी को मध्य की भाषा के नाम से विशेष सुविधाएँ दिए जाने का समर्थन किया है।

कुछ राजनीतिक पार्टियों का यह आग्रह कि हिंदी को विशेष समर्थन न दिया जाए, थोड़ा आश्चर्यजनक है। किसी भी क्षेत्रीय भाषा के विकास की अवहेलना पर जनता का स्फट होना स्वाभाविक होगा, परन्तु राष्ट्रीय राष्ट्रियताओं की पूर्ति के लिए मध्य की भाषा की उपयुक्त वृद्धि में, विशेषकर जब मानव जीवन का हर पहलू द्रुतगति में उन्नतशील होता जा रहा है, किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए।

यद्यपि सभी राजनीतिक दल क्षेत्रीय भाषाओं के परिवर्द्धन की बात उठाते रहे हैं, परन्तु इसके लिए काम करने की बात तो अलग, किसी भी पार्टी ने इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम तक नहीं सुझाया। यदि कुछ राजनीतिक पार्टियाँ यह सोचती हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए किसी प्रकार का रचनात्मक प्रोग्राम हाथ में लेना उनके कार्यक्षेत्र के बाहर है, तो वह बात अलग है, अथवा उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि भाषा के नाम पर केवल नारे लगाने से भारतीय भाषाएँ आगे नहीं बढ़ पाएँगी। अभी तक भाषा के मामले में आम धारणा यह है कि क्षेत्रीय भाषाओं की बात उतनी उतके उत्थान के लिए नहीं उठाई जानी जितनी राजनीति का क्षेत्र क्षेत्र के लिए उठाई जाती है, या हिंदी की प्रगति की राह में अवरोध डालने के लिए।

देश में भाषा समस्या की मौजूदा स्थिति का अवलोकन करने में शायद कई भी व्यक्ति इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि हिंदी विरोधी पार्टियाँ अपने मतव्य की पूर्ति में सफल रही हैं, जबकि हिंदी के समर्थक प्रायः समझौते की नीति अपनाते रहे हैं। आज मविधान के अनुसार हिंदी हिंदुस्तान की मुख्य राजभाषा है, परन्तु निश्चित रूप में इसे मुख्य स्थान दिवाने के लिए योजनाबद्ध योजनात्मक कार्यक्रम का अभाव दिखाई देता है।

संदर्भ एवं टिप्पणियाँ

1. दक्षिण परिशिष्ट XIII
2. भारत कुभारमगलय, 10म, इंडिया के लघुएवं प्राथमिक—एन इ. डा. इ. स्टो, मद्रास, 'यू. सी. सी. बुक हाउस, 1965, पृष्ठ 9
3. वही, पृष्ठ 11-12

4. भारत, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस बुलिटिन, मई 1953
5. भारत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस बुलिटिन, अप्रैल, 1954.
6. जनसंघ 1977 में जनता पार्टी में विलीन हो गया
7. देखिए : परिशिष्ट XIII, विवरण i.
8. दि टाइम्स ऑफ इंडिया (दैनिक), नई दिल्ली, अप्रैल 15, 1978, पृष्ठ 11
9. दि टाइम्स ऑफ इंडिया (दैनिक), नई दिल्ली, अप्रैल 24, 1978, पृष्ठ 3.
10. देखिए : अध्याय III.

अध्याय पाच

भाषा चयन के निकष

प्रत्येक देश को विधानमंडल, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रशासन, वाणिज्य, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और अन्य कार्यों को मुचाए रूप में चलाने के लिए एक विकसित भाषा की आवश्यकता रहती है। कभी कभी ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा अन्य कारणों के आधार पर कोई देश इन कार्यों के लिए एक से अधिक भाषा भी अंगीकार कर लेता है, यद्यपि ऐसी योजना अधिघन माध्य है।

राष्ट्र को एकता के लिए एक मार्जनीन भाषा की आवश्यकता होती है। यदि लोग आपस में जानचीन नहीं कर पाएंगे, तो उनके बीच भावात्मक मध्य कैसे स्थापित होगा? यहा यद् वना देना उपयुक्त होगा कि यदि राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए एक मार्जनीन भाषा का होना जरूरी तो है, लेकिन केवल भाषा के माध्यम से हम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इतिहास माक्षी है कि अनेक राष्ट्रों में भाषा की एकता के बावजूद सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं के कारण अनेक झुलाव आए हैं और झगड़े हुए हैं। मुसलमानों में शिया एवं सुन्नी पयिमी के बीच झगड़े मवविदित हैं। अमरीका में अंग्रेजी बोलने वाले काने एवं गोरे लोगों के बीच झगड़ों के बारे में कौन नहीं जानता? इन उदाहरणों में भारत में तथा अन्यत्र कुछ लोग यह अनुमान लगाने हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए मार्जनीन भाषा का कोई महत्त्व नहीं है। अपने मत की पुष्टि में ये लोग भारत के 1942 ई के स्वतंत्रता संग्राम, 1962 ई में भारत पर चीन के आक्रमण और 1965 ई तथा 1971 ई में पाकिस्तान के भारत पर आक्रमणों का हजाना देते हैं, जव भाषा के प्रश्न पर अत्यधिक मतभेद होने पर भी भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे रहे। यहा यह नहीं भूलना चाहिए कि जनसाधारण का सोचने का ढग साधारण समय में और सब

की स्थितियों में अलग अलग होता है। संकट की स्थिति में सभी लोग अपने अपने मतभेदों को ताक पर रखकर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि एक होने में ही सभी की सुरक्षा की सर्वाधिक संभावनाएँ रहती हैं। परंतु जब छत्रा टल जाता है तो उनके आचरण का ढग भी बदल जाता है।

इतिहास ने एक बहुत बड़ा काम आज के नेताओं को सौंपा है और वह है देश में राष्ट्रीय एकता का निर्माण। अतीत में भारत के लोगों ने आपसी फूट के कारण बहुत हानि उठाई है, इसलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र में एकता लाने के लिए भाषा तथा अन्य सभी संभव माध्यमों का सहारा लिया जाए। यह दुर्भाग्य की बात है कि अतीत में भाषा के संवल को लेकर लोगों में परस्पर फूट के बीज बोए गए हैं। इसमें दोष संवल का नहीं, परंतु उन स्वार्थी मनुष्यों का है जिन्होंने इसका दुरुपयोग किया है।

यदि यह स्वीकार कर लें कि प्रत्येक देश को अपने अनेक विधि कार्य चलाने तथा भाषात्मक एवं बौद्धिक एकता के लिए एक उपयुक्त भाषा की आवश्यकता होती है, तो फिर यह अनिवार्य हो जाता है कि संघ की भाषा के चयन के लिए कतिपय कसौटियों को निर्धारित किया जाए और इन कसौटियों पर हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं (जिनको लेकर 1950 ई. से इतना विवाद चल रहा है) के दावों को परखा जाए। ये निकप बुद्धिसंगत, आर्थिक, राजनीतिक एवं भावात्मक हो सकते हैं। इनका इस प्रकार का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं विवेचन के लिए तो किया जा सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि ये उपादान एक दूसरे का खंडन कर देते हैं। इस संबंध में जो उपादान गिने जा सकते हैं, उनमें से कुछ एक पर थोड़ा विस्तार में विचार करना उपयुक्त होगा :

1. प्रशासन कुशलता
2. विज्ञान एवं तकनीक में उन्नति
3. नौकरी के अवसरों में समानता
4. लोकतंत्र का मानदंड
5. राष्ट्रीय मर्यादा
6. ग्राह्यता

प्रशासन कुशलता

देश की सरकारी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से प्रशासन का कामकाज कुशलतापूर्वक चल सके। इसलिए एक ऐसी भाषा का चयन जरूरी हो जाता है जिसमें विधि निर्माण, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कामकाज के लिए अपेक्षित पारिभाषिक शब्दावली हो। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सभी राजकीय काम, विशेषकर उच्चस्तरीय कार्य, अंग्रेजी में होते थे। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि देश का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजी काफी ममूढ़ है, और हिंदी अभी उतनी विकसित नहीं है जितनी कि अंग्रेजी। परंतु इस बात को

नजर अदाज नहीं किया जा सकता कि भाषाएँ प्रयोग से ही समृद्ध होती हैं। यदि आज हिंदी, अंग्रेजी की अपेक्षा कम समृद्ध है, तो उसका एक कारण यह है कि इसके विकास को उतना अवसर नहीं मिला जितना अंग्रेजी भाषा को। एक समय था, जब अंग्रेजी भाषा भी उतनी विकसित नहीं थी जितनी उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी भाषा, परंतु आज अंग्रेजी बहुत ही उन्नत भाषा है। यह कहना निराधार होगा कि प्रयोग का उचित अवसर पाने पर भी हिंदी, अंग्रेजी के बराबर काम नहीं चला पाएगी। तथ्य तो यह है कि भारत में कुछ राज्य अपना सरकारी काम स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी में ही चला रहे थे। संविधान में हिंदी के राजभाषा स्वीकार होने से पहले उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत विषयों के विधेयकों का मूल मसौदा हिंदी में ही प्रस्तुत किया जाता था।

किसी भाषा की पारिभाषिक शब्दावली राष्ट्रीय विकास की अगवानी नहीं, अनुसरण करती है। मनुष्य के लिए अणु की खोज से पूर्व इसके लिए शब्दावली ईजाद करना नामुमकिन था। हिंदी के धारे में भूतयावन के समय यह स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि 1950 ई. में पूर्व हिंदी में आधुनिक विज्ञान की शाखाओं के लिए पारिभाषिक शब्दावली का अभाव था, परंतु देश की स्वतंत्रता के उपरांत यह अभाव काफी हद तक दूर किया जा चुका है। देश के परतंत्र होने से पूर्व प्राचीन काल में भी जबकि देश ज्ञानविज्ञान में काफी उन्नत था, विधि, दर्शन, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, खगोलविज्ञान आदि विषयों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली का कोई अभाव नहीं था। अंग्रेजी तथा ससारा की अन्य विदेशी भाषाओं ने हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं से काफी शब्दावली ग्रहण की है। अंग्रेजी का 'आक्सफोर्ड' शब्दकोश इस बात का प्रमाण है कि अंग्रेजी भाषा में भारतीय शब्दावली प्रचुर मात्रा में है। इसमें नौ सौ से अधिक ऐसे शब्द हैं जिनका मूल स्रोत भारतीय है। इसके अनिश्चित सहस्रों शब्द ऐसे हैं जो इनसे बने हैं।

इसलिए यह कहकर कि हिंदी में शब्दावली का अभाव है, हिंदी के राजभाषा के दावे को एक तरफ कर देना ठीक नहीं है। यदि भाषा आयोग के निम्नांकित परामर्शों पर अमल किया जाए तो निस्संदेह हिंदी की शब्दावली को, जो पहले ही पर्याप्त समृद्ध हो चुकी है, ससारा की अधिकतम समृद्ध भाषाओं के स्तर पर पहुँचाया जा सकता है।

- (क) भाषा की शुद्धता के मतवादी आग्रह का विरोध करना चाहिए। जो शब्द लोगों के आम व्यवहार में आ चुके हैं, चाहे वे किसी भी भाषा से उद्भूत हुए हों, उन्हें भारतीय भाषाओं में महर्षि सम्मिलित कर लेना चाहिए।

- (ख) देशीय पारिभाषिक शब्दावली में खोज की जानी चाहिए, और इस क्षेत्र में कार्य को प्रोत्साहित किया जाए। अन्य भाषाओं से शब्द लेने पर रोक नहीं होनी चाहिए।
- (ग) हमारा उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक एकरूपता स्थापित करना होना चाहिए। यह सभी मुम्किन होगा जब सभी भारतीय भाषाओं में उपयुक्त शब्दों को ग्रहण किया जाएगा।

सिद्धांत यह है कि कोई भी जनतंत्रवादी शासन तब तक सार्थक और कुशल नहीं कहा जा सकता जब तक सरकार और जनता के बीच भावों विचारों का परस्पर आदान प्रदान न हो। यह संपर्क या तो जनता की भाषा के माध्यम से संभव हो सकता है, या किसी ऐसी भाषा के द्वारा जो देश के अधिकांश लोगों के निकटतम हो। स्पष्ट है कि कोई भी विदेशी भाषा सरकार और जनता के बीच संपर्क की भाषा नहीं हो सकती।

विज्ञान एवं तकनीक में उन्नति

विज्ञान एवं तकनीक के आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र पिछड़ा नहीं रहना चाहता। इस आधार को लेकर अंग्रेजी का जोरदार समर्थन किया जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुस्तकों की दुनिया में अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों की विशेष गिनती है। मीडोम लिखते हैं :

विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध साहित्य के सिंहावलोकन से पता चलता है कि उनमें अंग्रेजी प्रकाशनों की प्रमुखता है। इस शताब्दी के छठे दशक में चिकित्साशास्त्र के साहित्य का 40 प्रतिशत भाग अंग्रेजी भाषा में था और इसका अनुगामी साहित्य जो फ्रांसीसी एवं जर्मन भाषा में है, इससे बहुत पीछे था। (एन. ए. एम.-एन. आर. सी. 1959 में ई. ब्राडमैन और एम. टी. टेने)। चिकित्साशास्त्र प्रायोगिक ज्ञान का आवश्यक क्षेत्र है और सभी देशों में इसका पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है।

शुद्ध विज्ञान के क्षेत्र का बहुधा साहित्य विकसित देशों में मिलता है और यहां अंग्रेजी भाषा के साहित्य की प्रधानता और अधिक है। इस प्रकार सातवें दशक के मध्य में संसार में गणित तथा रसायन विज्ञान संबंधी गवेषणात्मक लेखों में से 50 प्रतिशत अंग्रेजी भाषा में थे। दोनों विषयों में रूसी भाषा का दूसरा स्थान था और 20 प्रतिशत से कुछ अधिक लेख रूसी भाषा में थे। प्रत्येक फ्रांसीसी और जर्मन भाषा के 7-8 प्रतिशत लेख थे, और इनका तृतीय स्थान था (भौतिकी संस्थान अमरीका, 1970)। परंतु

प्रत्येक विषय में अंग्रेजी का स्थान प्रथम नहीं था। उदाहरण के लिए, सूविज्ञान में रूसी साहित्य का स्थान अंग्रेजी से थोड़ा ऊपर और प्रथम था। इसके प्रकाशन कुल प्रकाशनों के लगभग 30 प्रतिशत थे, जबकि अंग्रेजी के कोई 27 प्रतिशत थे (जी वार्ड गेग, 1969)। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विस्तृत अन्वेषण से पता चलता है कि सप्ताह भर के वार्षिक प्रकाशनों में अंग्रेजी भाषा में छपने वाली पुस्तकें 25 और 60 प्रतिशत के बीच हैं। यद्यपि हर क्षेत्र में प्रतिशत अलग अलग है, परंतु प्रायः विषयों में यह 50 के आसपास है (जैड वी बरीनोवा एट अॉल, 1967)।¹²

देश में 1973 में वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं की प्रकाशन मर्यादा स्थिति भी लगभग ऐसी ही थी। इसका विवरण निम्नांकित है।¹³

वैज्ञानिक एवं तकनीकी पत्रिकाओं का प्रकाशन

पत्रिका का विषय	अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन-संख्या	अन्य भाषाओं में प्रकाशन-संख्या	कुल	अंग्रेजी प्रकाशन कुल प्रकाशन का प्रतिशत
1 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	168	197	365	46.0
2 विधि एवं लोक प्रशासन	172	77	249	69.1
3 इंजीनियरी और तकनीक	179	32	211	85.0
4 कृषि तथा पशु पालन	97	158	255	38.0
5 विज्ञान	107	32	139	77.0
कुल संख्या प्रतिशत	723 59.3	496 40.7	1319 100	

यदि यह स्वीकार कर भी लिया जाए कि सप्ताह के मौलिक एवं अनूदित पुस्तक भंडार का 50 प्रतिशत अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, फिर भी शेष 50 प्रतिशत के बारे में भी विचार करना जरूरी है। स्थूल आंकड़ों के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत लोगों को अंग्रेजी के अनिश्चित अर्थ विदेशी भाषाएं भी सीखनी होंगी। यदि अनूदित पुस्तकों को बीच में शामिल न किया जाए, तो अंग्रेजी में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या और कम हो जाएगी। महात्मा गांधी का कहना था कि "दुनिया अमूल्य मुद्रर रत्नों में भरपूर है और ये सब रत्न अंग्रेजी कारीगरी का परिणाम नहीं हैं।"¹⁴

अतः अंग्रेजी भाषा की सर्व संपन्नता का दावा विवादास्पद है। गांधी जी का कहना था कि “इससे बढ़कर कोई बड़ा भ्रम नहीं कि अमुक भाषा का विकास नहीं हो सकता अथवा इसमें गूढ़ वैज्ञानिक विचार प्रकट नहीं किए जा सकते।”⁵ यदि हिंदी आज अंग्रेजी के समान समृद्ध नहीं है तो उसका एकमात्र कारण यही है कि सैकड़ों वर्षों तक इसके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया और इसे वह समर्थन प्राप्त नहीं हुआ जो अंग्रेजी को सौभाग्य से मिलता रहा है। यही कारण है कि उद्योग, विज्ञान, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में अनेक भारतीय विशेषज्ञ भी आज अंग्रेजी में लिखने के आदी हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार भारतीय विद्वानों को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में लिखने के लिए प्रोत्साहित करे। यदि भारतीय भाषाओं में मानक ग्रंथों की मूल रचना तथा अन्य भाषाओं से अनुवाद के लिए बड़े पैमाने पर और ठीक प्रकार से योजना बनाई जाए, तो जल्द ही हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में ज्ञानविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ा पुस्तक भंडार बन जाएगा और देश के बहुत लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे।

नौकरियों के अवसरों में समानता

राजभाषा का प्रश्न लोगों के आर्थिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यदि कोई भाषा समाज में आर्थिक असमानता का बीजारोपण करती है या किसी एक वर्ग को नौकरियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्रदान करती है, तो जिन लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वे इस भाषा का अवश्य विरोध करेंगे।

कुछ लोगों का मत है कि इस दृष्टिकोण से अंग्रेजी को निष्पक्ष भाषा कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि हिंदी से हिंदी भाषा भाषियों को अवश्य अधिक लाभ होगा। अंग्रेजी के भारत आगमन के इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि कुछ प्रांतों के लोगों को अंग्रेजी सीखने का अवसर अन्य देशवासियों की अपेक्षा बहुत पहले मिला। इसलिए अंग्रेजी को निष्पक्ष भाषा कहना इतिहाससंगत नहीं होगा। इसके प्रतिकूल, निम्नलिखित कारणों के आधार पर अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी अधिक निष्पक्ष मानी जा सकती है :

(क) 1947 ई. तक हिंदी का विषय शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन के लिए अधिक लोकप्रिय नहीं था, क्योंकि इसे पढ़ने से न तो विशेष नौकरियां मिलती थी और न ही कोई अन्य आर्थिक लाभ होता था। इसलिए समाज का कोई भी वर्ग आज अपने हिंदी ज्ञान के कारण ज्यादा लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है। अहिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के संबंध में यह कथन और भी ठीक है, क्योंकि जहां तक हिंदी ज्ञान का संबंध है, इन सभी राज्यों के लोगो ने एक ही विंदु से सफ़र शुरू किया है।

(ख) हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग को हिंदी से थोड़ा बहुत अधिक फायदा होगा। यह इस क्षेत्र की पिछड़ी हुई सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से प्रतिमतुनित हो जाएगा। शिक्षा की उन्नति में सामाजिक एवं आर्थिक तत्त्वों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हिंदी भाषा भाषी लोग अन्य लोगों से केवल इस आधार पर बाजी नहीं मार सकते कि उनकी मातृभाषा हिंदी है, जबकि साक्षरता और अर्थव्यवस्था में वे बाकी लोगों की अपेक्षा बहुत पीछे हैं। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का छाड़कर सभी हिंदी भाषा भाषी राज्यों की साक्षरता की संख्या बखिल भारतीय आंकड़े से, जो 29.46 प्रतिशत है, कम है। 1971 ई की जनसंख्या के अनुसार इन प्रांतों में साक्षरता के आंकड़े इस प्रकार थे

राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता का प्रतिशत
बिहार	19.94
हरियाणा	26.89
हिमाचल प्रदेश	31.96
मध्य प्रदेश	22.14
राजस्थान	19.07
उत्तर प्रदेश	22.77
दिल्ली	56.61

इस तथ्य के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं कि नौकरियों का वितरण सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। अपने अन्वेषण के आधार पर स्पैरेट का कहना है

गत शताब्दी के अंत तक समस्त दक्षिण भारत में ब्राह्मण और अन्य वर्गों के बीच सरकारी नौकरियों के विषय को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था, और ब्राह्मणों पर पुराहितार्थ, विद्याप्रधान व्यवसायों और जमींदारी में एकाधिकार का आरोप लगाया गया। ब्राह्मणों ने तमिल भाषियों ने अपनी शिक्षागत को जानि व्यवस्था पर आक्रमण का रूप दे दिया और प्राचीन सांस्कृतिक दृष्टि को इसका कारण बताने लगे।¹

मिरर ऑफ दि इयर पुस्तक से उद्धृत करते हुए स्पैरेट कहते हैं

1916 ई में प्रकाशित ब्राह्मण विरोधी घोषणा पत्र में भी मद्रास में

सरकारी नौकरियों के आंकड़े कुछ मिलते जुलते से थे। इसमें लिखा था कि 1914 ई. में मद्रास विश्वविद्यालय में 650 ग्रेजुएट रजिस्टर्ड थे, इनमें से 452 ब्राह्मण थे और 124 ब्राह्मणोत्तर हिंदू थे। 1916 ई. में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए मद्रास प्रेजिडेंसी से निर्वाचित 15 प्रतिनिधियों में से 14 ब्राह्मण थे।⁷

जो स्थिति स्पैरेंट ने केवल दक्षिण में विद्यमान बताई, मिश्र ने उसे पूरे देश में व्यापक बताते हुए लिखा :

भारतीय लोक सेवा आयोग ने 1887 ई. की अपनी रिपोर्ट में कहा कि न्याय एवं प्रशासनिक सेवाओं में 1866 हिंदुओं में से 904, अर्थात् लगभग आधे ब्राह्मण थे और 454 अथवा एक चौथाई कायस्थ थे, जिन्हें वंदई में प्रभु कहते थे। क्षत्रियों अथवा राजपूतों की संख्या 147, वैश्यों की 113, और शूद्रों की 146 और अन्य की 102 थी। विशेषकर मद्रास और वंदई में ब्राह्मणों की प्रधानता थी, जहां क्रमशः इनकी गिनती 297 में से 202 और 328 में से 211 थी।⁸

इसलिए सामाजिक आर्थिक तत्त्वों के परिणामों को भाषा के साथ उलझाना ठीक नहीं होगा।

विज्ञान के युग में ज्यों ज्यों शिल्प और तकनीक का जोर बढ़ता जाएगा, नौकरियों तथा अन्य आर्थिक लाभों के सिलसिले में भाषा का जोर कम होता जाएगा, इसलिए इस संबंध में भाषा की बात पर अधिक जोर देना अनुचित होगा। आवश्यकता इस बात की है कि भाषा के प्रश्न को ठीक परिप्रेक्ष्य में समझा जाए। इसका यह मतलब कदापि नहीं कि भाषा का आजीविका के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है।

कभी कभी यह कहा जाता है कि अखिल भारतीय परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत सीमित होती है, इसलिए सघ के स्तर पर अंग्रेजी की जगह हिंदी की स्थापना में जो कठिनाई होगी, इससे बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 1958 ई. से 1978 ई. तक के भारतीय सेवाओं में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि प्रतिवर्ष लोक सेवा आयोग कोई तीन चार हजार के लगभग व्यक्ति भरती करता है।⁹ यदि इन आंकड़ों की उन वेगुमार लोगों की संख्या के साथ तुलना की जाए जो केंद्रीय एवं राज्य सरकारें भरती करती हैं, तो यह संख्या बहुत मामूली है। तथापि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि केंद्रीय सरकार का कार्य

अनक स्वायत्त और राष्ट्रीयकृत मस्थानों द्वारा बढ़ता जा रहा है और अखिल भारतीय सेवाएँ देश की नीति निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसलिए यह अनिवाय है कि यथाचित समय के लिए अहिंदी भाषा भाषियों के हितों की सुरक्षा के लिए वाछनीय उपबंध रखे जाएँ, ताकि उन्हें इस कारण कोई हानि न हो कि हिंदी कुछ लोगों की मातृभाषा है। प्रतिकूल स्थिति को रोकने के लिए भाषा आयोग ने सेवाओं में काटा प्रणाली की भी चर्चा की, परंतु ऐतिहासिक कारणों से उसका समर्थन नहीं किया। आयोग का कहना था कि

बौटा व्यवस्था में अखिल भारतीय सेवाओं का ढाँचा टूट जाएगा और इस सब में हानि वाली प्रतियोगिता अलग अलग भागों में बंट जाएगी। इससे अखिल भारतीय और उच्च केंद्रीय सेवाओं में लिए भरती किए जाने वाले लोगों की योग्यता का स्तर गिर जाएगा। आजकल की प्रशासनिक आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए हम ऐसे सभी सुझावों का विरोध करते हैं, जिनसे रकस्टों की क्षमता में कमी आ जाए। प्रातों की दृष्टि से भी, अखिल भारतीय सेवाओं का लक्ष्य गुण हाना चाहिए, न कि संख्या में आनुपातिक भाग। इन्हीं तर्कों के आधार पर उच्च केंद्रीय सेवाओं के लिए क्षेत्रीय आधार पर आनुपातिक नीकरियों की अपेक्षा गुण का अधिक महत्त्व है।¹⁰

साक सेवा आयोग ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षाएँ प्रारंभ कर दी हैं, इसलिए जैसे जैसे अधिकाधिक परीक्षार्थी इस योजना में लाभ उठाने लगेंगे अथवा अहिंदी भाषा भाषी हिंदी में प्रवीण हो जाएँगे, यह समस्या हल होती जाएगी। भाषा की कठिनाई दूर हान तक केंद्रीय नीकरियाँ आज के विदुषों पर, न कम, न ज्यादा स्थिर की जा सकती हैं। भाषा आयोग की आश-काओं का निवारण करने और भर्ती किए गए लोगों की योग्यता में हानि के रोकने का एक उपाय यह भी हो सकता है कि केंद्रीय सेवाओं में भरती केवल प्रातीय सेवाओं द्वारा ही हो। प्रातीय सेवाओं में केंद्र में आने वाले उम्मीदवारों के लिए हिंदी तथा एक अन्य क्षेत्रीय भाषा की जानकारी अनिवाय घोषित की जा सकती है।

जनतंत्रिय प्रतिमान

संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में किसी भी विवादास्पद प्रश्न को, अल्पमत का दमन किए बिना, बहुमत से ही हल किया जाता है। प्रथम अध्याय में दिए गए प्राक

पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि हिंदी भाषा भाषी एव इम भाषा का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या कितनी अधिक है। नीचे दी गई तालिका के अवलोकन से पता चलेगा कि अनुसूची में अकिन भाषाओं के बोलने वाले की कुल संख्या में विभिन्न भाषा भाषियों का प्रतिशत कितना है।

विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले

क्र. सं. भाषा का नाम	बोलने वालों की संख्या (लाखों में)	कालम (3) के कुल भाषा भाषियों अर्थात् 4796.0 लाख का प्रतिशत
1. हिंदी	1625.8	33.9
2. बंगला	447.9	9.3
3. तेलुगु	447.6	9.3
4. मराठी	422.5	8.8
5. तमिल	376.9	7.9
6. उर्दू	286.1	6.0
7. गुजराती	258.9	5.4
8. मलयालम	219.4	4.6
9. कन्नड़	217.1	4.5
10. उड़िया	198.6	4.1
11. पंजाबी	164.5	3.4
12. असमी	89.6	1.9
13. कश्मीरी	24.4	0.5
14. सिंधी	16.8	0.4
15. संस्कृत	2217	—
	4796.0	100 प्रतिशत

गणना के आधार पर अन्य भाषा भाषियों के मुकाबले में हिंदी भाषा भाषी अपेक्षाकृत अधिक प्रांतों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रथम अथवा द्वितीय स्थान पर आते हैं।¹¹ राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी का श्रेणीकरण अंक सर्वाधिक है और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ये अंक मिलाने पर भी स्थिति अपरिवर्तित रहती है। इससे सिद्ध होता है कि हिंदी बोलने वाले शेष भाषा भाषियों के मुकाबले में अधिक स्थानों पर विखरे हुए हैं।¹² आठवी अनुसूची की पंद्रह भाषाओं में से असमी, कश्मीरी, उड़िया, सिंधी और संस्कृत के बोलने वाले सभी प्रांतों में नहीं मिलते। गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू के एक से अधिक प्रांतों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 100 से कम बोलने वाले हैं।

शेष प्रत्येक चार भाषाओं अर्थात् बंगला, हिंदी, मलयालम और मराठी बोलने वालों की संख्या केवल किसी एक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में 100 से कम पड़ती है, और यह संख्या क्रमशः 4, 58, 23 और 8 है। अतः, भाषा भाषियों के अंकों का किसी भी प्रकार से निरीक्षण करने से हिंदी का पलड़ा ही सबसे अधिक भारी दिखाई देता है। गांधी जी का कहना था

किसी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने अथवा न बनाने का सही मानक यह होना चाहिए कि वह भाषा लोगों में कितनी प्रचलित है, और कितने लोग उस समझ सकते हैं। इसी विशेषता के कारण ही कोई भाषा समस्त राष्ट्र के लिए प्रयुक्त हो सकती है, अन्यथा यह भिन्न प्रांतों और भिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क की भाषा नहीं हो सकती। किसी भाषा का माहिर्य चाहे कितना ही संपन्न क्यों न हो, यदि इसके माध्यम में देश के भिन्न भिन्न भागों के बीच अंतःसंपर्क स्थापित नहीं हो सकता, तो यह भाषा राष्ट्र भाषा का पद नहीं पा सकती। आज केवल हिंदी (अथवा हिंदुस्तानी) ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो देश के सभी हिस्सों में बोली और समझी जाती है। इस प्रकार हिंदी निर्विवाद रूप से भारत की राष्ट्र भाषा बन जाती है।¹³

राष्ट्रीय गौरव

पहले कहा जा चुका है कि अपर्युक्त प्रतिमान एक दूसरे से अगवद्ध नहीं हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की भावना के पीछे कोई तर्क नहीं है। भले ही राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी सब लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ गए हैं, परंतु इन सब के पीछे कुछ अर्थ एवं इतिहास निहित है। भाषा किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान का महत्त्वपूर्ण मानदण्ड है। भाषा के माध्यम में ही लोगों की सृजनशीलता अभिव्यक्त होती है। किसी वग का माहिर्य, संगीत, मिस्र, लोक कथाएँ और इसकी अनेक उपलब्धियाँ भाषा के द्वारा ही संसार के सामने आती हैं। यही कारण है कि भाषा भावनाओं के साथ जुड़ जाती है। स ही वास्तविकता के कथनानुसार भाषा और राष्ट्र की अनन्यता का बोली दामन का रिश्ता है। उन्होंने लिखा है

कुछ अपवादों को छोड़कर, कोई भी राष्ट्र विदेशी भाषा से जीवनचर्या नहीं चला सकता। और यह बात और भी असंभव हो जाती है जब कोई देश आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहा हो और स्वाभिमान का लक्ष्य उसने

सामने हो। यदि कोई राष्ट्र अपनी भाषा से काम नहीं चलाएगा तो अपनी अनन्यता खो बैठेगा और इसके स्थान पर अन्यथा भाव आ जाएगा। अंग्रेजी भाषी पश्चिम इस विचार को भाषायी उग्र राष्ट्रीयता का नाम देकर भले ही बदनाम करे, परन्तु उनके विचार सदिग्धता में विमुक्त नहीं हैं। इसके प्रतिकूल, पश्चिम के सदेहयुक्त विचारों को खण्डित करने के लिए प्रचुर ऐतिहासिक अनुभव मौजूद हैं, और हर उम्र देश का अनुभव सामने है जो इस प्रकार की स्थिति में गृह्य है। फिलिपिन और इण्डोनेशिया के समसामयिक और निकटवर्ती उदाहरण इस कथन की पूर्ण पुष्टि करते हैं।¹¹

सोवियत संघ में भारत की प्रथम राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित को मास्को में अपना परिचय पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने पर, उस समय बड़ी बटपटी स्थिति का सामना करना पड़ा जब सोवियत पक्ष की ओर से उत्तर हिंदी में दिया गया। इस बात पर प्रकाश डालते हुए मुचेता कृपलानी ने संसद में कहा था :

मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। अभी कल ही मुझे विजयलक्ष्मी जी उस स्थिति के बारे में बतला रही थीं जो उनके दरपेश आईं। जब वे रूस गईं और अपना परिचय पत्र प्रस्तुत कर रही थीं, तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। उन्हें ताना दिया गया कि हम कितने असभ्य हैं और उनसे पूछा गया कि क्या भारत की अपनी कोई भाषा नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं जर्मनी में यात्रा कर रही थी तो मेरे सामने भी कुछ उसी प्रकार की घटना पेश आईं। हमें अंग्रेजी में लिखने की आदत थी, इसलिए जब मैं अपनी नोटबुक में अंग्रेजी में कुछ लिख रही थी तो मुझे ऐसा करते देखकर वहाँ के एक आदमी ने मुझ से पूछा . “बहन, क्या आपकी अपनी कोई भाषा नहीं है, आप अंग्रेजी में क्यों लिख रही हैं ?” यह सुनते ही शर्म के मारे मेरा भाषा झुक गया।¹²

मिल्टन का कहना है कि हर राष्ट्र को विदेशी भाषा की अपेक्षा अपनी भाषा को ही तरजीह देनी चाहिए, चाहे यह भाषा अविकसित ही क्यों न हो, क्योंकि विदेशी भाषा का प्रयोग दासता का द्योतक होता है। उनका कहना था :

इस बात को मामूली नहीं समझना चाहिए कि कोई राष्ट्र कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है। यह तथ्य इतना महत्त्व नहीं रखता कि इस राष्ट्र के लोग इस भाषा को कितनी विशुद्धता एवं निपुणता के साथ बोलते हैं...

इसमें कोई हज़ की बात नहीं कि किसी वर्ग की भाषा असङ्गत और वीभत्स है, आशिक रूप से दूषित है अथवा इसमें रचना सबधी गलतियाँ हैं, परन्तु यह अक्षम्य है कि किसी राष्ट्र के लोग आलसी और अक्षमण्य हैं, और चिरकाल तक तावेदारी में रहने के लिए तैयार हैं। इसके प्रतिकूल यह कभी मुनने में नहीं आया कि कोई राज्य, कम से कम मध्य स्तर तक, इसलिए विकसित नहीं हो सके क्योंकि उसने अपनी भाषा का आश्रय लिया।¹⁶

गाह्यता

यदि किसी भाषा की लिपि और वाक्य रचना तथा उसका शब्द भण्डार एवं स्वर विज्ञान किसी वर्ग की अपनी भाषा के निकट होते हैं, तो कथित वर्ग इस भाषा को अधिक आसानी से स्वीकार कर लेता है। इस दृष्टिकोण से भारतीय भाषा भाषियों के लिए अंग्रेज़ी की अपेक्षा हिंदी का ग्रहण करना ज्यादा आसान होगा। निस्संदेह, इसका यह अर्थ नहीं कि भाषा के विशेषज्ञ हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच सर्वसामान्य तत्त्वों के विस्तार की ओर ध्यान न दें, क्योंकि हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच जितने अधिक समान तत्त्व होंगे, अहिंदी भाषियों के लिए हिंदी को स्वीकार करना उतना सुगम हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी वर्ग का साहित्य या उसके मुख्य साहित्यिक ग्रंथों का अनुवाद किसी भाषा में उपलब्ध हो तो इस वर्ग द्वारा उस भाषा का अनुमोदन अधिक सम्भव हो जाएगा। इस प्रकार हिंदी मुसलमानों के लिए सुग्राह्य हो जाएगी, यदि उन्हें कुरानशरीफ तथा उनके अन्य ग्रंथ हिंदी में मिल सकें। इसी तरह, दक्षिण के लिए हिंदी को मजूर करना आसान होगा यदि इतिहास, संगीत, कला, पुराण, विज्ञान, चिकित्सा आदि के ग्रंथ (जो आज केवल दक्षिण की भाषाओं में मिलते हैं) हिंदी में भी मिलने शुरू हो जाए। इस दृष्टिकोण से, हिंदी में और अधिक काम वांछित है।

जैसे कि पहले बताया जा चुका है, ऐतिहासिक कारणों से कुछ प्रांतों के लोगों को भारत के अन्य भाग के लोगों की अपेक्षा अंग्रेज़ी सीखने का अवसर पहले मिलना शुरू हो गया था। इस कारण इन प्रांतों के निवासियों को अंग्रेज़ी राज के प्रारंभ में, और शायद बाद तक भी, अधिक सरकारी नौकरियाँ मिलती रहीं। अंग्रेज़ी के हटाने से इन थोड़े से लोगों के 'हिंदी' पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, परन्तु, जैसे कि पिछले पृष्ठों में मुझाया गया है, इस कठिनाई को हल करने के लिए कुछ पथ उठाए जा सकते हैं।

हिंदी के विरोध का एक कारण समाजनिष्ठ राजनीतिक है। यह बात

डी.एम. के. (द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम) तथा ए. डी. एम. के. (अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम) के इतिहास के अवलोकन में कुछ स्पष्ट हो जाएगी। यह इतिहास साऊथ इंडियन पीपुल्स असोसिएशन (जिसकी स्थापना 1916 ई. में हुई थी) के जन्म के साथ प्रारंभ होता है। बाद में इस सत्था के नाम और रूप में परिवर्तन हुआ और उसकी कई शाखाएँ बनीं, जैसे 1917 ई. में साऊथ इंडियन लिबरल फ़ेडरेशन अथवा जस्टिस पार्टी बनी और 1925 ई. में सेल्फ़ रेस्पेक्ट मूवमेंट वजूद में आई। उनके उद्देश्यों की चर्चा करते हुए स्परैट ने लिखा :

जहाँ जस्टिस पार्टी ने ब्राह्मणों के धर्मोत्तर विरोधाधिकारों पर चोट की, सेल्फ़ रेस्पेक्ट मूवमेंट ने ब्राह्मणों का हिंदू धर्म के प्रचारकों के प्रतिनिधि के रूप में विरोध किया। उन्होंने इसे एक ऐसा विदेशी धर्म घोषित किया जो तमिल भूमि में घुस आया है और उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहा है।¹⁷

इस प्रकार, जो आंदोलन एक समय ब्राह्मणों के विरुद्ध अथवा उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्यादातियों के विरुद्ध था, बाद में उसका रूप बदल गया और उसने एक ऐसे दृष्टिकोण को जन्म दिया जिससे उत्तर का हर कदम शक की नज़र से देखा जाने लगा। कुछ समय के बाद यह कहा जाने लगा कि हिंदी तमिल भाषियों के आत्मसम्मान पर आघात करती है। और यह उनकी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति को हीन बना देगी। यह आरोप आंशिक रूप से भी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय संस्कृति की महिमा उसकी विविधता बनाए रखने में है, न कि उसे मिटाने में। कोई भी सरकार विविधता की अवहेलना नहीं कर सकती। उचित उपायों से ऐसी निराधार आशंकाओं का निराकरण किया जा सकता है और हिंदी को दक्षिण तथा अन्य अहिंदी भाषा भाषियों के लिए स्वीकार्य बनाया जा सकता है। यदि यह काम समुचित रूप से हो जाए, तो फिर स्वार्थी नेता भोली जनता को गुमराह करने में सफल नहीं हो पाएंगे, जिसके दिल में इस समय यह बात बिठा दी गई है, कि हिंदी ब्राह्मण मत की अवशेष संस्कृति की एक शाखा है, और दक्षिण के गौरवपूर्ण जीवन के लिए तथा दक्षिण को उत्तर की गुलामी से बचाने के लिए इसका विरोध करना आवश्यक है।

अन्य तत्त्व

निम्नलिखित कुछ तर्कों के आधार पर भी अंग्रेजी के दावे का समर्थन किया जाता है :

यह कहा जाता है कि अंग्रेजी की पहचान में अवरोध डालने से देश की

प्रगति रुक जाएगी। हिंदी को राजभाषा बनाने और कालेजो में हिंदी शिक्षण दो अलग विषय हैं। ये दोनों अलग प्रश्न हैं। जिम प्रकार पहले का समर्थन तक विरुद्ध है उसी प्रकार दूसरे का विरोध दुराग्रह युक्त होगा।

यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजी के लिए जो स्थान हम निर्धारित करेंगे, उसके माथ देश की वैज्ञानिक उन्नति का बहुत सबध है। ज्ञान और ज्ञान के पुर्जों को एक वस्तु समझना बहुत बड़ी भूल होगी। निम्नदेह इस बात पर उचित बल देना आवश्यक है कि शिक्षा मस्थाओ, विशेषकर कुछ एक उच्च शिक्षा मस्थाओ में, विद्यार्थियों को अंग्रेजी में यथसम्भव सुविज्ञ बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि अंग्रेजी को भारतीय भाषाओ पर प्रमुखता प्रदान कर दी जाए। ताजमहल, अहमदाबाद का झोलती मीनार, दिल्ली के कुतुब मीनार के पाम शशीरु द्वारा निर्मित इम्पान मीनार और प्राचीन अद्भुत वास्तुकला के हिंदू मंदिर उस समय बने थे जब अंग्रेजों की परछाईं भी भारत में नहीं पहुंची थी। रूत, फ्रान और अनेक दूसरे देश अपने विकास के लिए अंग्रेजी भाषा के कदापि श्रेणी नहीं है। इसके साथ ही ज्ञान का उसके प्रयोग के साथ रिश्ता भी समर्थन चाहिए। यदि हम विज्ञान की जानकारी अपने लाखों और करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो भारतीय जनसाधारण इससे पूरी तरह लाभार्जित नहीं हो पाएगा। आकाशवाणी द्वारा देश के किमानो के हेतु प्रसारित कृषि दर्शन कार्यक्रम इसलिए प्रशंसनीय है कि इसके माध्यम में कृषि अनुसंधान पर आधारित नई और लाभप्रद बातें किसानों तक उनकी भाषा में पहुंचाने की कोशिश की जाती है।

कुछ लोगों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का सम्मान भारतीय लोगों के अंग्रेजी पर अधिकार की वजह में ही प्राप्त हो सका है। शायद ही कोई अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ इस कथन का समर्थन करे। अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अंग्रेजी की पदार्द को वह स्थान नहीं दिया जो भारत ने दिया है, परंतु फिर भी ममार में उनका मान है। किमी भी देश की प्रतिष्ठा मुख्यतया उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपकरणों में बनती या विगडती है, न कि इस आधार पर कि वहां के लोग किसी विदेशी भाषा को कितनी निपुणता से बोलते हैं। 1962 ई में चीन द्वारा पराजित हो जाने के बाद हिंदुस्तान के गौरव को भारी धक्का लगा था। परंतु 1971 ई में जब हमारे वीरो ने बंगलादेश निवासियों की लोकतंत्रीय भावना की रक्षा करते हुए पाकिस्तान को पराजय दी, तो देश की गौरव प्रतिमा की पुन स्थापना हो गई। चीन अणुबम त्रिस्फोट करने के कारण परम शक्तिशाली देशों की पकड़ में आ गया न कि किमी भाषा विशेष के ज्ञान के कारण। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आयामों का भाषा ज्ञान से खास सरोकार नहीं होता।

एक धारणा यह भी है कि अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त करने से अंतर्राष्ट्रीय संसार में व्यक्ति की राजनयिक, विशेषज्ञ, पर्यटक, व्यापारी के रूप में काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। यद्यपि यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, परंतु यह अंग्रेजी के महत्त्व का अनावश्यक अतिरंजन है। बहुधा, समस्त उच्चस्तरीय अर्थपूर्ण वात्ताओं में प्रायः वक्ता विदेशी भाषा के स्थान पर अपनी भाषा इस्तेमाल करते हैं। इस संबंध में ट्रेवेलान का निम्नलिखित कथन बहुत प्रामाणिक है :

दूसरे व्यक्ति की भाषा पर आपको कितना ही अधिकार क्यों न हो, पेचीदा वात्ताओं में उसकी भाषा का प्रयोग आपके लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे स्थिति दूसरे व्यक्ति के अधिक अनुकूल हो जाती है। अनुवाद से आपको सोचने का समय मिल जाता है। दुभाषिया को केवल भाषा की बात सोचनी होती है। यदि वात्ताकार आधा समय क्रियाओं के अंतर्मनन या किसी बोली के अस्पष्ट अथवा विकृत वाक्यांश को समझने में लगा दे तो स्पष्ट है कि मुख्य मामले पर उसका ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित नहीं हो पाएगा। हिटलर के दुभाषिए शिम्ट्ज ने लिखा है कि सर नेविल हेंडरसन की गंभीर मामलों पर हिटलर के साथ जर्मन भाषा में बातचीत करना एक भूल थी। विदेशी भाषा बोलने से अहंकार भले ही बढे, परंतु ऐसी स्थिति बहुत घातक हो सकती है।¹⁸

इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी विद्वान् पर्यटक अथवा व्यापारी विदेश यात्रा से पूरा लाभ तभी उठा सकता है जब उसे वहाँ की भाषा आती हो। हर स्थान पर अंग्रेजी में काम चलाना संभव नहीं है। हर विद्यार्थी अथवा विद्वान् को किसी विशेष क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उस देश की भाषा को जानना होता है जहाँ वह अध्ययन के लिए आता है। इस संबंध में यह बहुत प्रासंगिक है कि अमुक भाषा सीखने में सरल है अथवा कठिन। हिंदी और अंग्रेजी की तुलना करते समय इस बात को भी ध्यान में रखना होगा।

हिंदी में हर अक्षर का एक ही स्वर होता है। किसी भाषा की वर्णमाला इस सिद्धांत का जितना उल्लंघन करती है, लोगो के लिए यह उतनी ही दुष्कर बन जाती है। जार्ज वर्नार्ड शा के अनुसार इस दृष्टि से अंग्रेजी में काफी त्रुटियाँ हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला में पांच स्वर हैं और कभी कभी पांच के पांच एक ही आवाज के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के उच्चारण का एक उदाहरण, जो रैंडम हाऊस डिक्शनरी (1967) में उपलब्ध है, इस कथन को स्पष्ट कर देगा।

अंग्रेजी में स्वर उलभन

क्र.सं.	अंग्रेजी शब्द	शब्द में प्रस्तुत स्वर	उच्चारण में आवाज
1	फॉरवर्ड (forward)	ए (a)	यू (u)
2	वर्ड (word)	ओ (o)	यू (u)
3	हर्ड (herd)	ई (e)	यू (u)
4	पर्थ (purr)	यू (u)	यू (u)
5	बर्ड (bird)	आई (i)	यू (u) 19

इसके प्रतिकूल निम्नलिखित प्रत्येक शब्द में ओ (o) अक्षर का उच्चारण भिन्न भिन्न तरीकों से होता है

नो (no), दू (do), ऑर (or), डल (doll), विम्वन (women),
लव (love), अन (un), वन (one)

अंग्रेजी में 'शन' की आवाज को वीम प्रकार से लिखा जा सकता है। उदाहरण-तया नोशन, पैशन, पेशट आदि हर शब्द में 'शन' की आवाज को विभिन्न अक्षरों से लिखा जाता है। इसी प्रकार 'ऊ' के स्वर को कम से कम पंद्रह विभिन्न हिज्जो द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे कि इन शब्दों में

टू (too), टू (two), न्यू (new), टू (to), शू (shoe), न्यूट्र-अर (neuter), थू (through), सू (sue), ड्यूटी (duty), पू (pooh), जूस (juice), कू (coup), इत्यादि, इत्यादि²⁸ अंग्रेजी शब्द एक्सीडेंट (accident) में दो 'मी' एक साथ आते हैं, परंतु एक 'मी' 'क' की ओर दूसरा 'म' की आवाज देता है। इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अंग्रेजी भाषा की हिज्जो के भ्रष्टापन में विमुक्त करने के लिए अपील करते हुए लंदन के चार भाषा, 1975 ई के टाइम्स मैगज़ीन में जार्ज बर्नार्ड शॉ लिखते हैं कि "इस प्रकार के मशोघन से जो बचन होगी, उसमें यदि और कोई लाभ न उठाया जा सके तो कम से कम आधी दर्जन लहाइयो का खर्च तो निकाला ही जा सकता है।"

शब्द भंडार की दृष्टि में भारतीय भाषाएँ आर्य अथवा द्रविड परिवार में आती हैं। सभी के अनगत अनेक मत्सामान्य एवं सम्बन्धित व्युत्पन्न शब्द हैं। इसके अलावा भारतीय विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भारतीय शब्दावली ही अधिक उपयुक्त है। उदाहरण के लिए 'देहान्त' शब्द को नीजिए। जो भारतीय

दर्शन 'देहांत' शब्द में निहित है वह अंग्रेजी का पर्यायवाची शब्द 'डेड' (dead) व्यक्त नहीं कर पाता। देहांत शब्द 'देह' और अंत के सश्लेषण से बना है, जिसका तात्पर्य यह है कि केवल शरीर का अंत होता है, क्योंकि भारतीय दर्शन आत्मा को अमर मानता है। स्पष्ट है 'डेड' (dead) शब्द सारी बात व्यक्त नहीं कर पाता।

हिंदी में जहाँ एक ही क्रिया से काम चल जाता है, अंग्रेजी में वहाँ कई क्रियाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे, हिंदी में हम कहते हैं 'मकान बनाना, खाना बनाना, वहाना बनाना, परंतु अंग्रेजी इन्हीं संदर्भों में 'बनाना' क्रिया के लिए क्रमशः टू विल्ड (to build), टू कुक (to cook) और टू मेक (to make) का प्रयोग किया जाएगा। इन तीनों स्थानों पर अंग्रेजी में एक ही पद का प्रयोग अशुद्ध होगा।

विशेषणों की तुलना के लिए भी अंग्रेजी में हर शब्द के लिए समान प्रणाली नहीं है, जैसे कि हिंदी में है। उदाहरण के लिए सुंदर, पतला और अच्छा शब्द लीजिए। कुछ शब्दों के शुरू में अधिकतर और अधिकतम या शब्दों के अंत में 'तर' और 'तम' लगाने से तुलनात्मक शब्द बन जाते हैं। परंतु अंग्रेजी में कई बार यह पद्धति नियम रहित हो जाती है। यदि हम उपर्युक्त तीनों शब्दों के अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द लें तो इनकी तुलना की कोटि के शब्द तीन अलग प्रकार बनेंगे।

(सुंदर — beautiful)	व्यूटिफुल	मो:र व्यूटिफुल	मोस्ट व्यूटिफुल
(पतला — thin)	थिन	थिन्नर	थिन्नेस्ट
(अच्छा — good)	गुड	वे'-टर्	वे'-स्ट

हिंदी लिपि में अंग्रेजी की तरह बड़े और छोटे अक्षर नहीं होते और न ही छापे और लिखाई की अलग-अलग प्रणालिया हैं। निश्चित ही थोड़े बहुत वांछित संशोधनों के साथ रोमन लिपि की अपेक्षा देवनागरी लिपि बेहतर सिद्ध हो सकती है।

उपर्युक्त आधारों पर यह कहना शक्य नहीं होगा कि सभी हिंदुस्तानियों के लिए अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना सरलतर होगा।

उपसंहार

यह दुर्भाग्य का विषय है कि राजभाषा के प्रश्न पर कभी भी वैज्ञानिक तरीके से कोई बड़ी बहस नहीं हुई है। हिंदी के समर्थन और विरोध एवं अंग्रेजी के समर्थन तथा विरोध के नारों और प्रदर्शनों के कोलाहल में समस्या के तर्काल्पक समाधान के लिए प्रयत्न नहीं हो पाया। भाषाविद् स्वर्गीय डा. सुव्वारामन् ने राजभाषा

आयोग की रिपोर्ट के साथ मन्त्र अपने अमहमनि नोट में पूर्वोक्त कमीटियों में से एक का कुछ वर्गन नो किया, परन्तु उन्होंने इनके आधार पर विभिन्न भाषाओं के शायी नो परखने की उजाग अपनी बात को अंग्रेजी के फायदों की गणना करत तक ही सीमित रखा ।

इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि अंग्रेजी की पढाई पर अत्यधिक धन देने के कारण समार की अन्य भाषाओं की पढाई की ओर देश में समर्पित ध्यान नहीं दिया गया है । भारतीयों के लिए चीनी भाषा सीखना एक नहीं, अनेक कारणों से आवश्यक है । हम के साथ हमारे संबंधों के आधार पर यह अनिवाय हो गया है कि काफी संख्या में भारतीय विद्वान् और वैज्ञानिक सभी भाषा का गहन अध्ययन करें । इसी प्रकार भारत के लोग समीपस्थ अथवा दूरस्थ मित्र देशों की भाषाओं की अवहेलना नहीं कर सकते । समार की राजनीति सर्वदै अनिश्चिन्त रहती है, इसलिए यह आवश्यक है कि तमाम देशों की भाषाओं की मौख्य और उनके जगि इन देशों के घटना प्रवाह और विभिन्न मामलों की जानकारी हासिल करने के लिए देश की प्रतिभा का नियोजित तरीके में उपयोग किया जाए ।

किसी देश की भाषा का ज्ञान ही उस देश की राजनीति तथा आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुचारु रूप में समझने का माग प्रशस्त कर सकता है । हिंदुस्तान की सभी देशों के मदभ में ये मार्ग खोलने होंगे । यह सभी संभव हो सकता है जब भारत अंग्रेजी भाषा के प्रति अपना अनन्य भक्ति भाव त्याग दे और देश की शिक्षा मस्यारों में सभी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाए ।

हिंदी विरोधी आंदोलन का रूप प्रायः राजनीतिक ही रहा है । यह कथन इस बात से भी सिद्ध हो जाता है कि जो राज्य अंग्रेजी के गुणगान करते हैं, उनमें से किसी एक ने भी अंग्रेजी को प्रात में सग्वारी भाषा के पद पर आसीन नहीं किया है । हा, मणिपुर, नागालैंड, गोआ, दमन, दीव जैसे राज्यों तथा मध्य राज्य खटो ने अंग्रेजी को सग्वारी भाषा जरूर घोषित किया है, परन्तु इसके कारण ऐतिहासिक हैं अथवा उनकी आजादी में पूर्व की विरामन में मिली परंपरा है । जैसे जैसे इन राज्यों की अपनी भाषाएँ विकसित होती जाएगी, निम्सदेह वे अंग्रेजी की जगह लेती जाएगी । इस बात को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि अपवादों को छोड़कर प्रत्येक विद्वान् केवल अपनी भाषा में ही मौखिक रचना करके समार में ज्ञानभण्डार की वृद्धि में अपना योगदान कर सकते हैं । इसलिए अंग्रेजी के प्रति अनावश्यक भक्तिभाव बनाए रखना भारतीय मानव शक्ति, ममय और धन का केवल अपध्मय ही नहीं होगा, परन्तु अपनी विवेक-हीनता का भी परिचय देना होगा ।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. भारत, राजभाषा आयोग, रिपोर्ट, 1955-56, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, 1957, पृष्ठ 59
2. मीडोज ए. जे., कम्यूनिकेशन इन साइंस, वट्टर वर्थ एंड कंपनी, लंदन, पृष्ठ 166
3. भारत, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स, प्रेम इन इंडिया 1974, अठारहवीं रिपोर्ट, भाग 1, दिल्ली, पृष्ठ 171-172.
4. होमर, ए. जे. (संपादक), विट् एंड विजहम ऑफ गांधी, बोस्टन, बेकन प्रेस, 1951, पृष्ठ 158
5. वही, पृष्ठ 158.
6. स्प्रेट, पी., डी. एम. के. इन पावर, बंबई, नचिकेता, 1970, पृष्ठ 12.
7. वही, पृष्ठ 14-15.
8. मिश्र, बी. बी., इंडियन मिडल क्लासिज, देयर ग्राय इन माइनें टाइम्स, लंदन, ओ बी पी, 1961, पृष्ठ 322.
9. देखिए : परिशिष्ट XIV.
10. भारत, राजभाषा आयोग, रिपोर्ट, 1955-56, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, 1957, पृष्ठ 418.
11. देखिए : परिशिष्ट XV.
12. देखिए : परिशिष्ट II.
13. एम. के. गांधी, रेमनेसेंस ऑफ गांधी जी, बंबई, बोरा एंड कं 1951, पृष्ठ 67.
14. वात्स्यायन, एस. एच.; लैंग्विज एंड सोसायटी इन इंडिया, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, 1869, पृष्ठ 141, संपादक ए. पोद्दार, शिमला.
15. भारत, लोक समा, बहस, चौथी शृंखला, ग्रंथ 10, तीसरा अधिवेशन, दिसंबर 7, 1967, दिल्ली, लोक समा सेक्रेटेरिएट, 1967, पृष्ठ 5526.
16. अहमद, जे. ड. ए. ; नेशनल लैंग्विज फार इंडिया : ए मिपोजियम, इलाहाबाद, किताबिस्तान, 1941, पृष्ठ 46-47.
17. स्प्रेट, पी.; डी. एम. के. इन पावर, बंबई, नचिकेता, 1970, पृष्ठ 31.
18. ट्रेवेनान, हफ्री ; डिप्लोमेटिक, चेनल्स, लंदन, मैकमिलन, 1973, पृष्ठ 79-80
19. वासनतैव, डब्ल्यू. सी ; दे फ्राजंड ए कॉमन लैंग्विज, न्यूयार्क, हार्पर, 1972, पृष्ठ 26.
20. वही, पृष्ठ 110-111.

हिंदी का विकास एवं प्रोत्साहन

संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार 'हिन्दी भाषा का प्रसार और विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके सघ का कर्तव्य होगा।' परंतु हिंदी के विकास एवं प्रोत्साहन के प्रति सरकार की उदासीनता के बारे में शिकायत सुनना एक सामान्य बात है। जब सरकार ने 1963 ई और 1967 ई में मसद में राजभाषा विधेयक पस्तुन किए तो सभी ओर से इनके विरुद्ध जोरदार भावनाएं व्यक्त की गईं। सदस्यों ने संविधान की धारा 343, जिसके अनुसार 1965 ई से अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को देश की राजभाषा बनना था, को अमली जामा पहनाने के काम में अकुशलता और चरनीयता का परिचय देने के लिए सरकार की कड़ी निंदा की। दूसरी ओर अहिंदी भाषा भाषियों पर हिंदी थोपने और इसमें 'जल्दवाजी' से काम लेने की कटु आलोचना हुई और इसके खिलाफ अनेक प्रदर्शन हुए। इसलिए वस्तुगत निर्णय के लिए संपूर्ण स्थिति का मिहावचोकन करना समुचित होगा।

हिंदी के सबंध में जो कार्य हुआ है उसे तीन मुख्य वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—सरकारी, अर्ध सरकारी एवं प्राइवेट संस्थाओं द्वारा किया गया कार्य। अध्यादेशों, विधि, संकल्पों और प्रशासनिक आदेशों का जारी किया जाना तथा इनका क्रियान्वयन प्रथम वर्ग के अंतर्गत आता है। शिक्षा संस्थाओं का कार्य जिसका सरकारी मशीन के काम पर प्रभाव पड़ता है, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सघ लोक सेवा आयोग, अदालतों तथा अन्य इस प्रकार की स्वायत्त संस्थाओं द्वारा हिंदी के लिए किए गए कार्य को द्वितीय कोटि में रखा जा सकता है। प्राइवेट और स्वयंसेवी संस्थाओं, जन संपर्क माध्यमों एवं अन्य गैरसरकारी संगठनों के कार्य को तीसरी श्रेणी में

सम्मिलित किया जा सकता है।'

अनुच्छेद 351 के अनुसार, हिंदी को प्रोत्साहन देना संघ शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने इस संबंध में किए गए काम की पहली विस्तृत रिपोर्ट 1969 ई. में 'एक सिंहावलोकन : हिंदी का प्रसार एवं विकास, [1952-1967]' नामक पुस्तक में छापी थी। उसके पश्चात् गृह मंत्रालय द्वारा अनेक वार्षिक रिपोर्टें छापी जा चुकी हैं। सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए निम्न संस्थान बनाए गए हैं।

हिंदी के उत्थान हेतु संस्थान

क्रमांक संस्थान का नाम	स्थापना का वर्ष	उद्देश्य
1. वैज्ञानिक एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली का बोर्ड	1951	गणित, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, जंतु विज्ञान, कृषि, भूविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्रशासन एवं मुरझा संबंधी विषयों के लिए तकनीकी शब्दों का निर्माण
2. केंद्रीय हिंदी निदेशालय	1960	हिंदी प्रसार संबंधी कार्य
3. केंद्रीय हिंदी शिक्षण मण्डल, आगरा	1960	अहिंदी भाषा भाषियों एवं विदेशी लोगों को हिंदी पढ़ाने और अन्य संबंधित विषयों पर व्यावसायिक जानकारी और सलाह देना
4. अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ	1964	केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों को हिंदी के विकास संबंधी योजनाओं पर परामर्श देना

1967 ई. में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त अनेक मंत्रालयों में हिंदी गलाहकार समितियां हैं। इन समितियों में पार्लियामेंट के सदस्य और सरकारी कर्मचारी सदस्य होते हैं। प्रत्येक समिति के अध्यक्ष संबंध मंत्रालय के मंत्री होते हैं। कुछ एक मंत्रालयों की समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। ये समितियां समय समय पर मंत्रालय के काम में हिंदी के प्रयोग में हुई वृद्धि का मूल्यांकन करती हैं।

अहिंदी भाषा भाषी राज्यों के स्कूलों में हिंदी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को शत प्रतिशत अनुदान देती रही है। इन राज्यों में हिंदी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना

का खर्च भी केंद्रीय सरकार देती रही है। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल जैसे अहिंदी भाषी राज्यों को दी गई वार्षिक वित्तीय सहायता का ध्यौरा कुछ वर्षों के लिए इस प्रकार है

अनुदान की राशि

(लाख रुपये में)

वर्ष	हिंदी अध्यापकों के लिए	प्रशिक्षण कालेजी के लिए
1961-62	2 17	3 68
1962-63	9 00	3 33
1963-64	15 00	4 12
1964-65	190 88	6 61
1965-66	92 49	9 26
1966-67	48 35	6 86
1967-68	82 83	6 18
1968-69	83-40	5 62
1969-70	100 00	7 95
1970-71	114 07	10 03
1971-72	156 00	12 00
1972-73	250 00	12 00
1977-78	264 96	8 30

(पूरे दशक में विभिन्न राज्यों को दी गई अनुदान राशि की तुलना के लिए देखिए परिशिष्ट XXI)

चूंकि अनुदान राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार दिया जाता था, इसलिए बदायूँदा कुछ राज्यों को यह राशि नहीं भी मिली। सालाना अनुदान में कमी बेशी इस बात की सूचक है कि हिंदी का काम निर्बाध गति से प्रगति नहीं करता रहा, और प्रायः हर योजना के अंत में आमपास ही काम की गति रोज होती रही है। योजना के अंतिम वर्ष का खर्च योजना के पूर्व वर्षों के खर्च से अधिक इसलिए भी है क्योंकि अंतिम वर्ष के खर्च में उस वर्ष और योजना के पिछले वर्षों का खर्च शामिल है।

हिंदी एवं अहिंदी भाषी क्षेत्रों में 1975 ई में हिंदी प्रशिक्षण केंद्रों का वितरण इस प्रकार था

केंद्रों की संख्या

क्रम	केंद्र का विवरण	हिंदी भाषी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में	अहिंदी भाषी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में
1.	पूर्णकालिक भाषा प्रशिक्षण केंद्र	32	47
2.	अंशकालिक भाषा प्रशिक्षण केंद्र	21	57
3.	टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र	3	3

इस प्रकार अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या अधिक है, और यह उचित भी है। परंतु यह कहना मुश्किल है कि ये केंद्र कितनी दक्षता से चलाए गए हैं और स्थानीय आवश्यकताओं की कहां तक पूर्ति करते हैं। (इस संबंध में गवेषणा लाभप्रद हो सकती है।)

सरकारी कर्मचारियों का हिंदी ज्ञान बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार ने विभिन्न स्तरों की परीक्षाएं प्रारंभ की। उनके नाम हैं—प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, जिन्हें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के हिंदी कोर्सों के बराबर मान्यता दी गई। हिंदी टंकण और आशुलिपि के लिए भी परीक्षाएं शुरू की गईं। 1965 ई. और 1975 ई. के बीच जितने कर्मचारियों ने ये विभिन्न परीक्षाएं पास की उनकी तालिका अगले पृष्ठ पर दी गई है।

1975 तक प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या उन उम्मीदवारों का 57.3 प्रतिशत थी जिन्हें इन परीक्षाओं के लिए बैठना चाहिए था। टंकण और आशुलिपि के संबंध में यह प्रतिशत क्रमशः 50.7 और 59.6 था। इस प्रकार केवल संख्या की दृष्टि से यह योजना केंद्रीय सरकार के 60 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों तक व्याप्त नहीं हो सकी। 1975 ई. तक 320385 कर्मचारी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाएं पास कर चुके थे।¹ इनमें से 172419 अर्थात् 58.2 प्रतिशत ने ये परीक्षाएं 1965 ई. के बाद पास की थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि 1965 ई. तक अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग की तैयारी अपूर्ण एवं अपर्याप्त थी। अगली तालिका से यह भी पता चलता है कि प्रतिवर्ष परीक्षार्थियों की संख्या में कमी होती रही है। यह अवधि 1968-69 ई. में अधिकतम (30.7 प्रतिशत) थी। शायद यह 1967 ई. के राजभाषा (संशोधन) बिल की प्रतिक्रिया का एक परिणाम था। आगामी दो सालों में यह खाई कुछ हद तक पाट दी गई। परंतु फिर इसके बाद अवधि गुरु हो गई। यह भी देखने में आता है कि शेष परीक्षाओं की अपेक्षा प्राज्ञ की परीक्षा सर्वाधिक लोकप्रिय रही। इसका कारण

विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए
प्रत्याशियों की संख्या

क्रमांक	वर्ष	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	टंकण	आनुलिपि	कुल	पूर्व वर्ष के मुकामले में प्रतिशत वृद्धि
1	1965-66	4888	8731	9382	1038	201	24240	-
2	1966-67	3131	5875	7398	915	203	17522	-27.7
3	1967-68	3533	5378	6332	840	183	16266	-14.3
4	1968-69	2166	4341	6061	919	278	13765	-30.7
5	1969-70	6760	5937	6082	1121	427	20327	+47.6
6	1970-71	6954	7184	7207	1368	548	23261	+14.4
7	1971-72	5723	6287	6469	1283	408	20170	-13.2
8	1972-73	5188	5922	5490	1388	258	18246	-9.5
9	1973-74	5383	5120	5695	1388	193	17179	-5.8
10	1974-75	5183	4913	4306	1139	152	15693	-8.6
कुल योग		48909	59688	63822	11399	2851	186669	
कुल सदया का प्रतिशत		26.2	32.2	34.2	6.1	1.5	100	

शायद यही रहा होगा कि वयस्क प्रायः उच्चमन्त्रीय परीक्षा के लिए बैठना अधिक पसंद करते रहे होंगे।

शामन द्वारा अनुवाद का कार्य भी किया गया है। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने 1971 ई. में एक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था

- (क) हर प्रकार के सर सार्वधिक माहित्य का अनुवाद, और
(ख) विविध मंत्रालयों द्वारा किए गए अनुवादों की जांच।

ब्यूरो द्वारा अनेक नियम पुस्तकों और सहिताओं का अनुवाद किया जा चुका है। इसकी स्थापना में पूर्व अनुवाद का काम केंद्रीय हिंदी निदेशालय के जिम्मे था।

1956 से 1970 ई. तक की अवधि में नागरी प्रचारिणी सभा ने सोलह लाख रुपए की राशि व्यय कर हिंदी विश्वकोश के बारह ग्रंथ प्रकाशित किए।

1971-72 ई. में चार त्रिभाषा कोश (प्रांतीय भाषा अंग्रेजी हिंदी) पर कार्य आरंभ किया गया, और इस प्रकार के सोनह घट्टकोश प्रकाशित करने की योजना है। 1972-73 ई. में चालीन ऐसे जीर्णोद्धार की सूची तैयार की गई जिनके अनुवाद के लिए निजी संस्थानों और महकाने सहयोग की योजना थी।

1952 ई. में शिक्षा मंत्रालय ने हिंदी में मौलिक और अनूदित पुस्तकों को पुरस्कार देने की एक योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत ऐसी पुस्तकों पर विशेष विचार किया जाता था जिनके द्वारा अंतर्वर्गीय, अंतर्जातीय और अंतर्प्रांतीय मेल मिलाप को बढ़ाया मिले, और देश की मिश्रित संस्कृति को समझते अथवा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों की ज्ञान वृद्धि में सहायता मिले। 1967-68 ई. में एक अन्य योजना का सूत्रपात किया गया जिसके अनुसार अहिंदी भाषा भाषी इलाकों के हिंदी लेखकों और कवियों को पुरस्कार देने की व्यवस्था थी। योजना के अंतर्गत 1000 और 500 रुपये के दो पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस पुरस्कार के लिए प्रतियोगियों की गिनती हमेशा बहुत कम रही है। मिसाल के तौर पर, 1973 ई. में 51 नामों में से दस को पुरस्कार मिले। दूसरे शब्दों में 25 प्रतिशत प्रतियोगी पुरस्कृत किए गए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस योजना का प्रचार और अच्छी तरह किया जाए, पुरस्कार राजि में वृद्धि हो, और लेखकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

शिक्षा मंत्रालय ने अहिंदी भाषी प्रांतों के विद्यार्थियों को सेकेण्डरी स्कूल में आगे हिंदी पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देने की एक योजना भी प्रारंभ की है। विद्यार्थियों की कुल संख्या को देखते हुए इस योजना से लाभान्वित होने वालों की संख्या चाहे कम है, परंतु इनकी गिनती में वृद्धि होती रही है, और 1956-57 ई. और 1973 ई. के बीच इनकी गिनती 10 से बढ़कर 1850 तक पहुंच गई।

सरकार द्वारा चलाई गई अन्य योजनाओं में कुछ के नाम इस प्रकार हैं : हिंदी और अहिंदी भाषी राज्यों के बीच अध्यापकों और विद्यार्थियों का आदान प्रदान, लेखकों की अंतर्देशीय व्याख्यान यात्राएं, पुस्तक प्रदर्शनियां, विदेशों में हिंदी का प्रसार, हिंदी टाइपराइटर और टेलिप्रिंटर का मानकीकरण, संवाद में पेश होने वाली रिपोर्टों और विधेयकों का हिंदी अनुवाद, हिंदी सूचना केंद्रों का संस्थापन इत्यादि। इन योजनाओं के लाभों और इन्हें कार्यान्वित करने में सफलताओं का स्तर एक समान नहीं है।

भारतीय सांस्कृतिक परिपद् विदेशों में हिंदी के प्रसार हेतु कार्य करती रही है। यह परिपद् विदेशों में पूर्णकालिक और अंगकालिक हिंदी प्राध्यापक भेजती है और कुछ एक देशों में उनके वेतन के लिए आर्थिक सहायता भी

देनी है। हिंदी पढाने के लिए परिषद् ने त्रिनिदाद, गुयाना, सुरीनाम, कैरिबियन क्षेत्र, कालदो और रूमानिया में केंद्र खोले हैं।

अर्ध सरकारी क्षेत्र

इस क्षेत्र में विश्वविद्यालयों पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि 1968-69 ई में नौ म विश्वविद्यालयों के सभी अथवा कुछ कोर्सों में शिक्षा का माध्यम हिंदी था। 1975 ई तक ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या 45 हो चुकी थी।

24 और 25 जनवरी, 1979 ई को नई दिल्ली में हिंदी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, कुलपतियों (वाइस चांसलर) और अन्य प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यह निर्णय हुआ कि जुलाई, 1979 ई में प्रारंभ होने वाले शैक्षिक मंत्र से हिंदी भाषी राज्यों में कामर्स, आर्ट्स और साइंस के मध्यम विषय हिंदी माध्यम से पढ़ाए जाएं और जुलाई, 1980 ई से इंजीनियरी और चिकित्सा जैसे तृतीयकी विषय भी हिंदी माध्यम से पढ़ाए जाएं। बैठक में भाग लेने वालों ने सभी तकनीकी कोर्सों की भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखने पर भी छार दिया। परिशिष्ट XVII के विवरण II में विज्ञान एवं मानविकी विषयों में भारतीय भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों की भाषावार स्थिति दिखाई गई है। परिशिष्ट के विवरण I और II में भारतीय भाषाओं की शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की हाल की स्थिति के अलावा यह भी बताया गया है कि ये भाषाएँ किस स्तर पर परीक्षा का माध्यम हैं। इन विवरणों में अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है।

मघ लोच मेवा आयोग ने 1969 ई में हिंदी और संविधान की आठवीं अनुसूची की अर्थ 14 भाषाओं को अखिल भारतीय उच्च वंश्रीय मेवाओं की परीक्षाओं के लिए ऐच्छिक विषय के तौर पर शुरू किया। आयोग ने यह छूट दी थी कि निबंध और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र आठवीं अनुसूची की किसी भी भाषा में लिखे जा सकते हैं। योजना यह थी कि धीरे-धीरे परीक्षा के अर्थ विषयों के लिए भी इसी प्रकार की सुविधा दी जाए।¹ परंतु देखने में यह आया कि अंग्रेजी के माध्यम से इन दो प्रश्नपत्रों को लिखने वाले उम्मीदवारों की संख्या सभी पत्रों में भारतीय भाषाओं में उत्तर लिखने वाली न कहीं अधिक है।² इससे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को पढ़ाई की नींव को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हो जाती है।

संविधान के अनुच्छेद 348 की धारा (2) के अधीन राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यपालों के उस मुझाव को स्वीकृति दे दी, जिसके अनुसार

इन प्रदेशों के उच्च न्यायालयों में ऐच्छिक आधार पर कार्यवाही के कागज़ पत्रों में हिंदी भाषा के शपथ पत्र और अन्य कागज़ दर्ज किए जा सकते हैं। परंतु जो कागज़ फ़ैसले के कागज़ों में शामिल किए जाए, उनका अंग्रेज़ी में अनुवाद अनिवार्य ठहराया गया।⁶ 1970-71 ई. में राष्ट्रपति ने इलाहाबाद और राजस्थान के उच्च न्यायालयों को अनुमति दे दी कि वे वैकल्पिक आधार पर अपने फ़ैसलों में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यह ज़रूरी करार दिया गया कि उच्च न्यायालय के हिंदी में घोषित फ़ैसलों का अंग्रेज़ी में अनुवाद भी साथ साथ दिया जाएगा। 1976 ई. में सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही हिंदी में चलाने और हिंदी में फ़ैसला देने के विषयों पर विचार करने के लिए एक ससदीय कमेटी की नियुक्ति की गई।⁷ 25 नवंबर, 1977 ई. को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस में मारी कार्यवाही हिंदी में कर हिंदी में ही इस केस का फ़ैसला देकर राजभाषा के पक्ष में आगे की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम रखा।

विधि मंत्रालय दो मासिक पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित करता है। एक में हाईकोर्ट और दूसरी में सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाशन योग्य फ़ैसलों का विवरण होता है। शासन ने विधि के क्षेत्र में दो सर्वश्रेष्ठ प्रकाशनों के लिए क्रमशः 10,000 और 5,000 रुपए के पुरस्कार भी घोषित किए हैं।

निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्र ने भी हिंदी के प्रसार के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। वस्तुतः इस सिलसिले में निजी संस्थाओं ने बिना किसी सरकारी मदद के मार्गदर्शक का काम किया है, यद्यपि बाद में कई संस्थाओं को सरकारी सहायता उपलब्ध हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सहायता के लिए सरकार ने 7.39 लाख रुपए की राशि रखी थी। तीसरी योजना तक यह राशि बढ़ाकर 34.69 लाख रुपए कर दी गई थी। ममस्त प्राइवेट संस्थाओं के कार्य कलापों का समन्वय अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ करता है। ये संस्थाएं एक ही में ऊपर हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत प्रचार सभा, मणिपुर हिंदी परिषद् के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रथम दो संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान घोषित किया जा चुका है, और इनकी गतिविधियां व्यापक और विविध हैं।

जनसंपर्क साधनों में प्रेस, रेडियो, फिल्म और दूरदर्शन तथा अन्य परंपरागत संचार साधनों को शामिल किया जाता है। जनसंचार साधनों का मुख्य कार्य सूचना प्रसार होता है। इस आधार पर जनसंचार साधनों के विशेषज्ञों का मत है कि जनसंचार साधनों की कोई स्वतंत्र भाषा नीति नहीं होती। परंतु लोगों को सूचना देने के लिए इन साधनों को किसी न किसी

भाषा का प्रयोग करना होता है, और इस प्रक्रिया में वे भाषाओं के विकास को प्रभावित करने हैं और इनकी वृद्धि में भी सहयोग देने हैं। इसलिए हिंदी की लोकप्रियता जाचने के लिए जनसंचार साधनों के स्वरूप का मिहावलोकन लाभप्रद होगा।

1952 ई और 1973 ई के बीच 21 वर्षों की अवधि में विविध भाषाओं में प्रकाशित दैनिक, साप्ताहिक और पार्थिव पत्रिकाओं में जो वार्षिक विकास हुआ है, उसकी झलक परिशिष्ट XVII में मिल सकती है। इससे पता चलता है कि हिंदी प्रकाशनों की मालाना वृद्धि 1502 प्रतिशत रही, जबकि इसकी तुलना में अंग्रेजी प्रकाशनों के सबंध में यह प्रतिशत 1085 था, परंतु निरपेक्ष आंकड़ों की दृष्टि में अंग्रेजी प्रकाशन प्रथम स्थान पर थे।

पाठक गण संबंधी ग्राफ भी किसी भाषा की लोकप्रियता का सूचक होता है। 1970 ई में आरगेनाइजेशन रिसर्च ग्रुप, बडौदा (ओ आर जी) ने 15 वर्षों से ऊपर के वयस्कों में अखबारों के पाठकीय ढंग या तरीके की जानकारी के लिए एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण से पता चला कि अंग्रेजी प्रकाशनों की अनन्य रीडरशिप दिल्ली और असम में लगभग दो प्रतिशत, महाराष्ट्र और बंगाल में एक प्रतिशत के आसपास थी और शेष अधिकांश क्षेत्रों में आधा प्रतिशत से कम थी। इससे प्रतिबल, हिंदी प्रकाशनों का पठन बहुत अधिक था। रीडरशिप में वृद्धि प्रकाशनों और शिक्षा संबंधी सुविधाओं में वृद्धि के साथ जुड़ी रहती है।

दर्शकों की संख्या की दृष्टि से और श्रव्यदृश्य साधन होने के नाते प्रभाव भी दृष्टि से, फिल्म जनसंचार साधनों का महत्त्वपूर्ण अंग है। 1970 ई के ओ आर जी सर्वेक्षण ने प्रमाणित किया कि नगर और ग्राम, पुरुष एवं महिला, प्रायः हर वर्ग की आवादी में समाचारपत्रों की तुलना में फिल्मों की पहुंच कहीं अधिक थी। रेडियो प्रोग्रामों में कर्मागमल प्रसारण सर्वाधिक जनप्रिय हैं, परंतु चित्रपट इनसे भी आगे हैं। परिशिष्ट XVIII से पता चलता है कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और बन्नड भाषा की फिल्मों के निर्माण में 1947 ई और 1980 ई के बीच पर्याप्त उन्नति हुई है। इस परिशिष्ट में एक और बात भी स्पष्ट होती है कि 1965 ई में जब भाषा के विषय को लेकर आम कोलाहल उठा तो कुछ वर्षों तक हिंदी की फिल्मों के निर्माण में ह्रास हुआ, और उसके पश्चात् दक्षिण की चार भाषाओं की फिल्मों की संख्या में प्रायः वृद्धि होती गई। राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन के कारण भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में इजाफा हुआ। परंतु तथ्य तो यह है कि हिंदी कथाचित्र अब भी अन्य किरी भी भाषा में कहीं फिल्मों की अपेक्षा कहीं अधिक लोकप्रिय हैं। ओसत यह है, कि जहां हिंदी फिल्म के देश में प्रदर्शन के लिए 45 प्रति

निकाले जाते हैं, वहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों के 20 से अधिक प्रिंट नहीं निकलते। इसके अतिरिक्त, हिंदी फ़िल्में हर समय कम से कम दो सर्किट पर चल रही होती हैं और शेष समस्त क्षेत्रीय फिल्मों केवल एक ही सर्किट पर होती हैं।⁸ प्रत्येक भाषा क्षेत्र में सिनेमा घर प्रायः हिंदी फ़िल्म दर्शकों से भरे रहते हैं। इससे हिंदी फीचर फिल्मों की सर्वप्रियता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। साथ ही इसमें यह भी पता चलता है कि हिंदी को जन साधारण की भाषा बनाने में फिल्मों का कितना योगदान है। भारत में साल भर में दो या तीन अंग्रेजी फ़िल्मों का निर्माण होता है। देश में अंग्रेजी भाषा की फ़िल्मों का आयात अवश्य होता है, परंतु इन फ़िल्मों की प्रतियाँ सीमित संख्या में होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में विदेशी कथाचित्रों का आयात इस प्रकार रहा :

विदेशी कथाचित्रों का आयात

वर्ष	आयात की गई विदेशी फिल्मों की संख्या
1970	176
1971	129
1972	114
1973	38
1974	26
1975	102
1976	97
1977	192
1978	139
1979	153
1980	159

1973, 1974 ई. में अंग्रेजी फ़िल्मों के आयात की सरकार की नीति में तब्दीली के कारण एकदम अचानक हुई। अंग्रेजी फ़िल्मों के आयात पर रोक लगा दी गई, क्योंकि विदेशी फ़िल्म संस्थान पारस्परिकता के आधार पर भारतीय फ़िल्मों ख़रीदने को तैयार नहीं थे। वैसे भी अंग्रेजी फ़िल्मों का आयात गिरावट पर था।

विकास के लिए कार्य

यद्यपि आकड़ों के अनुसार उपलब्धियाँ बढ़ती गई हैं, और सभी प्रकार की

सम्पात्रा ने हिंदी के विकास में अरना योग दिया है, परन्तु सविधान के अनुच्छेद 343 की पूर्ण कार्यान्विति अभी सामने दिखाई नहीं पड़ती। यद्यपि आकड़ों की यथार्थता में कोई संदेह नहीं है परन्तु कुछ आकड़ों में भ्रामक हैं। उदाहरण के लिए, हजारों परीक्षार्थियों ने प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की परीक्षाएँ पास की, परन्तु इन आकड़ों में न तो परीक्षा के और न ही उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के स्तर का पता चलता है। यह भी अनुमान का विषय है कि परीक्षा में सफल कर्मचारियों ने कहा तक सरकारी काम में इस अर्जित हिंदी ज्ञान का सदुपयोग किया। जिन कर्मचारियों को सरकारी छवों पर हिंदी की शिक्षा दिलाई गई थी, उनके लिए हिंदी में कार्य करना अनिवार्य किया जा सकता था, ऐसा भी न हुआ। इस प्रकार इस सदुपयोग के अभाव में कर्मचारियों का हिंदी का ज्ञान लुप्त होता गया। इसके अलावा, यद्यपि नियमावलियों के अनेक पथों का अनुवाद किया जा चुका है, इनका इस्तेमाल अभी तक अपर्याप्त ही रहा है।

यदि हिंदी के विकास का सूचकांक इस आधार पर निकाला जाए कि इमन कहा तक अंग्रेज़ी का स्थान लिया है, तो कोई स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने नहीं आती, और न ही इस संबंध में कोई पृष्ठ आकड़ों मिलते हैं।

सद्य सरकार द्वारा पब्लिक से और राज्य सरकारों से हिंदी में प्राप्त पत्रों का उसी भाषा में उत्तर देने की चर्चा भी कोई उत्साहजनक नहीं है।^{१०}

निस्संदेह हिंदी के विकास के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारों, स्वायत्त एवं निजी संस्थानों ने प्रचुर योगदान दिया है। हिंदी प्रशिक्षण योजना, सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रोग्राम, विद्यार्थियों और विद्वानों के लिए पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति की योजना, लेखकों और अध्यापकों का अतर्पनीय आदान प्रदान इम मिश्रमिले में ठीक कदम रड़े हैं। परन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। राज्य सरकारों को क्षेत्रीय भाषाओं के उत्थान के लिए अभी विस्तृत योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है। ज़रूरत के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं की प्रगति के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को मदद देनी चाहिए। सभी भारतीय भाषाओं का विकास केंद्र और राज्य सरकारों की सम्मिलित जिम्मेदारी है। प्रशासनिक सुविधा के लिए चाहे हर प्रांत की जिम्मेदारी अपनी क्षेत्रीय भाषा के उत्थान के लिए प्रमाणित जुटाना हों, परन्तु सभी भारतीय भाषाओं का विकास एक राष्ट्रीय दायित्व है, जिसमें सभी सरकारों और समस्त जनता को हाथ बटाना चाहिए।

हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाओं के विस्तार की ज़रूरत है। जहाँ हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं की लिपि में अथवा क्षेत्रीय भाषाएँ देवनागरी लिपि में पढ़ाने की मांग हो वहाँ प्रायोगिक आधार पर इस

ओर कदम उठाए जाने चाहिए। शासन की गतिविधियां सभी ओर विस्तृत होती जा रही हैं। इसलिए वाकी कार्य क्षेत्रों की तरह भाषाओं के विकास में सफलता भी इस बात पर निर्भर रहेगी कि राज्य सरकारें इस काम में कितनी दिलचस्पी लेती हैं। परिशिष्ट XXI में दर्शाया गया है कि केंद्र की एक ही योजना में राज्य सरकारों ने कितना कितना लाभ उठाया है।

भाषा प्रशिक्षण मामलों को बढ़ाने और नौमिस्त्रियों को इसे उचित मूल्य पर देने की आवश्यकता है। वस्तुतः भारत जैसे देश में जहाँ साक्षरता और शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों को प्रेरणा देने की जरूरत है, सरकार को प्रकाशन तथा श्रव्य दृश्य साधनों के निर्माण कार्य में मुनामिव अनुदान देना चाहिए, ताकि कम से कम इन चीजों पर होने वाले खर्चों के कारण तो शिक्षा के कार्य में विघ्न न पड़ सके। शिक्षा संस्थाओं और पुस्तकालयों में आसानी से भाषा सीखने के लिए प्रयोगशालाओं (लेन्ग्-ग्विज लैबोरेट्रिज) की स्थापना की भी आवश्यकता है। जब तक कार्यक्रम के इन पहलुओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकेंगी।

देश के सभी भागों में अनुसंधान द्वारा यह सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है कि सभी भारतीय भाषाओं में क्या क्या साम्य है। भाषाओं में विद्यमान समापवर्तक और सभी भाषा में मिलती जुलती पारिभाषिक शब्दावली का हिंदी में समावेश करने से संघ की भाषा सभी वर्गों द्वारा सरलता से स्वीकार्य हो जाएगी। विद्वानों को यह अध्ययन करना चाहिए कि विभिन्न भाषा भाषियों को हिंदी सीखने में क्या क्या कठिनाइयां होती हैं और इन मुश्किलों को हल करने के उपाय सुझाने चाहिए।¹⁰

अनुवाद के काम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तदर्थ अनुवाद कार्य के चार आयाम हो सकते हैं : हिंदी से क्षेत्रीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में, सभी भारतीय भाषाओं से विदेशी भाषाओं में और विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में। प्रथम दो क्षेत्रों में कार्य से लोगों में आपसी मेल-मिलाप को बढ़ावा मिलेगा, और उन्हें यह भी पता चलेगा कि भारतीय साहित्य कितनी संपदा में भरपूर है। देश के मानक ग्रंथों के विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य को अभी तक उचित महत्ता नहीं दी गई है। परिणामस्वरूप, कुछ थोड़े भारतीय विद्याविदों को छोड़कर अन्य देशों के अधिकांश लोग भारतीय भाषाओं के साहित्य में निहित निधि में प्रायः अपरिचित हैं। इस प्रकार के अज्ञान और हमारी अंग्रेजी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण अन्य राष्ट्र के लोगों के दिलों में यह अज्ञान घर कर गया है कि भारतीय भाषाएं अभी तक अविकसित अवस्था में हैं। अतः इस कार्य को और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। जाहिर है, अपने देश के लोगों को विदेश में प्रचलित कला, विज्ञान आदि की आधुनिकतम धाराओं

न परिचित रखने के लिए कुछ मानक ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कार्य करना आवश्यक होगा।

केंद्र और राज्य सरकारों का इस सब काम की प्रगति के लिए अधिकधिक जिम्मेदारी लेनी होगी। परन्तु मेवानिष्ठ व्यक्ति और मस्याए भी निस्स्वाध तथा समपण भाव से बहुत योग दे सकती हैं। स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द और अनेक ऐसे महानुभावों की मफलताए निस्सदेह यह सिद्ध करती हैं कि जो इन व्यक्तियों ने अपनी निजी कोशिशों से प्राप्त किया है, वह कई बार सरकारों अपने पास सभी साधनों के होते हुए भी नहीं कर सकी हैं। इसलिए राष्ट्रीय भाषाओं के उत्थान के हेतु निष्ठावान् व्यक्तियों और मस्याओं की प्रोत्साहन देना बहुत उपयोगी होगा।

अतः मे इस वान पर फिर जोर देना आवश्यक है कि यद्यपि भारतीय भाषाए प्राचीन और सपन्न हैं और आज भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उह उपयोगी बनाने के प्रयोजन मे उनके विकास के लिए काफी काम किया जा चका है, फिर भी अभी उन्हें और प्रिस्तीण और गुण सपन्न बनाने की जरूरत है। मय की भाषा और सभी जन्म भारतीय भाषाए इस योग्य होनी चाहिए कि वे विदेशी भाषाओं मे पभास ग्रहण कर सकें, और उन्हें भी प्रभाविन कर सकें। यह भी कोई कम जरूरी नहीं कि जिन कमचारियों ने स्कूलों या कॉलेजों मे अथवा सेवाकालीन शिक्षा प्रोग्राम मे हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया है, वे इस ज्ञान का दफ्तरों के काम मे इस्तेमाल करें। जिन विधि पुस्तकों और कोडों का अनुवाद हो चुका है उन्हें शीतगार मे न रखकर प्रयोग में लाना चाहिए। केवल इन उपायों से ही शर्न शर्न हिंदी तथा अन्य राज्तीय भाषाए सरकारी काम मे अप्रेजी की स्थान ले पाएगी।

सदर्भ और टिप्पणिया

1. इस मिलमिले मे मस्याओं का सरकार,, मय सरकारी और गैर सरकारी श्रेणिया मे मुनिश्चिन बदवार करना कठिन है, उदाहरण के लीर पर इमी मध्याय के म्यामों पत्रों मे परिर्चचिन जनसपक साधनों मे मे किन्म और मखदार तो प्राइवेट क्षेत्र मे हैं और रटियों और दूरदगा सरकारी क्षेत्र मे हैं और कभी स्वाधन भी हो सकते हैं।

न्यायानय स्वाधन हैं, परन्तु विधि मन्त्रानय द्वारा हिंदी के प्रसार हेतु किया गया मय सरकारी कार्य क्षेत्र के मनगन प्राणा

2. प्रथम योजना 1951 ई मे प्रारम हुई थी। योजनाओं की अवधिया क्रमश इस प्रकार हैं 1951-56, 1956-61, 1961-66, 1969-74 एवं 1974-79। 1966 और 1969 मे अंतराल यात्रना अवकाश की सजा मे प्रसिद्ध है।

3. इस संस्था में वे कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्होंने वे परीक्षाएँ 1965-66 ई में पूरा पाम की.
4. इस प्रश्न तथा अन्य सभी प्रश्नों की जांच के लिए कोठारी कमेटी नाम से एक समिति की नियुक्ति की गई । इस समिति की सिफारिशों को स्वीकारते हुए सरकार ने 1979 में मरकरी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं के लिए सविधान की आठवी अनुसूची में दी गई सभी भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है । प्रश्न-पत्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाए जाएंगे
5. देखिए : परिशिष्ट XVI
6. भारत, गृह मंत्रालय, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें, 1969-70, दिल्ली, गृह मंत्रालय, 1970, पृष्ठ 5.
7. भारत, राज्य सभा, कार्यवाही, मई 21, 1976, दिल्ली, राज्य सभा कार्यालय, 1976
8. एक सकिट अथवा परिपथ फिल्मों के वितरण की इकाई होता है जिसमें कई राज्य और मंघ राज्य क्षेत्र होते हैं.
9. देखिए : परिशिष्ट XIX
10. इस क्षेत्र में भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान, मैसूर ने कुछ लाभप्रद कार्य किया है.

भविष्य के लिए आयोजन

किसी योजना की पूरी प्रक्रिया भविष्योन्मुख होती है। भाषा संबंधी आयोजन भी इस मिलमित्रे में अपवाद नहीं है। योजना बनाते समय वर्तमान स्थिति का ज्ञान लेना होता है और उसी के अनुकूल भावी नीति और कार्यक्रम का फैसला करना होता है। भाषा आयोजन कार्य केवल भाषाविदों में ही संघ नहीं रहता। इस कार्य में समाज भाषाविदों, राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों को भी शामिल करना जरूरी है। जनभाषा के ठीक आयोजन से राष्ट्रीय एकता के निर्माण कार्य में बहुत मदद मिल सकती है, देश में सूचना और शिक्षा के प्रसार की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है, और विद्वानों, वैज्ञानिकों एवं अन्य विशेषज्ञों के अनप्रीतीय आदान प्रदान में भी सहायता मिल सकती है। इसके प्रतिफल इस संघ में गलत कदम उठाने में फूट की प्रवृत्तियों को बड़ावा मिल सकता है, और नकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं।

योजना और आधारिक संरचना

प्रत्येक देश की योजनाएं उसकी जरूरतों और वहां पर उपलब्ध बुनियादी संरचना के अनुसार ही हो सकती हैं। भारत पर यह नियम और भी अधिक लागू होता है, क्योंकि भाषा के संघ में देश के सामने अनुसरण करने का कोई और नमूना नहीं है।

कई बार यह कहा जाता है कि सोवियत देश और इंडोनेशिया इस मिलमित्रे में भारत के लिए अच्छी मिसाल प्रस्तुत करते हैं। इन देशों में जनभाषा के इतिहास के अध्ययन में भारतीय भाषाशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों और अन्य नेताओं को समस्या समाधान के लिए कुछ विचार तो अवश्य मिल सकते हैं, परंतु हिंदुस्तान की परिस्थितियों की तस्वीर अन्य देशों की परिस्थितियों में कुछ और

ही है। भारत के संदर्भ में सोवियत संघ की मिमाल अकमर दी जाती है। यद्यपि रूस में लगभग 130 देशज भाषाएं हैं और यहां कोई 89 भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, परंतु वहां पर रूसी भाषा को संघ की भाषा घोषित करने में बहुत कठिनाई दरपेश नहीं आई। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि 1917 ई. के रूसी इंकलाव से पूर्व, सोवियत संघ के मौजूदा गणराज्यों का रूस गणराज्य से घनिष्ठ संबंध था और वहां पर रूसी भाषा का भी प्रयोग होता था। अतः इन राज्यों के लिए रूसी भाषा उस प्रकार से विदेशी भाषा नहीं थी, जैसे भारत के लिए अंग्रेजी। दूसरी बात है कि रूसी भाषा देश की अन्य भाषाओं के मुकाबले में कहीं अधिक विकसित थी। देश की कुछ भाषाओं की तो लिपि तक नहीं थी। तीसरी बात यह है कि रूसी भाषा आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं अधिक उपयुक्त थी, और देश के सर्वाधिक उन्नत भाग की भाषा थी। इसलिए इस भाषा के अध्ययन में देश के अनेक पिछड़े भागों में रहने वाले लोगों को उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते थे। लोगों में गतिशीलता और भ्रमणशीलता ने भी भाषाओं के सामंजस्य में काफी सहायता की है। प्रगति प्रकाशन मास्को द्वारा 1976 ई. में छपी 'सोवियत यूनियन—ए जिओग्राफिकल सर्वे' नामक पुस्तक के पृष्ठ 163-64 पर निम्नलिखित वर्णन पढ़ने को मिलता है :

और अंत में, देश में बड़ी बड़ी निर्माण परियोजनाओं द्वारा भी देश की जातियों को एक करने में बहुत सहयोग मिला। इसमें रूसी भाषा का बहुत योगदान है। लोगों में भ्रमण की प्रवृत्ति जैसे जैसे बढ़ती गई, देश के मुख्य मुख्य नगर बहुजातीय बनते गए और मिले जुले विवाहों में भी वृद्धि होती गई (कुछ नगरों में यह गिनती 30-40 प्रतिशत तक है)। यह देश की विभिन्न संस्कृतियों के गहन संश्लेषण और सोवियत जनसाधारण की जीवन प्रणाली की एक तस्वीर है।

सोवियत संघ के केन्द्रीय एशिया गणराज्यों में विभिन्न एक जातीय समूह के लोगों की संख्या, जिसका व्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया है, भी इस कथन पर पूर्ण प्रकाश डालता है।

आगे दी गई सारणी से पता चलता है कि रूसी, उकरैनियन, विलोरशियन अर्थात् स्लाव भाषाओं के बोलने वाले कुल मिलाकर क्षेत्रीय आवादी का 27, 4.5 और 0.5 प्रतिशत थे। ये सभी भाषाएं स्वर और व्याकरण विज्ञान की दृष्टि से परस्पर बहुत निकट हैं। एक और बात भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक गणराज्य में वहां के मुख्य एक जातीय समूह के वाद रूसियों की ही

1959 ई की जनगणना के अनुसार सोवियत केंद्रीय एशिया कजाकिस्तान
में मुख्य एक जातीय समूह के लोगों की सख्या

(हजारों में)

एक जातीय समूह	उज्बेक एमएम आर	तैदजिक एमएम आर	तुर्कमैन एमएम आर	किरगीज एमएम आर	कजाक एमएम आर	क्षेत्र में कुल	यू एम एम आर में कुल
उज्बेकी	5038	455	125	219	136	5972	6015
कजाकी	342	13	70	20	2787	3232	3622
तैदजिकी	311	1051	—	15	—	1377	1397
तुर्कमैनी	55	—	924	—	—	979	1002
किरगीजी	93	26	—	837	—	956	960
बारा-							
कम्पकम	168	—	—	—	—	168	173
उइगुरी	—	—	—	14	60	74	95
दुगली	—	—	—	—	10	10	22
कौरियन	138	—	—	—	74	211	314
तातारी	445	57	30	56	192	780	4968
रूसी	1092	263	263	624	3972	6214	114114
उकरै-							
नियन	88	27	21	137	761	1034	37253
विलीर-							
शियन	—	—	—	—	107	107	7913
	8119	1980	1516	2066	9310	22991	208827

(इमायेव एम आई सोवियत रूस में राष्ट्रीय भाषाएँ, समस्याएँ एवं समाधान,
प्रोग्रेस प्रकाशक, मास्को, 1977, पृष्ठ 198)

सख्या है। उज्बेक, तैदजिक, तुर्कमैन, किरगीजी और कजाकी गणराज्यों में रूसी
इन एक जातीय समूहों का क्रमशः 21.7, 25.28, 4.74, 5 और 14.3 प्रतिशत
है। सोवियत संघ के एशियाई भाग में रूसी तथा अन्य स्लाव भाषाओं के बोलने
वालों की बहुसंख्या में सोवियत संघ के केंद्रीय एशियाई भागों में रूसी भाषा के
पैमाने में बहुत मदद मिली है।

पाचवा कारण यह है कि रूसी भाषा का ज्ञान लोगों के 'दाल-चावल' के
साथ जुड़ा हुआ नहीं था क्योंकि सोवियत संघ के अनुमान प्रत्येक नागरिक

को काम का अधिकार प्राप्त है और रूसी भाषा की जानकारी न होने से किसी व्यक्ति के आर्थिक भविष्य पर बुरा असर नहीं पड़ता। यही कारण है कि रूसी भाषा के विकास कार्य का सोवियत संघ में उस प्रकार से विरोध नहीं हुआ जैसे भारत में हिंदी के विकास कार्य का हुआ।

जहां तक इंडोनेशिया का प्रश्न है, जब यह डच उपनिवेश था, तब भी वहां के सभी लोग मलायू भाषा समझते थे (अब इसे केवल 'भाषा' कहते हैं)। स्कूलों में अधिकांश विद्यार्थी इसे पढ़ते थे। यह देश की दूसरी राजभाषा थी, यद्यपि देश की मुख्य राजभाषा 'डच' की अपेक्षा इसका बहुत कम प्रयोग होता था। जन भाषा का पुनरुत्थान राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन का एक नारा था, इसलिए देश की आजादी के बाद इसे 'डच' का स्थान ग्रहण करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई।

बेल्जियम और स्विटजरलैण्ड जैसे देशों में तीन-तीन राजभाषाएँ हैं, परंतु यहाँ ऐसा इसलिए है कि इन देशों में सम्मिलित राज्य संघों के पारस्परिक बंधन बहुत मजबूत नहीं हैं और इन संघों के राज्यों में रहने वाले लोग अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं। स्विटजरलैण्ड में चार राष्ट्र भाषाएँ हैं : इनके नाम हैं - जर्मन, फ्रेंच, इतालियन और रोमांश, जिन्हें क्रमशः 74.5, 20.1, 4 और 1 प्रतिशत लोग बोलते हैं। पहली तीन भाषाएँ देश की राजभाषाएँ हैं। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान में 15 राष्ट्रीय भाषाएँ हैं, सभी की सभी बहुत विकसित हैं, और हर भाषा के बोलने वाले देश में भारी संख्या में हैं। सभी 15 भाषाओं को राजभाषा घोषित करना असंभव है। इसके साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि तीन भाषाओं को राजभाषा बनाने से भी स्विटजरलैण्ड की समस्या हल नहीं हो गई। उदाहरणतया, स्विटजरलैण्ड में अभी तक सर्व स्वीकृत राष्ट्र गान नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय परिस्थितियों का दृश्य पटल अन्य देशों के दृश्य पटल से कुछ भिन्न ही है, और भारत के सामने बाहर की कोई ऐसी मिसाल नहीं है जिसका देशवासी पूर्णरूपेण अनुसरण कर अपनी समस्या का समाधान ढूँढ सके।

समस्या की प्राचीनता और जटिलताएँ

यह दुहराना अनावश्यक है कि देश की भाषा समस्या बहुत पुरानी है। यह प्रश्न आजादी की लड़ाई के ज्वार के नीचे दबा रहा, परंतु आजादी के फ़ौरन बाद इसने पूरे जोर के साथ अपना सिर उठाया, और तभी से ज्यों-ज्यों समय बीतता गया है, इस समस्या की तीव्रता और अधिक होती गई है। मजुमदार का कहना है :

महेश नारायण ने सन 1894 ई. में भाषाई प्रांतों की मांग की। मसबत यह इस प्रकार की पहली मांग थी। बंगाल उन दिनों बंगाल, बिहार और उड़ीसा का एक सम्मिलित राज्य था। बंगाल में पृथक् होने की बिहार की मांग का एक कारण यह था कि अंग्रेजी में योग्यता और बलवत्ता राजधानी होने की वजह से सभी सरकारी नोकरियों पर बंगाली छाए हुए थे। जत्र महेश नारायण बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग कर रहे थे, लगभग उसी समय उड़ीसा के जाने माने नेता उडिया भाषा भाषी लोगों के लिए अलग प्रांत की अभियाचना कर रहे थे। इस प्रकार 1905 ई. में बंगाल के विभाजन के साथ भारत की राजनीति में भाषा का प्रश्न जीवित विषय बन गया। 1911 ई. में इसका फिर बटवारा हुआ और बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए। 1937 ई. में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, दोनों ने भाषायी प्रांतों का समर्थन किया।²

इस प्रकार भारत की भाषा समस्या की जड़ें बहुत पुरानी और गहरी हैं, और अब यह समस्या एक जटिल रूप धारण कर चुकी है। इसलिए इसका समाधान ठंडे दिमाग और तर्कमगत उपायों से ही संभव हो सकता है। भावनात्मक एवं पूर्वग्रह भरे समाधानों में स्थिति और बिगड़ जाएगी।

हिंदी का प्रत्येक विरोध उसी प्रकार देश प्रेम के विरुद्ध नहीं माना जा सकता जिस प्रकार अंग्रेजी की हर मुखालफत अप्रगतिशील एवं प्रतिक्रियावादी नहीं कही जा सकती। बहुत बार, विरोध का उद्भव अज्ञान से होता है, इसलिए यह जरूरी है कि सर्वप्रथम मंचार एवं सूचना के आधार पर तथ्यों का संतुलित बाधा जाए, और इस काम में सभी प्रकार के मिथ्यावरणों को दूर किया जाए। भाषा के मामले में कुछ एक मोर्चेबंदियों का उल्लेख नीचे दिया गया है।

यह कहा जाना है कि हिंदी पिछड़े इलाकों की भाषा है, इसलिए इसे विद्वानों पर नहीं लादा जाए। पाचवें अध्याय में आकड़ों के आधार पर यह प्रमाणित किया जा चुका है कि हिंदी भाषा भाषी राज्यों की साक्षरता देश के अन्य अनेक भागों की साक्षरता से अपेक्षाकृत कम है। इस दलील के आधार पर यह तर्क तो प्रस्तुत किया जा सकता था कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोगों को देश की शासन मत्ता में अधिकार नहीं मिलना चाहिए, परंतु हिंदी के खिलाफ इस दलील का इस्तेमाल बहुत सजल तर्क नहीं बनता। प्रमाणवश यह बना देना उचित होगा कि बाकी भारतीय भाषाओं के मुकाबले में हिंदी इस समय पीछे नहीं है।

फ्रैंक एथनी के इस आरोप की भी समीक्षा जरूरी है कि हिंदी में जान विज्ञान की पुस्तकों का अभाव है, और इसमें विधि एवं प्रशासन आदि शब्दावली शून्य के समान है। (राजभाषा कमेटी, 1959 की रिपोर्ट में देखिए असहमति का नोट) इस क्षेत्र में अंग्रेजी के मुकाबले में हिंदी की स्थिति निस्संदेह काफी कमजोर पड़ती है, परंतु 1950 ई. के पश्चात् हिंदी के विकास का कोई भी जानकार यह गवाही दे सकता है कि अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा हिंदी पीछे नहीं है। किसी भी भाषा का विकास शून्य में नहीं होता है। वाछनीय विकास भाषा के प्रयोग से ही होता है। पूर्वकाल में हिंदी को अपने विकास का पूरा अवसर नहीं मिला। भाषाओं के विकास के ऐतिहासिक पटल पर दृष्टि डालने से यह नियम सभी भाषाओं पर ठीक उतरता है और इसमें अंग्रेजी, रूसी अथवा कोई भाषा अपवाद नहीं है :

नार्मन लोगो के शासनकाल में और उसके तुरंत बाद ; जब इंग्लैंड की राजभाषा फ्रांसीसी थी; इंग्लैंड में केवल किसान और नौकर चाकर ही अंग्रेजी बोलते थे। उन्नीसवीं शताब्दी तक संस्कृत फ्रांसीसी समाज के लोग इसे गंवारू भाषा समझते थे। इसके मुकाबले में, इस भाषा को इस समय प्राप्त आदर किसी भी भाषा के लिए ईर्ष्या का विषय है। राष्ट्र भाषा के रूप में जर्मन भाषा का आदर नेपोलियन की लड़ाइयों के पश्चात् की बात है। जब पेरिस के दंभियों ने पाश्चात्य रंग में रंगे रूसियों द्वारा लिखी गई फ्रांसीसी भाषा का मजाक उड़ाना शुरू किया तो तोल्स्तोय, तुर्गनेव और अन्य लेखकों का ध्यान अपनी मातृभाषा के पुनरुत्थान की ओर गया। उन्होंने उन सभी कठिनाइयों का सामना किया जो आज भी किसी राष्ट्र अथवा भाषा के सामने आ सकती हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया कि शुरू-शुरू में गतिरोध के बाद, उन्नति बहुत तेजी से होती है, और ऐसा करने से सृजनात्मक एवं स्वीकारात्मक राष्ट्रीयता की उत्पत्ति ऐतिहासिक सत्य के रूप में सामने आ जाती है।'

स्वतंत्रता मिलने के पूर्व भी हिंदी देश के कुछ भागों में शासन और अदालतों की भाषा थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अनेक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, बिना किसी असुविधा के इसे छोटी अदालतों तथा उच्च न्यायालयों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और विधि, न्याय और शासन के क्षेत्रों में इससे काम चला रहे हैं।

हिंदी में मौजूदा पारिभाषिक शब्दावली को कृत्रिम और जटिल बताया जाता है। इसमें शक नहीं है कि नई और अपरिचित शब्दावली से मुश्किलें पैदा होती हैं, परंतु इस सिलसिले में यह नहीं भूलना चाहिए कि वह कठिनाई

अधिकांश उम विशिष्ट वर्ग तक सीमित है जो बहुत वर्षों से अंग्रेजी की शब्दावली का प्रयोग करना चला आ रहा है। समाज के प्रायः वयस्कों और बच्चों को, जिन्हें अभी साक्षर होना है, इस प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वे हिंदी प्रारंभ से ही सीखेंगे और अगर पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में पाचवें अध्याय में दिए गए राजभाषा आयोग के परामर्शों का पालन किया जाए तो बहुत कुछ मुश्किल दूर हो जाएगी। फिर भी थोड़ी बहुत मुश्किलें तो जरूर रहेंगी ही क्योंकि सामान्यतः शब्दावली देश में विज्ञान, उद्योग आदि के साथ विकसित होती है। उपनिवेशवाद के कारण उन्नति और आधुनिकीकरण की दौड़ में पीछे रह जाने से हिंदुस्तान अब प्रगति के माग पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वह समार के विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में आ मिले। इसी कारण हमारे यहां देशज पारिभाषिक शब्दावली में श्रमिक विकास का अभाव रहा है। इस सब के बावजूद, नई शब्दावली का योजनाबद्ध निर्माण और इसका निरंतर प्रयोग बहुत ही तक समस्या का निवारण कर देगा। आत्मज्ञ, आवागमन, विवेक और ज्ञान आदि आध्यात्मिक शब्दों को ही लीजिए। बहुत से पश्चिमी देशों के लोगों के लिए इन शब्दों का सार ग्रहण करना कठिन होगा, परंतु एक निरक्षर भारतीय भी इन शब्दों के अर्थों को आसानी से पकड़ लेता है, क्योंकि वह इन्हें चिरकाल से सुनता आया है तथा उनकी सृष्टि के अभिन्न अंग हैं।

हिंदी भाषा को कई बार हिंदू धर्म की भाषा बताया जाता है। यदि यह बात सत्य होती तो हिंदुओं का कोई भी वर्ग हिंदी का विरोध कैसे करता चाहे वह बंगाल का हो अथवा तमिलनाडु का? कई हिंदुओं की उर्दू साहित्य को अद्वितीय देन है, और बहुत से मुसलमानों की हिंदी सेवाओं को नहीं भुलाया जा सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिंदी में ऐहिक साहित्य की अधिक रचना और अन्य धर्मों के श्रेष्ठ ग्रंथों के और अधिक अनुवाद की आवश्यकता है, परंतु किसी भाषा का धर्म के साथ रिश्ता जोड़ना राष्ट्र के सामाजिक जीवन में विघटनकारी प्रवृत्तियों की निमंत्रण देने वाली बात होगी। भारत में उर्दू का हलाम इस कथन का ज्वलंत उदाहरण है।

जिस मुख्य आधार पर हिंदी को सघ्न की भाषा का स्थान प्राप्त हुआ है, फ्रेंच एगनी ने उसे भी चुनौती दी है। उनका कहना है हिंदी सभ्यता में बहुत लोगों की भाषा नहीं है। उनका मत है कि हिंदुस्तानी, उर्दू और पंजाबी बोलने वालों को हिंदी बोलने वालों से अलग कर दिया जाए, तो हिंदी भाषा भाषी देश की आवादी का केवल 10 प्रतिशत बनते हैं। उनका यह भी कहना है कि यदि उम हिंदी को प्रामाणिक माना जाए जिसमें आन इंडिया रेडियो के प्रोग्राम प्रसारित होने हैं अथवा जिस भाषा में भारतीय संविधान का अनुवाद मिलना

है तो हिंदी जानने वाले देश की आवादी का केवल आधा प्रतिशत हैं। इसकी तुलना में उनके अनुसार

अंग्रेजी में शिक्षित लोगों की संख्या हिंदी में शिक्षित लोगों की अपेक्षा कम से कम सौ गुना है। यदि मिश्रित अंग्रेजी बोलने वाले इस गिनती में शामिल किए जाएं तो मेरा अनुमान है कि यह सच्चा देश में मिश्रित हिंदुस्तानी बोलने वालों की गणना से यदि अधिक नहीं तो कम भी नहीं है।^{१५}

यह मालूम नहीं कि फ्रैंक एंथनी द्वारा दिए गए उपर्युक्त आंकड़ों का आधार क्या है। 1971 ई. की जनसंख्या के अनुसार देश के हिंदी भाषा भाषी भागों का क्षेत्रफल और इनकी आवादी इस प्रकार से थी :

हिंदी भाषा भाषी प्रांतों का क्षेत्रफल और आवादी

क्रम	हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र	जनसंख्या (लाख में)	क्षेत्रफल (000 वर्ग कि. मी.)	आवादी और क्षेत्रफल कुल का प्रतिशत
1.	बिहार	563.5	174	आवादी :
2.	हरियाणा	100.3	44	$\frac{2296.7 \times 100}{5479.5} = 41.92$ प्रतिशत
3.	हिमाचल प्रदेश	34.6	56	
4.	मध्य प्रदेश	416.5	443	क्षेत्रफल :
5.	राजस्थान	257.7	342	$\frac{1354 \times 100}{3280} = 41.80$ प्रतिशत
6.	उत्तर प्रदेश	883.4	294	
7.	दिल्ली	40.7	1	
कुल .		2296.7	1354	भारत की कुल जनसंख्या = 5479.5 लाख भारत का कुल क्षेत्रफल = 3280000 वर्ग कि. मी

इस प्रकार 1971 ई. की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा भाषी प्रांतों की आवादी और क्षेत्रफल लगभग बराबर थे। दोनों 42 प्रतिशत के आसपास थे। जैसे कि परिशिष्ट II में दर्शाया गया है, हिंदी भाषा का श्रेणी अंक (रैंक स्कोर) उच्चतम है और यह सर्वाधिक विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है।^{१६}

मुनीति कुमार चंद्रर्जो ने हिंदी का विरोध करते हुए कहा है कि इसे चुनने वाली सविधान मभा पार्लियामेंट की तरह निर्वाचित अथवा प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। यदि इस तर्क की मान लिया जाए, तो समस्त राष्ट्रीय संस्थानों को भंग करना होगा क्योंकि सभी का जन्म सविधान के आधार पर हुआ है। इसके अलावा 1963 ई. और 1967 ई. में, दो बार, मनोनित प्रतिनिधियों ने हिंदी के पक्ष में वोट दिया है। किसी भी समय पार्लियामेंट ने हिंदी के राजभाषा घोषित किए जान के औचित्य को चुनौती नहीं दी, यद्यपि अहिंदी भाषी लोगों को हिंदी सीखने के हेतु अधिक समय देने के लिए अंग्रेजी को भी राजभाषा बनाए रखने की अभियाचना जरूर की गई।

यदाकदा यह तर्क भी प्रस्तुत किया जाता है कि अहिंदी भाषी लोगों के लिए अंग्रेजी की तुलना में हिंदी अधिक विदेशी है। इस प्रकार का कथन केवल हिंदी के विरुद्ध द्वेष का ही परिचायक नहीं है, अपितु यह देश विरोधी भी है। तथ्यों के आधार पर इसका खंडन भी किया जा सकता है। अंग्रेजी शिक्षण अल्प मूल्यक लोगों को केवल अपने हितों एवं स्वार्थों की दृष्टि से ही स्थिति को देखने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र का प्रथम दायित्व आम जनता के प्रति होता है। स्वर, वाक्य रचना, लिपि और शब्द भंडार की दृष्टि से हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच बहुत समानता है। इसके प्रतिकूल अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच समानता की कोई कड़ी नहीं है। किसी भी भारतीय के लिए अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना वहीं अधिक आसान है, क्योंकि दोनों भाषाओं के बीच हिंदी सरलतर और ज्यादा वैज्ञानिक है। देश में सामाजिक वानावरण भी हिंदी सीखने के लिए अधिक अनुकूल है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यों में विषय वस्तु विशेषकर सांस्कृतिक विषयों की समानता के कारण अंग्रेजी की तुलना में हिंदी सीखने और इसमें उच्चस्तरीय ज्ञान प्राप्त करने में वहीं अधिक सुविधा होती है। अंग्रेजी हिंदुस्तान के कुछ लोगों की मातृभाषा जरूर है, फिर भी यह एक विदेशी भाषा है, इसलिए नहीं की यह मध्य में बहुत कम लोगों की भाषा है, परंतु इसलिए कि विषय वस्तु, शैली, हिंजो आदि के लिए अंग्रेजी सदैव विदेशी सूत्रों पर निर्भर रहती है। यह बात हिंदी पर लागू नहीं होती, क्योंकि अन्य भारतीय भाषाओं की भांति हिंदी अपनी समृद्धि के लिए मूलतः भारतीय सूत्रों पर आश्रित रहती है।

हिंदी के विरोध का एक कारण इसके समर्थकों में कथित कट्टरता, उग्र राष्ट्रीयता और भाषाज्यवादी प्रवृत्ति बताया जाता है। यद्यपि लोगों के व्यवहार के प्रति विरोध को उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा के प्रति विरोध में बदल देना एक भूल है, फिर भी यह उपयुक्त होगा कि इस बात का नीरक्षीर निर्णय

क्रिया जाए कि उपर्युक्त लक्षण हिंदी के समर्थकों पर कहां तक लागू होते हैं।

'चेंबर ट्रेन-टि-इय मेनचुरी डिक्शनरी' के अनुसार कट्टरपंथी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें धर्म अथवा अन्य किसी प्रकार की आस्था के प्रति अतिशय उत्साह हो। उग्र राष्ट्रीयता अपने देश में असयत गौरव की और दूसरे राष्ट्रों के प्रति उतनी ही समान घृणा की प्रवृत्ति को कहते हैं। और साम्राज्यवाद सम्राट् की सी सत्ता हथियाने और इसे विस्तीर्ण करने की लालमा को कहते हैं। निस्सदेह ये सब अवाञ्छनीय प्रवृत्तियां हैं, परन्तु 'अतिशय', 'असंयत' आदि का क्या मापदंड है? यह विचार करने का प्रश्न है कि साम्राज्यवादी कौन हैं? वे व्यक्ति जो भारतीय भाषा को देश की राजभाषा बनाने की मांग कर रहे हैं, अथवा वे जो विदेशी अथवा भारत का उपनिवेश बनाने वाले अंग्रेजों की भाषा के लिए मांग कर रहे हैं? इस विवाद का फ़ैसला करना कोई आसान कार्य नहीं है, विशेषकर जब दोनों पक्ष के लोगो ने इस समस्या को लेकर अनेक अवाञ्छित घोषणाएं की हैं। जब रामनाथ गोयनका ने संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदुस्तानी में चलाने के गोविंददास के प्रस्ताव का विरोध किया, तो गोविंददास ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट की :

मद्राम से आने वाले बंधुओं को मैं यह बताना चाहूंगा कि यदि महात्मा गांधी के 25 वर्षों के परिश्रम के बाद भी वे हिंदुस्तानी नहीं समझ पाए तो यह उन्हीं का दोष है। यह हमारे धैर्य की सीमा से बाहर है कि संविधान सभा में जो देश की एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था है और भारत के संविधान के निर्माण के लिए बैठी है, अंग्रेजी को सर्वोच्च स्थान दिया जाए।⁷

दूसरे पक्ष से एंथनी ने इस पर व्यंग्य करते हुए कहा :

नई हिंदी, जैसे कि मैं इसे कहता हूं, भाषा का नहीं, एक प्रहसन का रूप धारण कर रही है। रेलवे के बोर्डों (पटलों), सरकारी दफ्तरों के नामों, लोकमभा के नोटिसों की भाषा पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे यह मृत शब्दों की रद्दी की टोकरी से उठाकर उन्हें पुनर्जीवित करने का कोई प्रयास हो अथवा नई हिंदी शब्दावली के अस्वाभाविक सामंजस्य का एक प्रस्तुतीकरण हो।⁸

इस प्रकार दोनों पक्षों में से किसी भी गुप को कट्टरता के अभियोग से बरी करना मुश्किल है। न्यायसंगत एवं स्वीकारात्मक फ़ैसले पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों को उदारता से काम लेना होगा। फ़ारसी में एक कहावत है 'आवाज-

ए-खन्क, नक्कारा-ए-खुदा', अर्थात् जनमत ही ब्रह्म वाक्य होता है। यह स्वीकार कर लिया जाए कि भाषायी कट्टरपथ की शुरुआत हिंदी के समर्थकों से हुई और विपक्षियों के प्रदर्शन इस कट्टरपथ की प्रतिक्रिया में थे, तो भी इसका औचित्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। आन्ध्र हिंदी किमी वर्ग विशेष की बपीती नहीं है। यह तो देश की एक भाषा है जिसमें साधारण जनसमूह के साथ मजक स्थापित करने में आसानी होगी। अन्य भाषाओं की भांति यह भी राष्ट्र की संपत्ति है, जिस और समृद्ध बनाना, और गौरव प्रदान करना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। कुछ व्यक्तियों की गलतियों के कारण वाद विवाद की इतिहास के लिए यदि ऐसा मान भी लिया जाए तो भी राष्ट्रीय लक्ष्य और निष्पत्ति इस प्रकार नहीं बदलते।

राष्ट्रीय आदर्शों पर आधारित व्यावहारिक समाधान

प्रौढ राष्ट्र अपनी समस्याओं का हल राष्ट्रीय मूल्यों एवं विशाल दृष्टिकोण के आधार पर ढूँढते हैं। भारत के लिए ये मूल्य हैं लोकतंत्र, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता। इनके अनिश्चित ऐतिहासिक परंपराओं ने इस देश के नेताओं पर कुछ विशेष जिम्मेदारियाँ भी डाली हैं भाषा की जटिल समस्या का समाधान इन्हीं मूल्यों और मनुवादी मापदण्डों के आधार पर ही तलाश करना होगा।

पिछले पृष्ठों पर भाषा के लिए कुछ मानदण्डों की विस्तृत चर्चा दर्ज की गई है। संपूर्ण विवाद के उपरान्त हम इस परिणाम पर पहुँचे थे कि किसी अन्य भाषा की अपेक्षा हिंदी ही इन मानकों की सर्वाधिक पूर्ति करती है। यह भी बताया जा चुका है कि राष्ट्र के सीमित साधनों को देखते हुए बहुत समय तक दो राजभाषाओं का बनाए रखना भी उचित नहीं है।

कभी कभी कनाडा, बेलजियन और स्विट्जरलैंड के उदाहरण देकर भारत में अनिश्चित काल तक हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा बनाए रखने की दुहाई दी जाती है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, सर्वप्रथम इन देशों का राजनीतिक इतिहास भारत के इतिहास से अलग है। दूसरे, जहाँ इन देशों ने राजभाषाओं का चुनाव केवल अपनी देशी भाषाओं के बीच में से किया है। अंग्रेजी हिंदुस्तान के लिए एक विदेशी भाषा है, और भारत के बहूत कम लोग इसे बोल पाते हैं। वस्तुतः मसाल में कोई भी बड़ा राष्ट्र अपना कामकाज चलाने के लिए विदेशी भाषा पर निर्भर नहीं होता।

भारत का भविष्य निम्नलिखित उज्ज्वल है, इसीलिए वर्तमान पीढ़ी को ऐसी गलत परंपराओं की नींव नहीं रखनी चाहिए जिससे आने वाली सतानों को लज्जित होना पड़े। इनमें से कुछ ऐसी परिस्थितियों का निष्पत्ति पृष्ठों में

किया जा चुका है। दूसरे किसी के मन में यह धारणा नहीं बैठनी चाहिए कि भारत की समृद्ध भाषाओं में से कोई भी संघ की भाषा बनने के योग्य नहीं है।

राजभाषा के पद पर अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी की स्थापना के लिए हिंदी की योग्यता और इसकी स्वीकारात्मकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाने होंगे। कुछ एक मुख्य दिशाएं, जिनकी ओर पग बढ़ाने की आवश्यकता है, इन प्रकार हैं:

संघ की भाषा को चाहे 'हिंदी' की सजा दे अथवा हिंदुस्तानी की, परंतु शैली में यह भाषा 'हिंदुस्तानी हिंदी' अर्थात् आमाम हिंदी होनी चाहिए, न कि बोझिल हिंदी। यह भाषा, अपने मूल स्वभाव को कायम रखते हुए, देश की सभी (अथवा अनेक) भाषाओं एवं बोलियों का संमिश्रण होनी चाहिए। कृत्रिम उपायों से विभिन्न भाषाओं के शब्दों को संघ की भाषा में भरने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि भाषाविद् इस समस्या को सुलझाने के लिए भाषा आयोग के परामर्शों पर अमल करेंगे तो समस्या अजेय नहीं है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस संबंध में लगकर काम नहीं किया गया है, और न ही देश के विभिन्न भागों में अमुक भाषा की स्वीकारात्मकता जांचने के लिए कोई परीक्षण किए गए हैं। विभिन्न भाषाओं में से ग्रहण कर राजभाषा में अनेक पर्यायवाची एवं अलग अर्थच्छटा के शब्द समाहित किए जा सकते हैं। इससे विभिन्न भाषा भाषी संघ की भाषा में भागीदार होने का अनुभव करेंगे, और उनके लिए इसे सीखना भी सरल हो जाएगा। देश की भाषा के इस विधि से विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 351 में पहले ही से उल्लेख है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के कदम संविधान सभा और पार्लियामेंट में सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त विचारों के अनुकूल भी होंगे। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश के उदाहरणों को सामने रखते हुए हमें यह याद रखना होगा कि जब कोई भाषा अपनी लचक खो बैठती है, या जनता से दूर हट जाती है, तो इसका अवसान हो जाता है, और कोई नई भाषा इसका स्थान ले लेती है।

शिक्षा संवर्धी सुविधाओं का भी द्रुत गति में प्रसार होना चाहिए। एक प्रशिक्षित व्यक्ति में संकीर्णता प्रायः कम होती है। किसी भी निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति के लिए शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अशिक्षित व्यक्ति को गुमराह करना आसान होता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने में अपेक्षाकृत अधिक ममर्थ होता है। इसके अलावा, जिस व्यक्ति ने एक भाषा सीख रखी हो उसके लिए दूसरी भाषा सीखना आसान होता है। निरक्षर व्यक्ति में यह बात नहीं होती, क्योंकि निरक्षर व्यक्ति का ज्ञान की ओर आकर्षण प्रायः कम होता है।

शिक्षा व्यवस्था में मानव परिवार को कुटुंब समझते हुए देशभक्ति की अधिक भावना भरने की योजना होनी चाहिए। शिक्षा द्वारा रुद्धिगत संकीर्णता की भावनाओं को बहिष्कृत करना अनिवार्य है। यह अनुदारता धर्म में जाति

भेद, राष्ट्रीय मामलों में प्राथम्यता एवं सांप्रदायिकता और शासन में विभिन्न सेवाओं के बीच गुटबंदी का रूप लेकर भाषने आती है। ऐसी प्रवृत्तियों की रोक-थाम के लिए कदम उठाने चाहिए। ऐसा करने से केवल भाषा की समस्या ही हल नहीं होगी, परन्तु उन सभी समस्याओं का भी हल निकलेगा जो इस प्रकार की मानसिक दृग्गताओं में जन्मी हैं। सोवियत संघ ने 1917 ई. की क्रांति के भीतर बाद शिक्षा की एक उपर्युक्त विशेष जरूरतों को अच्छी तरह समझा। यद्यपि सोवियत संघ में आज 126 जातियाँ हैं, तथापि 1971 ई. में हुई चौथीमंथी कम्युनिस्ट पार्टी काँग्रेस के अनुसार 'आज सोवियत यूनियन में एक नया ऐतिहासिक समाज है, और इसका नाम है सोवियत जनता।' सभी देश इन जादशों पर चल देते हैं, लेकिन इनकी उपलब्धि के उनके मार्ग अलग अलग हैं। इसमें भूल करने वाला देश अपनी राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल देता है।

हमें उपाय भी जरूरी है जिनमें सृनिश्चित रूप से भाषा की आड में किसी वर्ग का सांस्कृतिक अथवा आर्थिक शोषण सम्भव न हो। देश में सभी सस्कृतियों को विकास की स्वतंत्रता है। भारत को मचमुच अपनी सांस्कृतिक विविधता पर गौरव है। देश में विभिन्न धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्वों का मनाया जाना इसका प्रमाण है। गणतंत्र दिवस पर समस्त राज्यों की सांस्कृतिक झलकियों का प्रस्तुतीकरण इस कथन का एक और प्रमाण है। इस प्रकार की कार्यविधियों की और आगे बढ़ाने की जरूरत है। सांस्कृतिक दलों के अंतरजातीय एवं अंतरक्षेत्रीय आदान प्रदान में सभी वर्गों में देश की सस्कृतियों के प्रति पारस्परिक मद्भावनता बढ़ेगी। इससे आपसी स्नेह में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

देश के समस्त भागों के लोगों तथा नेताओं को सुरक्षा, राजनीतिक, आर्थिक सांसाजिक, सांस्कृतिक, भाषा संबंधी या अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मुख्य धारा में लाने की हर सम्भव कोशिश की जानी चाहिए। अनेक मिसालें यह सिद्ध करती हैं कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मुख्य धारा से बाहर होने पर अनेक लोगों के विचारों में तबदीली आ जाती है। उदाहरणार्थ, काँग्रेस से बाहर होने पर मुहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान की मांग रखी, जिसका नतीजा था हिंदुस्तान का दो टुकडो में बंटवारा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जब काँग्रेस में थे, या मद्रास में काँग्रेस सरकार के मन्थमन्त्री थे, तो हिंदी के समर्थक थे, और सैल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के विरोध के बावजूद उन्होंने हिंदी की नमिलनाडु के हार्टस्कूलो में एक अनिवायं विषय रखवाया था। देश के तबनेर जनरल पद में हटने के कुछ समय बाद वह स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए, और अंग्रेजी भाषा के जोरदार समर्थक बन गए।

सरकारी नौकरियों के लिए आशंकाओं का निवारण

अहिंदी भाषी लोगों के दिलों में यह शंका है कि जब अंग्रेजी संघ की राजभाषा नहीं रहेगी तो हिंदी भाषी लोगों की तुलना में उन्हें सरकारी एवं स्वायत्त संस्थाओं की नौकरियों में नुकसान रहेगा। यह धारणा ठीक भी हो सकती है, और ग़लत भी। नौकरियों में सफलता प्राप्ति केवल व्यक्ति की भाषा में दक्षता के साथ संबंधित न होकर उसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, भिन्न कलाओं एवं कार्यों में प्रवीणता और शिक्षा के स्तर आदि के साथ जुड़ी रहती है। हां, इस बात में दो राय नहीं है कि अंग्रेजी के वहिष्करण से विभिन्न वर्ग और इसमें खास तौर पर अहिंदी भाषी संप्रदाय की उन सुविधाओं का अंत हो जाएगा जो ऐतिहासिक परिस्थितियों के फलस्वरूप उन्हें उपलब्ध हो गई थी और जिनके कारण वे अंग्रेजी सीखने में शेष लोगों से पहले जुट गए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिंदी भाषा अहिंदी भाषियों के आर्थिक शोषण का न तो उपकरण बने और न ही इसे ऐसा समझा जाए, ऐसा मार्ग खोजना जरूरी है कि जब तक अहिंदी भाषी हिंदी भाषा में दक्ष नहीं होते, नौकरियों का पलड़ा हिंदी भाषी लोगों की तरफ भारी न हो जाए। इसका एक उपाय यह है कि भाषा के आधार पर (संप्रदाय के आधार पर नहीं), सरकारी नौकरियों में कोटा निश्चित कर दिया जाए। भाषा आयोग ने सरकारी सेवाओं में 'कोटा प्रणाली' शुरू करने का मख्त विरोध किया था।⁹ निस्संदेह, नागरिक संस्थाओं एवं विधान सभाओं में साम्प्रदायिकता के आधार पर स्थानों का कोटा रखने के कारण देश काफ़ी दुष्परिणाम भुगत चुका है। इसी के कारण सांप्रदायिक एवं वर्गीय झगड़े हुए, जिससे देश की एकता भंग हो गई और देश के मानचित्र की रेखाएं फिर से खींचनी पड़ीं। इसमें कोई शक नहीं है कि भाषायी आधार पर नौकरियों का अभिरक्षण भी यदि अधिक समय तक रखा गया तो उसके भी नकारात्मक परिणाम होंगे और इससे संघ के लिए एक सर्व सामान्य भाषा के निर्माण में विलंब हो जाएगा। इसलिए ही सकता है कि सुझाव सबको मान्य न हो।

दूसरा उपाय इस प्रकार हो सकता है : कुछ समय के लिए केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती प्रांतीय सेवाओं के मार्ग से सीमित रखी जा सकती है। इससे सेवाओं के गुणस्तर में अवनति नहीं होगी, क्योंकि प्रांतों में भी भर्ती के समय आजकल के प्रशासन की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। प्रांतों से केन्द्रीय सेवा में आने वाले के लिए निश्चित अवधि में हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य बनाया जा सकता है।

एक अन्य उपाय यह है कि संघ की सेवाओं में विभिन्न भाषायी वर्गों के लिए समुचित समय तक नौकरियों की मौजूदा स्थिति बनाई रखी जाए। शायद दस

वर्ष तक यह स्थिति बनाए रखना उचित होगा। इस दौरान ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि इस अवधि की समाप्ति पर पूरी तरह से हिंदी द्वारा काम चलना सम्भव हो जाए। जो विद्यार्थी इस समय पाठवी कक्षा में हैं, एक दशक में वे ग्रेजुएट बन चुके होंगे, और वही नौकरियों की माफ़ेंट और प्रतियोगिता के मैदान में होंगे। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने के कारण इनके हिंदी ज्ञान का स्तर समृद्धि होगा। इस अवधि के पश्चात् नौकरियों में अधिक समय तक यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत नहीं रहेगी।

हिंदी विकास की प्रारंभिक स्थिति में कहीं आगे बढ़ चुकी है, इसलिए दस साल या इससे न्यूनधिक जो भी अवधि इस काम के लिए एक बार निश्चित की जाए उसका दृढ़ता से पालन हो। अहिंदी भाषी लोगों का इस अवधि के निर्णय करने में काफी हाथ होना चाहिए। परंतु इसमें अनिश्चितता नहीं बनी रहनी चाहिए।¹⁰ सत्राति की अवधि की समाप्ति पर यथास्थिति हटाई जा सकती है, और सघ लोक सेवा आयोग परीक्षाएं आरंभ कर सकता है। यदि प्रांतीय सेवाओं द्वारा केंद्रीय सेवाओं में भर्ती का तरीका अधिक लाभप्रद और कम खर्चीला सिद्ध होता है तो इसे अपनाया भी जा सकता है, और यह शर्त रखी जा सकती है कि केंद्रीय नौकरियों में भर्ती होने वाले निश्चिन काल में, नौकरी की जरूरतों के अनुसार, हिंदी में अनिवार्य तौर पर उचित स्तर की परीक्षा पास करेंगे। इस मिलमिले में विस्तृत रूपरेखा विशेषज्ञ निर्धारित कर सकते हैं।

लिपि का मसला

भाषा के साथ इसकी लिपि का मसला भी अभिन्न रूप में जुड़ा है। पिछले अध्यायों में रोमन और नागरी लिपियों के गुण-दोषों पर कुछ प्रकाश डाला जा चुका है। नागरी लिपि को सभार की अन्य लिपियों की पृष्ठभूमि में देखना उचित होगा। सभार में लिपि के पांच मुख्य परिवार हैं— रोमन, ग्रेको रोमन, चीनी, (मूललिपि), अरबी अथवा फारसी और ब्राह्मी अथवा नागरी लिपि। ये लिपियां अगले पृष्ठ पर दी तालिका के अनुसार सभार के देशों में प्रचलित हैं।

नागरी लिपि के परिवार की सभी भाषाओं, अर्थात् तिब्बती, नेपाली, असमी, बंगाली, बर्मो, डोगरी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड, मलयालम, तमिल, मिघली, तेलुगु, उडिया, संस्कृत, पाली और थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, कोरिया और भर्गोन्दा की विभिन्न लिखित भाषाओं में वर्णों का एक ही क्रम होता है और सभी में मात्राओं का प्रयोग होता है।¹¹


ब्राह्मी लिपि का इतिहास (जिसमें नागरी लिपि का जन्म हुआ है) तीन चार हजार वर्ष पुराना है। अशोक काल में ब्राह्मी का प्रयोग मिलता है। समय

संसार की लिपियां

क्रम लिपि का नाम	जिन देशों में ये लिपियां प्रचलित है
1. रोमन	दोनो अमरीका, आस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप
2. ग्रेगोरियोमन	पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ का एशियाई भाग
3. चीनी (मूर्त्तलिपि)	पूर्वी एशिया
4. अरबी या फ़ारसी	पश्चिमी एशिया
5. ब्राह्मी अथवा नागरी	भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया

के साथ ब्राह्मी में कुछ परिवर्तन आए । ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में 'शुंग लिपि', ईसा पूर्व पहली शताब्दी में 'कुशान लिपि' और ईसा उपरान्त पांचवी शताब्दी में 'गुप्त लिपि' का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ । ज्यो ज्यों गुप्त राज्य का देश (और इसमें दक्षिण भी शामिल था) में विस्तार हुआ, सस्कृत के साथ, जिसे गुप्त राज्य का समर्थन प्राप्त था, ब्राह्मी लिपि का प्रभाव भी व्यापक हो गया । इस समय तक ब्राह्मी की निम्नलिखित शाखाएं बन चुकी थीं :

ब्राह्मी लिपि की शाखाएं



कुछ लोग देवनागरी को केवल हिंदी भाषा की लिपि समझकर इसका विरोध करने हैं। उन्हें इस गलतफहमी का दूर करने की आवश्यकता है। देवनागरी लिपि का जन्म विभिन्न भारतीय भाषाओं के संश्लेषण से हुआ था। देवनागरी (काशी) में भारतीय भाषाओं के विद्वानों ने मिलकर इस लिपि का निर्माण किया था। ब्राह्मी लिपि से जन्म लेकर, देवनागरी लिपि का संस्कृत, पाली और अर्घमागधी में भी इस्तेमाल हुआ है। 700 ई. में, पल्लव राजाओं ने तमिल और ग्रथ लिपि के अतिरिक्त इसका प्रयोग किया। पल्लवों से पहले चोलों ने देवनागरी लिपि को अपने सिक्कों पर इस्तेमाल किया। 800 ई. में चालुक्यों ने वज्ज्वली के अलावा इसका भी प्रयोग किया। मद्रास के संग्रहालय में एक पुराने स्तंभ पर देवनागरी लिपि लिखी मिलती है।¹²

देवनागरी बहुत वैज्ञानिक और सीखने में एक सरल लिपि ही केवल नहीं है, अपितु वह भारत की पंतुक भक्ति भी है। देवनागरी और सिंधी भाषा की लिपि में कोई अंतर नहीं है, यद्यपि सिंधी लिपि में से दूर-अध्या फारसी की लिपि का भी इस्तेमाल होता रहा है। बंगाली, गुजराती, मराठी की लिपियाँ संस्कृत एवं हिंदी की लिपियों से मिलती जुड़ती हैं। उद्योग, भाषा की लिपि उत्तर और दक्षिण की सामंजस्य है। 1961 ई. में मुख्य मंत्रियों ने एक कार्यक्रम में देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में स्वीकार करते की सिफारिश करते हुए कहा था

1961.11.22.10.11.1.118

समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक भाषी लिपि केवल अभीष्ट ही नहीं है अपितु भारतीय भाषाओं के बीच एक मशकत सेतु के निर्माण के लिए अनिवार्य भी है। इसमें राष्ट्रीय एकता वागने में बहुत सहायता मिल सकती है। आज की परिस्थितियों में यह सपकलिपि सिर्फ देवनागरी हो सकती है। यद्यपि निकट भविष्य में एक अखिल भारतीय लिपि का इस्तेमाल शायद मुश्किल में हो, परंतु यह उद्देश्य सामने रहना चाहिए, और इसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए।¹³

जब हम अखिल भारतीय लिपि की बात करत हैं, तो इसका यह प्रयोजन नहीं है कि देश भारतीय लिपियों को देश से निर्वासित कर दिया जाएगा। इसका तात्पर्य है एक ऐसी लिपि, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उच्च साहित्य उपलब्ध हो। समार की दूसरी भाषाएँ (जिनकी लिपि नहीं है अथवा जिनकी लिपि जटिल है) देवनागरी लिपि, जो सरल तथा वैज्ञानिक है, को अपीकार कर सकती है, परंतु इसकी उम्मीद नो सब वक्त तकनी है जब देवनागरी पहले अखिल भारतीय लिपि के रूप में स्वीकृत हो जाए, टाइप मशीन

और अन्य आधुनिक यंत्रों के उपयोगी बन जाए, और इसमें पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक एवं अन्य समृद्ध साहित्य प्रकाशित होने लगे।

द्विभाषा सूत्र

भाषा का प्रश्न शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रमों के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इस संबंध में भी कुछ संकेत करना उचित होगा। सरकार त्रिभाषा फ़ार्मूले को लागू करने के लिए वचनबद्ध है। इस फ़ार्मूले के अनुसार हर विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से तीन भाषाएं पढ़नी होंगी : हिंदी, हिंदी के अतिरिक्त एक क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी। राजनीतिक समझौते की दृष्टि से यह फ़ार्मूला ठीक दिखाई पड़ता है। मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वचन में छात्र इसी भाषा में किसी बात को सर्वाधिक समझ और अभिव्यक्त कर सकता है। हिंदी, संघ की भाषा के नाते अनिवार्य है। अंग्रेजी को हम इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें संसार के ज्ञान का भण्डार है। कुछ हिंदुस्तानी इसकी वकालत करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों से प्राप्त ऐतिहासिक विरासत के कारण से अन्य किसी विदेशी भाषा की अपेक्षा भारत में अंग्रेजी के प्रजिज्ञान के लिए अधिक मुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि त्रिभाषा फ़ार्मूले के कारण विद्यार्थियों के दिमागों पर अधिक बोझ पड़ता है। पाठ्यक्रम में भाषा पर अत्यधिक बल देने से ज्ञानविज्ञान के अन्य विषयों, जैसे गणित, भौतिकी आदि जो बड़ी तेजी से विकसित हो रहे हैं, की ओर विद्यार्थी पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा, हर एक छात्र को भाषाएं पढ़ने का इतना शौक नहीं होता कि उस पर तीन भाषाएं लाजिमी लाद दी जाएं। यह भी देखने में आया है कि सरकार ने इस फ़ार्मूले के अनुसार हिंदी को जितना अनिवार्य बनाने की कोशिश की है, इसकी उतनी ही मुखालफत हुई है। अंतिम बात यह है कि त्रिभाषा फ़ार्मूला शिक्षाशास्त्र के नियमों पर निर्धारित न होकर, अंततोगत्वा, समस्या का एक राजनीतिक समाधान था, जो कामयाब नहीं हो पाया।

इस फ़ार्मूले का विकल्प इस प्रकार हो सकता है : लगभग ग्यारह साल की आयु तक अर्थात् प्राइमरी क्लासों तक, बच्चे को शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। अन्य विषयों के अतिरिक्त, प्राइमरी कक्षाओं तक केवल मातृभाषा का प्रशिक्षण ही हो। इसके बाद, मिडिल स्कूल में, एक अन्य भारतीय भाषा को पढ़ाना शुरू किया जाए। दो भाषाओं के पढ़ने से बच्चे पर बोझ नहीं पड़ेगा और दृष्टिकोण के विस्तार के लिए भी दूसरी भाषा का पढ़ना अभीष्ट होगा। यद्यपि शिक्षा का माध्यम यहां भी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा अनिवार्य विषय की हैसियत से पढ़ाई जानी चाहिए। दसवी कक्षा

तक यही मिलमिला चल सकता है। उसके बाद तीसरी भाषा के पढ़ाने की ऐच्छिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। यह तीसरी भाषा अंग्रेजी अथवा कोई अन्य विदेशी भाषा हो सकती है। यह कोई प्राचीन अथवा आधुनिक भारतीय भाषा भी हो सकती है। यह तीसरी भाषा पढ़ाने की व्यवस्था आठवें कक्षा के बाद में भी की जा सकती है। परन्तु उस दशा में विद्यार्थी को पूर्व पठित दो भाषाओं में एक भाषा छोड़नी होगी ताकि उस पर भाषाओं का बोझ अधिक न पड़े।

दसवीं कक्षा के बाद विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार कोई तीसरी भाषा भी पढ़ सकता है, परन्तु यह भाषा किसी अन्य विषय के बढ़ने में ही पढ़ी जाएगी। इस प्रकार दो अथवा तीन भाषाएँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पढाई के विषयों की संख्या बराबर रहेगी। इस प्रकार इस नियम के अनुसार, तीन की बजाएँ विद्यार्थी के लिए दो भाषाएँ पढ़ना ही अनिवार्य होगा। इसलिए इसे द्विभाषा फार्मूला कहा जा सकता है। त्रिभाषा फार्मूले में हिंदी और अंग्रेजी का पढ़ना अनिवार्य है, जब कि इन फार्मूले के अनुसार मातृभाषा के अतिरिक्त कोई भी भारतीय भाषा पढ़ी जा सकती है और हिंदी अथवा अंग्रेजी का पढ़ना जरूरी नहीं होगा। इस स्वीम में वह प्रतिक्रिया भी नहीं होगी जो अनिवायता के पत्रस्वरूप सामने आ सकती है।

हिंदुस्तान में राज्यों के बीच लोगों का आवागमन कम है। इसे ध्यान में रखते हुए भी द्विभाषा सूत्र देश के लिए अधिक उपयुक्त होगा। जिन लोगों को प्रायः एक स्थान पर ही रहना है, उनके लिए तीसरी भाषा अनिवार्य बनाना ठीक नहीं होगा। महाराष्ट्र में एक सर्वेक्षण से पता चला कि 1961-63 ई. में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों में से 90.4 प्रतिशत उसी राज्य में ही बस गए और 62.3 प्रतिशत काम के लिए निवृत्तों गुजरात एवं मसूर राज्यों में जाकर बसे। गुजरात में एक और सर्वेक्षण से पता चला कि 1961 ई. में ग्रेजुएट होने वाले विद्यार्थियों में से 85.2 प्रतिशत और 1963 ई. के ग्रुप में से 87.1 प्रतिशत का आवास राज्य में ही रहा।¹⁴ जनसंख्या के आकड़ों से भी पता चलता है कि अधिकांश भाषा भाषियों में अपने ही राज्य में केंद्रित रहने की प्रवृत्ति है, जैसे असमी भाषी आसाम राज्य में, तमिल भाषी तमिलनाडु में इत्यादि।¹⁵ जो बात ग्रेजुएटों के विषय में सत्य है, वह मैट्रिकुलेट और इण्टरमीडिएट के सत्र में तो और अधिक सत्य होगी। इसलिए, यदि एक व्यक्ति को अपने ही राज्य में रहना है, तो उसे किसी विदेशी भारतीय भाषा अथवा विदेशी भाषा की अनिवाय रूप में पढ़ाना निरर्थक है। यदि हिंदी पढ़ने से किसी व्यक्ति के लिए आर्थिक लाभ की संभावनाएँ बढ़ जाएँ, अथवा उस भाषा में उसे समृद्ध साहित्य की उपलब्धि हो सके तो वह हिंदी पढ़ने के लिए स्वयंसेवक उत्सुक होगा। ज्यो-ज्यो औद्योगीकरण

और नगरीकरण के चरण आगे बढ़ेंगे, संपर्क भाषा का विकास बढ़ेगा। यदि किसी विद्यार्थी को हिंदी की अपेक्षा अपने निकटवर्ती राज्य की भाषा की अधिक ज़रूरत है तो यह अधिक तर्कसंगत और मुनासिब है कि हिंदी की तुलना में पहले वह उस राज्य की भाषा का अध्ययन करे।

दक्षिण के लोगों की अक्सर यह शिकायत रही है कि उत्तर के लोग उनसे हिंदी पढ़ने की आकांक्षा तो करते हैं, परंतु द्रविड़ भाषाओं के सीखने में वे निष्क्रिय रहते हैं। यह स्थिति भी अनिवार्यता लागू किए बिना सुधारी जा सकती है। दूसरी भाषा की पढ़ाई दो स्तरों की हो सकती है - सामान्य एवं उच्च स्तर की। यदि कोई छात्र अपने संलग्न प्रांत की भाषा को दूसरी भाषा के रूप में लेता है तो उसका द्वितीय भाषा का कोर्स उच्चस्तरीय होना चाहिए और अन्य स्थिति में सामान्य अथवा उच्चस्तरीय कोर्स पढ़ने की बात छात्र की इच्छा पर छोड़ दी जानी चाहिए।

इस सूत्र पर अमल करने से यह शंका हो सकती है कि इस प्रकार अंग्रेजी जानने वालों की संख्या कम हो जाएगी। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, तो ऐसा हो जाने पर भी देश का कोई अहित नहीं होगा। इस समय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक 100 छात्रों में से 40 पांचवी कक्षा तक पहुंचते हैं, इनमें से 20 आठवी कक्षा तक और अंत में 15 या 16 दसवीं या ग्यारहवीं कक्षाओं तक। हाईस्कूलों और सीनियर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों में से लगभग 50 प्रतिशत फ़ेल होते हैं। इस प्रकार प्रथम कक्षा में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों में से केवल 3 या 4 प्रतिशत कालेज अथवा विश्वविद्यालयों तक पहुंचते हैं। यदि उच्च विज्ञान, तकनीक और राजनयिक कार्यों के लिए अंग्रेजी इन्हीं तीन या चार प्रतिशत लोगों में से ही कुछ लोगों को इस्तेमाल करनी है, तो सभी छात्रों पर विदेशी भाषा का अतिरिक्त बोझ लादने से क्या लाभ? इस प्रकार, द्विभाषा सूत्र से भी भली भांति काम चल सकता है। इसके अलावा छात्र अपनी ज़रूरत और रुचि के अनुसार एक या अधिक भाषाएं पढ़ सकता है। भ्रमणशील आवादी के लिए केंद्रीय और कुछ राज्यीय स्कूल और विश्वविद्यालय क्षेत्रीय भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं जिस प्रकार कि रूस में है, और जिसकी चर्चा पूर्व पृष्ठों में हो चुकी है।

इस व्यवस्था के अनुसार व्यवसाय में प्रवेश करने से पूर्व हर व्यक्ति दो भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर चुका होगा। यदि किसी अहिंदी भाषी क्षेत्र का कोई व्यक्ति केन्द्र में नौकरी लेना चाहता है अथवा किसी हिंदी भाषी प्रदेश में अपना जीवन-यापन करना चाहता है तो छोटी क्लाम से आठवी अथवा दसवीं कक्षा तक उसे हिंदी का पर्याप्त ज्ञान हो जाना चाहिए। शैक्षिक, राज-

नीतिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी तथा दूसरी विदेशी भाषाओं के शिक्षण का आवश्यकतानुसार प्रबंध किया जा सकता है। भारत के पास संपत्ति के रूप में विशाल जनसमुदाय मौजूद है, और यदि ठीक योजना से काम लिया जाए तो देश में सत्तार की सभी भाषाओं के विशेषज्ञ तैयार हों सकते हैं।

एक आपत्ति यह उठानी जा सकती है कि विदेशी भाषा की पढाई देर से प्रारंभ करने पर इस क्षेत्र में विद्यार्थियों के ज्ञान में कमी आ सकती है। यह निश्चय कि किस आयु में छात्रों को विभिन्न भाषाओं का अध्ययन शुरू करना चाहिए, शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और शरीर विज्ञान शास्त्रियों पर छोड़ना होगा, परंतु यह महत्त्वपूर्ण तथ्य विस्मृत नहीं करना चाहिए कि देशी भाषा के कुछ दक्षता प्राप्त करने के बाद विदेशी भाषा की ज्ञान प्राप्ति में सुविधा हा जाती है। यदि अपनी भाषा में समुचित ज्ञान के बिना विदेशी भाषा पढ़ने की कोशिश की जाए तो स्थिति ऐसी नहीं होती। जो भारतीय विद्यार्थी विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में सोज के लिए विदेश में गए हैं, वे क, ख, ग से प्रारंभ करके दो-एक सालों में ही विदेशी भाषा सीख कर उसी भाषा के माध्यम से काफी लाभप्रद काम करने में सफल होते रहे हैं। इसलिए जिसे भी विदेशी भाषा अपने पैसे के लिए पढ़नी हो वह हाई स्कूल के बाद भी इसका अध्ययन शुरू करके ग्रेजुएट होने तक इसमें काफी प्रवीण हो सकता है।

यदि शिक्षा संस्थाओं में लिगुआफोन और दूसरी दृश्य श्रव्य सुविधाओं का प्रबंध हो सके, तो भाषा सीखने का काम और भी आसान हो सकता है। त्रिभाषा सूत्र के स्थान पर द्विभाषा फार्मूला लागू करने से धन की भी काफी बचत हो सकती है और यह बचत इस प्रकार के दृश्य श्रव्य माध्यमों के खरीदने में लगाई जा सकती है। सरकार त्रिभाषा फार्मूला कार्यान्वित करने के लिए बचनबद्ध है। इस आश्वासन का निवारण इस प्रकार हो सकता है कि शिक्षा संस्थाओं में तीन भाषाओं के लिए प्रबंध तो रहे परंतु विद्यार्थी पर मौजूदा पाठ्यक्रम का भार देखते हुए उसे अनिवायत दो से अधिक भाषाएं न पढ़नी पड़ें।

नि स्वार्थपरायणता एवं साहस की आवश्यकता

कुछ लोगों का कहना है कि देश के नेताओं में सकल्प का अभाव, उनका निहित स्वार्थ और इस समस्या को राजनीतिक रूप दिया जाना ही भाषा समस्या के मुख्य कारण हैं। देश के विभिन्न भागों में सभी प्रकार के विशेषज्ञों के परामर्श से सभी बातों को सामन रखकर किसी योजना को एक बार निर्धारित कर लेना चाहिए, और फिर ईमानदारी और दृढ़ता के साथ इसे कार्यान्वित करना चाहिए। भाषाशास्त्री, भाषा वैज्ञानिक अथवा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के विशेषज्ञ

अपने नाम को सार्थक तभी कर सकते हैं जब वे इस समस्या का स्वीकारात्मक समाधान निकालने में अपनी योग्यता का प्रमाण दे सकें। इसके साथ यह बात भी उतनी सही है कि यदि कोई सरकार दस वर्ष की अवधि तक इस प्रकार के राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्न को हल नहीं कर सकती, तो इसे सत्तारूढ़ रहने का कोई अधिकार नहीं है। भापा संवन्धी योजनाओं में समय समय पर आवश्यकतानुसार शायद संशोधन करने पड़े, परन्तु इसमें कोई हर्ज नहीं है। निस्संदेह काम बहुत बड़ा है, और हो सकता है कि अभी तक इसके बहुविध आयाम सामने न आ पाए हों, परन्तु किसी समस्या के समाधान को अनिश्चित काल तक स्थगित नहीं किया जा सकता। टैगोर का कहना है :

संसार में हर राष्ट्र को अपनी समस्याएं स्वयं हल करनी होती हैं, अन्यथा अपमान और पराजय का सामना करना पड़ता है। सभी उच्च संस्कृतियों के प्रासाद कठिनाइयों की नींव पर निर्मित होते हैं। जिन लोगों के पास नदियां हैं उनसे ईर्ष्या भले ही की जा सकती है, परन्तु जिसके पास नदियां नहीं हैं, उन्हें कुएं खोदकर घरती की गहराइयों में से पानी निकालना ही होगा। ऐसा सोचना गलत है कि पानी उपलब्ध न होने पर इसके स्थान पर मिट्टी से काम चला लिया जाएगा क्योंकि यह अधिक सुलभ है। हमें साहस के साथ देश में भापाओं की विविधता के कष्टकर तथ्य को स्वीकार करना चाहिए, परन्तु इसके साथ यह भी समझना है कि वाह्य मिट्टी की तरह आयात की हुई भापा कांच के घर के लिए भले ही उपयुक्त हो, परन्तु किसी ठोस एवं जीवनदायी सभ्यता का आधार नहीं हो सकती।¹⁶

इस प्रकार, ऐसे शासन को, जो भापा समस्या का समाधान तलाश नहीं कर सकता, उसे अपनी हार माननी होगी। इस संदर्भ में सरदार पटेल के ये शब्द स्मरणीय हैं :

राजकाज विदेशी भापा में चलता हो, हमारे विचारों और शिक्षा का माध्यम विदेशी भापा हो, ऐसी स्थिति स्वराज्य में नहीं हो सकती।¹⁷

उनका यह कथन सत्य था कि ऐसी स्थिति देश की प्रभुसत्ता के सर्वथा प्रतिकूल है। संसार के सभी विकसित राष्ट्र इस तथ्य को पूरी तरह समझते हैं। केवल हम ही राजनीति के प्रदर्शनों के शोर में इस सत्य कथन को नहीं सुन पाए हैं, और निहित स्वार्थों के कारण हमारी दृष्टि धुंधली पड़ गई है। यदि हम भावी पीढ़ियों का हित चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम विकृत प्रवृत्तियों को तिलांजलि देकर स्वस्थ मार्ग पर चलें। समस्याओं का हल निष्क्रियता अथवा बहाने-बाजी से नहीं, अपितु सतत परिश्रम और राष्ट्रीय आदर्शों पर अडिग रहने से

निकलना है। बार बार कठिनाइयों की सूची गिनाते रहना अकम्प्यता का लक्षण है। कर्मठ व्यक्ति कठिनाइयों से एक एक कर जूझता है और उन पर विजय प्राप्त करता है।

समापन

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सभ की भाषा समस्या बहुत पुरानी है। हमारी क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, संस्कृतियों की विविधता, समस्या के साथ गलत तरीके से खिलवाड़ करने के कारण अधिक उलझ गई है। परंतु समस्या असाध्य नहीं है। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इण्डोनेशिया, सोवियत यूनियन जैसे बहुभाषी देशों के उदाहरण, उनकी आधुनिक संरचना हमसे अलग होने के बावजूद प्रमाणित करते हैं कि समस्या का हल संभव है। इसका हल खोजने के लिए उदार दृष्टिकोण को अपनाना होगा और राष्ट्रीय मूल्यों और धादशों को सामने रखना होगा। वास्तविक समकालीन स्थितियों, आगामी पीढ़ियों के हितों और अहिंदी भाषी लोगों की मुश्किलों को भी अच्छी तरह परखना होगा। अहिंदी भाषी लोगों को यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का आशय यह नहीं है कि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक एवं सांस्कृतिक अमुविधा की सपेट में लाया जाए।

अहिंदी भाषा भाषी लोगों को भी चाहिए कि अपनी ओर से वे भी इस समस्या के समाधान में पूरा सहयोग दें। संसार प्रायः सर्वत्र अल्पसंख्यक लोगों के मन में बहुमत द्वारा शोषण का भय बना रहता है, इसका निवारण करना भी जरूरी है। इस भावात्मक प्रश्न के साथ पुरानी दुखद घटनाओं को, जिसने सभी वर्गों को बदनाम किया है, भुलाने और माफ करने की जरूरत है। देश के सभी भागों में पारस्परिक सहयोग, सद्भावना और निरंतर परिश्रम का एक नया अध्याय लिखने की जरूरत है। वर्तमान राजनीतिक नेताओं, शिक्षाशास्त्रियों, भाषाशास्त्रियों और भाषावैज्ञानिकों के लिए यह बड़े अपेक्षा की बात होगी यदि वे पराजित होकर समस्या को विना सुलझाए, उसे भावी पीढ़ियों के कंधों पर डाल दें।

पिछले 150 सालों से खड़ी बोली केवल धर्म, कला आदि जैसी अभिव्यक्त संस्कृति के लिए इस्तेमाल होती रही है। परंतु गत कुछ दशकों में इसका काफी आधुनिकीकरण हुआ है और अब यह समकालीन सामाजिक आर्थिक राजनयिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त बन चुकी है। किसी भी भाषा का संवर्धन एवं परिष्करण उसके प्रयोग से होता है। केवल निरंतर प्रयोग द्वारा ही लाग किसी भाषा की पारिभाषिक शब्दावली के इस्तेमाल के आदी बनते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हम अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी लाने का प्रयास प्रारंभ करेंगे उतनी

ही जल्दी हम मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं।

जो बात हिंदी के बारे में संघ की भाषा के नाते सत्य है, वही क्षेत्रीय भाषाओं के संबंध में प्रांतों की राजभाषा के नाते सत्य है। हिंदुस्तान के विस्तृत जनसमूह को देश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न राज्य उन भाषाओं का प्रयोग करें, जिन्हें लोग बोलते और समझते हैं। राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक तथा विधि और न्याय संबंधी कामों में आठवी अनुसूची की भाषाओं में काम करने के लिए योजनाएं तैयार करनी चाहिए। आठवी अनुसूची की सभी भाषाएं प्राचीन, समृद्ध एवं सशक्त हैं और राष्ट्र के विभिन्न व्यापारों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। केंद्र में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी और राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएं लाने का क्रम एक साथ प्रारंभ होना चाहिए। दूसरा काम भी पहले काम की तरह महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पहले भी शुरू किया जा सकता है।

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध प्रायः वही लोग करते हैं, जिन्हें देश के बाकी लोगों की अपेक्षा अंग्रेजी सीखने का अवसर पहले मिल गया, और इसी कारण सरकारी नौकरियों में उन्हें तथा उनकी सतानों को फायदा हो गया। इस प्रकार के लोग शायद ही अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या अन्य भाषाओं की स्थापना के तर्क की पुष्टि करें। अगर ये तर्क सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश की जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनता हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में पूरा सहयोग देगी तथा सभी राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएं अंग्रेजी के स्थान पर आसीन हो जाएंगी। यह कहना ठीक नहीं है कि भाषा का विवाद उत्तर और दक्षिण के बीच का द्वंद्व है। वस्तुतः यह विशिष्ट वर्ग और आम जनता के बीच के हितों का झगड़ा है, जिसके साथ समय-समय पर अन्य आयाम भी जुड़ गये हैं। जब तक अंग्रेजी का देश में बोलवाला बना रहेगा, दक्षिण और उत्तर के अंग्रेजी प्रेमियों का विशिष्ट वर्ग जन सामान्य पर शासन करता रहेगा।

सर्वेक्षणों से पता चलता है कि जिन जिन अतीत घटनाओं से कट्टरता, राष्ट्रीय उग्रता, साम्राज्यवाद और बहकी बहकी भावुकता की गंध आती है, उन सबकी जिम्मेदारी देश के सभी क्षेत्रों के लोगों पर लागू होती है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि निहित स्वार्थों और राजनीतिक सत्ता को हथियाने में व्यस्त नेता राष्ट्र की इस समस्या के सही समाधान का रास्ता नहीं दिखा सके। समय आ चुका है कि भारत के भाषाशास्त्री और अन्य लोग वास्तविक स्थिति को समझें। इस बात को गहराई से जानने की जरूरत है कि क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर विदेशी भाषा में काम करने से भारतवासियों की कितनी क्षति हुई है और विदेशी भाषा में पारस्परिक आदान प्रदान की कठिनाई से विकास की गति कितनी मंद

रही है। यह सतोपजनक स्थिति नहीं कि अधिक समय तक देश का कामकाज अंग्रेजी द्वारा चलता रहे और दीप क्षेत्रीय भाषाएँ अनुवाद मात्र के लिए इस्ते-मान होती रहे। अनुवाद की भाषा हमेशा कृत्रिम रह जाती है। इसलिए प्रत्येक दृष्टिकोण से देश के लिए यही हितकर होगा कि विधानमण्डलो, अदालतों, दफ्तरों जनसंपर्क साधनों और देश की सभी समस्याओं का कार्य हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ही चलाया जाए।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

- 1 (क) मात्र 18.4 करोड़ साक्षर लोग, अर्थात् देश की तीस चौथाई जनता का स्नातक भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त है (सोवियत दूतावास, भूबना विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'सोवियन लैण्ड अखबार के दिसंबर, 1978 अंक के पृष्ठ 39 पर देखिए, यूनि सैवैनिन का लेख 'क्या कोई साक्षर जानि है?')
- (ख) रूसी गणराज्य को छह साक्षर स्तर के गणराज्यों में दो प्रकार के स्कूल हैं एक तो वे स्कूल हैं जहाँ शिक्षा का माध्यम रूसी है, और दूसरे वे जहाँ शिक्षा संबन्धित गणराज्य की भाषा के माध्यम से दी जाती है दूसरे प्रकार के स्कूलों में गणराज्य की भाषा की पढ़ाई प्रथम श्रेणी के प्रारंभ से शुरू कर दी जाती है, और रूसी भाषा की पढ़ाई छ मास बाद जिन स्कूलों में रूसी भाषा के माध्यम से पढ़ाई होती है वहाँ रूसी का अध्ययन पहली कक्षा से शुरू कर दिया जाता है और गणराज्य की भाषाएँ पाँचवी कक्षा से शुरू की जाती हैं इस गणराज्य में विद्यार्थियों के लिए अथ गणराज्य की भाषाया का अध्ययन अनिवार्य नहीं है, इस प्रकार स्पष्ट है कि सभ की भाषा का विशेष सुविधाएँ प्राप्त हैं ^{५१}
- 2 इन्डोनेशिया और मलेशिया की वर्तमान भाषाओं की नीचे भाषा मलयालम है और इसकी शाखाओं को प्रमुख भाषा इन्डोनेशिया और भाषा मलेशिया कहते हैं
- 3 मजूमदार, ए के, प्राबलम इन हिंदी ए स्टडी, दार्ज, भारतीय विद्या भवन, 1965, पृष्ठ 8-10
- 4 गिन, एच एस, लैंग्विज एंड सासाइटी इन इंडिया, जिम्ना, इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ़ स्टडीज एंड रिसर्च, पृष्ठ 398
- 5 इंडिया, राजभाषा समद कमेटी राजभाषा कमेटी की रिपोर्ट में फ्रैंक एयरी की असहमति का नोट, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, 1959 पृष्ठ 87-88
- 6 देखिए परिशिष्ट XX
- 7 शिवा राव, बी, फ्रॉमिंग इण्डियाज कांस्टिट्यूशन ए स्टडी, नई दिल्ली, इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1968, पृष्ठ 783-783
- 8 इंडिया, राजभाषा समद कमेटी राजभाषा कमेटी की रिपोर्ट में फ्रैंक एयरी की असहमति का नोट, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, 1959, पृष्ठ 93

9. भारत, राजभाषा आयोग का रिपोर्ट, 1955-56, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, 1957, पृष्ठ 418.
10. राजभाषा (सशोधन) बिल, 1976, अध्याय तीन: आवश्यक विधि-नियमों का निर्माण भी जरूरी होगा.
11. देवेन्द्र कुमार, देवनागरी लिपि . ए. सेमिनार, नई दिल्ली, गांधी स्मारक निधि, पृष्ठ 119-120.
12. शेर सिंह; देवनागरी लिपि : ए. सेमिनार, नई दिल्ली, गांधी स्मारक निधि, पृष्ठ 45 46.
13. वही, पृष्ठ 104.
14. (i) महाराष्ट्र सरकार, वित्त विभाग, मैन पावर पक्ष, पैटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एड्युकेटिव परमन्स, अहमदाबाद, लेखक, 1966, पृष्ठ 28-29.
(ii) गुजरात, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी का सरकारी ब्यौरा, स्टडिज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एड्युकेटिव परमन्स, अहमदाबाद, लेखक, 1977, पृष्ठ 52.
15. भारत, जनसंख्या कमीशन के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित : जनसंख्या आंकड़ों की प्वाकेट बुक, जनसंख्या शताब्दी, 1972, दिल्ली, लेखक, 1972
16. भारत, लोक सभा, बहस की माला, ग्रंथ II, नं. 12, दिसंबर 13, 1967, नई दिल्ली, लोक सभा सचिवालय, 1967, पृष्ठ 6657.
17. भारत, लोक सभा, बहस, दिसंबर-सितंबर 3, 1959, नई दिल्ली, लोकसभा सचिवालय, 1959, पृष्ठ 6190.

परिशिष्ट

इस पुस्तक में दिए गए परिशिष्ट तीन प्रकार के हैं : संकलित, ह्यांतरित एवं अंगीकारी ।

प्रथम वर्ग के परिशिष्टों में सामग्री का विभिन्न सूत्रों से संवयन तथा संकलन लेखक द्वारा किया गया है ।

दूसरे वर्ग के परिशिष्टों में कुछ सामग्री संकलित रूप में उपलब्ध थी, परन्तु इस पुस्तक में प्रयोग के लिए कुछ एक परिकलन करना पड़ा ।

तीसरी प्रकार के परिशिष्ट वे हैं जिन्हें किसी स्रोत से लेकर इस पुस्तक में ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया गया है ।

समस्त सामग्री । परिशिष्टों के स्रोतों को यथास्थान अंकित किया गया है ।

परिशिष्ट I

विवरण I

तुलनात्मक अध्ययन
 विद्य के विभिन्न देशों की जनसंख्या वन्यम भारतीय भाषाएँ बोलने वाले

क्रम	बोलने वालों की संख्या		प्रतीका		यूरोप		प्रमरीका			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
1	असमिया	896	बाना (असमी)	886	यूरोपिय (असमी)	यूनाय (आयुनित यूनाली)	877	न्यूडा (स्पेनिस)	860	
2	उडिया	1986	चाड (उडर) (फासिसा) केमरुन समुक्त गणराज्य	372	आस्ट्रेलिया (असमी)	1276	पेरोलोवाकिया (चिक तथा स्नाब) डे-मार्क (रेनिस)	496	डोमीनिकन रिपब्लिक	418
				606**						
			(फासिसी तथा असमी)						बोलीबिया (स्पेनिस)	506
			ऊपरी बोटा	539					जर्मनी (असमी)	190
			बोडिया (असमी)	430					निवारगुआ (स्पेनिस)	191

* इस परिशिष्ट में सभी संख्याएँ लाखों में हैं,

**1972 की गणना के अनुसार,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	बस्मीरी	244	नीबिया (भरती)	238	मायलड (भायस्त्रिय और भयोजी)	परास्त्रे (स्वेत्रिय और स्वारती)
6	गुजराती	2589	इथियोपिया (समहारिक)	1155	स्त्राटलड (भयोजी)	वेरू (स्वेत्रिय)
		2525	नेपाल (नेपाली)	1067	यूनोस्त्राबिया (सर्वी नोएशियन)	बेनजुयेला (स्वेत्रिय)
		2525	मलेशिया (मलय)	303	लापोम (सामो)	1072
		1477	तुर्की (तुर्की)	2525	पोलंड (पोलिस)	2473
7	तमिल	3769	अरबीरिया (भरती)	3611	स्त्राटलंड (भयोजी)	भयोजन (स्वेत्रिय)
		2300	दक्षिणी समोबा (भयोजी)	3611	स्त्राटलंड (भयोजी)	वेरू (स्वेत्रिय)
		3777		3611	3802	3758
8	तेलुगु	4475	मिरा (भरती)	646	वेस्त्रियम (फांगोमी, डच, जपन)	बनाडा (भयोजी और फांगोमी)
		1013	युगांडा (भयोजी)	3738	स्त्रेन (स्वेत्रिय)	2157
		4421		4384	4380	2157

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
9.	पंजाबी	164.	सूडान (अरबी)	127.1 श्रीलंका (सिंहली, मंदारिन और तमिल)	74.6 आस्ट्रेलिया (जर्मन) बल्गारिया (बल्गेरियन)	चिली (स्पेनिश) इक्वेडोर (स्पेनिश)	98.8 63.0 161.8
10.	बंगला	447.9	मिस्र (अरबी) युगंडा (अंग्रेजी)	297.8 ईरान (फारसी) 127.1 श्रीलंका (सिंहली) सिंगापुर 21.1 (अंग्रेजी, मलय, चीनी, मंदारिन, तमिल) 446.0	341.3 स्पेन (स्पेनिश) 103.7 हंगरी (मग्यार)	मनाडा (अंग्रेजी और फ्रांसीसी) कोलंबिया (स्पेनिश)	215.7 217.0
11.	मराठी	422.5	मिस्र (अरबी) मौरोवीक 83.6 421.4	379.2 फिलिपाइन (अंग्रेजी), स्पेनिश, टागालोग 30.1 इजराइल 409.3	81.0 स्वीडन (स्वीडिश) 62.3 स्वीटजरलैंड (जर्मन, फ्रांसीसी, इटैलियन) 143.3	पेरू (स्पेनिश)	432.7 140.1 140.1
12.	मलयालम	219.4	अंगोला(पुतंगाली) 75.1 आइवरी-कोस्ट 44.2 (फ्रांसीसी)	97.5 इराक (अरबी) नेपाल 115.5	204.7 रूमानिया (रूमानियन)	पुल-सालवाडोर (स्पेनिश)	35.5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (नेपाली)	(6)	(7)
			33.5			
			(कुरु शो, फासोसी)			
			45.5			
			(मलावी (भरुओ)			
			37.9			
			(रुमाहा (फासोसी)			
			(किनयारवांवा)			
			218.2	213.0	204.7	35.5
13	संस्कृत (2212)	02	—	—	—	—
14	सिंधी	16.8	सेठुल धफाहन रिपब्लिक	मगोलिया (मगोलिया, बालिया)	मलबानिका (मलबानिक)	रास्टारोका (स्पेनिका)
			16.4	12.8	21.9	17.9
			16.4	12.8	21.9	17.9
15	हिंदी	1625.8	नाइजीरिया (भरुओ)	जापान (जापानी)	इन्डो (भरुओ)	मेक्सिको (स्पेनिका)
			565.1	1056.0	555.1	506.5
			मिस्र (भरुओ)			
			340.8			
			इण्डोपिमा	इटली (इटलियन)	537.7	क्राओल (पुर्तगाली) 960.8
			(प्रमहारिक)	फ्रांस	512.5	रेरु 140.1
			जायर (फासोसी)	(फासोसी)		(स्पेनिका)
			223.0			
			मूडान (भरुओ)			
			160.9			
			1542.3	056.0	1605.3	1607.4

परिशिष्ट I
विवरण I

संदर्भ एवं टिप्पणियाँ

1. भारतीय भाषा-भाषियों की संख्या का आधार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इण्डिया द्वारा प्रकाशित 1971 की जन-गणना के अस्थायी आँकड़े हैं, विभिन्न महाद्वीपों के देशों की आवादी के आँकड़े मध्यवर्षीय अनुमान हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित डेमोग्राफ़िक बुक (जनांकिकी शब्द-कोश, 1973) से लिए गए हैं, जिस देश की 1971 की जनसंख्या के सही आँकड़े प्रकाशित हो चुके थे, उस स्थिति में सही आँकड़ों का प्रयोग किया गया है,
2. जिन देशों की जन-संख्या दस लाख से कम थी, उनके नाम तुलना के लिए नहीं लिए गए हैं,
3. देशों के साथ कोष्ठक में दी गयी भाषाएँ, उन देशों की राजभाषाएँ हैं।

परिशिष्ट I

विवरण II

भारतीय भाषाओं के बोलने वालों की संख्या
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित स्थायी आंकड़े

क्र.सं.	भाषा का नाम	भाषा भाषियों की संख्या (लाख में)	भाषा में बोलियों की संख्या
1	असमिया	89.6	—
2	उडिया	198.6	2
3	उर्दू	286.2	—
4	कन्नड़	217.1	1
5	कश्मीरी	25.0	2
6	गुजराती	258.7	1
7	तमिल	376.9	2
8	तेलुगु	447.6	1
9	पंजाबी	141.1	2
10	बंगला	447.9	4
11	मराठी	417.7	1
12	मलयालम	219.4	1
13	संस्कृत (2212)	0.2	—
14	निघो	16.8	—
15	हिंदी	208.51	46

नोट स्थायी एवं अस्थायी आंकड़ों में सर्वाधिक अंतर हिन्दी में सम्बन्धित आंकड़ों में है। ऐसा शायद इस कारण हुआ क्योंकि अस्थायी आंकड़े सक्लित करते समय बिहार, राजस्थानी आदि भाषाओं के बोलने वालों की गिनती को सविधान की आठवी अनुसूची में दी गई भाषाओं के बोलने वालों की गिनती में शामिल नहीं किया गया था, परन्तु स्थायी आंकड़ों

के संकलन के समय इन भाषाओं के बोलने वालों को हिंदी भाषा-भाषियों के साथ मिला दिया गया है ।

अंगीकारो : सैसिज़ ऑफ इंडिया, 1971. सीरीज़ I, पार्ट II (स)—(ii) रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ सैसिज़, कमिश्नर ऑफ़ इंडिया, मुद्रक मैनेजर, भारत सरकार का छापाखाना, फरीदाबाद, 1977

परिशिष्ट-II
विवरण-I

विविन्न भारतीय भाषाओं का पक्षितबद्ध प्रस्ताव

क्रमिक भाषा (अकारादि क्रम से)	राज्यों से प्रस्तावक एवं राज्यसंसदों से प्रस्ताव	कुल प्रश्न	प्राप्त प्रश्नों के आधार के अनुसार क्रम
1 मलमिया	101 (13)	128 (13)	1 हिंदी 376
2 उडिया	154 (10)	192 (10)	2 उर्दू 338
3 उर्दू	249 (2)	338 (2)	3 बंगला 307
4 कन्नड	130 (11)	187 (11)	4 पंजाबी 292
5 कश्मीरी	74 (14)	88 (14)	5 तमिल 280
6 गुजराती	157 (9)	238 (9)	6 मलयालम 272
7 तमिल	190 (6)	280 (6)	7 तेलुगू 266
8 तेलुगू	198 (5)	266 (7)	8 मराठी 264
9 पंजाबी	221 (3)	292 (4)	9 गुजराती 238
10 बंगला	217 (4)	307 (3)	10 उडिया 292
11 मराठी	190 (6)	264 (8)	11 कन्नड 187
12 मलयालम	189 (8)	272 (6)	12 सिंधी 169
13 मसूद	19 (15)	29 (15)	13 असमिया 128
14 सिंधी	130 (11)	172 (12)	14 कश्मीरी 88
15 हिंदी	272 (1)	376 (1)	15 संस्कृत 29

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. यह संकलन 1971 की जनगणना के आँकड़े के आधार पर है
2. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं को सर्वप्रथम भाषा-भाषियों की गणना के आधार पर प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र में क्रमबद्ध किया गया,

प्रथम स्थान के लिए 15 अंक, द्वितीय के लिए 14 और इसी प्रकार घटते क्रम से चौदहवें स्थान के लिए दो, पंद्रहवें के लिए एक अंक दिए गए, यदि किसी भाषा का किसी राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र में कोई भी बोलनेवाला नहीं था, तो वहाँ पर उस भाषा का अंक 0 था, इस प्रकार प्राप्तांक को जोड़ा गया,

कोष्ठक की संख्याएँ भाषाओं की राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पारस्परिक पद को अंकित करती है,

भाषाओं के अंक प्राप्त करने की विधि इस परिशिष्ट के विवरण II में हिंदी का प्राप्तांक निकालकर दर्शाया गई है।

परिशिष्ट IV

भाग 17*

राजभाषा

अध्याय 1 सघ की भाषा

सघ की
राजभाषा

343 (1) सघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी

सघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अक्षरों का रूप भारतीय अक्षरों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस सविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए सघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी

परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, सघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अक्षरों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, ससद विधि द्वारा, उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात्—

(क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा

(ख) अक्षरों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हो।

*ब्रह्म-देशमीर राज्य का लागू होने के मस्य में परिशिष्ट 2 देखिए।

राजभाषा
के लिए
प्रायोग
और संसद्
की समिति

344. (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्ति करे, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी आदेश परिभाषित करेगा।

(2) राष्ट्रपति को

- (क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के,
- (ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्वहनों के,
- (ग) अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के,
- (घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप के,
- (ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किए हुए किसी अन्य विषय के, बारे में सिफारिश करना आयोग का कर्तव्य होगा।

(3) खण्ड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

(4) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी जिनमें से दोस लोकसभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्यसभा के सदस्य होंगे ज कि क्रमशः लोकसभा के सदस्यो तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के सार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा

करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को करना समिति का कर्तव्य होगा।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खण्ड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा।

अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएँ

राज्य की राजभाषा
या राजभाषाएँ

345 अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों के अर्थात् रहते हुए, राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब

या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा

परन्तु जब तक राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा इससे अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।

एक राज्य और दूसरे
के बीच में अथवा राज्य
और सघ के बीच में
संचार के लिए राज-
भाषा

346 सघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और सघ के बीच में संचार के लिए राज-भाषा होगी

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिए राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

किसी राज्य के जन-
समुदाय के किसी वि-
भाग द्वारा बोली जाने-
वाली भाषा के सम्बन्ध
में विशेष उपबन्ध

347 तद्विषयक भाग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग

में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 : उच्चतम न्यायालय,
उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

उच्चतम न्यायालय
और उच्च न्यायालयों
में तथा अधिनियमों,
विधेयकों आदि में
प्रयोग की जानेवाली
भाषा

348. (1) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक—

(क) उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां,
(ख) जो

- (i)² विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किए जाने वाले जो संशोधन, संसद् के प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाएँ उन सबके प्राधिकृत पाठ,
(ii)³ अधिनियम संसद् द्वारा या राज्य के विधान-मण्डल द्वारा पारित किए जाएँ, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित किए जाएँ, उन सब के प्राधिकृत पाठ, तथा
(iii) आदेश, नियम, विनियम, और उपविधि इस संविधान के अधीन, अथवा संसद् या राज्यों के विधान-मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, निकाले जाएँ उन सब के प्राधिकृत पाठ, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2)⁴ खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च

2. इस उपखण्ड का आशय यथानिम्नलिखित है :

(i) विधेयक संसद् के प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाएँ अथवा उनके जो संशोधन ऐसे सदन में प्रस्तावित किए जाएँ, उन सब के प्राधिकृत पाठ,

3. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा संशोधन के पश्चात् इस उपखण्ड का वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है :

(ii) अधिनियम संसद् द्वारा या राज्य के विधान-मण्डल द्वारा पारित किए जाएँ, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाएँ, उन सब के प्राधिकृत पाठ तथा।

4. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और

न्यायालय में की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा

परन्तु इस खण्ड की कोई बात वैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निणय, आज्ञाप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी ।

(3) खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) में किसी बात के होने हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान-मण्डल ने, उस विधान-मण्डल में पुर स्थापित विधेयको या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रस्थापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखण्ड की कड़िका (ii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहाँ उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस खण्ड के अभिप्रायों के लिए उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

अनुसूची द्वारा संशोधन के पश्चात् खण्ड (2) और (3) का वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है

“(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्ण मम्मति में हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय पयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाली, अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय में की कार्य-वाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा

परन्तु इस खण्ड की कोई बात वैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निणय, आज्ञाप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी ।

(3) खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान-मण्डल ने, उस विधान-मण्डल में पुर स्थापित विधेयको या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखण्ड की कड़िका (ii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहाँ उस राज्य के राजकीय सूचना पत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस खण्ड में अभिप्रायों के लिए उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।”

भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

349. इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुरःस्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर तथा उम अनुच्छेद के खण्ड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार

करने के पश्चात् ही राष्ट्रपति देगा ।

अध्याय 4 विशेष निदेश

व्यथा के निवारण के लिए अभिवेदन में प्रयोक्तव्य भाषा

350. किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का, प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा ।⁵

5. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 21 द्वारा अनुच्छेद 350 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं :

प्राथमिक-स्तर पर मातृ-भाषा में शिक्षा देने के लिए सुविधाएँ

“350 क. प्रत्येक राज्य के अन्दर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि भाषा-जात अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे कि वह ऐसी सुविधाओं का उपबन्ध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है ।

हिन्दी
भाषा
के विकास
के लिए
निर्देश

351 हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक सस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उस की आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अप्ठम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्ममात् करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वाछनीय हो वहाँ उसके

शब्द-भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उस की समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

भाषाई अल्पसंख्यकों
के लिए विशेष पदा-
धिकारी

350 ख (1) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी होगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जिन सरक्षणों की इस संविधान के अधीन व्यवस्था की जाए उनमें सम्बद्ध सब विषयों का अनुमन्त्रा करना और ऐसी अन्तर्दावधियों पर उन विषयों के सम्बन्ध में, जैसे कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा। राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और सम्बन्धित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

परिशिष्ट V

विधान सभाओं में 1954 में प्रयुक्त भाषाओं का विवरण

1954 में राज्य सभाओं में विभिन्न भाषाओं में दिए गए भाषण : कुल भाषणों का प्रतिशत

संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राजभाषा चुनने की स्थिति

क्रम सं. विधान सभा का नाम

(4)

(3)

(1) (2)

अंग्रेजी हिन्दी अन्य भाषाएँ
4(क) 4(ख) 4(स)

उर्दू 0.4
बंगला 0.1
तेलुगु 0.1
तमिल 0.1
उर्दू 1.84
मलयालम 0.06
तेलुगु 90.00

संविधान के अनुच्छेद 348 के मुताबिक, साधारणतया ससद् की कार्यवाही हिन्दी अथवा अंग्रेजी में की जायेगी। यदि कोई सदस्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ हो, तो अध्यक्ष की अनुमति से वह सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकता है।

वही

अनुच्छेद 345 के अधीन विधान सभा के लिए राजकीय भाषा चुनने का कोई उपबन्ध नहीं है।

2. राज्य सभा

भारतप्रदेश विधान सभा

(1)	(2)	(3)	4(ब)	4(ख)	4(घ)
3	मसम विधान सभा बिहार (क) विधान सभा	मनुच्छेद 345 के अधीन विधान सभा के लिए राजकीय भाषा चुनने का कोई उपबंध नहीं है। 'विहार विधि निर्माण के लिए भाषा अधिनियम, 1955' वं अधीन विधान सभा में बहस, विधेयक प्रस्तुत करने और अधिनियम पारित करने के लिए देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रयोग किया जायेगा। वही	89 67	0 18	मसमिया बगला —
4	बम्बई (ब) विधान सभा	मनुच्छेद 345 के अधीन विधान सभा के लिए राजकीय भाषा चुनने का कोई उपबंध नहीं है। वही	50 4	9 50	—
5	मध्य प्रदेश विधान सभा (ब) विधान परिषद्	मध्यप्रदेश राजभाषा अधिनियम 1950 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी और बाल-बोध लिपि में मराठी विधान सभा की राजकीय भाषाएँ चुनी गयी हैं, परन्तु विधान सभा में वेणु किए जाने वाले समस्त विधेयकों	27 67	72 33	—
			50 4	3 2	मराठी गुजराती बनड
			89 6	1 7	मराठी गुजराती
			1 5	8 30	मराठी

4 (क) 4 (ख) 4 (ग)

(3)

(1) (2)

और पारित होने वाले अधिनियमों का शासकीय मूल पाठ अंग्रेजी में होगा। इसके अतिरिक्त प्रवर समितियों, वित्त समितियों, प्रत्यायोजित विधि निर्माण समितियों की रपटें भी अंग्रेजी में होंगी।

अनुच्छेद 345 के अधीन विधान सभा के लिए राजकीय भाषा चुनने का कोई उपबन्ध नहीं है।

वही

'उड़ीसा राजभाषा अधिनियम 1944' के अनुसार विधान सभा में बहस तथा विधेयक प्रस्तुत करने और अधिनियम पारित करने के लिए उड़िया भाषा का प्रयोग होगा।

अनुच्छेद 344 के अधीन विधान सभा के लिए राजकीय भाषा चुनने का कोई उपबन्ध नहीं है।

वही

'उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक एवं अधिनियम) अधि-

42.2
5.4
17.6
0.2
95.0

तमिल
मलयालम
तमिल
मलयालम
उड़िया

52.4 —
82.2 —
50 —

43.3
29.8

पंजाबी
पंजाबी

0.27 56.7
34.6 35.6
— 100.0

6. मद्रास

(क) विधान सभा

(ख) विधान परिषद्

7. उड़ीसा विधान सभा

8. पंजाब

(क) विधान सभा

(ख) विधान परिषद्

9. उत्तर प्रदेश

(क) विधान सभा

(1)	(2)	(3)	4(क)	4(ख)	4(घ)
		नियम 1950' के अनुसार विधान सभा से बहुत तथा विधेयक प्रस्तुत करने और अधिनियम पारित करने के लिए देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रयोग होगा।			
	(ब) विधान परिषद्	बढ़े	30	970	—
10	पश्चिम बंगाल				
	(क) विधान सभा	अनुच्छेद 345 के अधीन विधान सभा के लिए राजकीय भाषा चुनने का कोई उपबंध नहीं है।	50	4	0.5
	(घ) विधान परिषद्	वही	69	3	—
11	हैदराबाद विधान सभा	अनुच्छेद 345 के अधीन विधान सभा के लिए राजकीय भाषा चुनने का कोई उपबंध नहीं है।	5	0	21.0
					उर्दू तेलुगु मराठी कन्नड़
					30.0
					63.0
					8.0
					2.0
					1.0
12.	जम्मू कश्मीर संविधान सभा	पुराने संविधान के अनुसार राजकीय संविधान, सभा राजभाषा के तौर पर उर्दू का प्रयोग कर रही है।	60	0.5	उर्दू फारसी तद्भाषी
					94.0
					0.4
					0.4
13	मध्य भारत विधान सभा	मध्य भारत भाषा अधिनियम 1950' के अनुसार विधान सभा से बहुत तथा विधेयक प्रस्तुत करने और अधि	100	0	—

(3)

(1) (2)

नियम पारित करने के लिए देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रयोग होगा।

	4(क)	4(ख)	4(ग)
14. मंसूर (क) विधान सभा	45.0	—	कन्नड 55.0
(ख) विधान परिषद्	35.0	—	कन्नड़ 65.0
15. पेप्सू विधान सभा	2.7	33.5	पंजाबी 63.8
16. राजस्थान विधान सभा	1.3	98.2	राजस्थानी 0.5
17. सौराष्ट्र विधान सभा	—	—	गुजराती 100.0
18. द्रावणकोर गोचीन विधान सभा	19.0	—	मलयालम तमिल 78.0 3.0

मंत्रीकारी : देखिए राजभाषा आयोग, 1956 की रिपोर्ट, पृष्ठ 451 से 455 तक.

परिमिष्ट VI
मार्च-अप्रैल 1976 में लोकसभा में प्रयुक्त
भाषाओं का विवरण

लोक सभा बैठक की तिथि	कुल भाषण	भाषणों के भाषा-वार विमर्ज		
		अंग्रेजी	हिंदी	अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ
8-3-76	21	14	7	—
9-3-76	28	23	5	—
10-3-76	15	15	—	—
11-3-76	17	16	—	1 (बंगला)
12-3-76	15	13	2	—
15-3-76	15	7	7	1 (बंगला)
17-3-76	38	14	22	2 (बंगला—1) (तमिल—1)
18-3-76	18	15	1	2 (तमिल)
19-3-76	26	21	5	—
22-3-76	43	25	18	—
23-3-76	30	10	20	—
24-3-76	27	24	1	2 (तमिल)
25-3-76	23	21	1	1 (बंगला)
26-3-76	27	15	12	—
29-3-76	24	18	6	—
30-3-76	41	27	14	—
31-3-76	32	22	10	—
1-4-76	35	25	10	—
2-4-76	36	20	15	1 (बंगला)
5-4-76	27	20	6	1 (तमिल)
6-4-76	24	14	9	1 (तमिल)
7-4-76	26	19	6	1 (बंगला)
8-4-76	21	15	6	—
14-4-76	25	15	10	—
15-4-76	26	15	11	—
	660	443	204	13

अंग्रेजी में दिए गए भाषण : कुल भाषणों का प्रतिशत	67.12
हिंदी भाषण : कुल भाषणों का प्रतिशत	30.91
अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए भाषण : कुल भाषणों का प्रतिशत	1.97

संकलित : इस परिशिष्ट के अंकड़े पाँचवी लोक सभा के मोलहवे अधिवेशन (वित्त-अधिवेशन) जो 8-3-76 को प्रारम्भ हुआ था, से लिए गए हैं। यह सकलन केवल 15-4-76 तक का है, क्योंकि इसके आघार पर भी (परिशिष्ट V में दी गई) और 1976 की स्थिति की तुलना हो सकती है।

परिशिष्ट VII

गृह मंत्रालय की 27 अप्रैल, 1960 ई० की
अधिसूचना संख्या 2/8/60-रा० भा० की प्रतिलिपि

अधिसूचना

राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम जनकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है

आदेश - नई दिल्ली, दि० 27 अप्रैल, 1960 ई०

लोक सभा के 20 सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों की एक समिति प्रथम-राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए और उनके विषय में अपनी राय राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने के लिए सविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (4) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष 8 फरवरी, 1959 को पेश कर दी। नीचे रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें दी जा रही हैं जिनसे समिति के सामान्य दृष्टिकोण का परिचय मिल सकता है—

संसदीय समिति की सिफारिश

- (क) राजभाषा के बारे में सविधान में बड़ी समन्वित योजना दी हुई है। इसमें योजना के दायरे से बाहर जाए बिना स्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की गुंजाइश है।
- (ख) विभिन्न प्रादेशिक भाषाएँ राज्यों में शिक्षा और सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में तेजी से अंग्रेजी का स्थान ले रही हैं। यह स्वाभाविक ही है कि प्रादेशिक भाषाएँ अपना उचित स्थान प्राप्त करें। अतः व्यावहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गई है कि सभ के प्रयोजनों के लिए कोई एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन किसी नियत तारीख की ही हो। यह परिवर्तन धीरे-धीरे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ी न हो और कम से कम असुविधा हो।

- (ग) 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 में हिंदी सघ की मुख्य राजभाषा हो जाएगी किन्तु उसके उपरान्त अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहनी चाहिए।
- (घ) सघ के प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक इस समय नहीं लगाई जानी चाहिए और अनुच्छेद 343 के खण्ड (3) के अनुसार इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि 1965 के उपरान्त भी अंग्रेजी का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए, जिन्हें संसद् विधि द्वारा उल्लिखित करे, तब तक होता रहे जब तक कि वैसा करना आवश्यक रहे।
- (ङ.) अनुच्छेद 351 का यह उपबन्ध कि हिन्दी का विकास ऐसे किया जाए कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और इस बात के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि सरल और सुबोध शब्द काम में लाए जाएं।

रिपोर्ट की प्रतियाँ संसद् के दोनों सदनों के पटल पर 1959 के अप्रैल मास में रखी दी गई थीं और रिपोर्ट पर विचार-विमर्श लोक सभा में 2 सितंबर से 4 सितंबर, 1959 तक और राज्य सभा में 8 और 9 सितंबर, 1959 को हुआ था। लोक सभा में इस पर विचार-विमर्श के समय प्रधानमंत्री ने 4 सितंबर, 1959 को एक भाषण दिया था। राजभाषा के प्रश्न पर सरकार का जो दृष्टिकोण है उसे उन्होंने अपने इस भाषण में मोटे तौर पर व्यक्त कर दिया था।

2. अनुच्छेद 344 के खण्ड (6) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखकर, इसके बाद निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं।

3. शब्दावली-आयोग की जिन मुख्य सिफारिशों को समिति ने मान लिया, वे ये हैं—(i) शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य उसकी स्पष्टता, यथार्थता और सरलता होना चाहिए, (ii) अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली अपनाई जाए, या जहाँ भी आवश्यक हो, अनुकूलन कर लिया जाए; (iii) सब भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली का विकास करते समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि उसमें जहाँ तक हो सके, अधिकतम एकरूपता हो; और (iv) हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए जो प्रयत्न केन्द्र और राज्यों में हो रहे हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए समुचित प्रबन्ध

दिए जाने चाहिए। इसके अनिश्चित समिति का यह मन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सब भारतीय भाषाओं में जहाँ तक हो सके, एकरूपता होनी चाहिए और शब्दावली लगभग अंग्रेजी या अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली जैसी हो होनी चाहिए। इस दृष्टि में समिति ने यह मुझाव दिया है कि इस क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं द्वारा किए गए काम में समन्वय स्थापित करने और उनकी देखरेख के लिए और सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग में लाने की दृष्टि से एक प्रामाणिक शब्दकोष निकालने के लिए एक ऐसा स्थायी आयोग कायम किया जाए जिसके सदस्य मुख्यतः वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् हों।

शिक्षा मन्त्रालय निम्नलिखित विषय में कार्रवाई करे

- (क) अब तक किए गए काम पर पुनर्विचार और समिति द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल शब्दावली का विकास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वे शब्द, जिनका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है, वय से अम परिवर्तन के साथ अपना लिए जाएँ, अर्थात्, मूल शब्द वे होने चाहिए, अर्थात् आजकल अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली में काम में आते हैं। उनसे व्युत्पन्न शब्दों का जहाँ भी आवश्यक हो, भारतीयकरण किया जा सकता है,
- (ख) शब्दावली तैयार करने के काम में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने के विषय में सुझाव देना, और
- (ग) विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए समिति के सुझाव के अनुसार स्थायी आयोग का निर्माण।

4 प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कायविधि साहित्य का अनुवाद इस आवश्यकता की दृष्टि में रख कर कि संहिताओं और अन्य कायविधि-साहित्य के अनुवाद में प्रयुक्त भाषा में किसी हद तक एकरूपता होनी चाहिए, समिति ने आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि यह भारी काम एक अभिकरण को सौंप दिया जाए।

शिक्षा मन्त्रालय साविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अलावा बाकी सब संहिताओं और अन्य कायविधि-साहित्य का अनुवाद करें। साविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद सविधिकों के अनुवाद में घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं, इसलिए यह काम विधि मन्त्रालय करे। उस बात का पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि सब भारतीय भाषाओं में इन अनुवादों की शब्दावली में जहाँ तक हो सके, एकरूपता रखी जाए।

5 प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिंदी का प्रशिक्षण (क) समिति द्वारा

अभिव्यक्त मत के अनुसार 45 वर्ष से कम आयु वाले सब केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। तृतीय श्रेणी के ग्रेड से नीचे के कर्मचारियों और प्रायोगिक संस्थाओं और कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के संबंध में यह बात लागू न होगी। इस योजना के अन्तर्गत नियत तारीख तक विहित योग्यता प्राप्त न कर सकने के लिए कर्मचारी को कोई दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। हिन्दी भाषा की पढ़ाई के लिए सुविधाएँ प्रशिक्षणार्थियों को मुफ्त मिलती रहनी चाहिए।

(ख) गृह मंत्रालय उन टाइपकारों और आशुलिपिकों को हिंदी टाइप-राइटिंग और आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक प्रवन्ध करे जो केन्द्रीय सरकार की नौकरी में हैं।

(ग) शिक्षा मंत्रालय हिंदी टाइपराइटरों के मानक की-बोर्ड (कुजी पटल) के विकास के लिए शीघ्र कदम उठाए।

6. हिंदी प्रचार : (क) आयोग की इस सिफारिश से कि यह काम करने की जिम्मेदारी अब सरकार उठाए, समिति सहमत हो गई है। जिन क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाएँ पहले से ही विद्यमान हैं, उनमें उन संस्थाओं को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता दी जाए और जहाँ ऐसी संस्थाएँ नहीं हैं वहाँ सरकार आवश्यक सगठन कायम करे।

शिक्षा मंत्रालय इस बात की समीक्षा करे कि हिंदी प्रचार के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है, वह कैसी चल रही है। साथ ही वह समिति द्वारा सुझाई गई दिशाओं में आगे कार्रवाई करे।

(ख) शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय परस्पर मिलकर भारतीय भाषा-विज्ञान, भाषा-शास्त्र और साहित्य-संबंधी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए समिति द्वारा सुझाए गए तरीके से आवश्यक कार्रवाई करें और विभिन्न भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने के लिए और अनुच्छेद 351 में दिए गए निदेश के अनुसार हिंदी का विकास करने के लिए आवश्यक योजना तैयार करें।

7. केन्द्रीय सरकारी विभाग के स्थानीय कार्यालयों के लिए भर्ती : (क) समिति की राय है कि केन्द्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालय अपने आन्तरिक कामकाज के लिए हिंदी का प्रयोग करें और जनता के साथ व्यवहार में उन प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करें।

अपने स्थानीय कार्यालयों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग करने के वास्ते योजना तैयार करने में केन्द्रीय सरकारी विभाग

इस आवश्यकता का ध्यान म रखें कि यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में प्रादेशिक भाषाओं में फाम और विभागी साहित्य उपलब्ध कराके वहाँ की जनता को पूरी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

(ख) समिति की राय है कि केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक अभिकरणों और विभागों में कमचारियों की वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए, और कमचारियों का प्रादेशिक आधार पर विकेंद्रीयकरण कर दिया जाए, इसके लिए भर्तों के तरीको और अहंताओं में उपयुक्त मशीन करना होगा।

स्थानीय कार्यालयों में जिन कोटियों के पदों पर कार्य करने वाले की बदली मामूली तौर पर प्रदेश के बाहर नहीं होती उन कोटियों के स्वयं में यह सुझाव, कोई अधिवास संबंधी प्रतिबन्ध लगाए बिना, मिद्धातत मान लिया जाना चाहिए।

(ग) समिति आयाग की इस सिफारिश से सहमत है कि केंद्रीय सरकार के लिए यह विहित कर देना न्यायमत्त होगा कि उसकी नीतियों में लगने के लिए एक अहंता यह भी होगी कि उम्मीदवार को हिंदी भाषा का सम्यक् ज्ञान हो। पर एसा तभी किया जाना चाहिए जबकि इसके लिए काफी पहल में धूचना दे दी गई हो और भाषा योग्यता का विहित स्तर मामूली हो और इस बारे में जो भी कमी हो उसे सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा पूरा किया जा सकता हो।

यह सिफारिश अभी हिंदी-भाषी क्षेत्रों के केंद्रीय सरकारी विभागों में ही कार्यान्वित की जाए, हिंदीतर भाषा-भाषी क्षेत्रों के स्थानीय कार्यालयों में नहीं।

(क), (ख) और (ग) में दिए गए निर्देश भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के अधीन कार्यालयों के सम्बन्ध में लागू न होंगे।

8 प्रशिक्षण सम्बन्ध (क) समिति ने यह सुझाव दिया है कि नेशनल डिपेंस एकेडेमी जैसे प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बना रहे किंतु शिक्षा-सम्बन्धी कुछ या सभी प्रयोजनों के लिए माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग गुरु करन के लिए उचित कदम उठाए जाएँ।

रक्षा मंत्रालय अधुदेश पुस्तिकाओं इत्यादि के हिंदी प्रकाशन आदि के रूप में समुचित प्रारम्भिक कार्रवाई करें, ताकि जहाँ भी व्यवहार्य हो, वहाँ शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग सुगम हो जाए।

(ख) समिति ने सुझाव दिया है कि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही परीक्षा के माध्यम हो, किंतु परीक्षार्थियों को यह विकल्प रहे कि वे सब या कुछ परीक्षा-पत्रों के लिए उनमें से किसी एक भाषा

को चुन लें और एक विवेक समिति यह जांच करने के लिए नियुक्त की जाए कि नियत कोटा-प्रणाली अपनाए बिना प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग परीक्षा के माध्यम के रूप में कहीं तक शुरू किया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह प्रवेश परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे और कोई नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग आरंभ करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करे।

9. अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भर्ती : (क) परीक्षा का माध्यम : समिति की राय है कि (i) परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे और कुछ समय पश्चात् हिंदी वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना ली जाए। उसके बाद जब तक आवश्यक हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही परीक्षार्थी के विकल्पानुसार परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाए की छूट हों; और (ii) किसी प्रकार की नियत कोटा-प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए।

कुछ समय के पश्चात् वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके गृह मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करे। वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने से गम्भीर कठिनाइयाँ पैदा होने की संभावना है, इसलिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए विवेक समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।

(ख) भाषा विषयक प्रश्न-पत्र : समिति की राय है कि सम्यक् सूचना के बाद समान स्तर के दो अनिवार्य प्रश्न-पत्र होने चाहिए जिनमें से एक हिंदी का और दूसरा हिंदी से भिन्न किसी भारतीय भाषा का होना चाहिए और परीक्षार्थी को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह इनमें से किसी एक को चुन लें।

अभी केवल एक ऐच्छिक हिंदी परीक्षा-पत्र शुरू किया जाए। प्रतियोगिता के फल पर चुने गये जो परीक्षार्थी इस परीक्षा-पत्र में उत्तीर्ण हो गये हों, उन्हें भर्ती के बाद जो विभागीय हिंदी परीक्षा देनी होती है, उसमें बैठने और उसमें उत्तीर्ण होने की शर्त से छूट दे दी जाए।

10. अंक : जैसा कि समिति का सुझाव है, केंद्रीय मंत्रालयों का हिंदी

प्रकाशनो से अन्तर्राष्ट्रीय अको के अतिरिक्त देवनागरी अको के प्रयोग के सबध में एक आधारभूत नीति अपनाई जाए, जिसका निर्धारण इस आधार पर किया जाए कि वे प्रकाशन किम प्रकार की जनता के लिए है और उसकी विषयवस्तु क्या है। वैज्ञानिक, औद्योगिकीय और सांख्यिकीय प्रकाशनो में, जिसमें केन्द्रीय सरकार का बजट-संबंधी साहित्य भी शामिल है, बराबर अन्तर्राष्ट्रीय अको का प्रयोग किया जाए।

11 अधिनियमों, विधेयकों इत्यादि की भाषा (क) समिति ने राय दी है कि समदीय विधियाँ अंग्रेजी में बनती रहें किन्तु उनका प्रामाणिक हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए।

समदीय विधियाँ अंग्रेजी में बनती रहें पर उनके प्रामाणिक हिंदी अनुवाद की व्यवस्था करने के वास्ते विधि मंत्रालय आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश करे। समदीय विधियों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने का प्रबन्ध भी विधि मंत्रालय करे।

(ख) समिति ने राय आहिर की है जहाँ कहीं राज्य विधान मण्डल में पेश किए गए विधेयको या पास किए गए अधिनियमों का मूल पाठ हिंदी में सिन्ध किसी भाषा में है, वहाँ अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद के अलावा उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाए।

राज्य की राजभाषा में पाठ के साथ-साथ राज्य विधेयकों, अधिनियमों और अन्य सांख्यिक लिखतों के हिंदी अनुवाद के प्रकाशन के लिए आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश किया जाए।

12 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा राजभाषा आयोग ने सिफारिश की थी कि जहाँ तक उच्चतम न्यायालय की भाषा का सवाल है, उसकी भाषा इस परिवर्तन का समय आने पर अन्ततः हिंदी होनी चाहिए। समिति ने यह सिफारिश मान ली है।

आयोग ने उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी के पक्ष विपक्ष में विचार किया और सिफारिश की कि जब भी इस परिवर्तन का समय आग, उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आज्ञापत्रियों (डिक्शियों) और आदेशों की भाषा सब प्रदेशों में हिंदी होनी चाहिए, किन्तु समिति की राय है कि राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति में आवश्यक विधेयक पेश करके यह व्यवस्था करने की गुंजाइश रहे कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आज्ञापत्रियों (डिक्शियों) और आदेशों के लिए उच्च न्यायालय में हिंदी और राज्यों की राजभाषाएँ विकल्पतः प्रयोग में लाई जा सकेंगी।

समिति की यह राय है कि उच्चतम न्यायालय अंततः अपना मव काम हिंदी में करे, यह सिद्धांत रूप में स्वीकार्य है और इसके संबंध में समुचित कार्रवाई उसी समय अपेक्षित होगी जबकि इस परिवर्तन के लिए समय आ जाएगा।

जैसा कि आयोग की सिफारिश की तरयीम करते हुए समिति ने सुझाव दिया है, उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में यह व्यवस्था करने के लिए आवश्यक विधेयक विधि मंत्रालय उचित समय पर राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से पेश करे कि निर्णयों, आज्ञापितियों (डिक्रियो) और आदेशों के प्रयोजनों के लिए हिंदी और राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग विकल्पतः किया जा सकेगा।

13. विधि क्षेत्र में हिंदी में काम करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कदम : मानक विधि-शब्दकोश तैयार करने, केन्द्र तथा राज्य के विधान-निर्माण से संबंधित सांविधिक ग्रंथ का अधिनियमन करने, विधि शब्दावली तैयार करने की योजना बनाने और जिस संक्रमण काल में सांविधिक ग्रंथ और साथ ही निर्णय-विधि अंशतः हिंदी और अंशतः अंग्रेजी में होंगे, उस अवधि में प्रारंभिक कदम उठाने के बारे में आयोग ने जो सिफारिश की थी उन्हें समिति ने मान लिया है। साथ ही समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि संविधियों के अनुवाद और विधि शब्दावली और कोशों से संबंधित संपूर्ण कार्यक्रम की समुचित योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए भारत की विभिन्न राष्ट्र-भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग या इस प्रकार का कोई उच्च स्तरीय निकाय बनाया जाए। समिति ने यह राय भी ज़ाहिर की है कि राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाए कि वे भी केंद्रीय सरकार से राय लेकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

समिति के सुझाव को दृष्टि में रखकर विधि मंत्रालय (यथासंभव सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग के लिए) सर्वमान्य विधि शब्दावली की तैयारी और संविधियों के हिंदी में अनुवाद-संबंधी पूरे काम के लिए समुचित योजना बनाने और पूरा करने के लिए विधि विशेषज्ञों के एक स्थायी आयोग का निर्माण करे।

14. हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजना या कार्यक्रम : समिति ने यह सुझाव दिया है कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की योजना संघ सरकार बनाए और कार्यान्वित करे। संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर इस समय कोई रोक न लगाई जाए।

तदनुसार गृह मंत्रालय एक योजना या कार्यक्रम तैयार करे, उसे अमल में लाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे। इस योजना का उद्देश्य होगा संघीय

प्रशासन में बिना कठिनाई के हिंदी के प्रगाभी प्रयोग के लिए प्रारम्भिक कदम उठाना और संविधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड (2) में किए गए उपबन्ध के अनुसार सघ के विभिन्न कार्यों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना । अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का प्रयोग वहाँ तक किया जा सकता है यह बात इन प्रारम्भिक कार्रवाइयों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करेगी । इस बीच प्राप्त अनुभव के आधार पर अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी के वास्तविक प्रयोग की योजना का समय-समय पर पुनर्विचार और उसमें हेरफेर करना होगा ।

परिशिष्ट VIII

संघ राज्य क्षेत्र (हिंदी और अन्य भाषाओं का प्रयोग) विधेयक 1978

संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद के लिए और संघ राज्यक्षेत्रों में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए हिंदी या संघ राज्यक्षेत्रों की राजभाषाओं के वैकल्पिक प्रयोग के लिए उपबन्ध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त
नाम और
प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र (हिंदी और अन्य भाषाओं का प्रयोग) अधिनियम, 1978 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और विभिन्न संघ राज्यक्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। परिभाषाएँ : 2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) 'प्रशासक' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;
- (ख) किसी संघ राज्यक्षेत्र के और इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के संबंध में 'नियत दिन' से वह दिन अभिप्रेत है, जिसे दिन से उस संघ राज्यक्षेत्र में वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है; 5
- (ग) 'हिंदी' से वह हिंदी अभिप्रेत है, जिसकी लिपि देवनागरी है;
- (घ) 'संघ राज्यक्षेत्र' से विधान सभा वाला संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत

है और इसके अतर्गत दिल्ली सघ राज्यक्षेत्र भी है ।

कतिपय मामलों में सघ राज्य-क्षेत्रों की विधान सभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और प्रशासकों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

3 जहाँ सघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा पारित 10 अधिनियम या सघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश हिंदी से अन्य भाषा में हैं, वहाँ उनका हिंदी अनुवाद उस सघ राज्यक्षेत्र के राजपत्र में, उस सघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उमका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

15

निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राज-भाषाओं का वैकल्पिक प्रयोग

4 (1) नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन राष्ट्रपति हिंदी या सघ राज्यक्षेत्र की राजभाषा का प्रयोग, उस सघ राज्यक्षेत्र में मुख्य स्थान रखने वाले उस सघ राज्यक्षेत्र के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन से राष्ट्रपति या उस सघ राज्यक्षेत्र की राजभाषा का प्रयोग, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त उस सघ राज्यक्षेत्र में मुख्य स्थान रखने वाले उस सघ राज्यक्षेत्र के उच्च

न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के 20 प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहाँ कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से अन्य) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है, वहाँ उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा। 25

स्पष्टीकरण : इस धारा में, 'उच्च न्यायालय' अभिव्यक्ति के अंतर्गत गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए न्यायिक आयुक्त का न्यायालय भी है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों, निर्णयों आदि के प्रयोजन के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा। समान रूप से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 6 में उपबन्ध किया गया है कि जहाँ किसी राज्य के विधान मण्डल ने, उस राज्य के विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियमों में या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए, हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहाँ संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित, अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, प्रकाशित किया जा सकेगा, और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम, या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। ये उपबन्ध संघ राज्यक्षेत्रों को लागू नहीं हैं क्योंकि इन उपबन्धों में राज्यपाल के प्रति निर्देश के अन्तर्गत संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नहीं है। इसलिए यह प्रस्थापित किया जाता है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 6 और 7 के आधार पर पृथक् विधान अधिनियमित किया जाए जिससे कि संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद के लिए और उस संघ राज्यक्षेत्र में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय में कतिपय प्रयोजनों के लिए हिंदी या उस संघ राज्यक्षेत्र की राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग के लिए उपबन्ध किया जा सके।

इस विधान का उद्देश्य उपर्युक्त उद्देश्यों को प्रभावी करना है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 का उद्देश्य हिंदी से भिन्न किसी भाषा में सघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों के या सघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के, हिंदी में अनुवाद का राजपत्र में प्रकाशन करने के लिए उपबन्ध करना है । इस प्रकार विधेयक का खण्ड 4 कार्यवाहियों में और सघ राज्यक्षेत्र के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या किये गये किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए हिंदी के या सघ राज्यक्षेत्र की राजभाषा के उपयोग के लिए उपबन्ध करता है । इसमें कुछ आवर्ती व्यय होने की सम्भावना है किन्तु ऐसा व्यय कितना होगा, इस समय वह बताना सम्भव नहीं है ।

कोई अनावर्ती व्यय होने की सम्भावना नहीं है ।

भगीकार लोह सभा बहम, 1978

परिशिष्ट IX

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं
में श्रेष्ठ प्रकाशनों के लिए सन् 1955 से 1980 तक
दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार

क्र.सं.	भाषाओं के नाम	प्राप्त पुरस्कारों की संख्या	
		(1955-77)	(1978-80)
1.	असमिया	14	3
2.	उड़िया	17	3
3.	उर्दू	17	3
4.	कन्नड़	21	3
5.	कश्मीरी	9	2
6.	गुजराती	19	3
7.	तमिल	17	3
8.	तेलुगु	17	2
9.	पंजाबी	17	3
10.	बंगला	20	3
11.	मराठी	22	3
12.	मलयालम	19	3
13.	संस्कृत	11	2
14.	सिंधी	11	3
15.	हिंदी	22	3

संकलित : साहित्य अकादमी सामान्य सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट, 1977, 1979, 1980,
नई दिल्ली; पृष्ठ 75 से 99, 45 से 69 एवं 44 से 65 तक क्रमशः ।

परिशिष्ट X

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल न की गई भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में श्रेष्ठ प्रकाशनों के लिए सन् 1955 से 1980 तक दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार

क्र.सं.	भाषाया के नाम	पुरस्कारों की संख्या	
		(1955-77)	(1978-80)
1	अंग्रेजी	9	3
2	बांग्ला	1	3
3	दागरी	7	3
4	नेपाली	1	3
5	मणिपुरी	4	2
6	मैथिली (1966 से)	9	3
7	राजस्थानी (1974 से)	4	3

सकलित साहित्य अकादमी भाषाय सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट, 1977, 1979, 1980, नई दिल्ली। पृष्ठ 75 से 99 45 से 69 44 से 65 तक क्रमशः ।

परिशिष्ट XI
विवरण I

संसार की राजभाषाएं और इन्हें प्रयोग करने वाले
एक भाषी देशों की संख्या

क्र.सं.	भाषा	एक भाषी देशों की संख्या जिनमें दो की भाषा राज-भाषा है।	कालम (3) में अंकित देशों की जन संख्या (लाखों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अंग्रेजी	26	4002.5
2.	अमहारिक	1	252.5
3.	वरवो/क्लासिकल वरवी	15	
4.	बल्गारि	1	21.9
5.	भाइसलैडिक	1	2.1
6.	इतालवी	3	
7.	चर्चू	1	621.7
8.	कतालान	1	0.2
9.	कम्बोडियन/अथवा खमेर	1	74.5
10.	कोरियन	2	461.1
11.	खलखा मंगोलियन	1	12.8
12.	क्वोक-न्गू	2	404.1
13.	चीनी	2	
14.	जर्मन	4	858.3
15.	जापानी	1	1066.0
16.	टोंगन	1	0.9
17.	डच	2	136.0

□□. उपर्युक्त सूची में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य-देशों (1-1-76 की स्थिति के अनुसार) तथा अन्य ऐसे देशों को शामिल किया गया है, जिनके सम्बन्ध में प्राथमिक सूचना उपलब्ध थी।

(1)	(2)	(3)	(4)
18	डिब्रही	1	1 1
19	डैनिश	1	49 6
20	डयोषा	1	1 5
21	दुर्गि	1	361 1
22	धाई	1	373 8
23	नाविजियन	1	39 0
24	नेपाली	1	115 5
25	पुतगाली	2	1047 1
26	गालिश	1	328 0
27	फ्रेंच/फ्रामीसी	16	1160 1
28	फारसी	1	297 8
29	फिनिश	1	46 2
30	बर्मी	1	282 0
31	बुल्गेरियन	1	85 4
32	भाषा इण्डोनेशियन	1	1178 9
33	मलया	1	106 7
34	मयार	1	103 7
35	(आधुनिक) यूनानी	1	17 7
36	रूसी	1	2450 8
37	रोमानियन	1	204 7
38	सेबो प्रोएशियन	1	205 2
39	मिहली	1	127 1
40	स्पेनिश	19	2967 6
41	स्वोडिश	1	81 0
42	इब्रानी	1	30 1

परिशिष्ट XI

विवरण II

अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में प्रयोग
करने वाले देशों की संख्या

(क) देश जहाँ केवल अंग्रेजी राजभाषा है।	26
(ख) देश जहाँ अंग्रेजी और एक अन्य निम्नलिखित भाषा राजभाषा है।	
(i) अंग्रेजी और आयरिश	1
(ii) अंग्रेजी और नौरुवान	1
(iii) अंग्रेजी और फ्रेंच/फ्रांसीसी	2
(iv) अंग्रेजी और माल्टीज़	1
(v) अंग्रेजी और समाओ	1
(vi) अंग्रेजी और सेस्थो	1
(vii) अंग्रेजी और स्वाहिली	1
(viii) अंग्रेजी और हिंदी	1
द्वि-भाषी देशों की कुल संख्या	9
(ग) त्रि-भाषी देश जिनमें अंग्रेजी तथा दो अन्य भाषाएँ (टागालोग और स्पेनिश), राजभाषाएँ हैं।	1
(घ) चतुर्भाषी देशों की संख्या, जिनमें अंग्रेजी, और चीनी (मैंडारिन), तमिल तथा मलाय राजभाषाएँ हैं।	1

परिशिष्ट XI

विवरण III

फ्रांसीसी को राजभाषा के रूप में
प्रयोग करने वाले देशों की संख्या

(क) देश जहाँ केवल फ्रांसीसी राजभाषा है।	16
(ख) देश जहाँ फ्रांसीसी और एक अन्य निम्नलिखित भाषा राजभाषा हैं।	
(i) फ्रांसीसी और अंग्रेजी	2
(ii) फ्रांसीसी और अरबी	1
(iii) फ्रांसीसी और क्विन्यारवादी	1
(iv) फ्रांसीसी और किहूदी	1
(v) फ्रांसीसी और मालागासे	1
(vi) फ्रांसीसी और मोहान कौतूबा	1
(vii) फ्रांसीसी और साओ	1
द्वि-भाषी देशों की कुल संख्या	8
(ग) त्रि-भाषी देश जिनमें फ्रांसीसी तथा दो अन्य भाषाएँ राजभाषाएँ हैं।	
(i) फ्रांसीसी तथा इतालवी और जर्मन	1
(ii) फ्रांसीसी तथा जर्मन और डच	1
त्रि-भाषी देशों की कुल संख्या	2

परिशिष्ट XI

विवरण IV

द्वि-भाषी देशों में ग्रन्थ राजभाषाएँ

क्रम	भाषाएँ	जितने देशों में कालम (2) की भाषाएँ राजभाषाएँ हैं
(1)	(2)	(3)
1.	गौरानी और स्पेनिश	1
2.	चेक और स्लोवाक	1
3.	फ्रारसी और पश्तो	1
4.	यूनानी और तुर्की	1

संकलित : वल्डे मार्क एन्साइक्लोपीडिया ऑफ़ नेशंस, ग्रंथ 2 से 5 तक, वल्डे मार्क प्रेस, हापर एण्ड को., न्यूयार्क, 1971.

परिशिष्ट- XII

राजभाषा (मशोधन) अधिनियम 1967
के सन्ध में समाचारपत्रों में-
प्रकाशित समाचारों का
स्थान विवरण

तालिका I
दि हिंदू (अंग्रेजी), दिसंबर 1967

क्रम	वर्ग	अंग्रेजी के पन्ने में	प्रतिशत	हिंदी के पन्ने में	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	विद्यार्थी	388 कालम सें भी	6.73	318 कालम सें भी	5.51
2	राजनीतिज्ञ	1224	21.23	1277	22.15
3	सरकारी प्रवक्ता	550	9.44	968	16.79
4	शिक्षाशास्त्री (उप-कूलपति एवं शिष्या प्रशासक आदि)	157	2.72	23	0.39
5	वन्य (संपादकीय और अन्य लेख आदि मिलाकर)	686	11.90	171	2.94
कुल	5762 (100%)	3005	52.12%	2757	47.87%

तालिका II
हिंदुस्तान (हिंदी), दिसंबर 1967

क्रम	वर्ग	अंग्रेजी के पक्ष में	प्रतिशत	हिंदी के पक्ष में	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	विद्यार्थी	318 कालम नॉ.मी.	3.4	1521 कालम सें.मी.	16.2
2.	राजनीतिज्ञ	307 " "	3.3	2694 " "	28.6
3.	सरकारी प्रवक्ता	104 " "	1.1	768 " "	8.2
4.	शिक्षाशास्त्री (उप-कुलपति एवम् शिक्षा प्रशामक आदि)	—	—	55 " "	0.5
5.	अन्य (सम्पादकीय आदि मिलाकर)	13 " "	0.1	3626 " "	38.6
कुल : 9406 (100%)		742 " "	7.9%	8664 " "	92.1%

(i) संकलित : दि हिंदू और हिंदुस्तान (हिंदी), दिसम्बर 1967

(ii) कालम (3) और (5) में प्रतिशत के आंकड़े दि हिंदू और हिंदुस्तान (हिंदी) में इस सम्बन्ध में दिए गए कुल स्थान के हैं।

परिशिष्ट XIII

विवरण I

पाँचवों लोक सभा, 1976 में प्रत्येक राज्य से
निर्वाचित विभिन्न राजनीतिक बलों की
सदस्य संख्या

क्रम	राज्य	कांग्रेस	साम्यवादी दन (एम)	साम्यवादी	जनमध	डी एम के
1	आंध्र प्रदेश	36	1	1	—	—
2	असम	12	—	—	—	—
3	उड़ीसा	14	—	1	—	—
4	उत्तरप्रदेश	71	—	5	4	—
5	कर्नाटक	27	—	—	—	—
6	करल	6	2	3	—	—
7	गुजरात	12	—	—	—	—
8	जम्मू कश्मीर	5	—	—	—	—
9	तमिलनाडु	8	—	4	—	16
10	त्रिपुरा	—	2	—	—	—
11	नागालैंड	—	—	—	—	—
12	पंजाब	9	—	1	—	—
13	पश्चिम बंगाल	13	20	3	—	—
14	विहार	35	—	5	2	—
15	मणिपुर	2	—	—	—	—
16	मध्यप्रदेश	22	—	—	9	—
17	महाराष्ट्र	39	—	1	—	—
18	मघालय	—	—	—	—	—
19	राजस्थान	15	—	—	2	—
20	मिजोरम	1	—	—	—	—
21	हिमाचलप्रदेश	3	—	—	—	—
22	हरियाणा	6	—	—	1	—

संघराज्य क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	कांग्रेस	मान्यवादी	(एम) मान्यवादी	जनसंघ	डी.एम.के.
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	1	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	—	—
3.	गोवा, दमन, दीव	1	—	—	—	—
4.	चण्डीगढ़	1	—	—	—	—
5.	दादर, नागर हवेली	1	—	—	—	—
6.	दिल्ली	6	—	—	—	—
7.	पॉण्डिचेरी	—	—	—	—	—
8.	मिज़ोरम	1	—	—	—	—
9.	नगरीय	1	—	—	—	—
	कुल	349	26	24	18	16

संक्रियन : लोक सभा सदस्यों की सूची, लोक सभा सचिवालय, मार्च 1976, इस सारणी में केवल उन पाँच पार्टियों की सदस्य-संख्या दर्शायी गयी है, जिनके सदस्य लोक सभा में निर्वाचित थे।

परिशिष्ट XIII
विवरण II

छठी लोक सभा, 1977 में प्रत्येक राज्य
से निर्वाचित विभिन्न राजनीतिक बलों
की सदस्य संख्या

क्रम	राज्य	कुल स्थान	बाह्येय सं. एक ही	जनता सं. एक ही	साम्यवादी	साम्यवादी (एम)	अन्य	स्वतन्त्र
1	आंध्रप्रदेश	42	42	1	—	—	—	—
2	असम	14	10	3	—	—	—	1
3	उड़ीसा	21	4	15	—	1	—	1
4	उत्तरप्रदेश	85	—	85	—	—	—	—
5	कर्नाटक	28	26	2	—	—	—	—
6	केरल	20	11	—	4	—	5	—
7	गुजरात	26	10	16	—	—	—	—
8	जम्मू कश्मीर	6	3	—	—	—	2	1
9	तमिलनाडु	39	14	3	3	—	19	—
10	त्रिपुरा	2	1	1	—	—	—	—
11	नागालैंड	1	—	—	—	—	1	—
12	पंजाब	13	—	3	—	1	9	—
13	पश्चिम बंगाल	42	3	15	—	17	6	1
14	बिहार	54	—	54	—	—	—	—
15	मणिपुर	2	2	—	—	—	—	—
16	मध्यप्रदेश	40	1	37	—	—	1	1
17	महाराष्ट्र	48	20	19	—	3	6	—
18	मेघालय	2	1	—	—	—	1	—
19	राजस्थान	25	1	24	—	—	—	—
20	मिझोरम	1	1	—	—	—	—	—
21	हिमाचलप्रदेश	4	—	4	—	—	—	—
22	हरियाणा	10	—	10	—	—	—	—

संघ राज्य-क्षेत्र

1. अण्डमान और निकोबार द्वीप	1	1	—	—	—	—	—
2. अरुणाचलप्रदेश	2	1	—	—	—	—	1
3. गोवा-दमन-दीव	2	1	—	—	—	1	—
4. चण्डीगढ़	1	—	1	—	—	—	—
5. दादर-नगर हवेली	1	1	—	—	—	—	—
6. दिल्ली	7	—	7	—	—	—	—
7. पांडिचेरी	1	—	—	—	—	1	—
8. मिज़ोरम	1	—	—	—	—	—	1
9. लक्षद्वीप	1	1	—	—	—	—	—
कुल	542	154	300	7	22	52	7

(i) अन्य दलों के अंतर्गत निम्न दलों के सदस्य भी शामिल हैं.

अकाली दल	8
डी. एम. के.	1
ए. आई.—ए. डी. एम. के.	19
मुस्लिम लीग	2

(ii) उपर्युक्त स्थिति चुनावों के तुरंत बाद की है.

परिशिष्ट XIII
विवरण III

क्र.सं.	राज्य	जनता	लोकदल	कुल	सी पी भाई	कासेस (र)	कासेस (प)	सी पी भाई (एम)	रिक्त	नौ जे पा	भयदल	डी एम के
1	भाद्रप्रदेश	—	—	42	—	41	1	—	—	—	—	—
2	भारतम	—	—	14	—	2	—	—	12	—	—	—
3	बिहार	2	5	54	5	32	5	—	—	2	3	—
4	गुजरात	1	—	26	—	25	—	—	—	—	—	—
5	हरियाणा	—	3	10	—	5	—	—	—	1	1	—
6	हिमाचलप्रदेश	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
7	जम्मू काश्मीर	—	—	6	—	2	—	—	—	—	4	—
8	कर्नाटक	1	—	28	—	27	—	—	—	—	—	—
9	केरल	—	—	20	2	4	3	6	—	—	5	—
10	सम्प्रदेश	—	—	40	—	34	—	—	1	4	1	—
11	महाराष्ट्र	6	—	48	—	38	1	—	—	—	—	—
12	मणिपुर	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—
13	मेघालय	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—
14	नागालैण्ड	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
15	उड़ीसा	—	1	21	—	20	—	—	—	—	—	—
16	पंजाब	—	—	13	—	11	—	—	—	—	1	—
17	राजस्थान	1	2	25	—	17	1	—	1	3	—	—

परिशिष्ट XIV

सघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित
परीक्षामो से प्रत्याशियों की संख्या

क्रम	वर्ष	परीक्षामो की संख्या	नौकरियों की संख्या	उम्मीदवार	परीक्षा से बैठने वाले प्रत्याशी	नियुक्ति के लिए सस्युत प्रत्याशी	मायाग वी नौवी रिपोट	टिप्पणी
1	1958-59	29 (6)	1 885	62,704	43,730	8,527	मायाग वी नौवी रिपोट	
2	1959-60	93 (72)	1,559	72,726	50,146	6,231	"	दसवी रिपोट
3	1960-61	73 (51)	1 670	34,349	23,072	3,298	"	ग्यारहवी रिपोट
4	1961-62	55 (36)	2 672	36 985	24,535	2 343	"	बारहवी रिपोट
5	1962-63	58 (35)	4,705	52,429	33,573	2 709	"	तेरहवी रिपोट
6	1963-64	57 (35)	4,074	33,287	19,515	2,953	"	बौदहवी रिपोट
7	1964-65	57 (36)	4 612	28,848	19,384	3,286	"	पन्द्रहवी रिपोट
8	1965-66	57 (36)	4,132	33,087	23,272	4,859	"	सालहवी रिपोट
9	1966-67	58 (38)	3,223	40,532	25,377	4 541	"	सत्रहवी रिपोट
10	1967-68	64 (39)	3,092	56,275	36 558	4,530	"	अठारहवी रिपोट
11	1968-69	58 (37)	3,314	58,948	38,370	4,543	"	उनीसवी रिपोट
12	1969-70	62 (37)	3 707	72 419	45,604	3,946	"	बीसवी रिपोट
13	1970-71	29 (6)	4 457	69 612	43,441	4,187	"	इक्कीसवी रिपोट
14	1971-72	28	2 592	63,617	36,865	2 040	"	बाइसवी रिपोट
15	1972-73	26	2 719	70 961	38 570	2 636	"	तेइसवी रिपोट
16	1973-74	25	3 006	74 576	42 887	2 342	"	चौबीसवी रिपोट

17.	1974-75	19	3,110	88,566	47,965	2,611	गायोग की पच्चीसवीं रिपोर्टें
18.	1975-76	14	2,870	1,01,632	57,290	1,857	छत्तीसवीं रिपोर्टें
19.	1976-77	15	3,931	1,36,677	94,071	2,846	सत्ताइसवीं रिपोर्टें
20.	1977-78	12	3,222	1,24,407	74,413	2,512	अठाइसवीं रिपोर्टें
21.	1978-79	15	4,673	1,39,794	98,576	4,391	उत्तीसवीं रिपोर्टें

1. अमीकार : स्रोत, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्टें ।
2. तालिका में दो प्रकार की नोटशियों के आंकड़े हैं—एक वे जिनमें भर्ती केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर हुई थीं और दूसरी जिनके लिए भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के, आधार पर हुई । तालिका में पारोक्षिक और टाइपिंग तथा प्रायुक्ति की परीक्षाओं के विद्यार्थी भी शामिल हैं ।
3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े टाऊन-परीक्षाओं की गिनती दर्शाते हैं ।

सदभं और टिप्पणियां

1. संकलित : स्रोत : 1971 की जन-संख्या के आकड़े ।
2. इस विवरण में विभिन्न क्षेत्रों का गठन इस प्रकार है—
 - (क) पूर्वी क्षेत्र—(1) असम, (2) उड़ीसा, (3) त्रिपुरा, (4) नागालैंड, (5) पश्चिम बंगाल, (6) बिहार, (7) मणिपुर, (8) मेघालय, (९) अण्डमान और निकोबार द्वीप, (10) अरुणाचलप्रदेश ।
 - (ख) उत्तरी क्षेत्र—(1) उत्तरप्रदेश, (2) जम्मू-कश्मीर, (3) पंजाब, (4) राजस्थान, (5) हिमाचलप्रदेश, (6) हरियाणा, (7) चण्डीगढ़, (8) दिल्ली ।
 - (ग) दक्षिणी क्षेत्र—(1) आंध्रप्रदेश, (2) कर्नाटक, (3) केरल, (4) तमिलनाडु, (5) मित्रिकाय, (6) पांडिचेरी ।
 - (घ) पश्चिमी क्षेत्र (1) गुजरात, (2) मध्य प्रदेश, (3) महाराष्ट्र, (4) गोवा-दमन-दीव, (5) दादर नगर हवेली ।
3. संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम का अलग से वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि 1971 की जन-गणना के समय यह असम राज्य का एक जिला था ।
4. इस विवरण में सिक्किम शामिल नहीं है, क्योंकि यह 1975 में भारतीय संघ का वाइसर्वा राज्य बना ।

परिशिष्ट XVI

विवरण I

सद्य लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती के लिए सञ्चालित परीक्षाओं में निवृत्त और साधारण ज्ञान के पत्रों के लिए सविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं को विकल्प माध्यम के रूप में चुनने वाले प्रत्याशियों की संख्या

विषय	निवृत्त				साधारण ज्ञान				
	1969	1970	1971	1972	1969	1970	1971	1972	
परीक्षा का वर्ष	1969	1970	1971	1972	1969	1970	1971	1972	
परीक्षार्थियों की संख्या	6507	6724	7619	8424	6396	6635	7514	8424	
माध्यम एवं प्रत्याशी									
1	ब्रह्मिण्या	8	6	4	8	3	3	4	5
2	उड़िया	18	12	15	16	15	8	6	9
3	उड़ू	22	19	19	16	10	8	12	9
4	कन्नड़	11	3	10	9	9	2	8	6
5	कश्मीरी	—	1	—	2	—	—	—	—
6	गुजराती	17	23	28	34	17	20	27	33
7	तमिल	30	29	27	47	24	24	17	30
8	तेलुगु	27	14	10	20	20	9	6	17
9	पंजाबी	35	40	57	57	26	24	30	21
10	बंगाली	106	84	91	90	68	46	54	46
11	मराठी	30	27	30	23	28	17	21	18
12	मलयालम	25	17	18	16	21	12	12	10
13	संस्कृत	—	1	—	1	—	1	—	1
14	सिंधी (दक्कनमरी लिपि)	1	—	—	—	—	—	—	—
	सिंधी (बरबी लिपि)	—	1	2	2	1	1	2	1
15	हिंदी	877	791	932	1148	630	458	539	648
कुल		1207	1068	1243	1489	872	633	738	854
परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों का भाग (प्रतिशत में) जिन्होंने भारतीय भाषाओं को माध्यम चुना :		18 55	15 88	16 31	17 68	13 63	9 54	9 82	10 14

परिशिष्ट XVI
विवरण II

विवरण	निबंध										सामान्य ज्ञान								
	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1973	1974	1975	1976	1977	1978	
परीक्षा का वर्ष	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1973	1974	1975	1976	1977	1978	
परीक्षार्थियों की कुल संख्या	12610	14024	15492	17627	17359	18857	12412	13847	15238	17392	17242	14734	12412	13847	15238	17392	17242	14734	
साध्यस																			
अनमिया	04	02	06	05	09	12*	02	01	05	03	—	—	02	01	05	03	—	—	
बगलरी	130	167	129	130	132	127	51	77	73	71	—	—	51	77	73	71	—	—	
गुजराती	58	27	38	55	60	86	43	26	35	54	—	—	43	26	35	54	—	—	
हिंदी	1556	1917	2098	2529	2891	3228	746	896	1046	1219	—	—	746	896	1046	1219	—	—	
कन्नड़	11	15	08	21	21	42	07	08	05	15	—	—	07	08	05	15	—	—	
कश्मीरी	04	02	01	—	01	01	01	01	—	—	—	—	01	01	—	—	—	—	
मल्याळम	25	38	26	36	27	28	17	21	14	18	—	—	17	21	14	18	—	—	
मराठी	34	50	47	61	67	98	24	38	33	43	—	—	24	38	33	43	—	—	
उडिया	17	25	33	41	28	39	08	12	16	26	—	—	08	12	16	26	—	—	
पंजाबी	96	113	152	169	223	297	46	45	67	59	—	—	46	45	67	59	—	—	
संस्कृत	—	—	01	01	01	04	—	—	01	—	—	—	—	—	01	—	—	—	
सिंधी (द्विभाषी)	01	—	—	01	02	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
सिंधी (असंस्कृत)	04	01	02	—	01	05	04	—	—	—	—	—	04	—	—	—	—	—	

विषय	निबंध									
	निबंध			सामाज्य ज्ञान						
समिल	56	76	115	133	161	205	40	50	83	83
तेलुगु	29	41	44	33	55	104	19	27	31	15
उर्दू	41	32	46	38	56	80	11	17	26	21
कुल	2066	2506	2746	3253	3735	4357	1019	1219	1437	1628

परीक्षा में शामिल कुल उम्मीदवारों के मुकाबले ऐसे उम्मीदवारों का प्रतिशत जिन्होंने वैकल्पिक भाषा का उपयोग किया

16 39 17 87 17 72 18 45 21 52 23 11 8 21 8 80 9 43 9 36

पूर्विक वर्ष 1977 व 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा की सामाज्य ज्ञान की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की थी, अतः भाषा माध्यम का प्रश्न नहीं उठता ।

मगीदार नेशनली, सलाइमनी, उ नीमनी रिजॉर्ट, सच लोक सेवा आयोग, पृष्ठ 141, 94, 84 क्रमशः ।

क्रम	भाषा	समाचारपत्रों की संख्या			औसत विद्यो (सात्र में)					औसत विद्यो से वार्षिक वृद्धि	
		1952	1958	1965	1952	1958	1965	1973	1973	1952-73	1965-73
17	हिन्दी	—	—	581	—	—	7.45	8.49	—	—	—
18	बहुभाषी	—	—	145	—	—	2.01	1.49	—	—	—
19	अथ	37	71	157	73	0.40	0.28	2.11	1.02	7.5	32.5
कुल		5196	5352	7906	6316	80.52	128.18	242.13	313.01	13.71	11.00
(अभिप्रेक्षित)											

- 1 1952 और 1958 के आकड़े अवस्थीर हैं प्रत प्रंत में दिया गया गलत सही नहीं है
- 2 समाचारपत्रों में दैनिक, साप्ताहिक, पारिक और त्रैमास्यहिक पत्र शामिल हैं
- 3 रूपोतरित प्रेस इन इण्डिया समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट XVII

विवरण II

प्रकाशित पुस्तकों का विषय अनुसार विवरण

भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय-स्तर की साहित्य रचना का केंद्रीय प्रायोजित प्रोग्राम

क्र. सं.	विज्ञान-संबंधी विषय	भाषाएँ										कुल		
		तेलुगु	असमिया	गुजराती	कन्नड़	मलयालम	मराठी	उडिया	पंजाबी	तमिल	बंगला		हिंदी	
1.	कृषि विज्ञान	—	—	80	62	76	2	7	—	1	—	—	59	289
2.	गु-विज्ञान	6	7	—	—	—	—	4	—	—	—	—	10	27
3.	आयुर्विज्ञान	—	—	15	6	—	7	—	—	—	—	—	—	28
4.	जीव विज्ञान	2	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	7
5.	व्यगमति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान एवं जीन रसायन	33	18	15	14	22	1	—	—	1	42	—	—	209
6.	रसायन विज्ञान एवं जीन रसायन	21	31	37	26	27	7	3	2	61	—	—	—	219
7.	दूरी नियरी	—	—	31	7	74	23	—	—	35	—	—	—	197
8.	साधारण विज्ञान	—	—	—	—	7	8	—	—	—	—	—	5	89
9.	भू-विज्ञान	22	11	4	10	5	5	4	—	—	—	—	—	9
10.	गृह विज्ञान	24	6	2	1	4	3	5	—	—	—	—	—	45
11.	गणित	36	40	27	26	31	7	14	5	64	2	—	—	297

क्र	विज्ञान समधी	भाषाए										कुल			
		सं	विषय	तल्लुगु	ससमिया	गुजराती	कन्नड	मसयालम	मरठी	उडिया	पञ्जाबी		समित	सगला	हिती
12	चिकित्सा एव फार्मसी	—	—	29	11	12	3	—	—	—	—	5	—	29	89
13	भौतिक विज्ञान	29	28	27	37	51	3	24	9	57	6	79	350		
14	शरीर क्रिया विज्ञान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	साक्ष्यकी	15	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	गणु चिकित्सा विज्ञान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	जनु विज्ञान	29	9	9	7	21	1	3	1	62	—	—	—	—	—
कुल		217	161	283	219	331	62	71	19	356	25	432	2176		

प्रकाशित पुस्तकों का विषय-अनुसार विवरण क्रमशः

क्रम	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संबंधी विषय	भाषाएँ										कुल					
		तेलुगु	मराठिया	गुजराती	कन्नड	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	तमिल	बंगला		हिंदी				
1.	वास्तुकला	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	कला एवं संस्कृति	2	—	12	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21
3.	प्राचीन इतिहास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	26
4.	वाणिज्य	49	62	14	17	19	17	9	1	41	—	—	—	—	—	—	243
5.	अर्थशास्त्र	34	22	45	28	37	12	7	3	63	—	—	—	—	—	—	301
6.	शिक्षा	—	14	21	25	14	4	16	7	6	—	—	—	—	—	—	160
7.	क्रीडा	18	15	10	15	4	1	5	3	12	—	—	—	—	—	—	104
8.	इतिहास और पुरातत्व	21	19	35	25	32	8	16	1	69	—	—	—	—	—	—	281
9.	जनजाति एवं मुद्रण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10.	विधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
11.	पुस्तकालय विज्ञान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
12.	भाषा विज्ञान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13.	साहित्य एवं याहित्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
	समाजोपना	—	—	3	32	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
14.	शैक्ष्य विज्ञान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
15.	दर्शन और तर्कशास्त्र	16	23	28	14	8	5	16	1	3	—	—	—	—	—	—	185
16.	राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन	20	28	15	21	15	11	5	9	36	—	—	—	—	—	—	233

क्र	भाषा	भाषाएँ										कुल	
		तेलुगु	मराठी	गुजराती	कन्नड़	मलयालम	मराठी	उडिया	पंजाबी	तमिल	बंगला		हिंदी
17	मनोविज्ञान	9	—	20	14	3	3	4	—	10	—	14	76
18	संस्कृत	9	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	28
19	संगीत	—	—	—	17	1	7	—	—	—	—	3	28
20	सांसाजिक कार्य	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	33	42
21	समाज विज्ञान	12	7	6	20	—	3	2	—	—	—	—	50
22	शब्द संग्रह	—	—	—	—	—	—	16	10	—	—	—	26
23	विविध	—	16	6	36	43	5	55	4	33	8	103	241
(क) भाषाविज्ञान विषयो		190	206	268	297	207	94	154	46	273	25	597	2352
(ख) विज्ञान सम्बन्धी विषयो		217	161	283	219	331	62	71	19	356	25	432	2176
कुल मिलाज		407	367	551	516	533	156	225	65	629	50	1029	4528

भंगीकरण शैलीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने संबंधी कार्यकारी ग्रुप की रिपोर्ट, विश्वविद्यालय मनुदान आयोग, नई दिल्ली, 1978

(क) * इसमें उद्, हिंदुस्तानी, राजस्थानी, हरियाणवी, डोगरी, भोजपुरी, मैथिली, भागधी और छत्तीसगढ़ी के तथा चित्र भी शामिल हैं।

(ख)** 1974 में इसके प्रतर्गत निम्न भाषाओं के चित्र शामिल हैं।

भाषा	कथा-चित्रों की संख्या	भाषा के क्षेत्र में सिनेमाघरों की संख्या
(i) पञ्जाबी	4	119
(ii) मलमिया	3	190
(iii) मणिपुर	2	—
(iv) तुमु	2	—
(v) उडिया	1	110
(vi) मरोठी	1	—
(vii) हरियाणवी	2	—

(ग) प्रयोगकार केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, बम्बई।

परिशिष्ट XVIII

विवरण II

फिल्म सेंसर परिषद् द्वारा प्रमाणित भारतीय
चलचित्रों का सन् 1974 से 1980 तक भाषावार विभाजन

क्र.सं. भाषा	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1. हिंदी उर्दू	135	120	106	134	122	114	145
2. आसामी	3	6	5	7	6	10	7
3. बङ्गा	—	—	—	—	—	—	1
4. बंगाली	36	35	32	31	37	37	37
5. भोजपुरी	—	—	—	2	1	2	3
6. इंग्लिश	1	1	2	3	2	1	—
7. गुजराती	7	12	29	30	32	38	34
8. कन्नड़	30	39	45	49	54	59	68
9. कोंकणी	—	1	1	1	1	—	2
10. मलयालम	54	77	84	91	123	131	99
11. मणिपुरी	2	—	1	—	—	3	—
12. मराठी	11	17	10	19	15	19	28
13. उड़िया	1	3	6	11	15	11	15
14. पंजाबी	4	5	10	12	8	15	6
15. तमिल	79	71	81	66	105	140	145
16. तेलुगु	69	88	93	99	94	133	152
17. तुलु	2	—	2	2	3	—	—
18. हरियाणवी	1	—	—	—	—	—	—
19. नेपाली	—	—	—	—	1	1	—
योग :	435	475	507	557	619	714	742

परिशिष्ट XIX

केंद्रीय सरकार द्वारा हिंदी भाषा में पत्र-व्यवहार

क्रम सं	वर्ष	राज्या स हिंदी म प्राप्त पत्र	हिंदी में भेजे गये उत्तर	कानम 4 व अतिरिक्त कानम (3) के आंकड़ा का प्रतिशत	जनता से हिंदी म प्राप्त पत्र	हिंदी में भेजे गये उत्तर	कालम (7) के आंकड़ा कानम (6) के आंकड़ों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	1968-69	26487	08611	32 ५	104287	35706	34 2
2	1969-70	40177	16283	40 5	184258	86151	46 7
3	1970-71	42791	16751	39 1	172489	66400	38 5
4	1971-72	38114	18198	47 7	183494	48765	26 5
5	1972-73	53965	20819	38 5	207297	50495	24 3
6	1973-74	60945	23201	38 0	157868	38510	24 2
7	1974-75	58001	27241	46 9	154928	40402	26 0

सूचनास्रोत राजभाषा हिंदी के बढ़ते चरण
(1965-75), गृह मंत्रालय, पृष्ठ 20

परिशिष्ट XX

विवरण I

विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं का शिक्षा
के माध्यम के रूप में इस्तेमाल

क्रम सख्या	भाषाओं के नाम (संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाएँ)	विश्वविद्यालयों की सख्या	
		पूर्व-स्नातक स्तर	स्नानकोत्तर स्तर
1.	असमिया	—	—
2.	उड़िया	1	—
3.	उर्दू	6	—
4.	कन्नड़	3	—
5.	कश्मीरी	—	—
6.	गुजराती	6	5
7.	तमिल	2	—
8.	तेलुगु	3	—
9.	पंजाबी	3	1
10.	बंगला	4	3
11.	मराठी	6	2
12.	मलयालम	—	—
13.	संस्कृत	3	3
14.	सिंधी	—	—
15.	हिंदी	45	32

1. अगोकार - मध लोक सेवा आयोग की तेइसवीं रिपोर्ट, अप्रैल 1, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक, पृष्ठ 134-138
2. ऊपर की सूची में वे विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं जहाँ भारतीय भाषाएँ केवल पूर्व-विश्वविद्यालय अथवा इण्टर कोर्स के पहले वर्ष तक सिद्धा का माध्यम हैं।

परिशिष्ट XX

विवरण II

संश्रेय भाषाओं का शिक्षा के
माध्यम के लिए इस्तेमाल

क्रम	कोम अथवा पाठ्यक्रम का नाम घाट स/साइंस/कामर्स/कला/ विज्ञान/वाणिज्य	संश्लिष्ट नाम	कासम (3) में दज कोलों की क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बेचनर ऑफ घाट स/बेचनर ऑफ घाट स (मानस) कला स्नातक/कला स्नातक (मानस)	बी ए/बी ए (मानस)	66
2	बेचनर ऑफ साइंस/बेचनर ऑफ साइंस (मानस) विज्ञान स्नातक/विज्ञान स्नातक (मानस)	बी एस-सी बी एस-सी (मानस)	51
3	बेचनर ऑफ कामर्स/बेचनर ऑफ कामर्स (मानस) वाणिज्य स्नातक/वाणिज्य स्नातक (मानस)	बी काम/बी काम (मानस)	55
4	मास्टर ऑफ ग्राट स/कला निष्णात	एम ए	41
5	मास्टर ऑफ साइंस/विज्ञान निष्णात	एम एस-सी	20
6	मास्टर ऑफ कामर्स/वाणिज्य निष्णात	एम काम	31
7	बेचनर ऑफ साइंस (कृषि)/ विज्ञान (कृषि) स्नातक	बी एस-सी (कृषि)	11
8	मास्टर ऑफ साइंस (कृषि)/ विज्ञान (कृषि) निष्णात	एम एस-सी (कृषि)	2

9.	पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक/ आयुर्वेदिक औषध तथा शल्य- चिकित्सा स्नातक/ यूनानी औषध तथा शल्य- चिकित्सा स्नातक/ शुद्ध आयुर्वेदिक औषध स्नातक	बी.बी.एस.सी. बी.ए.एम.एस. बी.यू.एम.एम. बी.एस.ए.एम.	}	13
10	बैचलर ऑफ फार्मसी/भेपजिकी स्नातक	बी. फार्म.		
11.	बैचलर ऑफ लायब्रेरी साइंस/ पुस्तकालय विज्ञान स्नातक	बी लायब. सा.		2
12.	व्यापार प्रबंध स्नातक	बी. बी. एम.		2
13.	ललित कलाएं स्नातक	बी. एफ. ए.		3
14	संगीत स्नातक	बी. म्यूजिक		7

1. अंगीकार : क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के लिए इस्तेमाल करने पर कार्यकारी ग्रुप की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, 1978-79.
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1 जुलाई, 1978 को 115 विश्वविद्यालयों में से 83 विश्वविद्यालय और संस्थान, जिन्हें विश्वविद्यालय का पद प्राप्त है, ऐसे थे, जिनमें विभिन्न स्तरों तक क्षेत्रीय भाषाओं का शिक्षा के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था।

परिशिष्ट XXI
विवरण I

सन् 1968 69 से 1978 तक हिंदी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए
बहिर्दो-भाषी राज्यों को दी गई वार्षिक सहायता की राशि
(लाख रुपये में)

क्रम	राज्य अथवा संघ	1968 69	69-70	70-71	71 72	72 73	73 74	74 75	75 76	76-77	77 78	78 79
सं	राज्य भौत का											(दिसंबर 78 तक)
	नाम											
1	आंध्रप्रदेश	40 55	49 00	56 22	82 27	102 00	86 43	9 00	27 00	40 00	65 00	20 00
2	असम	11 50-	7 00	7 00	9 45	21 00	18 00	10 00	15 00	20 00	26 00	35 00
3	उड़ीसा	10 00	7 00	8 95	18 24	25 00	21 00	12 00	28 00	50 00	32 00	50 00
4	बिहार	12 61	15 00	20 00	20 00	30 00	24 00	9 00	21 60	13 00	23 00	10 00
5	केरल	—	13 00	13 00	12 50	35 00	25 00	3 00	33 00	106 75	68 00	70 00
6	गुजरात	5 00	4 00	4 00	4 00	12 00	11 00	1 60	6 00	—	19 76	—
7	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	4 75	5 00	—
8	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	2 00	—	—	—	—
9	नागालैंड	—	—	—	3 34	3 00	3 00	0 94	1 90	2 05	2 45	3 00

परिशिष्ट XXI
विवरण II

सन् 1968 69 से 1978 तक हिंदी प्रध्यापको के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज खोलने के लिए
अहिंदी भाषी राज्यों को दी गयी आर्थिक सहायता की राशि
(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य प्रथम नाम	राज्य-द्वितीय नाम	1968-69	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79
1	आंध्रप्रदेश		0.44	0.80	1.20	1.47	1.40	1.20	0.38	0.60	—	—	—
2	अरुणाचलप्रदेश		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	—
3	असम		—	—	1.60	1.10	1.10	1.00	—	—	2.00	1.50	—
4	उड़ीसा		0.38	1.35	1.00	1.78	1.80	1.50	—	—	—	—	—
5	बिहार		1.03	0.75	2.00	2.60	2.50	2.00	—	—	—	—	—
6	केरल		2.99	4.00	3.40	3.80	4.00	3.59	1.32	0.18	0.60	2.00	—
7	गुजरात		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	तमिलनाडु		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	नागालैंड		0.25	0.30	0.35	0.40	0.35	0.30	—	—	—	—	0.31

(दिस 1978 तक)

10. पश्चिम बंगाल	0.53	0.75	0.75	0.85	0.85	0.75	0.75	—	—	—	—	0.24
11. मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	0.20	0.38	1.00	1.00	—
12. महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	0.57	1.33	3.30	2.00

संशोधक : केंद्रीय शिक्षा, समाज कल्याण एवं सांस्कृतिक विभाग मंत्रालय, नई दिल्ली । सन् 1968-69 का तात्पर्य है, 1 अप्रैल, 1968 से लेकर 31 मार्च, 1969 तक की अवधि । 1969-70, 1970-71 आदि क्षेत्र वर्षों की अवधि भी इस प्रकार है ।

संदर्भ-ग्रंथ (Bibliography)

इस ग्रंथ सूची में दी गयी प्रायः पुस्तकों के नाम पुस्तक के पूर्व अध्यायी में नागरी लिपि में दिये जा चुके हैं। यहाँ पर यह सूची अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि में दी गयी है क्योंकि इसमें से अधिकांश पुस्तकें मूल रूप में अंग्रेजी में हैं और अंग्रेजी जानने वाले पाठक ही इन पुस्तकों को पढ़ सकेंगे। अंग्रेजी भाषा में अनेक स्थानों पर हिज्जों और उच्चारण में भेद होने के कारण, सम्भव था कि इन पाठकगणों को नागरी लिपि में लिखी गयी अंग्रेजी पुस्तकों के नाम ठीक से समझने में कुछ कठिनाई होती।

- 1 Ahmad, Z A Comp
National Language for India A Symposium, Allaha-
bad, Kitabistan, 1941
- 2 All India Language Conference, Modern India Rejects
Hindi, Calcutta, 1958, 150 p
- 3 Andronov, M S
Dravidiskie Yazyki
Moskva Nauka, 1965, 122 p 31 Tabl
(Akad Nauk SSSR)
- 4 Baranniko, P A
Problemy Hindi Kak Natsionalnoga Yazyka
Leningrad, Nauka, 1972, 186 p
- 5 Baziev, A T Isaev, MI
Yazyk i Natsia,
Moskva, Nauka, 1973, 246 p

- 6 Beloded, I.K.
Razvitie Yazykov Sozialisticheskikh Natsiy V
USSSR Kiev, Naukiva Dumka, 1969, 305 p
7. Bhatnagar, Rajendra Mohan
Rashtra Bhash Aur Hindi
Agra, Vinod Pustak Mandir, 1961, 129 p
- 8 Bright, William.
Sociolinguistics : Proceedings of the University of Cali-
fornia, Los Angeles/Sociolinguistics Conference, 1964.
Ed by William Bright, Published under the auspicious
of the Centre for research in languages and linguistics,
University of California, Loas Angeles.
The Pauge-Paris, Mounon, 1966, 324 p.
9. Census of India, 1971
Language Handbook on Mother Tongue in Census,
Comp by R C. Nigam, New Delhi.
The Registrar General, India Ministry of Home Affairs,
1972, Census Centenary Monograph No. 10.
- 10 Chatterji, S.K.
Languages and Literatures of Modern India.
With a Foreward by C.P. Ramaswami Aiyar,
Calcutta, Bengal Publ., 1963.
11. Chatterji, S.K.
Languages and the Linguistic Problem.
Oxford, Oxford University Press, 1943.
12. Chernyshov, V.A.
Dialekty i Literaturnyi Hindi.
Moskva, Nauka, 1969, 141 P.
- 13 Dasgupta, J.
Language Conflict and National Development,
Berkeley, 1970.
- 14 Desheriev, Yu D.
Razvitie Mladopismennoykh Yazikov. Narodov SSSR
Moskva 1958.
15. Desheriev, Yu. D.
Sociolinguistics
Moskva, Nauka, 1977, 381 p.

- 16 Devanagari Lipi
New Delhi, Gandhi Smarak Nidhi
- 17 Diakov, A M
Natsionalnyi Vopros V Sovremennoi Indii
Moskva, Izd vost Lit , 1953 194 p
- 18 Durbin, M Micklin, M
Sociolinguistics Some Methodological Contributions
from Linguistics — "Foundations of Language", Vol 4,
No 3, 1968
- 19 Encyclopaedia Britannica, 1953
- 20 Encyclopaedia Britannica, 1953
- 21 Fishman, Joshua A
Language Problems of Developing Nations
Fishman, Jeshua A Ed/a o/New York/a o /Wiley/
1968/XV, 521 P
- 22 Gandhi, K L
Raj Bhasha — Samasya Aur Swarup (Research thesis
Meerut University, U P 1976-77)
- 23 Gandhi M K
Reminiscences of Gandhi ji
Bombay, Vora & Co
- 24 Gankovskt, Yu V
Leninskite Printsipy, Reshenia Natsionalnogo Voprosa
V/SSSR i Strany Azil i Afriki — Narody Azil i Afriki"
No 6 Moskva, 1972
- 25 Grierson, G A
Languages of India, being a reprint of the Chapter on
languages to the report on the Census of India, 1901 to-
gether with the Census statistics of languages, contri-
buted by George Abraham Grierson, Calcutta, Superin-
tendent of Govt Printing, 1903
- 26 Grierson, G A
Linguistic Survey of India, Delhi
Moti Lal Banarsi Das, 1967-68
- 27 Gujrat Government of Bureau of Economic & Statistics
Study of utilisation of educated persons
Ahmedabad, the Author, 1977

28. Gumpers, J. and Dasgupta J.
Language Communication and Control--In :
Language in Social Groups".
Princeton, 1971
29. Gumpers, John J.
Language in Social Groups
Stanford (Calif.), Stanford University Press, 1971, XIV,
350 p.
30. Gumpers, John J
Types of Linguistic Communitons. In : "Readings in the
Sociology of Language", J.A Fishman (ed)
The Hauge--Paris, 1968.
31. Homar, A.J. (Editor)
Wit and Wisdom of Gandhi, Boston, Beacon Press, 1951.
32. Haugen, E.
Linguistics and Language Planning "Sociolinguistics"
The Hauge--Paris, 1966.
33. India, Committee of Parliament of Official Language, 1957.
Report. New Delhi, Ministry of Home Affairs, 1959.
34. India, Constituent Assembly.
Debates. New Delhi. Constituent Assembly, 1949. Vol. 9.
35. India, Gazettee of India. Extraordinary,
January 8, 1968, New Delhi, Manager of Publication,
1968.
36. India, Indian National Congress.
Congress Bulletin, 1953 and 1954.
37. India, Linguistic Provinces Commission.
Report, New Delhi, Constituent Assembly of India. 1958
38. India, Lok Sabha
Debates. New Delhi, Lok Sabha Sectt.,
1959, 1963, 1965 and 1967.
39. India, Ministry of Education, Central Hindi Directorate,
Parivardhit Devnagari, Delhi. Manager of Publications,
1966.
40. India, Ministry of Home Affairs,
Annual Assessment Report 1968-70
Delhi, Ministry of Home Affairs, 1970

- 41 India, Official Language Commission
Report 1955-56 New Delhi, Ministry of Home Affairs,
1967, 495 p
- 42 India, Rajya Sabha
Proceedings Delhi, Rajya Sabha Secretariat 1976
- 43 India, Registrar General of Census Commission
Pocket Book of Population Statistics Census Centenary
1972, Delhi, the Author, 1972
- 44 India, Registrar of Newspapers
Press in India 1974 Eighteenth Report of the Registrar
of Newspapers for India under the Press & Registration
of Book Act Part I Delhi, Controller of Publications,
1975
- 45 Kodesia K
The Problems of Linguistic States in India Delhi, 1969
- 46 Labov, William
Sociolinguistic Patterns
Philadelphia, University of Pennsylvania Press/Cop
1972 XVIII, 344 p
- 47 Labov, W
The Study of Language in its Social Context—
In "Studium Generale", 23 1970
- 48 Language and Society in India ed by A Poddar
Simla, Indian Institute of Advanced Studies
- 49 Languages of India A Kaleidoscopic Survey
- 50 Macnammara, J
Problems of Bi-lingualism "Journal of Social Issues",
V 23 (2), 1967
- 51 Madan Gopal
This Hindi and Dev Nagri
Delhi, Matropolitan Book Co Ltd , 1953, 328 p
- 52 Maharashtra, Govt of Finance Deptt Manpower Wing
Pattern of Utilisation of educated persons Bombay, the
Author, 1966
- 53 Majumdar, A K
Problem of Hindi A Study Bombay, Bharatiya Vidya
Bhawan, 1963, 165 p

54. Majumdar, R.C. Raychaudhuri, H C. & Datt, Kalinkar
Advanced History of India, 2nd Ed
London, Mecomillan, 1950. 1060 p
55. Magbul Ahmad, S.
Languages and Society in India;
Proceedings of A Seminar, Simla, Indian Institute of
Advanced Study, 1969, 601 p
56. Meadows, A.J.
Communication in Sciences
57. Misra, B B.
Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Times
London, OUP. 1961, 438 p.
58. Mohan Kumaramangalam, S.
India's Language Crisis; an introductory study.
Madras, New Century Book House, 1965, vii, 122 p.
59. Nagari as World Script, Lipi-Seminar
New Delhi, Gandhi Smarak Nidhi.
60. Nikolski, LLB
Prognasirovaniao i Planirovanie Yazykovogo Razvitiva,
Moskova, 1970
61. Nikolski, L.B
Sinkhronnaya Soziolingvistika, Nauka, 1976, 166 p
62. Nilakanta Sastri, K A.
History of South India, London,
Oxford University Press, 1965, XII, 486 p
63. Prasad, B.N.
'Hindi' in Languages of India, A Kaleidoscopic Survey
Madras, Our India Distributors and Publications.
64. Rahul Sankratayan.
Akbar.
65. Rayfield, J.R.
The Languages of a Bilingual Community
The Hague—Paris, Mouton, 1970, 118 p.
66. Regachev, P.M. Sverdln, M.A.
Natsia—Marod—Chelovechestvo.
Moskva. Politizdat, 1967, 189 p.

- 67 Rubin, Joan
Can Language be planned Sociolinguistic Theory and Practice for Developing Nations Ed by Joan Rubin and B H Jernudd Honolulu, The Univ Press of Hawaii/cop 1971, xiv, 343 p
- 68 Sakhrov, I B
Kratkii Ocherk Ehticheskoi Geografii Indii—Vyp XIV Strany i Narody Vostoka, Vol xiv, Moskva, 1972
- 69 Sbornik,
Induskoo Yazkoznanie,
Moscow, Nauka, 1978
- 70 Sbornik,
Novoe V Lingvistike Vypusk 6
Moskva, Izd Inostr Lit, 1972, 534 p
- 71 Sbornik, Novoe V Lingvistike Vypusk 7
Moskva, Izd Inostr Lit, 1975 485 p
- 72 Sbornik,
Problemy Izucheniya Yazykovoi Situatsii i Yazykovoi Vopros V Stranakh Azii i Severnoi Afriki
Moskva, Nauka, 1970, 233 p
- 73 Sbornik,
Yazyk i Obschestvo
Saratov, Izd Saratov Uni -1967, 284 p, 1970
228, p
- 74 Sbornik
“Yazykovaya Politika V Afro-Aziatskikh stranakh”
Moskva, Nauka, 1977, 318 p
- 75 Sharma, Sarojini
Gaveshna Agra, Kendriya Hindi Sansthan, 1972
- 76 Shiva Rao, B
Framing the India's Constitution A Study
New Delhi, Indian Institute of Public Administration
1968, 894 p
- 77 Shor, R O
Yazuk i Obschestvo
Moskva, 1926

78. Spratt, P.
D. M. K. in Power. Bombay, Nachiketa, 1978,
164 p.
79. Tauli, V.
Introduction to a Theory of Language Planning.
Uppasala, 1968, 227 p
80. Townsend, W. C.
They found a common language.
New York, Harper, 1972, 124 p
81. Trevelan, Humphrey.
Diplomatic Channels, London, Macmillan, 1973.
82. Winreich. U.
Languages in Contact. Findings and Problems.
New York, Publication of the Linguistic Circle New
York No. I, 1953, 148 p.
83. Whiteley, W.H.
Language : Use and Social Change. Oxford,
Oxford Univ. Press. 1971.
84. Zhyrmunski, V.M.
Natsionalnyi Yzyk i Sozialnye Dialekty.
Leningrad, 1936.
85. Zograf, G.A.
Yazyki Indii, Pakistana, Tseilona i Nepala
Moskva, Izd, Vost. Ltd, 1960. 132 p.

